पंचदश माला, खंड 3, अंक 17

शुक्रवार, 24 जुलाई, 2009
2 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 77
Dated 21 April 2011

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं हैं। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र 2009/1931 (शक)]

अंक 17, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2009/2 श्रावण, 1931 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	302 से 304	1-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	301, 305 से 320	37-82
अतारांकित प्रश्न संख्या	2844 से 3026	81-499
सभा पटल पर रखे गए पत्र		499-504
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(i)	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) (मांग संख्या 92) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी-समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
(ii)	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 93) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री सुल्तान अहमद	504-506
सभा का कार्य		506-509
कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		509
वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री प्रणब मुखर्जी	529
	श्री जसवंत सिंह	529
	श्री सन्दीप दीक्षित	545
	श्री पी. करुणाकरन	554
	श्री शैलेन्द्र कुमार	560

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

श्री भर्तृहरि महताब 566

डॉ. पी. वेणुगोपाल 573

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 576

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 585

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 594

श्री संजय निरुपम 602

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 605-606

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 606-616

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 617-618

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 617-620

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 24 जुलाई, 2009/2 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 301; श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव — उपस्थित नहीं।

श्री आनंदराव अडसुल — उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 302, श्री आर.के. सिंह पटेल।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

+

***302. श्री आर.के. सिंह पटेल :**
श्री उदय सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) चालू वर्ष के लिए गांवों के विद्युतीकरण हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत 500 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाले छोटे गांवों का भी विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्रामीण विद्युतोकरण के लिए मानदंड निम्नानुसार है:—

''एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा यदि

(i) मूलभूत अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर तथा वितरण लाइनें आबाद इलाके के साथ-साथ दलित बस्ती/हेमलेट में, जहां यह मौजूद हैं, उपलब्ध कराई गई हैं। (गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है);

(ii) सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों आदि में बिजली उपलब्ध करा दी जाती है; तथा

(iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या का कम-से-कम 10% होनी चाहिए।''

राज्यों ने गैर विद्युतीकृत गांवों तथा आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों सहित योजना के अंतर्गत स्वीकृती हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) प्रस्तावित की थी।

(ख) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु चालू वर्ष के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) सभी जनगणना वाले गांव, जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य	2009-10 लक्ष्य
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	277
2.	असम	1030
3.	बिहार	2530
4.	छत्तीसगढ़	79
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	झारखंड	7592
7.	जम्मू और कश्मीर	36
8.	मध्य प्रदेश	42
9.	मणिपुर	140
10.	मेघालय	29

1	2	3
11.	मिजोरम	56
12.	नागालैंड	10
13.	उड़ीसा	4765
14.	राजस्थान	562
15.	सिक्किम	8
16.	त्रिपुरा	30
17.	उत्तराखंड	47
18.	पश्चिम बंगाल	264
	कुल	17500

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है और जो बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से पूरे देश के तमाम गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना में जो बीपीएल कार्ड-धारक हैं, उनको कनेक्शन देने का कार्यक्रम है और मैं कहना चाहता हूं कि जो बीपीएल कार्डधारक हैं, वे लघु-सीमान्त किसान भी हैं और लघु-सीमान्त किसान होने के नाते उन्होंने छोटे-छोटे ट्यूबवैल भी अपने खेतों में स्थापित किये हैं और उनको वे ऊर्जीकृत कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन लघु सीमान्त किसानों को जो बीपीएल की सूची में हैं, क्या उनको इस योजना में शामिल करके उनके खेतों में स्थापित उनके ट्यूबवैल्स् को ऊर्जीकृत करने का कार्यक्रम इस योजना में शामिल करेंगे?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हर घर को विद्युत देने का प्लान कुटीर योजना से था, फिर उसमें बदलाव हो गया और इसका उपयोग पम्प के लिए भी हो सकता है लेकिन वे जब डीपीआर बनाते हैं, मैं जब बजट पर बात कर रहा था तो इसी सदन में मैंने करीब आधा घंटा, एक घंटा एक्सप्लेन करके बताया है कि राज्य जब डीपीआर भेजते हैं, उसी वक्त 10 के.वी. या 20 के.वी. या 2-2 ट्रांसफॉर्मर बिठा देते हैं, लेकिन वह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि जब स्टेट का डीपीआर आता है, उसमें वह योजना होती है और यदि डीपीआर में नहीं आता है तो नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि जिन राज्यों में इस प्रकार का हो रहा है, बिहार की बात उस दिन बहुत जोर से यहां कही गई थी तो मैंने जोर से कह दिया था कि जब तक राज्य सरकार डीपीआर में यह नहीं लगा सकते, तब तक यह नहीं हो सकता लेकिन यूपीए सरकार ने हर बीपीएल को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन देने का जो वादा किया है, वह हम कर रहे हैं।

श्री आर.के. सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे आपने प्रथम बार राजस्व गांवों का चयन किया था, इस योजना में जो राजस्व गांव थे, केवल उन्हीं को शामिल किया गया था। बाद में मजरा पूर्वो को भी शामिल किया गया है, किन्तु मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विन्ध्यांचल पर्वत श्रेणी में जो बसे हुए क्षेत्र हैं, विन्ध्यांचल पर्वत का जो पठारी भाग है, उसमें बहुत दूर-दूर तक गांव बसे हुए हैं। 5-5, 6-6 कि.मी. की दूरी पर एक-एक गांव छोटा सा मजरा पूर्वा है और 5-5 – 7-7 कि. मी. की दूरी पर भौगोलिक बसाव के हिसाब से गांव बसे हुए हैं तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, बांदा है, बुंदेलखंड का पूरा हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, चंदौली है, मिर्जापुर है, इस प्रकार से बहुत जिले हैं, इलाहाबाद भी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वह जो विन्ध्यांचल पर्वत श्रेणी है, उसके बीच-बीच में जो बसा हुआ हिस्सा है, इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन दूरस्थ अंचल में बसे हुए लेकिन जो राजस्व गांव नहीं हैं, उन मजरे पूर्वो को भी क्या इस योजना में शामिल करेंगे? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस योजना से जो आपने उप-केन्द्र बनाने की योजना चलाई है, उत्तर प्रदेश में उप-केन्द्र का शिलान्यास बहुत पहले हो चुका है।

यह योजना चार-पांच साल से चली है, इनका मात्र शिलान्यास हुआ है लेकिन आज तक इन उपकेन्द्रों में काम शुरू नहीं हुआ है। जहां काम शुरू हुआ है वहां अधुरा पड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन उपकेंद्रों का काम कब तक पूरा कराएंगे? क्या इसमें उस भौगोलिक स्थिति में बसे हुए गांवों को भी शामिल करने का कष्ट करेंगे?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने इसी सदन में कह दिया था कि ओरिजनली 300 पापुलेशन से ऊपर के गांव को लेने की योजना थी। लेकिन जब सभी ने मांग की और पिछली लोकसभा के सदस्यों ने भी मांग की तब हमने सोचा और इस पर निर्णय लिया कि जिस गांव की जनसंख्या 100 से ऊपर है वहां राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत काम किया जाएगा। इस प्रकार का एक बहुत ड्रास्टिक निर्णय लिया गया था क्योंकि वहां 300 पापुलेशन

वाले गांव थे और 100 से ऊपर वाले ज्यादा थे और उन्हें बिजली नहीं मिलती थी। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया और यह अभी कन्टीन्यु है। आपने जो बात सब-स्टेशन के बारे में कही है, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में उनके राज्य के हैं, सब-स्टेशन की स्कीम बनाई गई है लेकिन ये हमारे नहीं हैं। उन्होंने सब-स्टेशन लगाए हैं और वे कल परसों तक भी लगा रहे थे। वे इतनी तादाद में वैसे ही लगाकर गए हैं, इनका उद्घाटन हुआ है या नहीं हमें पता नहीं है।

[अनुवाद]

यह विशेष उप-केन्द्र इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है और इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, तीन दिन पहले ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई और माननीय मंत्री ने बहुत शालीनता और धैर्य के साथ सभी सांसदों की बात सुनी थी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के संबंध में सभी सांसदों ने अपनी भावनाएं प्रकट की थी। आज जो उत्तर आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस योजना के माध्यम से विद्युतीकरण कम और राजनीति ज्यादा करना चाहती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री तापस पॉल, कृपया सभा में बैठकर समाचार-पत्र न पढ़ें।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह : पूरे देश में यह मैसेज दिया गया है। उत्तर में मंत्री जी ने कहा है विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या की कम से कम दस प्रतिशत होनी चाहिए। हम सभी सांसद हैं, हम सभी को गांवों की चिंता है। यह सामाजिक स्तर पर संभव ही नहीं है कि गांव में दस प्रतिशत बीपीएल के यहां रोशनी जले, 90 प्रतिशत बीपीएल के यहां रोशनी न जले और अन्य के यहां रोशनी जले ही नहीं। अगर इस योजना को देखा जाए तो इसमें साफ तौर से लिखा है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनैक्शन दिया जाएगा और अन्य लोगों को पैसे लेकर कनैक्शन दिया जाएगा।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रश्न है कि जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवों में लग रहा है, उसे कब मजबूत करेंगे ताकि सिंगल फेस और 20 केवीए ट्रांसफार्मर को हटाकर एक सुदृढ़ तीन फेस का ट्रांसफार्मर दिया जाए? सरकार की मंशा है कि बीपीएल वालों को मुफ्त कनैक्शन दिया जाए और अन्य लोगों को पैसे लेकर दिया जाए, यह पूरी हो सके।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने उस दिन बहुत विस्तार से आपको बताया, सदन में बताया और इनको भी कहा था कि भारतवर्ष में जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं है, ऐसे 1,18,000 गांव हैं और अभी तक हमने 63,040 गांवों को बिजली दी है। जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं थी यूपीए सरकार ने उन गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली देना शुरू किया है। इसमें राजनीति कहां से आ गई? राजनीति तो तब होती थी कि जब पहले एक कुटीर योजना चलाते थे, गांव के बाहर बिजली पहुंचाते थे, खंभा खड़ा करते थे और गांव में अंधेरा रहता था। हमने इस तरह की राजनीति कभी नहीं की है। यूपीए सरकार ने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, इनके लिए नॉर्म बनाए हैं कि बीपीएल घर, जो बहुत गरीबी के स्तर से नीचे हैं, उन्हें मुफ्त बिजली का कनैक्शन लगाकर देंगे और जो अन्य लोग हैं, उनके गांव में बिजली आती है तो वे कनैक्शन ले लें।

उनके गांव तक घर तक बिजली गई है, लेकिन कनैक्शन लेने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में पांच हजार करोड़ रुपये का इसमें खर्चा किया गया है, 28 हजार करोड़ रुपये का अभी खर्चा हो रहा है और जो एडीशनल नये डी.पी.आर्स. वगैरह आ रहे हैं, जो ट्रांसफोर्मर्स के बारे में आपने कहा था, वह शुरूआत में मुझे याद नहीं आ रहा था। ट्रांसफोर्मर्स के बारे में जो आर.जी.जी.वी.वाई. की फेज दो की नई योजना आ रही है, उसके बारे में विशेष रूप से अभी फाइनैन्स मिनिस्ट्री से 30 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। हमने जब सदन में एश्योरेंस दिया है तो मैंने कल ही पत्र लिखकर सिग्नेचर करके रखा है कि मुझे 30 हजार करोड़ रुपये जल्दी दीजिए। लेकिन पैसे का कंस्ट्रेन्ट है, जब जगह बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन 28 हजार करोड़ रुपये की जो योजना इस पंचवर्षीय योजना के लिए बनाई गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह भी पता होगा कि जो 10 परसैन्ट हाउसहोल्ड की बात है, उसमें 10 परसैन्ट हाउसहोल्ड का हमने निर्णय लिया है। इसमें बीपीएल के सभी लोगों को हम देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि अभी जिस पर्सपैक्टिव से भारत सरकार ने योजना बनाई है, उसमें हमने वर्ष 2012 तक देश के सभी घरों में बिजली देना तय किया है। इसके लिए पहले देश में सब तरफ जाइये और जिसकी आय बिजली लेने लायक है, वह क्यों न ले। सारा लोड सरकार पर लगाया जाए, चाहे किसी भी दल की सरकार को, यह बात ठीक नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो राज्यों के द्वारा...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मंत्री जी के उत्तर का अंतिम वाक्य बहुत ही खतरनाक है। यह सरकार से सारी जिम्मेदारी हटाकर कहता है कि बिजली देना सरकार के बस की बात नहीं है, इसके लिए और लोग भी काम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री महोदय, आपको उत्तर नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो राज्यों के द्वारा डीपीआर के आधार पर परियोजना रिपोर्ट आती है और जो गांव और विद्युतीकृत या आंशिक विद्युतीकृत हैं, उन्हें हम इस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्यों के डीपीआर की रिपोर्ट के आधार पर जिन गांवों को विद्युतीकरण में शामिल किया जाता है, उनका काम जिन कम्पनियों को दिया गया है, वह टर्न के बेसिस पर दिया गया है। लेकिन क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वे कम्पनियां फिर स्थानीय लैवल पर पैटी कांट्रैक्टर्स को सब-लैटिंग कर देती हैं? यानी उससे नीचे कर देती हैं, जिससे कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जो काम हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जिन कांट्रैक्टर्स को काम दिये गये हैं, वही कांट्रैक्टर्स उन कामों को सुनिश्चित करेंगे। यदि वे उन कामों को सब-लैट करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

दूसरी बात भी इसी से जुड़ी हुई है कि जो सब-लैटिंग होती है, उसमें जो कांट्रैक्टर्स लोकल लैवल के होते हैं, वे पूरे गांव का विद्युतीकरण किये बिना उसे विद्युतीकृत कर देते हैं। इसलिए उन गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण हो गया है या नहीं या जिन मजरों का उल्लेख किया गया है, चाहे वे दलित बस्तियां हों या हैमलेट की बात की गई है। क्या उन दलित बस्तियों को उसमें जोड़ने के बाद कोई सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं बहुत संक्षिप्त प्रश्न पूछ रहा हूं कि वर्ष 2009-2010 का जो एनक्शर है, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने गांव इसमें शामिल हैं?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, यह बात सही है कि कई लोगों की हमारे पास कम्पलेन्ट्स आई हैं कि जो मेन कांट्रैक्टर होता है, वह सब-कांट्रैक्टर अपाइंट करता है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, जहां इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्यों के पास होते हैं। लेकिन जहां हमारे कारपोरेशंस काम करते हैं, वहां इस प्रकार की बातें बहुत कम हो रही हैं। सम्मानीय सदस्य ने जो मुझसे कहा है, यदि उनकी कम्पलेन्ट मुझे मिल जायेगी तो मैं उस पर इंक्वायरी करूंगा।

दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत यू.पी. के कितने गांव इसमें शामिल हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रथमतः 30802 गांवों की रिपोर्ट आ गई थी और जब हमने उस पर इंक्वायरी की तो इसमें प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी है, उसने जब कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में इंक्वायरी की, वहां डबल-डबल गांव हो गये हैं, यह पता चला। उत्तर प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी ने हमें चिट्ठी लिखकर कहा कि ये 30800 गांव नहीं बल्कि 27592 गांव हैं। इन सारी बातों की चैकिंग करने के बाद ही हमें पता चला है। मैंने इसी सदन में कहा था कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम हो गया है या नहीं, गांव में 10 प्रतिशत बिजली आ गई है या नहीं, इसके बारे में ग्राम पंचायत के प्रमुख को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वह सर्टिफिकेट मिलने के बाद कि उस गांव को बिजली मिली है, तब हम उस गांव को मान्यता देते हैं।

अध्यक्ष महोदया, दूसरी बात यह है कि पिछली 8 अगस्त को राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि यहां के सदन का सदस्य और राज्य का एम.एल.ए....*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश में नहीं है।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया, मैंने इसी सदन में तीन दिन पहले आश्वासन देते हुये कहा था कि मैंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर बताया है कि मैंने सदन के सभी सांसदों को आश्वासन दिया है कि उन्हें कमेटी में लेना है और उन्हें लेना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, उस चिट्ठी में मैंने आगे लिखा है कि इस चिट्ठी की एक-एक कॉपी मैंने राज्य सभा और लोक सभा के सभी सांसदों को भेज दी है। इसके अलावा मैंने यह भी बताया है कि राज्य में किस तरह से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना का क्या प्लान होगा, कितना काम हो गया है, यह सारी स्टेटमेंट भी भेज दी है ताकि उन्हें मौनिटरिंग करने में सहायता मिले। हमारे देश के नेता स्व. राजीव गांधी, जिन्होंने एक दृष्टि दी और इस देश को अच्छा बनाने का प्रयास किया था, उनके नाम से जब ऐसी योजना चलती है तो हम चाहते हैं कि पूरा देश रौशनमय हो जाये यही प्रार्थना हम करते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे : आदरणीय महोदया, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान पश्चिम बंगाल में बिद्युतीकरण का लक्ष्य 264 है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2007-2008 के दौरान ऐसे कितने गांवों में बिजली आई है, जिसमें पहले बिजली नहीं थी? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है और ग्रामीण इलाकों में विद्युत पहुंच सके इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, उन गांवों की संख्या 4,578 है, जहां बिजली नहीं है; 3,894 गांवों में काम पूरा हो चुका है; और विशेष गांवों, जिसमें बिजली दी जानी है, की संख्या 679 है।

श्री एम.बी. राजेश : महोदया, केरल काफी लंबे समय से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भेदभाव महसूस कर रहा है। इस कड़वे अनुभव के मद्दे-नज़र, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुल कितना परिव्यय है और केरल के लिए कितना आबंटन किया गया है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : कुल आबंटन राज्य द्वारा भेजी गई डी.पी.आर. के अनुसार दिया जाता है। इस समय मेरे पास केरल के आंकड़े नहीं है, और मैं माननीय सदस्य को यह उपलब्ध करा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न सं. 303

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने आरंभ से ही हाथ उठाया था। मैं उस राज्य का निवासी हूं जो पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ है, यह राज्य झारखंड है। आप मुझे बोलने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया संक्षेप में बोलें, क्योंकि मैंने पहले ही अगले प्रश्न के लिए बुला लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया संक्षेप में बोलें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, झारखंड की स्थिति यह है कि जब यह राज्य 2000 में बना था तो 32 हजार गांवों में से मात्र 5000 गांवों तक बिजली पहुंची थी। उस समय बहुत से गांव डी-इलैक्ट्रिफाइड भी हो गये थे। मैं इस सदन के सदस्य के रूप में कहना चाहता हूं कि जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो एक ही मांग सब से ज्यादा जोर से हमारे सामने हर गांव में रखी जाती है। हमारे गांव में बिजली ले आओ। यह झारखंड की स्थिति है। वहां पर कभी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने काम किया, पहले आप राइट से काम करा रहे थे जो काम छोड़कर भाग गया, उसने दो, चार पोल कहीं खड़े कर दिये। किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा कभी भी कोई काम हुआ हो, वह बताएं। जब आपने जिसे जिम्मेदारी दी है, जैसे हमारे क्षेत्र में डीवीसी को, वह उस गांव को छूता नहीं है और इसकी कहीं कोई अपील नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री यशवंत सिन्हा : हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन इसकी कहीं कोई अपील नहीं है। गांव वाले परमानेंटली अंधेरे में रहने के लिए विवश हैं। मैं इनकी वार्षिक रिपोर्ट देख रहा था, मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, इसमें लिखा है कि इन्होंने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनायी हैं। मैं अपनी ओर से और इस सदन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या आप इस कमेटी का अध्यक्ष लोकसभा के चुने हुए सदस्यों को बनाएंगे, ताकि हम लोग देख सकें कि क्या काम हो रहा है? अभी हमें केवल मेंबर बनाकर छोड़ दिया है और हमारी कोई सुनता नहीं है। आप हम लोगों को अध्यक्ष बनाइए। हमारी जिम्मेदारी है, जनता हमारे पास आती है। जनता पदाधिकारियों के पास नहीं जाती है और उनके पास जाती है तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय जी, कृपया उत्तर दे दीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया जी, सम्माननीय सदस्य बहुत सीनियर सदस्य हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि झारखंड के सभी जिले हमने प्रायोरिटी पर ले लिये हैं। झारखंड एक बैकवर्ड स्टेट है। हमने कंसीडर किया है कि वहां बहुत सारी आदिवासी लोगों की बस्तियां हैं। हमने झारखंड के सभी जिलों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ले लिया है और इसके बारे में कोई शंका नहीं रहनी

चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सदन को बताया था कि हमनें सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। एक सदस्य वहां गवर्नर हैं, जो पिछली बार कह रहे थे कि वहां चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। मैंने बताया कि वह चिट्ठी अगस्त, 2008 में लिखी थी, लेकिन अब गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी है। वहां हमने कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया है और बाकी सब सदस्य वहां...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उनका उत्तर सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : उसका अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य को बनना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वह एमपी, लोकसभा का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा, मैं जरूर इसमें...*(व्यवधान)* आप सुनिए, इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए वहां एमपीज़ हैं, एमएलए हैं...*(व्यवधान)* एक मिनट आप सुनिए, दूसरी बात यह है कि जब कलेक्टर के पास यह जाएगा तो कलेक्टर देखता है कि डीपीआर प्लान गये या नहीं गये हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, क्या आपका उत्तर पूरा हो गया है?

...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, जहां हमारे सभी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 303, डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न संख्या बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है और अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप उन्हें पत्र लिखिए या फिर आप इन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर इनसे बात कर लीजिए। अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : माननीय अध्यक्ष महोदया, इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो एनडीए सरकार ने बनाया था, उसमें सैक्शन 166(5) में राज्य सरकार को डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ फ़ॉर्म करने की पावर्स का प्रावधान है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : आप क्या स्टेट गवर्नमैंट को कह भी नहीं सकते?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। डॉ. जोशी को अगला प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लक्ष्य

+

***303. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री संजय सिंह चौहान :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी लंबी सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,30,447 कि.मी. लम्बी सड़क बनाने का प्रस्ताव है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निधि का अनुमोदित परिव्यय सिर्फ 59,751 करोड़ रु. है।

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए सड़क निर्माण संबंधी लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में तथा वर्ष 2007-08 और 2008-09 में व्यय के लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है। वर्ष 2009-10 में व्यय का राज्यवार लक्ष्य संसद द्वारा बजट को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद निर्धारित किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए सड़क निर्माण का राज्यवार लक्ष्य तथा व्यय उनकी वर्ष 2009-10 की संचयी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएंगे।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 42,736 बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 36,694 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराया गया है।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को हासिल करने में कमी की मुख्य वजह निम्नलिखित हैं:—

- कुछ राज्यों में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता।
- राज्यों में सीमित निविदा क्षमता।
- वन विभाग की मंजूरी सहित भूमि की उपलब्धता से संबंधित अड़चनें।

(ङ) राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

- राज्यों में निविदा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से मानक बोली दस्तावेज को संशोधित किया गया है ताकि छोटे और मझोले तथा बड़े ठेकेदार इसमें हिस्सा ले सकें। 10 करोड़ रु. से अधिक का पैकेज शुरू करने और छोटे तथा बड़े ठेकेदारों के बीच संयुक्त उद्यम की मंजूरी देने के लिए राज्यों को छूट दी गई है।
- राज्य सरकारों को अपने कार्यभार के अनुरूप पर्याप्त संख्या में समर्पित कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां तैनात करने की सलाह दी गई है।
- बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों — सीपीडब्ल्यूडी, इरकॉन, एनबीसीसी, एनपीसीसी, एनएचपीसी और एचएससीएल — को तैनात किया गया है।
- राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे निविदा की प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं की ई-टेंडरिंग करें।
- मासिक प्रगति रिपोर्टों, आवधिक समीक्षा बैठकों तथा अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के जरिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है।
- पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में वन विभाग के अधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बैठकें भी बुलाई गईं।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन में क्षेत्रीय कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

अनुबंध-I

क्र. सं.	राज्य	बनाई गई सड़क (कि.मी. में)		
		2007-08 के लिए लक्ष्य	2008-09 के लिए लक्ष्य	2009-10 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2551	2500	2980
2.	अरुणाचल प्रदेश	361	290	500

1	2	3	4	5
3.	असम	1685	2730	2585
4.	बिहार	4005	5857	5200
5.	छत्तीसगढ़	4417	4250	3500
6.	गोवा	18	5	0
7.	गुजरात	1119	1000	1500
8.	हरियाणा	586	750	700
9.	हिमाचल प्रदेश	1298	1660	1500
10.	जम्मू और कश्मीर	539	1550	1450
11.	झारखण्ड	959	1200	1950
12.	कर्नाटक	1824	1820	2600
13.	केरल	433	480	300
14.	मध्य प्रदेश	6712	7000	8000
15.	महाराष्ट्र	3823	4000	2950
16.	मणिपुर	63	900	200
17.	मेघालय	176	150	100
18.	मिजोरम	334	280	200
19.	नागालैंड	384	430	150
20.	उड़ीसा	3124	6000	2980
21.	पंजाब	1024	1000	365
22.	राजस्थान	9215	8200	3750
23.	सिक्किम	231	280	300
24.	तमिलनाडु	1280	938	1170
25.	त्रिपुरा	442	750	800
26.	उत्तर प्रदेश	4976	7610	6850
27.	उत्तरांचल	1169	750	700
28.	पश्चिम बंगाल	2272	2060	1720
	कुल	55020	64440	55000

अनुबंध-II

वर्ष 2007-2008 तथा 2008-09 के लिए व्यय का लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2007-08 के लिए लक्ष्य	2008-09 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	450	400
2.	अरुणाचल प्रदेश	175	175
3.	असम	700	800
4.	बिहार (आरईओ)	70	70
5.	बिहार (एनईए)	1000	1118
6.	छत्तीसगढ़	1000	1300
7.	गोवा	4	2
8.	गुजरात	200	150
9.	हरियाणा	150	200
10.	हिमाचल प्रदेश	276	400
11.	जम्मू और कश्मीर	200	200
12.	झारखण्ड	200	150
13.	कर्नाटक	300	450
14.	केरल	100	100
15.	मध्य प्रदेश	1300	1800

1	2	3	4
16.	महाराष्ट्र	650	900
17.	मणिपुर	20	50
18.	मेघालय	60	30
19.	मिजोरम	100	100
20.	नागालैंड	60	80
21.	उड़ीसा	900	1200
22.	पंजाब	375	250
23.	राजस्थान	1300	1800
24.	सिक्किम	150	150
25.	तमिलनाडु	250	200
26.	त्रिपुरा	250	250
27.	उत्तर प्रदेश	1000	1800
28.	उत्तरांचल	200	175
29.	पश्चिम बंगाल	700	700
	कुल	12140	15000

अध्यक्ष महोदया : डॉ. जोशी, आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न ग्राम सड़क योजनाओं के संबंध में मैंने किया है क्योंकि यह पाया गया है कि जिन गांवों में सड़कें पहुंची हैं, वहां आम तौर पर सामान सस्ता है और जिन गांवों में सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहां रोज़मर्रा की चीज़ें 10 से 15 प्रतिशत तक महंगी होती हैं। वहां शिक्षा और बाकी सारी चीज़ों का भी अभाव रहता है। जिन गांवों में सड़क पहुंचती है, वहां विकास जल्दी होता है और हर तरह से वे इलाके विकसित होते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका जो क्रियाकलाप है, वह इस मामले में बहुत ही असंतोषजनक है। जैसा कि बताया गया है जानकारी के अनुसार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 3.3 लाख ग्रामीण बस्तियां थीं जहां कोई सड़क नहीं थी। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि भारत निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसके अंदर 2005 से 2009 तक के कुछ लक्ष्य रखे गए थे। शुरू में बताया गया था कि 66,802 बस्तियां इसके लिए अर्ह्य हैं, लेकिन उसके बाद इसको घटाकर 59,536 बस्तियां कर दिया गया। जो 2008 तक पूरा हुआ है, वह केवल 19,600 या 20,000 के लगभग बस्तियों में काम हुआ है। यह स्थिति अगर आपके गांवों की है और गांवों में सड़क पहुंचाने की है, तो यह बहुत ही असामाधानकारक और असंतोषजनक है। इसी तरह से सड़कों के उच्चीकरण का भी जो लक्ष्य आपने रखा था, वह भी पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे यह जाना चाहता हूं कि इस लक्ष्य को पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं और उन कारणों को आप कैसे दूर करेंगे? क्या कोई नया तरीका निकालेंगे? वरना जो हज़ारों करोड़ रुपये का खर्चा जा रहा है, वह बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इतनी कम आपूर्ति हो और पैसा निरंतर बढ़ता जाए? मैं देख रहा हूं कि जो आपने आंकड़े दिये हैं, उसमें पैसा निरंतर बढ़ता जा रहा है और लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति बराबर घटती जा रही है। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। कृपया इस योजना के संबंध में बताएं कि क्या स्थिति है और इस योजना को सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वाकांक्षी योजना जिसकी कल्पना एनडीए की सरकार ने की थी, उसके बारे में भूतपूर्व मंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि दसवीं योजना में जब आपने इसको एनविसेज किया थो, तब यह एनविसेज किया था कि...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हो रहा है?

डॉ. सी.पी. जोशी : मैं दसवीं पर बोल रहा हूं तो ग्यारहवीं पर भी आ जाऊंगा। माननीय सदस्य ने दसवीं योजना का भी प्रश्न पूछा है, मैं ग्यारह पर आ जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, दसवीं पंचवर्षीय योजना में जब इस योजना को एनविसेज किया गया था, तब यह सोचकर किया गया था कि 2003 तक हम 1000 गांवों को जोड़ लेंगे और दसवीं योजना पूरी होने तक हम 500 तक के हैबिटेशन वाले गांवों से जोड़ देंगे। इस लक्ष्य के आधार पर यह योजना प्रारंभ की थी। दुर्भाग्य यह है कि इस योजना को जब एनविसेज किया गया था, तब वित्तीय पोषण जितना होना चाहिए था, उतने वित्तीय पोषण की व्यवस्था नहीं की गई। उस समय के आंकड़ों के अनुसार उस समय के हिसाब से उसमें 1,32,000 रुपये का खर्च था। इतना खर्च एनविसेज किया गया था। 2003-04 में इस योजना को कंप्लीट करने के लिए। यह सोचकर कि पचास

प्रतिशत हम सैस ले रहे हैं, उस योजना को हम पूरा करेंगे, उस समय न नाबार्ड से और न किसी एक्सटर्नल एंजेन्सी से लोन लिया गया। उस समय 13766 हेबिटेशंस को जोड़ा गया, जबकि लक्ष्य रखा गया था...*(व्यवधान)* आप सुनें तो सही, आप ही का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा महोदया : आप इन्हें उत्तर देने दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हम जो नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, आप हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरोह में ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे थे, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मंत्री महोदय, यदि आप इस तरह से करेंगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी...*(व्यवधान)* हमने गलतियां की हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जोर से बोलकर न तो मुझे रोक सकते हैं, न अपनी बात को छिपा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया, अब आप उत्तर सुन लीजिए।

डॉ. सी.पी. जोशी : आप अपने प्रश्न का भाग 'सी' पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है–

[अनुवाद]

"क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है?"

[हिन्दी]

यह आप ही का प्रश्न है, लेकिन आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें उत्तर देने दीजिए। *[अनुवाद]* आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं आगे का पूछ रहा हूं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का पूछ रहा हूं। दसवीं पंचवर्षीय योजना का उत्तर तो आपने लिखित में दे दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग मुझे संबोधित कीजिए। *[अनुवाद]* आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. जोशी : जोशी जी, आप खड़े होकर अपनी अक्षमता को नहीं छिपा सकते हैं। जो चीज़ है, उसको जनता के सामने आना चाहिए। आपने एक महत्वकांक्षी योजना बनायी, लेकिन वित्तीय पोषण का काम नहीं किया, जितने धन का एलोकेशन किया था, उस योजना में...*(व्यवधान)* आपने नहीं किया है, आपको सुनना होगा...*(व्यवधान)* आपने नहीं किया है। आप मुझे वित्तीय पोशण बताइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइए।

मंत्री जी, आप केवल उनके पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, मंत्री जी क्या बात कर रहे हैं? क्या हमने वित्त पोषण नहीं किया? हमने पूरा फंड प्रोवाइड करवाया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. सी.पी. जोशी : कृपया असत्य न बोलें। *[हिन्दी]* आप इतने सीनियर आदमी हैं और सत्य नहीं बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)* आप अपना वित्तीय पोषण बताइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप शांत हो जाइए। आप मुझे संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : आपने दसवीं योजना में इनीशिएट किया था, लेकिन आपने कितने जोड़े? आपका प्रोविजन कितना था?...*(व्यवधान)* आपका 1 लाख 32 हजार का प्रोविजन था,...*(व्यवधान)* लेकिन आपने केवल 9 हजार 697 का खर्चा किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप मुझे संबोधित कीजिए। *[अनुवाद]* आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : क्या आपका उत्तर समाप्त हो गया है? आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : क्या आप उत्तर देना चाहते हैं? ठीक है दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। वह उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाएं। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप उनके पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन्होंने लिखा है कि लक्ष्य को हासिल करने में कमी की मुख्य वजह निम्नलिखित हैं– कुछ राज्यों में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता। राज्यों में सीमित निविदा क्षमता। वन विभाग की मंजूरी सहित भूमि की उपलब्धता से संबंधित अड़चनें। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वित्त पोषण में कमी है। आपने जो जवाब दिया है, वह आपके कथन के बिल्कुल विपरीत है।...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, आखिर के दो वर्ष इन्हीं के कार्यकाल के थे, ये क्या बात कर रहे हैं, यह गलत बात है।...*(व्यवधान)* 11वीं पंचवर्षीय योजना आपने पूरी बनाई है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं नया एम.पी. हूं, जिम्मेदार मंत्री हूं और जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपक संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे सम्बोधित करिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शुरू में 66802 बसावटों को इसके लिए अर्हय माना गया था, जिसे घटा कर 59536 किया गया। सन् 2008 तक केवल लगभग 20 हजार गांवों में यह पहुंचा है। अगर यह सच है तो हां कहिए और अगर इसके विपरीत कोई बात है तो वह बताइए। यह क्यों हुआ और इसे आप पूरा करने के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे सीधी बात पूछ रहा हूं, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी परमीशन से बताना चाहता हूं कि जो पीएमजीएसवाई योजना है, जिसका कंसीव एनडीए गवर्नमेंट ने किया, उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय सदस्य के सप्लीमेंट्री प्रश्न का जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मंत्री जी जोशी जी के सप्लीमेंट्री प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठेंगे तभी तो मंत्री जी जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मंत्री जी पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आप सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, आपको इस पूरी योजना पर चर्चा करानी है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर सुन लीजिए। मंत्री जी, आप माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपके कितने लक्ष्य थे, उसमें पूरे नहीं हुए। इसका सीधा संबंध है कि दसवीं प्लान में आपका जो बैकलॉग रह गया है, उस बैकलॉग को यदि आप 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं करेंगे,...*(व्यवधान)* मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, आप जो कहेंगे, मैं उसी का जवाब दूंगा।...*(व्यवधान)* जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी का जवाब दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप सैकिंड सप्लीमेंट्री पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : आपको प्रोटेक्शन करने के लिए मैं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं कह रहीं हूं, मैंने पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री जी से कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं, मेरा आपसे निवेदन यह है कि प्रश्न-काल है और प्रश्न-काल में जो सीमित बातें हैं, उनका ही उत्तर यदि आएगा तो माननीय सदस्य और मंत्री जी की समस्याओं का समाधान होगा। यहां यह सवाल उठ रहा है कि हम पिछले इतिहास में जा रहे हैं, उस इतिहास में हम हार गए। हम हार गए हैं, इसलिए आपके हाथ में जिम्मेदारी दी है।...*(व्यवधान)* हम कह रहे हैं कि अब आप सरकार में है, सीधी बात है कि हमने कुछ गलतियां की होगी, उन सब को उखाड़ करके आप यह कहेंगे कि आपने गलतियां की हैं, इसलिए हम गलती कर रहे हैं, यह संभव नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, आप मंत्री महोदय को निर्देशित कीजिए कि उनसे सीमित प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए वे उसका सीमित उत्तर दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात पर ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, कृपया केवल अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : केवल अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, कृपया आप मेरी बात सुनिए। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न के उत्तर तक ही सीमित रहने का अनुरोध किया है। अब आप कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैं अपने प्रश्न को इस रूप में पूछता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने जो लक्ष्य पहले रखे थे, उन्हें संशोधित किया गया और उन संशोधित लक्ष्य का भी वर्ष 2008 तक केवल 35 प्रतिशत पूरा हुआ, तो वर्ष 2009 के लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे? जो रुपया आपने वहां दिया है, यह बेकार जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं और रुपए बढ़ते जा रहे हैं। आप इस योजना को कैसे सुधारेंगे, क्या कोई वैकल्पिक मॉडल लाएंगे, गांव वालों को अधिकार देंगे या जैसे अभी यहां विद्युत का प्रश्न उठा था, उसी प्रकार आप इस मामले में भी संसद के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर अपने क्षेत्र में मॉनीटरिंग का अधिकार देंगे? यह बात ठीक है कि यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के समय टोटल हैबीटेशन 1,35,436 थीं, जिन्हें कनैक्ट करना था। इनके अगेंस्ट हमने अप्रैल, 2004 में मार्च, 2007 तक, 22,983 हैबीटेशन को जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त किया और 69,066 रोड्स जोड़ीं। मार्च, 2007 से अप्रैल, 2009 तक, टोटल हैबीटेशन 25,790 को कनैक्ट किया और टोटल रोड्स 93,848 बनाईं। यह सब काम करने के बाद, लगभग जो स्थिति बनती है, वह 1,33,436 क्राइटीरिया के आधार पर जो हैबीटेशन है, उनमें से मार्च, 2009 तक 62,484 हैबीटेशन को कनैक्ट किया है और 72,952 हैबीटेशन और जोड़नी बाकी हैं। इन बाकी हैबीटेशन्स को जोड़ने के लिए, जो हमारी कैपेसिटी है, उसके आधार पर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों के अन्त तक, 72,952 हैबीटेशन्स को जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और जो 1000 और 500 आबादी वाले गांवों को सारी कनैक्टिविटी है, उसे हम पूरा कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके समय में जो योजना बनाई गई, वह महत्वाकांक्षी योजना बनी, लेकिन उस योजना के अंतर्गत केवल मात्र 3000 करोड़ रुपए खर्च किए और आज भारत सरकार ने इस योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके लिए तो आपको हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। आपने जो योजना चलाई, उसमें आपने वित्तीय पोषण नहीं किया। उसके वित्तीय पोषण के लिए नाबार्ड से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह चौहान।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : देखिए, नए मैम्बर प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप कृपया शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री संजय सिंह चौहान : रैस्पैक्टेड मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन छोटे-छोटे सप्लीमेंट्री क्वैश्चन्स पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप तीन नहीं, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्री संजय सिंह चौहान : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस योजना में क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि जिस दिन से सड़क बनेगी, उसके कितने दिन बाद रिपेयर की जाएगी, क्या इसके कोई मापदंड तय किए गए हैं? सड़क बनने के छः, पांच, चार, तीन, दो या एक साल बाद रिपेयर की जाएगी, क्या इसका कोई प्रावधान है अर्थात् सड़क को ठीक करने का समय क्या होगा?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, इस स्कीम में यह एनवीसेज किया गया है कि पांच साल के अंदर रोड की रिपेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इनबिल्ट काम करना है और इसे बारे में स्टेट

गवर्नमेंट को कमिटमेंट देना है। इसलिए पांच वर्ष बाद रिपेयर करने का काम शुरू होगा। जब हम रोड स्वीकृत कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट के आधार पर स्वीकृत कर रहे हैं। इन सड़कों के बनने के पांच साल के बाद रिपेयर करने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है।

राजकुमारी रत्ना सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में जहां 500 की आबादी के गांवों में सड़क बननी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार मौजूद है, उसने इस मानक पर ध्यान नहीं दिया है और पुरानी सड़कों की रिपेयर करके पी.एम.जी.एस.वाई. फंड उसमें इस्तेमाल कर रही है। मेरे जिले प्रतापगढ़ में तो खास तौर से 7-8 सड़कें हैं, मैं आपको लिखित में दे दूंगी, उन पर रिपेयर की है। मैं चाहती हूं कि प्रतापगढ़ का रीसर्वे हो और उत्तर प्रदेश सरकार से आप पूछें कि किस मापदण्ड पर वे सड़के दे रहे हैं?

डॉ. सी.पी. जोशी : माननीय सदस्या की जो बात है, उसकी जानकारी ले लेंगे और उसके बाद मैं उनको सूचित कर दूंगा।

श्री विश्व मोहन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोसी नदी में 2008 में आई बाढ़ से सुपौल एवं मधेपुरा जिले की सभी ग्रामीण सड़कें तबाह हो गई थीं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष योजना है क्या? नरेगा के नियमों की वजह से पंचायत अपने स्तर से ग्रामीण सड़कों का निर्माण नहीं करा सकती है। जर्जर सड़कों को ठीक करने हेतु, वहां पर जो टूट हुई है, बांध जो टूटे हैं, सड़कें जो टूटी हैं, उपनके लिए 5-10 किलोमीटर से मिट्टी लानी पड़ती है और नरेगा का जो नियम है, उसमें श्रमशक्ति को महत्व दिया गया है, जो कि सम्भव नहीं है। क्योंकि 5-10 किलोमीटर तक वहां टोकरी से मिट्टी लाना सम्भव नहीं है, इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नरेगा में नियमों के बदलाव के द्वारा भी सड़कों के निर्माण हेतु इसका काम करवाने का निर्देश क्या सरकार देना चाहेगी, ताकि जो सड़कें टूटी हुई हैं, वे पूरी हो सकें?

डॉ. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदया, नरेगा का सम्बन्ध पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क से नहीं है। अभी नरेगा में हम पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क के साथ जोड़ने का काम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बिहार स्टेट में आज के दिन लगभग 5989 एक हजार की बस्ती, 1502 500 से 999 की बस्ती, कुल लगभग 7491 हैबीटेशन हैं, जिनका अभी पी.एम.जी.एस.वाई. में जोड़ने का काम बाकी है। सरकार से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वह इस काम को त्वरित गति से करे, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए उनको पैसा दे दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदया, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने समय पर वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने और भूमि उपलब्ध न होने जैसी कुछ बाधाओं का उल्लेख किया है। वन विभाग की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आती है। क्या सरकार ने इस मामले के समाधान के लिए संबंधित पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ कोई कार्यवाही की है? इस समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि यह वह समस्या है, जो इस योजना के आरंभ से अब तक हमेशा ही रही है।

महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं, ताकि वन विभाग की स्वीकृति समय पर मिल जाएं, विशेष रूप से, जनजातीय क्षेत्रों में। वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सरकार कौन-कौन से विशेष उपाय कर रही है?

डॉ. सी.पी. जोशी : महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिंता से सहमत हूं। हम पर्यावरण और वन मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए हैं। हम देखेंगे कि इन मामलों के समाधान में तीव्रता लाई जाए और प्रस्तावों का निपटान किया जाए।

पर्यटन विकास की रूपरेखा

+

***304. श्री ए. सम्पत :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के स्थलों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए रोडमैप में महत्वपूर्ण गंतव्यों और परिपथों में अवसंरचना विकास, विदेशी तथा घरेलू मार्केटों में अभिनिर्धारित मार्केटिंग अभियान और पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए आतिथ्य शिक्षा व प्रशिक्षण को व्यापक बनाना शमिल हैं।

(ग) और (घ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 10वीं योजना और 11वीं योजना के पहले दो वर्षों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत परियोजनाओं की सूची क्रमश: अनुबंध-I और II में दी गई है।

अनुबंध-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं और स्वीकृत की गई राशि की सूची

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	6.25
2.	आंध्र प्रदेश	33	8428.24
3.	अरूणाचल प्रदेश	39	6087.85
4.	असम	41	6635.61
5.	बिहार	26	6632.44
6.	चंडीगढ़	10	508.45
7.	छत्तीसगढ़	37	7746.70
8.	दादरा और नगर हवेली	4	37.86
9.	दमन और दीव	9	581.85
10.	दिल्ली	45	7123.36
11.	गोवा	7	157.26
12.	गुजरात	25	3726.79
13.	हरियाणा	44	4895.42
14.	हिमाचल प्रदेश	55	7134.19
15.	जम्मू और कश्मीर	64	14020.86
16.	झारखंड	12	4280.44
17.	कर्नाटक	47	9052.02
18.	केरल	61	13809.94
19.	लक्षद्वीप	1	7.00
20.	मध्य प्रदेश	62	9724.34
21.	महाराष्ट्र	52	8267.75
22.	मणिपुर	17	1162.43
23.	मेघालय	20	2668.69
24.	मिजोरम	30	6038.02
25.	नागालैंड	36	7441.48
26.	उड़ीसा	37	7235.39
27.	पांडिचेरी	9	1685.16
28.	पंजाब	29	5544.82
29	राजस्थान	50	8183.84
30.	सिक्किम	49	7496.31
31.	तमिलनाडु	62	10345.34
32.	त्रिपुरा	21	1702.48
33.	उत्तर प्रदेश	44	9590.24

1	2	3	4
34.	उत्तरांचल	42	7673.42
35.	पश्चिम बंगाल	39	5535.25
	कुल	1160	201167.50

अनुबंध-II

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं और स्वीकृत की गई राशि की सूची

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	12610.06
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	6477.32
4.	बिहार	12	2993.20
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	2	4314.91
7.	गुजरात	12	2710.24
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	21	5263.88
10.	जम्मू और कश्मीर	61	10678.72
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	9	6277.92
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	27	7093.77
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	14	4054.61
17.	मेघालय	8	1912.94
18.	मिजोरम	9	2011.32
19.	नागालैंड	32	4786.01
20.	उड़ीसा	18	6491.68
21.	पंजाब	4	2365.99
22.	राजस्थान	10	5744.02
23.	सिक्किम	50	13112.86
24.	तमिलनाडु	28	6427.52
25.	त्रिपुरा	17	1471.70
26.	उत्तराखंड	8	6549.76
27.	उत्तर प्रदेश	13	6672.67
28.	पश्चिम बंगाल	21	6562.50
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	7	819.11
31.	दादरा और नगर हवेली	3	24.88
32.	दिल्ली	8	764.08
33.	दमन और दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुडुचेरी	10	1863.68
	कुल	514	155307.55

श्री ए. सम्पत : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से, मैं राष्ट्रपिता की एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, "मेरी इच्छा

है कि सभी राष्ट्रों की सभी संस्कृतियों का मेरे घर में निर्बाध रूप से प्रवेश हो, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से किसी भी संस्कृति का अन्धानुकरण करने में विश्वास नहीं करता हूं।''

महोदया, मैं अपने प्रश्न पर आता हूं।

माननीय मंत्री ने भाग (क) और (ख) के लिए अपने उत्तर में कहा है:—

''पर्यटन के विकास और संवर्धन की रूपरेखा में महत्वपूर्ण गंतव्यों और परिपथों में अवसंरचना विकास, विदेशी तथा घरेलू बाजारों में अभिनिर्धारित विपणन अभियान और पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए आतिथ्य शिक्षा व प्रशिक्षण को व्यापक बनाना शामिल है।''

महोदया, आपकी अनुमति से, मैं पर्यटन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन — 2008-09 को उद्धृत करना चाहता हूं। पृष्ठ 114 के पैरा 20.1 में कहा गया है:—

''इनक्रेडिबल इण्डिया'' पत्रिका के मुद्रण में निजी प्रकाशक को अनुचित लाभ — पर्यटन मंत्रालय ''इनक्रेडिबल इण्डिया'' पत्रिका के प्रकाशन का कार्य निजी प्रकाशक को देते समय और तत्पश्चात, इसी प्रकाशक के साथ समझौते के नवीकरण के समय सरकार के लिए राजस्व अर्जन की संभावना पर विचार करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई। इसके अतिरिक्त, अन्य बड़ी कमियां थी, जिसके कारण संविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई।''

मेरा अनुपूरक प्रश्न है, कि क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पारदर्शिता रखी जाएगी और किसी भी सौदे में भ्रष्टाचार व्याप्त न हो। इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी यह पैरा यह विनिर्दिष्ट नहीं करता कि ऐसे संविदा के नवीकरण से पर्यटन मंत्रालय को कितनी धनराशि की हानि हुई है। हम जानते हैं कि आईटीडीसी के होटलों के निजीकरण में क्या हुआ है।

मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या पारदर्शिता रखी जाएगी और क्या गोपनीयता का तत्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा अछूता रखा जाएगा।

कुमारी सैलजा : महोदया, माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन को उद्धृत किया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि सरकार जो भी निर्णय लेती है। वह दिशानिर्देशों के आधार पर ही लेती है। जैसा कि सदस्य ने उल्लेख किया है यदि हमें भी वार्षिक प्रतिवेदन में कुछ विशिष्ट दिखाई देगा तो हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करेंगे और माननीय सदस्य को इसकी जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्री सम्पत, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न संक्षेप में पूछें।

श्री ए. सम्पत : मैं केवल एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया पढ़ना शुरू मत कीजिए। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए. सम्पत : महोदया, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर हूं। पर्यटन मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09 में निम्नवत प्रारंभ होता है:—

''भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ष 2008-09 एक चुनौती और जिम्मेदारी भरा वर्ष है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत में आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगातार घट रही है यह वर्ष 2007 में 14.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 5.6 प्रतिशत हो गई है।''

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विरासत स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार विशेषकर पर्यटन मंत्रालय का हमारे महान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित विरासत स्थलों की परियोजनाओं हेतु अधिक वित्तीय सहायता देने का इरादा है।

मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अटिंगल क्षेत्र से हूं जहां वर्ष 1721 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था। अन्चुथेंगू किला अभी भी वहां मौजूद है। भारत के सभी राज्यों में ऐसे स्थल हैं। वैसे अब हम सभी तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार क्या हम अपने उन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को आपदा से जोड़ सकते हैं जो हमारे महान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं।

कुमारी सैलजा : मैं समझ रही हूं कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न में दो भाग हैं। उन्होंने हमारे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों का उल्लेख किया है। यह सत्य है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। जनवरी, 2009 में जनवरी, 2008 की तुलना में 17 प्रतिशत कमी आई। परंतु मुझे इस सभा में यह बताने में अति प्रसन्नता हो रही है कि जून में इसमें थोड़ी वृद्धि देखी गई। हालांकि पहले पांच महीनों में इनकी संख्या कम थी परंतु जून में इसमें वृद्धि हुई। हालांकि यह वृद्धि बहुत कम है परंतु यह सकरात्मक है। यह विगत वर्ष जून

के मुकाबले 0.2 प्रतिशत अधिक है। हमें आशा है कि यह वृद्धि निकट भविष्य में भी जारी रहेगी।

विरासत स्थल, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, के संबंध में कोई संदेह नहीं है कि हमारा देश विरासत और परम्परा की दृष्टि से समृद्ध है।

विरासत और परम्परा से सम्बद्ध हम चाहते हैं कि ऐसे कई स्थल हैं जिन्हें पर्यटक मानचित्र में स्थान मिले, हमारे समक्ष एकमात्र समस्या निधियों की है। निःसंदेह हमारे मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करती हैं। राज्यों को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी हैं। उन्हें अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करनी हैं। हम निःसंदेह दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए जहां तक संभव हो अधिकाधिक परियोजनाओं पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के लिए यह नया विभाग है, लेकिन फिर भी उत्तर में उन्होंने साठ वर्षों का हिसाब-किताब दिया है, जिसमें बुद्ध के लिए बौद्ध सर्किट, भगवान महावीर की जन्म भूमि के चलते जैन सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट के लिए बिहार को जाना जाता है। वहां पर पर्यटन के लिए इन सभी मशहूर सर्किट्स की विशाल संभावनाएं हैं। लेकिन साठ वर्षों में जहां देशभर के लिए 1674 योजनाएं मंजूर हुईं, वहीं बिहार के लिए केवल 38 हुईं। 3564 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर हुईं जिसमें बिहार के लिए केवल 96 लाख रुपये की हुईं। प्राइमा-फेसी देखने से लगता है कि बिहार में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थलों को देखते हुए वहां के लिए बहुत कम योजना और बहुत कम राशि स्वीकृत हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाओं और सर्किट्स को देखते हुए, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार का काम है, वहां कम मिलने का क्या कारण है? उन कारणों को दूर करने के लिए, बिहार को पर्याप्त इंसाफ मिल सके, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रयत्न होगा?

कुमारी सैलजा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और इन्होंने बिहार की आवाज को पहले भी उठाया हैं जैसे इन्होंने कहा, बिहार हैरिटेज के हिसाब से बहुत ही समृद्ध राज्य है। वहां बुद्धिस्ट सर्किट है, बुद्धिज़्म से संबंधित बहुत से मौनुमैंट्स हैं, लार्ड महावीर वहां जन्मे थे, उनके पहले बीस साल वहां बीते, लार्ड बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने वहां अपना लास्ट सरमन भी दिया था। वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणराज्य माना जाता है। वहां हिन्दु धर्म से संबंधित बहुत सी साइट्स हैं। हम बिहार को संस्कृति और हैरिटेज के हिसाब से बहुत से अट्रैक्टिव डैस्टीनेशनल मानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का भी है। वह एक बहुत ही समृद्द राज्य है। हमारी पास्ट में भी कोशिश रही है कि हम बिहार की टूरिज़्म सर्किट को ज्यादा उभारें और इसके लिए टैन्थ प्लान और इलैवन्थ प्लान के शुरू के सालों में मदद भी की गई। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकती है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हम कुछ चुने हुए डैस्टीनेशन्स को, हम पूरे देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जिसमें बिहार भी है। माननीय सदस्यों के माध्यम से मेरा राज्य सरकारों से आग्रह होगा कि वे हमें प्रैजैक्ट्स भेजें। हमारी गाइडलाइन्स और पैसे के मुताबिक, लिमिटेड बजट के मुताबिक बिहार या दूसरे राज्यों को हम जितना दे पाएंगे, उतना जरूर देंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, क्वश्चेन ऑवर समाप्ति पर है, इसलिए आप अपना क्वश्चेन जल्दी पूछ लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आज हरियाली तीज है, इसलिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी कि एक सुखद तिकोण बना है। अध्यक्षीय पीठ पर आप विराजमान हैं। प्रश्न कर्ता महिला हैं और उत्तर देने वाली भी महिला मंत्री हैं। मैं आपको, मंत्री जी और इस सदन की सभी महिला सांसदों को आज तीज की बधाई देना चाहती हूं। मैं अपना सवाल एक मिनट में पूछ लूंगी। अभी मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थल का विकास करते हैं, लेकिन जैसे आपने बुद्धिस्ट सर्किट की बात की, ये पर्यटन स्थल अलग-अलग राज्यों में विद्यमान है। राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में है। ऐसे पर्यटन स्थलों को राज्य सरकार के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह के पर्यटन स्थल को सर्किट्स में आते हैं, क्या उनका विकास स्वयं केन्द्र सरकार करेगी? क्या सांची को आप बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल करेंगे।

कुमारी सैलजा : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस तरह के बहुत से सर्किट्स हैं। हम देश में 29 मेगा डेस्टीनेशन एवं सर्किट्स को सैंक्शन करना चाहते हैं। इनमें से हम 20 सैंक्शन कर चुके हैं और 9 अभी सैंक्शन करने बाकी हैं, क्योंकि उनकी डिटेल्स आनी है। कई सर्किट्स ऐसे हैं, जो कई राज्यों में स्प्रैड आउट हो जाते हैं। इनमें से छः सर्किट्स ऐसे हैं, जो बुद्धिज्म से संबंधित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्राम अर्थव्यवस्था में सुधार

***301. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल से उत्पादों का विनिर्माण करने तथा उनका निर्यात किए जाने की क्षमता का दोहन करने का है ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके तथा गांवों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादों का निर्यात करने के लिए किसी अन्य एजेंसी/संगठन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण लोगों को पंचायत स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क), (ख) और (ङ) जी, हां। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल/कौशल से उत्पादों का विनिर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आरबीएच) की स्कीम को क्रार्यान्वित कर रहा है एवं इन उत्पादों में से कुछ के निर्यात बाजार तक भी पहुंचाने की संभावना है। यह स्कीम 4पी (पब्लिक-प्राईवेट-पंचायत पार्टनशिप) मॉडल पर आधारित है एवं सभी बीआरजीएफ जिले और उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी जिले को कवर करता है। आरबीएच की स्थापना विभिन्न प्रकार की चल रही सकीमों के संसाधनों के मुख्यतया अभिसरण के माध्यम से की जाती है। आरबीएच स्कीम के तहत प्रोफेसनल समर्थन सेवाएं, प्रशिक्षण/ कौशल विकास एवं छोटे उपकरणों के क्रय हेतु उपयोग उपलब्ध है।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय ने आरबीएच से स्रोतित उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक्सिम बैंक के साथ सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किया है। सहयोग ज्ञापन के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य गतिविधियों को कवर किया गया है।— (i) ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादन गतिविधियों को संचालित करने के इच्छुक उपयुक्त निर्यातकों को अभिचिह्नित करने में सहयोग देना, (ii) पंचायतों के सहयोग व सुविधा का उपयोग करते हुए ऐसे निर्यातकों एवं ग्रामीण उत्पादकों के बीच परस्पर लाभकारी व्यापारिक संबंध विकसित करना, (iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आरबीएच के अभिचिह्नित उत्पादों को एक्सिम बैंक के ग्रामीण पोर्टल से जोड़ने एवं एक्सिम बैंक के विदेशी कार्यालयों में ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित करने के माध्यम से व्यापक दृश्यता एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, (iv) चुनिंदा आर बी एच को नीतिपरक व्यापार, सद्व्यापार, जैव प्रमाणन इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रिया से सुपरिचित बना देना जिससे कि बाजार में उसकी बेहतर पहचान हो।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

***305. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के नाम क्या हैं तथा ये उल्लंघन किस प्रकार के थे; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ बैंकों द्वारा उसके मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किए जाने के दृष्टान्त मिले हैं, जो अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्डों का अनुपालन न किए जाने, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से संबंधित अनियमितताओं में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन, प्रतिभूति के अनियमित लेन-देन, निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को नहीं बनाए रखना, आदि से संबंधित है। पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किए जाने के दृष्टान्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान सीआरआर एवं एसएलआर बनाए रखने में बैंकों द्वारा चूक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनसे वसूली गई दण्डात्मक ब्याज की राशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किए जाने का ब्यौरा

बैंक का नाम	उल्लंघन की प्रकृति	की गई कार्रवाई का ब्यौरा
2006-07		
सेन्चूरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	जमा खाते खोलने और केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए लेन-देनों की निगरानी तथा आईपीओ से संबंधित अनियमितताओं में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन।	31 मई, 2006 को 15.00 लाख रुपए का दण्ड लगाया गया था।
तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लि.	अल्फ्रेड एजुकेशन ट्रस्ट मामले में निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जाना।	दिनांक 26.04.2006 को 5.00 लाख रुपए का दण्ड लगाया गया था।
एसबीआईसीआई बैंक लि.	आईपीओ से संबंधित खातों में लेन-देन करते समय केवाईसी मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाना, (ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता।	दिनांक 25.04.2007 को 10.00 लाख रुपए का दण्ड लगाया गया था।
एचएसबीसी लि.	आयात लेन-देनों से संबंधित फेमा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन।	दिनांक 27.07.06 को नाराजगी पत्र।
2007-08		
आईसीआईसीआई बैंक लि.	जमा खाते खोलने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन, जिससे बैंक की पटना शाखा में धोखाधड़ी करने वाले ने फर्जी खाता खोल दिया था।	24 दिसम्बर, 2007 को बैंक को "परामर्शी टिप्पणी" जारी की गई।
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	खाते खोलते एवं परिचालित करते समय केवाईसी/एएमएल मानदंडों का अनुपालन न किया जाना, (ii) अनियमितताओं का पता लगाने में आतंरिक नियंत्रण तंत्र का विफल होना।	दिनांक 25.07.2007 को 10.00 लाख रुपए का दण्ड लगाया गया था।
बैंक ऑफ बड़ौदा	आयात लेन-देनों से संबंधित फेमा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन।	नाराजगी पत्र जारी किया गया।
देना बैंक	आयात लेन-देनों से संबंधित फेमा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन।	नाराजगी पत्र जारी किया गया।
2008-09		
आईसीआईसीआई बैंक लि.	हांग कांग में बैंक द्वारा प्रतिभूति लेने-देन में अनियमितता।	बैंक को 3 अप्रैल, 2008 को चेतावनी-पत्र जारी किया गया।

विवरण-II

बैंकों द्वारा सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन का ब्यौरा

क्र. सं.	बैंक का नाम	उल्लंघन की प्रकृति	वसूला गया दंडात्मक ब्याज (धनराशि रुपए में)
1	2	3	4
जुलाई, 2006 — जून, 2007			
1.	बैंक ऑफ इंडिया	एसएलआर के रख-रखाव में चूक	44,86,560
2.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	सीआरआर बनाए रखने में चूक	20,373
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-तदैव-	59,012
4.	डयूश बैंक	-तदैव-	12,377
5.	यस बैंक	-तदैव-	3,18,297
6.	बैंक ऑफ अमेरिका	-तदैव-	244
7.	अरब बंग्लादेश बैंक लि.	-तदैव-	4,063
8.	मिजूहो कारपोरेट बैंक	-तदैव-	3,94,510
9.	एबीएन आमरो बैंक	-तदैव-	4,21,738
10.	सिटी बैंक	-तदैव-	1,47,637
11.	साउथ इंडियन बैंक लि.	-तदैव-	33,676
12.	आंध्रा बैंक	-तदैव-	1,814
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-तदैव-	1,68,912
14.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	-तदैव-	88,60,126
15.	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	-तदैव-	92,579
16.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	-तदैव-	1,85,56,958
	जुलाई, 2007 — जून, 2008		
1.	बैंक ऑफ अमेरिका	-तदैव-	1,90,394
2.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	-तदैव-	8,227
3.	डयूश बैंक	-तदैव-	2,63,244

1	2	3	4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	-तदैव-	20,91,580
5.	विजया बैंक	-तदैव-	1,03,50,905
6.	मिज़ूहो कारपोरेट बैंक लि.	-तदैव-	13,443
7.	दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.	-तदैव-	4,141
8.	मिज़ूहो कारपोरेट बैंक लि.	एसएलआर के रख-रखाव में चूक	22,489
	जुलाई, 2008 — जून, 2009		
1.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	सीआरआर बनाए रखने में चूक	3,70,996
2.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल लि.	-तदैव-	2,914
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन	-तदैव-	5,63,451

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

***306. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या कई राज्य सरकारों ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अपनी स्वयं की नीति घोषित की है;

(ग) यदि हां, तो देश में इस समय निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य-वार कुल कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही हैं तथा कितनी निर्माणाधीन हैं और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी; और

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में निजी क्षेत्र द्वारा राज्य-वार कुल कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं पूरी की गईं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) लघु जल विद्युत (एसएचपी) और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, भारत सरकार द्वारा घोषित विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 और शुल्क नीति 2006 द्वारा शासित होती है।

(ख) विद्युत एक समवर्ती विषय है। 23 राज्यों सरकारों ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीति की घोषणा कर दी है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा अपने संबंधित राज्यों में शुल्क पर निर्णय लिए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) समग्र रूप से 956 मेगावाट की 177 एसएचपी परियोजाएं स्थापित की गई हैं और समग्र रूप से 767 मेगावाट क्षमता की 171 लघु जल विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा निर्माणाधीन हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। निर्माणाधीन परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और उनके पूरे होने की नियत तिथि में कुछ महीनों से लेकर लगभग तीन वर्षों की भिन्नता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा समग्र रूप से 444 मेगावाट की 63 लघु जल विद्युत

परियोजनाएं पूरी की गई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

निजी क्षेत्र द्वारा संस्थापित और संस्थापनाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और समग्र क्षमता

क्र. सं.	राज्य	संस्थापित परियोजनाएं		संस्थापनाधीन परियोजनाएं	
		संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)	संख्या	कुल क्षमता मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	41	96.93	17	59.90
2.	असम	1	0.10		
3.	गुजरात			2	5.00
4.	हरियाणा			4	10.80
5.	हिमाचल प्रदेश	34	139.45	56	201.10
6.	जम्मू और कश्मीर	1	10.00		
7.	कर्नाटक	67	530.80	23	121.70
8.	केरल	3	40.00	1	3.00
9.	मध्य प्रदेश	1	2.20	3	18.10
10.	महाराष्ट्र	3	18.00	17	64.70
11.	उड़ीसा	2	37.00	1	20.00
12.	पंजाब	10	16.65	24	32.70
13.	तमिलाडु	1	0.35		
14.	उत्तराखंड	8	58.55	18	189.20
15.	पश्चिम बंगाल	5	6.45	5	41.20
	कुल	177	956.48	171	767.00

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा पूरी की गई लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25-मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और समग्र क्षमता

क्र. सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संस्थापित परियोजनाएं	
		संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	2	4.00
2.	हिमाचल प्रदेश	21	102.80
3.	जम्मू और कश्मीर	1	10.00
4.	कर्नाटक	21	215.65
5.	केरल	1	7.00
6.	मध्य प्रदेश	1	2.20
7.	उड़ीसा	2	37.00
8.	पंजाब	3	4.90
9.	तमिलनाडु	1	0.35
10.	उत्तराखंड	7	54.95
11.	पश्चिम बंगाल	3	6.10
	कुल	63	444.95

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

***307. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने में विलंब सहित विभिन्न कारणों से चालू तथा लंबित परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनसे अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की स्वीकृति दिए जाने में तेजी लाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) विद्युत मंत्रालय ने प्रत्येक लगभग 4000 मेगावाट की क्षमता वाली कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास हेतु पहल की थी। ये परियोजनाएं बनाओ, अपनाओ और चलाओ के आधार पर विकसित की जा रही हैं और परियोजना विकासकर्ताओं का चयन परियोजना विशिष्ट शैल कम्पनियों द्वारा शुरू की गई/शुरू की जाने वाली टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इस पहल के लिए चिन्हित की गई नोडल एजेंसी है, की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों के रूप में गठित किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरे लाभ 12वीं योजना में प्राप्त किया जाना परिकल्पित है।

मूलतः परिकल्पित नौ (9) यूएमपीपी में से, तीन यूएमपीपी अर्थात मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुन्द्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चयनित विकासकर्ताओं को अवॉर्ड की गई हैं तथा स्थानांतरित की गई हैं और ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। तिलैया यूएमपीपी के संबंध में, आशय-पत्र (एलओआई) 12.02.2009 को सफल विकासकर्ता अर्थात रिलायंस पावर लिमिटेड को जारी किया गया था।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में यूएमपीपी के लिए स्थलों को चिन्हित किया जा चुका है। तथापि, इन यूएमपीपी तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक में यूएमपीपी के संबंध में बोली प्रक्रिया का आरंभ संबंधित राज्य सरकारों से भूमि तथा जल की उपलब्धता सहित विभिन्न अपेक्षित स्वीकृतियों की उपलब्धता पर निर्भर है। मूल रूप में चिन्हित नौ यूएमपीपी के अतिरिक्त उड़ीसा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी तथा गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक में एक दूसरी यूएमपीपी के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अवॉर्ड किए गए यूएमपीपी के संबंध में, भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियां प्राप्त करने में यद्यपि विलंब हुआ है फिर भी विकासकर्ताओं ने परियोजनाओं को चालू करने के कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का संकेत नहीं दिया है। तिलैया यूएमपीपी के मामले में, प्रथम चरण की वन स्वीकृति न मिलने के कारण सफल विकासकर्ता को स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) सौंपी नहीं गई है।

अन्य यूएमपीपी के संबंध में, स्थलों को अंतिम रूप देने तथा राज्य सरकारों की ओर से निवेश की पुष्टि में विलम्ब हुआ है। विलम्ब के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण हैं: स्थलों के निर्धारण में विलम्ब, जल उपलब्धता की पुष्टि में विलम्ब, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कर लगाना, स्थानीय आंदोलन संबंधी मुद्दों को सुलझाने में विलंब आदि।

(घ) और (ङ) इन स्वीकृतियों में गति लाने के लिए व्यापक योजना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि यूएमपीपी की प्रगति की निगरानी करने के लिए संबंधित राज्य के सचिव (ऊर्जा) को सह-अध्यक्ष के रूप में तथा प्रापणकर्ता और विकासकर्ता के प्रतिनिधियों से बनी समिति के साथ सदस्य (थर्मल) सीईए की अध्यक्षता में अवॉर्ड की गई परियोजनाओं के लिए संयुक्त निगरानी समितियों (जेएमसी) की स्थापना की गई है। सभी यूएमपीपी की प्रगति की सचिव (विद्युत) के स्तर पर आवधिक समीक्षा भी की जाती है। लम्बित मामलों को, जब और जहां अपेक्षित हो, सम्बद्ध संगठनों, जैसे कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सम्बंधित राज्य सरकारों आदि के साथ भी उठाया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन

***308. श्रीमती जयाप्रदा :**
श्री प्रबोध पांडा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समृद्ध राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत रोजगार अभ्यर्थियों को गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने में राष्ट्रीय औसत से कम निष्पादन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय सभी राज्यों से एनआरईजीए के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा एवं निगरानी कर रहा है। संलग्न ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एनआरईजीए मांग आधारित है। ग्रामीण परिवार के सभी पंजीकृत व्यक्ति एनआरईजीए के प्रावधानों के तहत बनाई गई योजनाओं के अनुसार रोजगार पाने के हकदार हैं। कोई भी आवेदक कितने भी दिनों के लिए रोजगार की मांग कर सकता है बशर्ते, रोजगार के दिवसों की संख्या एक वित्त वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों की हो। इस प्रकार रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या पर निर्भर करती है। कामगार अपने क्षेत्रों में रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत कार्य दिवसों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) परिवारों के लिए गारंटीयुक्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिए गहन आईईसी क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिनियम के अंतर्गत उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। राज्यों पर इस बात के लिए बल दिया गया है कि वे कार्यान्वियन एजेंसियों में समर्पित स्टाफ को नियुक्त करें। ऐसे समर्पित स्टाफ का वेतन अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय प्रशासनिक व्यय में से दिया जाता है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि श्रम की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्य उपलब्ध हों।

विवरण-I

क्र. सं	एजेंसी का नाम	वर्ष	कवर किए गए राज्य/जिले
1	2	3	4
1.	सी एंड एजी ऑफ इंडिया	2006-07	26 राज्यों के 68 जिले
2.	सेंटर ऑफ डेव, अल्टरनेटिव्स, अहमदाबाद	2006-07	गुजरात के 2 जिले
3.	सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटिबिलिटी, नई दिल्ली	2006-07	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में से 2-2 जिले
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव., नई दिल्ली	2006-07	बिहार के 7 जिले।
		2007-08	बिहार के 5 जिले और झारखंड के 3 जिले
5.	इंडियन स्कूल ऑफ वीमेंस स्टडीज एंड डेव., नई दिल्ली	2006-07	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में से 2-2 जिले
		2007-08	कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से 2-2 जिले
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर	2006-07	कर्नाटक के 2 जिले और आंध्र प्रदेश का 1 जिला
		2007-08	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से 2-2 जिले
7.	नेशनल फेडरेशन ऑफ वूमन, नई दिल्ली	2007-08	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु में से 1-1 जिला
8.	सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट, नई दिल्ली	2007-08	उड़ीसा और मध्य प्रदेश में से 1-1 जिला
9.	इंस्टीट्यूट ऑफ डेव. स्टडीज, जयपुर	2007-08	राजस्थान के 5 जिले
10.	आईआईएम, कलकत्ता	2008-09	पश्चिम बंगाल के 4 जिले

1	2	3	4
11.	आईआईएम, अहमदाबाद	2008.09	पश्चिम बंगाल और गुजरात में से 1-1 जिला
12.	आईआईएम, शिलांग	2008.09	सिक्किम के 3 जिले और मेघालय के 5 जिले
13.	आईआईएम, लखनऊ	2008.09	उत्तर प्रदेश के 5 जिले
14.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलौर	2008.09	कर्नाटक के 4 जिले
15.	आईआईएम, रुड़की	2008.09	उत्तराखंड के 3 जिले
16.	आईआईएम, खड़गपुर	2008.09	पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में से 2-2 जिले
17.	आईआईएम, चेन्नई	2008.09	तमिलनाडु के 5 जिले
18.	एएससीआई	2008.09	आंध्र प्रदेश के 3 जिले
19.	गांधी ग्राम यूनिवर्सिटी, गांधी ग्राम	2008.09	केरल के 4 जिले
20.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुम्बई	2008.09	महाराष्ट्र के 2 जिले
21.	एनडीयूएटी, फैजाबाद	2008.09	उत्तर प्रदेश के 5 जिले
22.	नागालैंड यूनिवर्सिटी	2008.09	नागालैंड के 4 जिले
23.	एनएलएम द्वारा विशेष निगरानी अभियान का पहला दौर	2007.08	चरण-I और चरण-II के सभी 330 जिले
24.	विशेष निगरानी अभियान का दूसरा दौर	2008.09	चरण-III के सभी जिलें

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	प्रति परिवार मुहैया कराए गए कार्य दिवसों की औसत संख्या			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई, 2009) तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31	42	48	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	27	62	43	18
3.	असम	72	35	40	26
4.	बिहार	35	22	26	17
5.	छत्तीसगढ़	56	58	55	22
6.	गुजरात	44	31	25	27
7.	हरियाणा	48	50	42	23
8.	हिमाचल प्रदेश	47	36	46	23
9.	जम्मू और कश्मीर	27	32	40	33
10.	झारखंड	37	44	48	33
11.	कर्नाटक	41	36	32	28
12.	केरल	21	33	22	10

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	69	63	57	31
14.	महाराष्ट्र	45	39	46	28
15.	मणिपुर	100	43	75	8
16.	मेघालय	25	39	38	9
17.	मिजोरम	15	35	73	29
18.	नागालैंड	47	21	68	20
19.	उड़ीसा	57	37	37	28
20.	पंजाब	49	39	27	7
21.	राजस्थान	85	77	76	33
22.	सिक्किम	59	44	51	24
23.	तमिलनाडु	27	52	37	25
24.	त्रिपुरा	67	43	64	43
26.	उत्तर प्रदेश	32	33	53	25
25.	उत्तरांचल	30	42	35	19
27.	पश्चिम बंगाल	14	25	26	12
28.	गोवा			0	एनआर
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			17	13
30.	दादरा और नगर हवेली			25	13
31.	दमन और दीव			एनआर	एनआर
32.	लक्षद्वीप			60	18
33.	पांडिचेरी			13	एनआर
34.	चंडीगढ़			एनआर	एनआर
	कुल	43	42	48	25

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल सम्पर्क

***309. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का विचार हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों से मिलकर बने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों/कस्बों के बीच रेल सम्पर्क में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा के 9 जिलों, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों तथा राजस्थान के एक जिले सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विकास के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों/कस्बों में रेल संपर्क सुधारने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित प्रमुख रेल संपर्क परियोजनाएं इस प्रकार है:—

1. गाजियाबाद-लोनी, नोयडा, गुड़गांव-मानेसर, फरीदाबाद-बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ तथा सोनीपत-कुंडली कस्बों के वर्तमान अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों सहित केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) कसबों में भारतीय रेल के रेडियल रेल कॉरीडोर को जोड़ते हुए आर्बिटल रेल कॉरीडोर और दिल्ली के आस-पास क्षेत्रयी यातायात को बाहर निकालने के लिए डायरेक्शन टर्मिनल।

2. रेवाड़ी से भिवाड़ी के बीच, रोहतक से हांसी के बीच तथा रेवाड़ी व रोहतक के बीच झज्जर से होते हुए रेल लिंक।

3. अभिज्ञात क्षेत्रीय कस्बों को एक दूसरे से तथा दिल्ली से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली।

4. केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) वर्तमान में हरियाणा में गुड़गांव तथा उत्तर प्रदेश में नोयडा को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है, और इन परियोजनाओं के राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से पूर्व पूरी हो जाने की संभावना है।

ग्रामीण पर्यटन

***310. श्री एंटो एंटोनी : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल सहित देश में ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को महत्व देने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और आवंटित धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय कला, शिल्प, संस्कृति, हथकरघा/वस्त्र आदि में सम्पूर्ण दक्षता वाले ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे ग्रामीण स्थलों में कौशल उन्नयन सहित क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक भागीदारी को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्जात पर्यटन परियोजना और मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है। केरल सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (अवसंरचना + क्षमता निर्माण) (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	349.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	182.12
3.	असम	4	230.08
4.	बिहार	1	70.00
5.	छत्तीसगढ़	8	488.80
6.	दिल्ली	2	46.08
7.	गुजरात	5	365.03
8.	हरियाणा	1	70.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3	170.00
10.	जम्मू और कश्मीर	17	1103.13
11.	झारखंड	2	134.77
12.	कर्नाटक	5	300.00
13.	केरल	6	376.80
14.	मध्य प्रदेश	8	495.65
15.	महाराष्ट्र	2	140.00
16.	मणिपुर	3	149.75
17.	मेघालय	2	123.29
18.	नागालैंड	10	665.15
19.	उड़ीसा	8	489.25
20.	पंजाब	5	261.46
21.	राजस्थान	3	209.32
22.	सिक्किम	6	387.74
23.	तमिलनाडु	8	478.23
24.	त्रिपुरा	5	295.83
25.	उत्तराखंड	11	668.31
26.	उत्तर प्रदेश	3	165.41
27.	पश्चिम बंगाल	5	327.30
	कुल	142	8742.70

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण

***311. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण अनेक ग्रामीण अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है;

(घ) क्या सरकार को नीति की समीक्षा के लिए सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (ग) सरकार यह जानती है कि कभी-कभी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीणों की निजी भूमि की जरूरत होती है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, ग्रामीण सड़कें राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। तथापि, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार/जिला पंचायत की जिम्मेवारी बनती है कि सड़क कार्य शुरू करने के लिए भूमि उपलब्ध हो। राज्य सरकारों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्वैच्छिक दान, विनिमय या अन्य तंत्रों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने की जरूरत होती है। राज्य सरकारें जरूरत पड़ने पर अपनी लागत से सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के लिए भूमि के अतधिग्रहण हेतु निधियां मुहैया कराने के लिए 13वें वित्त आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। जम्मू व कश्मीर के माननीय मुख्य मंत्री ने यह अनुरोध किया था कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए निधियां केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जानीं चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

***312. श्री मनीष तिवारी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक, सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार में एकाधिकारी, विनिमय दर नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेपकर्ता तथा देश की ऋण नीति के प्रबंधक आदि के रूप में अनेक कार्य निष्पादित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों से हितों का टकराव पैदा होता है तथा किसी आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये सभी कार्य किसी केन्द्रीय बैंक द्वारा नहीं किए जाते हैं

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन करने/इसमें संशोधन करने/इसका नया प्रारुप तैयार करने का है ताकि इनमें से कुछ कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार से बाहर लाकर हितों के इन टकराव को युक्तिसंगत बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य विभिन्न संविधियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय सिक्का ढलाई अधिनियम, 1906, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, आदि के उपबंधों द्वारा व्युत्पन्न होते हैं। इन संविधियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाना अनिवार्य है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश का मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा एवं सरकार का घरेलू ऋण प्रबंधन, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ऋण सूचना कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना, आदि शामिल है।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक को ये जिम्मेदारियां सौपने का उद्देश्य बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं का क्रमिक विकास, देश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, देश में विदेशी मुद्रा बाजार का समकालिक विकास एवं रख-रखाव तथा विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुकर बनाना, आदि है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से, प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंकों की भूमिका विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित की गई

है। विविध कार्यों में निहित स्वाभाविक सहक्रियाओं से भारतीय रिजर्व बैंक को कीमत स्थिरीकरण, वित्तीय स्थायित्व तथा मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को देश के हित में परिचालित करने का लाभ मिलता है। तथापि, जब कभी हित संबंधी विवाद का कोई मुद्दा सामने आता है, तब प्रणाली की तैयारी की स्थिति पर निर्भर करते हुए विवाद को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

शहरी अवसंरचना विकास योजना का कार्यान्वियन

*313. **श्री भक्त चरण दास :**

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई परियोजनाओं, इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि तथा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वियन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के छोटे तथा मझोले कस्बों के शहरी अवस्थापना विकास (यूआईडीएसएसएमटी) की स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और जारी धनराशि के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) स्कीम के अंतर्गत, संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी), राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए शहरी सुधारों की मानीटरिंग के साथ-साथ परियोजनाओं की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय की भूमिका, शहरी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने तथा राज्य के नियतन की उपलब्धता के अध्यधीन प्रथम किस्त जारी करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय को संस्तुति करने की हैं। धनराशि की प्रथम किस्त के उपयोग का आकलन करने तथा सुधारों के कार्यान्वयन के बाद ही दूसरी किस्त जारी करने हेतु राज्यों के प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय को संस्तुति की जाती है।

उल्लेखनीय है कि कुछ छोटे कस्बों में पर्याप्त तकनीकी क्षमता के अभाव में, परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा आती है। इसके अलाव, कुछ छोटे कस्बे परियोजनाओं और सुधारों की समुचित मानीटरिंग के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार समय पर सूचना मुहैया नहीं करा पाते। छोटे कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए, जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत कार्यरत परियोजना मानीटरिंग इकाइयों (पीएमयू) को यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं का भी कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार, छोटे कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और मानीटरिंग में मदद करने के लिए, राज्य में स्वीकृत प्रत्येक 15 परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों को एक परियोजना कार्यान्वियन इकाई स्वीकृति करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

प्रारम्भ में वर्ष 2005-2012 तक सात वर्षों की मिशन अवधि के लिए यूआईडीएसएमएमटी हेतु 6400 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करायी गई थी, जिसे यूआईजी के अंतर्गत शामिल आबादी को छोड़कर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी के आधार पर राज्य-वार वितरित किया गया था। तथापि, अधिकांश राज्यों ने ऐसी परियोजनाओं की सिफारिश की है जिनके लिए 7 वर्ष के आबंटन से ज्यादा केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। चूंकि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं को मिशन के लिए उपलब्ध कराये गए आबंटन में समायोजित नहीं किया जा सकेगा, इसलिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से लंबित परियोजनाओं के दायित्व को पूरा करने हेतु अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध किया गया था। दिसम्बर, 2008 में, सरकार ने "एक कस्बा-एक परियोजना" के मानदण्ड पर दिसम्बर, 2008 तक अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु 5000-00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया था। अब तक 80 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं।

गोवा राज्य तथा लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों ने यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत मंत्रालय को अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

विवरण

राज्य एवं वर्षवार शामिल परियोजना तथा जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की कुल संख्या				जारी एसीए				पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी एसीए
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध प्रदेश	39	0	40		25568.26	23546.05	75586.14	245.05	124945.50
2.	अरुणाचल प्रदेश			9		0.00	0.00	1771.19		1771.19
3.	असम	4	6	20		1363.93	1645.22	6946.79		9955.94
4.	बिहार	4	5	2		3642.83	2689.06	4342.50		10674.39
5.	छत्तीसगढ़	3	1	0		2447.46	4289.00	0.00		6736.46
6.	दादरा और नगर हवेली			1		0.00	0.00	26.00		26.00
7.	दमन और दीव			1		0.00	0.00	31.00		31.00
8.	गुजरात	16	7	20		6002.90	2678.67	12169.72		20851.29
9.	हरियाणा		4	4		0.00	4190.00	2524.58		6714.58
10.	हिमाचल प्रदेश	3		2		357.33	392.12	85.59		835.04
11.	झारखंड		5	0		0.00	4003.32	0.00		4003.32
12.	जम्मू और कश्मीर	34	0	1		10100.02	2724.25	1508.92		14333.19
13.	केरल	8	1	16		3363.04	5194.27	8783.42		17340.73
14.	कर्नाटक	17	6	15		8216.71	6091.10	14891.23		29199.04
15.	मध्य प्रदेश	29	8	10		7554.74	10864.06	12973.95		31392.75
16.	महाराष्ट्र	21	5	68		11774.69	10174.78	88262.02		110211.49
17.	मणिपुर		1	4		0.00	644.49	2200.95		2845.44
18.	मेघालय			2		0.00	0.00	644.97		644.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	मिजोरम			2		0.00	0.00	699.77		699.77
20.	नागालैंड					0.00	0.00	0.00		0.00
21.	उड़ीसा	5	4	7		2234.43	2435.04	4410.38		9079.85
22.	पंजाब		6	11		0.00	7587.04	8367.20		15954.24
23.	पुडुचेरी				1	0.00	0.00	0 00	1567.20	1567.20
24.	राजस्थान	10	4	11		4300.70	3555.94	19181.70		27038.34
25.	सिक्किम		1	4		0.00	735.08	1085.40		1820.48
26.	त्रिपुरा		1	3		0.00	2005.00	1577.38		3582.38
27.	तमिलनाडु	82	15	26		12168.51	10493.41	29231.75		51893.67
28.	उत्तर प्रदेश	21	12	27	4	20534.14	10340.12	16866.71	1950.12	49691.09
29.	उत्तराखंड			1			0.00	2469.30		2469.30
30.	पश्चिम बंगाल	11	6	9		5267.37	4122.00	11388.41		20777.78
	कुल	307	98	316	1.5	124897.05	120400.02	328026.97	3762.37	577086.41

पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता

***314. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है:—

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	राशि	अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए कारण
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	500	जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की समस्या से निपटने के लिए।
2.	राजस्थान	1000	फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए उच्च प्राथमिकता आधार पर विशेष परियोजनाएं शुरू करने के लिए।
3.	पंजाब	5	बाढ़ की स्थिति में किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए।

इसके अलावा, मेघालय ने चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान वर्ष के लिए उसके आबंटन को बढ़ाकर 100 करोड़ रु. करने की मांग की है।

(ग) राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ग्रामीण आबादी, पेयजल, आपूर्ति योजनाओं का संचालन करने वाली ग्रामीण आबादी और मरूभूमि विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्यों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। आबंटन के अनुसार और विगत वर्ष में राज्यों के कार्य निष्पादन के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में बचतों की स्थिति के आधार पर बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, यदि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत किसी राज्य की जरूरत बजटीय आबंटन से अधिक होती है तो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए इसके आवेदन की सिफारिश योजना आयोग को की जाती है या राज्य को विदेशी सहायता प्राप्त एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करने के लिए परियोजना तैयार करने की सलाह दी जाती है।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें

***315. डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों द्वारा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी अवसंरचना तथा अभिशासन (यू.आई.जी.) संघटक के अंतर्गत प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति/मंजूरी दिए जाने में अत्यधिक विलंब होता है; और

(घ) परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना एवं शासन घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा गत दो वर्षों व वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशों के अनुरूप पाए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर उनके तकनीकी मंजूरी और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है।

विवरण

क्र. छवण	राज्य	प्राप्त डीपीआर की सं. (31.12.05 से 30.6.09 तक)	मंजूर परियोजनाएं			अनुमोदित परियोजनाओं की सं. (30.6.09 की स्थिति
			2007-08	2008-09	2009-10	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	116	9	9	0	48
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	0	1	0	3
3.	असम	13	1	0	0	2
4.	बिहार	21	0	7	0	8
5.	चंडीगढ़	3	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7
6.	छत्तीसगढ़	10	0	1	0	2
7.	दिल्ली	49	0	2	0	2
8.	गोवा	3	0	0	0	0
9.	गुजरात	109	15	11	0	66
10.	हरियाणा	7	2	1	0	4
11.	हिमाचल प्रदेश	6	0	1	0	3
12.	जम्मू और कश्मीर	8	1	1	0	4
13.	झारखंड	6	0	4	0	4
14.	कर्नाटक	75	27	6	0	46
15.	केरल	23	1	3	0	10
16.	मध्य प्रदेश	45	4	3	0	20
17.	महाराष्ट्र	162	12	21	0	77
18.	मणिपुर	5	1	1	0	2
19.	मेघालय	3	0	2	0	2
20.	मिजोरम	8	1	0	0	1
21.	नागालैंड	15	1	0	0	1
22.	उड़ीसा	15	0	2	1	5
23.	पंजाब	17	3	1	0	5
24.	पुडुचेरी	6	1	1	0	2
25.	राजस्थान	18	5	4	0	14
26.	सिक्किम	7	1	0	0	1
27.	तमिलनाडु	68	12	23	0	51
28.	त्रिपुरा	3		1	0	1
29.	उत्तर प्रदेश	56	11	13	0	29

1	2	3	4	5	6	7
30.	उत्तराखंड	12	3	6	0	9
31.	पश्चिम बंगाल	59	8	13	1	39
	कुल	961	119	138	2	463

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेश योजना

***316. श्री अर्जुन मुंडा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय समावेश संबंधी डॉ. सी. रंगराजन समिति ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेश योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 50 प्रतिशत परिवारों को बैंक ऋण प्रदान किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वित्तीय समावेशन संबंधी डॉ. सी. रंगराजन समिति ने यह सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से वर्ष 2012 तक, वित्तीय रूप से अपवर्जित कम से कम 50% परिवारों को ऋण सहित, व्यापक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना प्रारम्भ की जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि शेष परिवारों, ऐसे परिवर्तन के साथ जो ग्रामीण/शहरी जनसंख्या में हों, को वर्ष 2015 तक शामिल किया जाए।

(ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने "वित्तीय रूप से अपवर्जित" जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

— वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा के अनुसरण में, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सलाह दी गई थी कि प्रत्येक वर्ष अपनी प्रत्येक ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखा में 250 नए ग्रामीण परिवार खाते खोलें। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने वर्ष 2008-09 का अपना लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है।

— सरकार ने नाबार्ड के पास 500 करोड़ रुपए प्रत्येक के समग्र कार्पस के साथ दो निधियों अर्थात वित्तीय समावेशन निधि तथा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना विशेषत: कमजोर वर्गों, निम्न आय समूहों को तथा पिछड़े क्षेत्रों/अब तक बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं सुकर बनाने के लिए की है।

— बैंकों को "शून्य" अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष राशि के साथ मूल बैंकिंग "सीमित सुविधा" खाते उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

— बैंकों को पात्र लाभार्थियों को प्रतिभूति, प्रयोजन अथवा ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करने की सलाह दी गई है।

— बैंकों को वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं एवं अन्य सिविल सोसायटी संगठन की मध्यवर्तियों के रूप में सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

— जनवरी, 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कारबार सुविधाप्रदाता (बीएफ) एवं कारबार सम्पर्की (बीसी) माडलों का उपयोग करके वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। इस आलोक में, बैंक छोटे ऋणों के संवितरण, मूलधन की वसूली/ब्याज की वसूली, ऋण आवेदनों के संग्रहण एवं प्रारंभिक कार्यवाही, स्वीकृति पश्चात निगरानी, आदि सहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने बीएफ अथवा बीसी के रूप में डाकघरों का उपयोग कर सकते हैं।

— राज्य स्तरीय बैंकर समिति के सभी संयोजक बैंकों को 100% वित्तीय समावेशन हेतु अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कम से कम एक जिले की पहचान करने के लिए

कार्रवाई प्रारम्भ करने की सलाह दे दी गई है। विभिन्न राज्यों में, राज्य स्तरीय बैंकर समितियों ने 100% वित्तीय समावेशन हेतु बड़ी संख्या में जिलों की पहचान की है और इन्हें शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं।

— बैंकों से वित्तीय समावेशन हेतु बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी पहलें करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

समुद्र के नीचे बिजली की तार

***317. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :**
श्री रूद्रमाधव राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार श्रीलंका सरकार के साथ दोनों देशों के बीच समुद्र के नीचे बिजली की तार बिछाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है तथा इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार भारत और श्रीलंका के बीच ऊपर से गुजरने वाली तथा समुद्र के नीचे से जाने वाली केबिलों का उपयोग करके 1000 मेगावाट क्षमता वाली हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) पारेषण तंत्र स्थापित करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का विचार है। इस तंत्र में लिंक के दोनों सिरों पर दो एचवीडीसी टर्मिनल केंद्र होंगे। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, एचवीडीसी लाइन की लम्बाई लगभग 350-400 कि.मी. होगी। इसके अंतर्गत भारत में लगभग 200-250 कि.मी. ऊपर से गुजरने वाली एचवीडीसी लाइन तथा 30-50 कि.मी. के बीच समुद्र के नीचे से गुजरने वाली केबिलें तथा अंतिम में श्रीलंका में लगभग 150 कि.मी. ऊपर से गुजरनें वाली लाइन शामिल होगी।

(ग) और (घ) पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस योजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित इंटर कनेक्शन से संसाधनों, आर्थिक पैमानों इत्यादि को इष्टतम बनाने के माध्यम से पारस्परिक लाभ हेतु 1000 मेगावाट स्तर की क्षमता का विद्युत विनिमय करने में दोनों देश समर्थ हो सकेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद इस परियोजना के निष्पादन में लगभग 4 वर्षों का समय लगना संभावित है।

[हिन्दी]

नलकूप लगाए जाने हेतु ऋण

***318. श्री अशोक कुमार रावत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में नलकूप लगाए जाने के लिए सहकारी, वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्य-वार कितने सीमांत किसानों को ऋण दिया गया;

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त ऋण मंजूर किए जाने में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से नलकूप लगाने के लिए किसानों को दिए गए ऋणों के संबंध में आंकड़े प्राप्त नहीं होते और इससे संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता। तथापि, बैंकों के पास स्थूल गति-विधि - लघु सिंचाई के आंकड़े होते हैं — जिसका एक भाग नलकूपों का लगाया जाना है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लघु सिंचाई के लिए संवितरित किए गए ऋणों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने, ''लघु सिंचाई योजना'' खण्ड के तहत, वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान क्रमशः 2,544 करोड़ रुपए 2,036 करोड़ रुपए और 2,520 करोड़ रुपए के कृषि ऋण संवितरित किए हैं।

(ख) से (घ) बैंकों, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के पास किसानों को किसी भी प्रकार के ऋण के संवितरण से संबंधित शिकायतों सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है। इस संबंध में बैंकों को समय-समय पर विभिन्न हिदायतें जारी की गई हैं।

विवरण

लघु सिंचाई के अन्तर्गत 2005-06 से 2007-08 के दौरान सहकारी बैंकों (सी.बी.) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के संबंध में राज्यवार ऋण की उपलब्धता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	सी.बी.	आर.आर.बी.	सी.बी.	आर.आर.बी.	सी.बी.	आर.बी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7127	7127	2351	4829	0	4541
2.	असम	4	37	0		0	
3.	बिहार	0	8958	0	20337	345	5557
4.	छत्तीसगढ़	1956	1115	476	136	927	830
5.	दादरा और नगर हवेली	5		0		0	
6.	गुजरात	6813	1073	5678	2200	6397	1567
7.	गोवा	23		6		10	
8.	हरियाणा	4503	129	5737	979	6218	1894
9.	हिमाचल प्रदेश	1171		465	191	0	10
10.	जम्मू और कश्मीर	0		1	1	177	164
11.	झारखंड	0	337	0	967	0	
12.	कर्नाटक	3072	2560	4285	3062	2897	2803
13.	केरल	7064	72	6249	89	10144	130
14.	मध्य प्रदेश	6540	3172	2970	4581	0	
15.	महाराष्ट्र	16381	599	24438	1816	13944	1246
16.	मणिपुर	0		0		0	
17.	मेघालय	0		0		0	
18.	मिजोरम	8	37	10	45	19	25
19.	नागालैंड	0		12		0	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	947	660	917	461	790	636
21.	पुदुचेरी	124		10		23	
22.	पंजाब	3204	978	1980	864	1479	1345
23.	राजस्थान	4599	2671	4703	2638	3827	1532
24.	सिक्किम	0		0		0	
25.	तमिलनाडु	4449	214	44	621	297	809
26.	त्रिपुरा	0		0		0	
27.	उत्तर प्रदेश	21982	20621	13104	21719	10602	18714
28.	उत्तरांचल	167	44	27	2	400	4
29.	पश्चिम बंगाल	301	104	637	869	0	
	कुल	90440	50508	74100	66407	58496	41807

सी.बी. — सहकारी बैंक आर.आर.बी. — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियों का आबंटन

***319. श्री संजय तकाम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियों के आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उनके लिए निधियों के आबंटन में एकरूपता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियों के आबंटन संबंधी मानदंडों में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों के आबंटन का मानदंड प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के आधार पर आबंटन किया जाता है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संबंधित जिले में आवासीय कमी को 75% और ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को 25% वेटेज देते हुए आबंटन किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर आबंटन किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए आबंटन का मानदंड एक समान नहीं है और प्रत्येक राज्य के लिए मानदंड अलग-अलग हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बौद्ध पर्यटन

***320. श्री हर्ष वर्धन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में बौद्ध पर्यटन की अप्रयुक्त क्षमता तथा इसे विकसित किए जाने की संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बौद्ध पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनेक राज्यों ने इस संबंध में केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन प्रयोजनार्थ आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों सहित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पर्यटन गंतव्यों का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें बौद्ध विरासत स्थलों के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं:–

1. सांची के गंतव्य विकास के लिए 463.50 लाख रुपए।
2. ह्वेन सांग ग्राम, नव नालंदा के निर्माण के लिए 408.93 लाख रुपए।
3. वैशाली के विकास के लिए 388.97 लाख रुपए।
4. लौरिया नंदनगढ़, अरेराज और रामपुर्वा के एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास के लिए 134.87 लाख रुपए।
5. सुजाता कुटीर, बोधगया के विकास के लिए 158.40 लाख रुपए।
6. निरंजन रिवर फ्रंट और परिक्रमा पथ के विकास के लिए 268.27 लाख रुपए।
7. प्राग बोधी डंगेश्वरी हिल, बोधगया के विकास के लिए 156.50 लाख रुपए।
8. वाराणसी–सारनाथ के विकास के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 786 लाख रुपए और वर्ष 2008-09 में 1416.30 लाख रुपए।

पर्यटन मंत्रालय अपने देश और विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विवरणिकाओं, पोस्टरों, पर्चियों, काम्पैक्ट डिस्कों इत्यादि के निर्माण एवं वितरण तथा इंटरनेट के माध्यम से भी अतुल्य भारत अभियान के द्वारा बौद्ध विरासत सहित भारत की संस्कृति तथा विरासत का संवर्धन करता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07		2007-08		2008-09	
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृति राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृति राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3	1540.56	9	2629.48	7	9980.58
2.	असम	9	2453.39	5	1271.90	4	2107.61

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	1887.80	10	3330.32	13	3147.20
4.	बिहार	2	1937.29	3	1194.75	9	1798.45
5.	छत्तीसगढ़	16	3540.17	4	1274.09	1	1133.82
6.	गोवा	0	0.00	0	0.00	2	4314.91
7.	गुजरात	7	443.65	5	576.58	7	2133.66
8.	हरियाणा	5	1836.16	11	2260.27	7	2495.49
9.	हिमाचल प्रदेश	8	1871.00	12	2286.22	9	2977.66
10.	जम्मू और कश्मीर	29	5233.82	36	6851.15	25	3827.57
11.	झारखंड	3	956.35	7	1130.47	0	0.00
12.	कर्नाटक	4	1323.89	5	2004.71	4	4273.21
13.	केरल	18	4474.02	10	3124.31	12	4269.52
14.	मध्य प्रदेश	10	3668.47	16	3952.66	11	3141.11
15.	महाराष्ट्र	13	2839.05	5	1279.44	3	4110.05
16.	मणिपुर	9	939.35	5	1110.77	9	2943.84
17.	मेघालय	9	1435.29	2	674.40	6	1238.54
18.	मिजोरम	9	2613.38	5	1692.94	4	318.38
19.	नागालैंड	8	2340.32	21	2241.35	11	2544.66
20.	उड़ीसा	13	2826.84	12	2376.30	6	4115.38
21.	पंजाब	13	3223.37	1	397.89	3	1968.10
22.	राजस्थान	8	953.84	2	1554.46	8	4189.56
23.	सिक्किम	13	2609.42	27	6036.48	23	7076.38
24.	तमिलनाडु	11	1866.41	13	2831.80	15	3595.72
25.	त्रिपुरा	4	291.27	11	1110.76	6	360.94
26.	उत्तराखंड	16	1907.50	5	2081.04	3	4468.72

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तर प्रदेश	7	3329.06	7	2833.03	6	3839.64
28.	पश्चिम बंगाल	10	2978.32	12	3243.17	9	3319.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	चंडीगढ़	2	15.00	2	20.00	5	799.11
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	3	24.88
32.	दिल्ली	5	2400.09	7	749.08	1	15.00
33.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	7.00	1	782.73	0	0.00
35.	पुडुचेरी	1	500.00	6	1610.88	4	252.80
	कुल	278	64242.08	277	64513.23	237	90794.32

कपास पर आयात शुल्क

2844. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कृषिगत संगठनों द्वारा हाल के समय में कपास पर आयात शुल्क में वृद्धि करने संबंधी मांग सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) 28 जुलाई, 2008 से कपास पर आयात शुल्क हटाने के बाद सरकार को गुजरात राज्य सहकारी कपास संघ लि. से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। सरकार को (i) भारतीय किसान संघ, जूनागढ़ (ii) भारतीय किसान संघ, मेडर्डा, जूनागढ़ और (iii) भारतीय किसान संघ, पोरबंदर से भी अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) गुजरात राज्य सहकारी कपास संघ लि. ने केवल 30 सितम्बर, 2008 तक कपास पर आयात शुल्क छूट को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया था, जबकि भारतीय किसान संघ, जूनागढ़, भारतीय किसान संघ, मेडर्डा, जूनागढ़ और भारतीय किसान संघ, पोरबंदर ने कपास पर आयात शुल्क फिर से लगाने का अनुरोध किया था। अनुरोधों की जांच की गई और सरकार द्वारा कपास ऋतु 2008-09 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) में वृद्धि को तथा घरेलू वस्त्र उद्योग के हितों को भी ध्यान में रखते हुए अनुरोधों को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाएं

2845. श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं बुरी अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) कुल 145 योजनाओं में से 95 योजनाओं के मामलों में अप्रैल से जून, 2009 की अवधि के दौरान जल परियोजनाओं द्वारा (25 मे.वा. से अधिक स्थापित क्षमता) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

द्वारा तय किए गए लक्ष्यों से कम ऊर्जा उत्पादन किया गया। जल विद्युत परियोजनाओं, जिनका अप्रैल से जून की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन तय लक्ष्यों से कम था, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

जल विद्युत उत्पादन मुख्यतः आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से पानी की उपलब्धता तथा पूर्व मानसून अवधि में बर्फ का पिघलना तथा वर्ष की शुरूआत में जलाशयों में मौजूद जल का स्तर, इसके साथ-साथ सिंचाई आवश्यकताएं/जल जारी करने पर निर्भर रहता है। ये सभी घटक प्रकृति पर आधारित हैं।

विवरण

जल विद्युत परियोजनाओं के नाम जिनका उत्पादन (लक्ष्य बनाम वास्तविक उत्पादन) अप्रैल से जून, 2009 के दौरान कम हो गया है।

क्षेत्र/राज्य/सेक्टर/यूटिलिटी	30.04.2009 की स्थितिनुसार अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	लक्ष्य अप्रैल से जून, 2009 तक (मे.वा.) (क)	उपलब्धि अप्रैल से जून, 2009 तक (मे.वा.) (क)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
केन्द्रीय			
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी)			
1. भाखड़ा एल एण्ड आर	1325.00	1200.00	1157.78
2. गंगुवाल	77.65	274.00	251.81
3. कोटला	77.65		
4. देहर	990.00	1020.00	833.66
5. पोंग	396.00	336.00	293.26
कुल बीबीएमबी	2866.30	2830.00	2536.51
सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल)			
1. नाथपा झाकड़ी (एचपी)	1500.00	2194.00	2137.14
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी)			
1. टिहरी चरण-I (उत्तराखंड)	1000.00	635.00	504.71
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी)			
1. बैरा सियूल (हिमाचल प्रदेश)	198.00	292.00	232.08
2. टनकपुर (उत्तराखंड)	94.20	89.00	81.62
3. चमेरा चरण-II (हिमाचल प्रदेश)	300.00	543.00	483.18
4. धौली गंगा (उत्तराखंड)	280.00	278.00	254.90
कुल एनएचपीसी	872.20	1202.00	1051.78
कुल केन्द्रीय	6238.50	6861.00	6230.14
हिमाचल प्रदेश			
एचपीएसईबी			
1. गिरी बाटा	60.00	39.00	12.65
2. बासी	60.00	86.00	58.95
3. लारजी	126.00	176.00	164.33
कुल एचपीएसईबी	246.00	301.00	235.93
मलाना पावर कंपनी लि. (एचपीसीएल)			
1. मलाना (निजी)	86.00	113.00	71.62
कुल निजी	86.00	113.00	71.62
कुल हिमाचल प्रदेश	332.00	414.00	307.55
जम्मू और कश्मीर			
जेकेएसपीडीसी			
1. अपर सिंघ-II	105.00	100.00	80.33

1		2	3	4
2.	बगलिहार	450.00	956.00	833.79
	कुल जेकेएसपीडीसी	555.00	1056.00	914.12
	राजस्थान			
	आरवीयूएनएल			
1.	जवाहर सागर	99.00	14.00	4.78
2.	माही बजाज-II और II	140.00	5.00	0.00
	कुल आरवीयूएनएल	239.00	19.00	4.78
	पंजाब			
	पीएसईबी			
1.	शानन	110.00	211.00	165.19
2.	मुकेरिया-I-IV	207.00	320.00	259.82
3.	रंजीत सागर	600.00	463.00	344.49
	कुल पीएसईबी	917.00	994.00	769.50
	उत्तर प्रदेश			
	यूपीजेवीएनएल			
1.	माताटीला	30.60	9.00	7.79
2.	खारा	72.00	98.00	49.38
	कुल यूपीजेवीएनएल	102.60	107.00	57.17
	उत्तराखंड			
	यूपीजेवीएनएल			
1.	धकरानी (वाई स्टे.-I)	33.75	41.00	20.71
2.	धालीपुर (वाई स्टे.-I)	51.00	61.00	31.10
3.	कुल्हाल (वाई स्टे.-IV)	30.00	40.00	23.47

1		2	3	4
4	चीबरो (वाई स्टे.-III)	240.00	206.00	122.08
5.	चीला	144.00	182.00	180.15
6.	खटीमा	41.40	42.00	34.78
7.	खोदरी (वाई स्टे.-III)	120.00	101.00	59.14
8.	मानेरी भली स्टे.-I	90.00	166.00	145.78
9.	मानेरी भली स्टे.-II	304.00	392.00	361.31
	कुल यूजेवीएनएल	1054.15	1231.00	978.52
	कुल उत्तराखंड	1054.15	1231.00	978.52
	कुल उत्तरी	9438.25	10682.00	9261.78
	पश्चिमी क्षेत्र			
	गुजरात			
	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल)			
1.	सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.00	60.00	53.71
	कुल एसएसएनएनएल	250.00	60.00	53.71
	जीएसईसीएल			
1.	उकाई	300.00	186.00	118.21
2.	कदाना पीएसएस	240.00	18.00	11.52
	कुल जीएसईसीएल	540.00	204.00	129.73
	कुल गुजरात	790.00	264.00	183.44
	मध्य प्रदेश			
	एमपीपीजीसीएल			
1.	पेंच	160.00	40.00	35.52
	कुल एमपीपीजीसीएल	160.00	40.00	35.52
	कुल एम.पी.	160.00	40.00	35.52

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
महाजेनको			
1. वैतरना	60.00	66.00	53.48
2. घाटघर पीएसएस	250.00	74.00	28.33
कुल महाजेनको	310.00	140.00	81.81
कुल महाराष्ट्र	310.00	140.00	81.81
कुल पश्चिमी	1260.00	444.00	300.77
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश			
एपीजेनको			
1. मचकुंड	114.75	174.00	130.10
2. टीबी डैम एंड हंपी	72.00	5.00	3.29
3. अपर सीलेरू I व II	240.00	105.00	32.63
4. लोअर सिलेरू	460.00	261.00	148.69
5. एन.जे. सागर (पीएसएच)	815.60	150.00	27.42
6. एन.जे. सागर आरबीसी (2 पीएचएच)	90.00	1.00	0.00
7. एन.जे. सागर एलबीसी	60.00	1.00	0.00
8. पोचमपाद	27.00	2.00	0.00
9. श्रीसैलम एलबी	900.00	140.00	15.80
10. प्रियदर्शनी जुराला	78.00	6.00	3.35
कुल एपीपीजीसी	2857.35	845.00	361.28
कुल ए.पी.	2857.35	845.00	361.28
कर्नाटक			
केपीसीएल			
1. शरावती	1006.20	1189.00	1068.46
2. लिंगनामक्की	55.00	34.00	27.52
3. वराही	460.00	222.00	208.16
4. भद्रा	39.20	5.00	2.03
5. कालीनदी	855.00	613.00	572.82
6. सुपा डीपीएस	100.00	82.00	78.17
7. घाटप्रभा	32.00	3.00	0.08
8. काद्रा	150.00	66.00	60.25
9. कोडासली	120.00	75.00	64.33
10. गरसोप्पा	240.00	126.00	104.10
11. अलमाटी डैम	290.00	8.00	0.48
कुल केपीसीएल	3347.40	2423.00	2186.40
कुल कर्नाटक	3347.40	2423.00	2186.40
केरल			
केएसईबी			
1. कुट्टीयाडी एंड एक्स.	125.00	141.00	109.68
2. सेंगुलम	48.00	35.00	31.25
3. पन्नियार	30.00	21.00	0.00
4. नरीमंगलम एंड एक्स.	70.00	59.00	40.65
5. इड्डुकी	780.00	704.00	571.14
6. साबरीगिरी	300.00	357.00	296.25
7. इडामयलयर	75.00	88.00	66.98
8. काकड्	50.00	53.00	46.87
9. लोअर पेरियार	180.00	85.00	45.85
कुल केएसईबी	1658.00	1543.00	1208.67
कुल केरल	1658.00	1543.00	1208.67

1	2	3	4
तमिलनाडु			
टीएनईबी			
1. पाइकारा	58.95	31.00	13.15
2. कुंडा-VI (पार्सन्स वैली)	30.00	10.00	8.57
3. मेट्टूर डैम	40.00	60.00	18.81
4. मेट्टूर टनल	200.00		
5. लोअर मेट्टूर I-IV	120.00	34.00	17.20
6. पेरियार	140.00	47.00	0.00
7. सुरूलियार	35.00	11.00	7.72
8. पापनासम	28.00	26.00	17.44
9. सरकापथी	30.00	27.00	12.86
10. अलियार	60.00	23.00	14.95
11. शोलयार-I	70.00	33.00	8.11
12. शोलयार-II	25.00		
13. कोडयार-I	60.00	74.00	46.47
14. कोडयार-II	40.00		
15. भवानी कटलाई बैराज-I	30.00	7.00	0.03
कुल टीएनईबी	966.95	383.00	165.31
कुल दक्षिणी	8829.70	5194.00	3921.66
पूर्वी क्षेत्र			
दामोदर वैली कार्पो. (डीवीसी)			
1. पंचेट	80.00	14.00	6.20
कुल डीवीसी	80.00	14.00	6.20
उड़ीसा			
ओएचपीसी			
1. हीराकुड-I (बुरला)	259.50	113.00	53.99
2. हीराकुड-II (चीपीलमा)	72.00		
3. रेंगाली	250.00	122.00	65.17
4. अपर कोलाब	320.00	163.00	131.40
5. अपर इंद्रावती	600.00	574.00	337.46
कुल ओएचपीसी	1501.50	972.00	588.02
पश्चिम बंगाल			
डब्ल्यूबीएसईबी			
1. जलढाका-I	27.00	21.00	0.00
2. पुरूलिया पीएसएस	900.00	175.00	173.40
कुल डब्ल्यूबीएसईबी	927.00	196.00	173.40
एनएचपीसी			
1. रंगीत (सिक्किम)	60.00	93.00	75.92
कुल एनएचपीसी	60.00	93.00	75.92
कुल पूर्वी	2568.50	1275.00	843.54
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
असम			
एपीजीसीएल			
1. कार्बी लांग्पी	100.00	104.00	75.95
मेघालय			
एमईएसईबी			
1. उमिअम-उमतरू स्टे.-IV	60.00	33.00	12.44
कुल एमईएसईबी	60.00	33.00	12.44
नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पो. लि. (नीपको)			
1. खांडोंग	75.00	59.00	23.60
2. कोपिली	200.00	218.00	135.05

1	2	3	4
3. दोयांग	75.00	42.00	13.72
4. रंगानदी	405.00	369.00	260.06
कुल नीपको	755.00	688.00	432.43
एनएचपीसी			
1. लोकटक (मणिपुर)	105.00	91.00	40.51
कुल केंद्र	860.00	779.00	472.94
कुल उ.पू. क्षेत्र	1020.00	916.00	561.33
कुल अखिल भारतीय	23116.45	18511.00	14889.08

[हिन्दी]

बालिकाओं का व्यापार

2846. श्री प्रहलाद जोशी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व राज्यों से हजारों बालिकाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रतिवर्ष बेच दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त राज्यों से बालिकाओं के व्यापार को रोकने के लिए कड़े उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से अवैध व्यापार के लिए वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर राज्यों में 28 मामले दर्ज किए गए।

(ग) और (घ) सरकार उपर्युक्त राज्यों सहित देश में व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक उपाय कर रही है। भारतीय दंड संहिता द्वारा अनुपूरित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चों सहित मानवों का अवैध व्यापार निषिद्ध करता है तथा अवैध व्यापार के लिए कठोर दण्ड निर्धारित करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए समर्थन, जागरूकता विकास तथा संचेतना कार्यक्रम आयोजित करता है। व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'उज्जवला' स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें अवैध व्यापार की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास तथा पुनर्समेकन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृहों का भी संचालन करता है, जो अवैध व्यापार पीड़ितों के अलावा कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन का संवर्धन

2847. डॉ. के.एस. राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व राज्यों का वर्षवार कितने घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों ने दौरा किया; और

(ख) पर्यटकों को उपलब्ध कराए गए आवास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के दौरों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	घरेलू पर्यटक दौरे	विदेशी पर्यटक दौरे
2005	3518671	36866
2006	4457275	38572
2007	4726218	43058

(ख) पर्यटकों को आवास की सुविधाएं प्रदान करना मुख्यत: निजी क्षेत्र का कार्य है। 31.12.2007 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में 17 वर्गीकृत होटलों में 739 कमरे थे।

पूर्वोत्तर सहित विभिन्न स्थानों में पर्यटन अवसंरचना का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों एवं परिपथों लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत उनसे प्राप्त, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की राशि और संख्या निम्नानुसार थी:—

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
2006-07	73	14570.22 रुपए
2007-08	86	17468.72 रुपए
2008-09	76	19737.55

पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा की जिम्मेदारी भी मुख्यत: राज सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कुछेक राज्यों ने किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों में पर्यटक पुलिस बल तैनात की हैं।

[हिन्दी]

कार्यस्थल पर कर्मचारियों का उत्पीड़न

2848. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निगमित क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर कामकाजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का विचार बलात्कार-रोधी कानूनों सहित "दि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेंन अगेंस्ट सैक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस बिल", 2008 में आमूल-चूल परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या करने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त शिकायतों को राष्ट्रीय महिला आयोग को भेज दिया जाता है, जो विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों को संबंधित संगठनों के साथ उठाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत भेजने वाली महिला कर्मचारियों के बारे में वरिष्ठता-वार/स्थिति-वार/क्षेत्र-वार अलग आंकड़े नहीं रखता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का संरक्षण विधेयक, 2008 में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

(ङ) चूंकि, आपराधिक कानून समवर्ती सूची में शामिल विषय है, इसलिए इस मामले में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रक्षित विद्युत संयंत्र

2849. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंजूर की गई रक्षित विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता उनकी आवश्यकता से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संयंत्रों की राज्यवार कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है;

(ग) क्या सरकार ने इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अनुसार, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस/स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। एल्यूमिनियम, सीमेंट, कैमिकल्स, फर्टीलाइजर्स, लोहे एवं स्टील, पेपर तथा चीनी इत्यादि के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश उद्योगों के पास स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांटस है जो या तो यूटिलिटीज से खरीदी जाने वाली विद्युत के पूरक का कार्य करते हैं या फिर आपातकालीन उपयोग के लिए होते हैं। 1 मेगावाट तथा इससे अधिक की मांग वाले उद्योगों के कैप्टिव विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता का 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने कैप्टिव उत्पादन तथा अधिशेष क्षमता के उपयोग को सुगम बनाने के लिए विभिन्न विधिक, नीतिगत तथा प्रशासनिक उपाए किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ग्रुप-कैप्टिव सहित, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को मुक्त अनुमति प्रदान की गई है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रचालन कर सकता है और पारेषण लाइनों को सौंप सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है तथा उसका अनुरक्षण और प्रचालन कर रहा है, उसे पारेषण क्षमता की उपलबधता की शर्त के अधीन अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की विद्युत को अपने उपयोग के स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से ओपन-एक्सेस का अधिकार होगा।

(ii) फरवरी, 2005 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति में भारत की कैप्टिव तथा स्टैण्ड-बाई-जनरेटिंग स्टेशन में उपलब्ध अधिशेष क्षमता को निरंतर अथवा कुछ निश्चित अवधि के लिए ग्रिड में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(iii) जनवरी, 2006 में अधिसूचित टैरिफ नीति में यह माना गया है कि प्रतिस्पर्धी विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए कैप्टिव उत्पादन एक महत्वपूर्ण साधन है तथा इसमें विद्युत विनियामक आयोग से ऐसा वातावरण बनाने का अनुरोध किया गया है जिसमें कैप्टिव संयंत्रों को ग्रिड से जोड़े जाने को बढ़ावा मिले।

(iv) मई, 2007 में विद्युत क्षेत्र के मामलों पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, ग्रिड को उपलब्ध करवाना सुगम बनाया जाए तथा समयबद्ध तरीके से प्रतिबंधक शुल्कों, करों तथा विनियमों को हटवाया जाए।

विवरण

कैप्टिव पावर प्लांट्स का राज्यवार विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ब्यौरा 1 मे.वा. एवं इससे ऊपर

31.03.2008

राज्य/यूटी	अधिष्ठापित क्षमता कि.वा. में
1	2
हरियाणा	526091
हिमाचल प्रदेश	151336
जम्मू और कश्मीर	19222
पंजाब	586826
राजस्थान	1403540
उत्तर प्रदेश	2106691
उत्तराखंड	121409
चंडीगढ़	8342
दिल्ली	1216
उप जोड़ (उ.क्षे.)	924673
गुजरात	4268525
मध्य प्रदेश	1575317
महाराष्ट्र	1487577
गोवा	75988
दमन और दीव	1488
दादरा और नगर हवेली	45543
छत्तीसगढ़	1521825
उप जोड़ (प.क्षे.)	976263

1	2
आंध्र प्रदेश	2190145
कर्नाटक	1450496
केरल	261351
तमिलनाडु	2657233
पुदुचेरी	64343
लक्षद्वीप	0
उप जोड़ (द.क्षे.)	6623568
बिहार	137601
उड़ीसा	2133478
पश्चिम बंगाल	925896
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
सिक्किम	0
झारखंड	863665
उप जोड़ (पू.क्षे.)	4060640
असम	359810
मणिपुर	0
मेघालय	23440
नागालैंड	8000
त्रिपुरा	0
अरुणाचल प्रदेश	0
मिजोरम	0
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	391250
कुल (अखिल भारत)	24976394

[हिन्दी]

मोबाइल बैंकिंग सेवा

2850. श्री राकेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी सरकारी बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रदान करना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में मोबाइल बैंकिंग के लिए 8 अक्तूबर, 2008 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है।

[अनुवाद]

वन गांव

2851. श्री नवीन जिन्दल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास वन गांवों के विकास के लिए कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितना व्यय किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों के जनजातीय विकास/कल्याण विभाग, वन विकास एजेंसियों (एफ डी ए) द्वारा वन ग्रामों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है। वन विकास एजेंसियां (एफ डी ए) संबंधित राज्य सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रगति रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए

राज्य सरकार के जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निधियों की उपयोगिता की निगरानी उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति द्वारा की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार व्यय की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2006-07 खर्च की गई राशि	2007-08 खर्च की गई राशि	2008-09 खर्च की गई राशि
1.	असम	1346.92	0.00	*
2.	छत्तीसगढ़	3661.11	*	*
3.	गुजरात	620.09	593.62	*
4.	झारखंड	*	0.00	*
5.	मेघालय	*	0.00	*
6.	मध्य प्रदेश	10472.42	1245.93	*
7.	मिजोरम	1317.50	190.00	*
8.	उड़ीसा	*	0.00	*
9.	त्रिपुरा	328.90	0.00	*
10.	उत्तराखंड	*	0.00	*
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	*
12.	पश्चिम बंगाल	621.41	0.00	*
	कुल	18368.35	2029.55	*

*राज्य सरकारों की ओर से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है।

पंचायती राज के अंतर्गत योजनाएं

2852. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित तथा उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि या योजनावार, राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीम निम्नवत है:—

(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

(ii) पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस)

(iii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई)

(iv) पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए)

(v) ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आरबीएच)

(vi) ई-पंचायों पर मिशन मोड परियोजना

(vii) मीडिया एवं प्रचार

(viii) कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन (एआर एवं आरएस)

(ख) राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें बीआरजीएफ, पीईएआईएस, आरजीएसवाई, पीएमईवाईएसए एवं ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना (वर्ष 2006-07 तक आरजीएसवाई के सूचना प्रौद्योगिकी घटक के तौर पर कार्यान्वित) हैं। राज्यवार आवंटन मात्र बीआरजीएफ के तहत किया जाता है। बीआरजीएफ के तहत, राष्ट्रीय सम विकास योजना (योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित) की बकाया राशि भी, योजना आयोग से पूरी राशि का दावा नहीं कर सकने वलो जिले के लिए, राज्यों को जारी की जाती है। पीईएआईएस के तहत, अंतरण इन्डेक्स के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन निधियां निर्मुक्त की जाती है। आरजीएसवाई, पीएमईवाईएसए एवं ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों/मांगों के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इन स्कीमों के तहत राज्य-वार निर्मुक्त निधियां एवं उनकी उपयोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के दौरान बीआरजीएफ के विकास अनुदान के तहत राज्य-वार निर्मुक्तियां एवं उपयोगिता

(करोड़ रुपए में)

राज्य	बीआरजीएफ जिले की संख्या	आरएसवीवाई				बीआरजीएफ (विकास अनुदान)*			
		2006-07 निर्मुक्ति	2007-08 निर्मुक्ति	2008-09 निर्मुक्ति	2009-10 निर्मुक्ति	2007-08		2008-09 निर्मुक्ति	2009-10 निर्मुक्ति
						निर्मुक्ति	निर्मुक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
आंध्र प्रदेश	13	82.5	105	105	—	303.18	239.62	250.38	—
अरुणाचल प्रदेश	1	7.5	7.5	7.5	—	0.1	रु	11.07	—
असम	11	52.5	52.5	75	—	61.08	46.44	53.23	1.33
बिहार	36	232.5	97.5	300	—	541.78	417.5966	421.55	—
छत्तीसगढ़	13	127.5	45	—	—	226.22	184.56	192.45	—
गुजरात	6	37.5	7.5	30	—	0.6	#	—	—
हरियाणा	2	22.5	—	—	—	25.8	22.44	22.45	—
हिमाचल प्रदेश	2	30	15	—	—	25.85	20.48	21.52	—
जम्मू और कश्मीर	3	22.5	15	22.5	5	0.3	#	40.78	—
झारखंड	21	315	82.5	22.5	—	2.1	#	290.27	9.31
कर्नाटक	5	37.5	45	45	—	84.97	12.53	—	—
केरल	2	15	7.5	7.5	—	21.38	#	—	—
मध्य प्रदेश	24	135	—	—	—	380.82	329.57	300.44	—
महाराष्ट्र	12	90	107	58	7.5	1.2	#	—	—
मणिपुर	3	15	—	—	—	34.96	16.73	10.02	—
मेघालय	3	15	7.5	15	—	0.3	#	33.61	—
मिजोरम	2	15	1.5	—	—	19.17	15.58	—	—
नागालैंड	3	22.5	—	—	—	32.19	28.86	30.31	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
उड़ीसा	19	45	52.5	30	—	264.62	217.98	227.84	25.5
पंजाब	1	15	7.5	7.5	—	0.1	#	—	—
राजस्थान	12	15	—	—	—	302.1	183.04	183.5	1.8
सिक्किम	1	22.5	7.5	—	—	0.1	#	11.67	—
तमिलनाडु	6	30	22.5	—	—	0.6	#	97.21	—
त्रिपुरा	1	15	7.5	—	—	0.1	#	10.98	—
उत्तर प्रदेश	34	300	135	30	30	3.4	#	541.74	—
उत्तराखंड	3	37.5	30	22.5	—	0.3	#	—	—
पश्चिम बंगाल	11	60	82.5	82.5	—	188.35	140.49	142.55	14.64
नाबार्ड	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—
कुल	250	1,818.30	954.5	860.5	52.5	2,521.67		2,893.55	52.58

*वर्ष 2006-07 में विकास अनुदान घटक के तहत मध्य प्रदेश को 20.049 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई थी। इस राशि का उपयोग किया जा चुका है।

#राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई।

दिनांक 21.07.09 की स्थिति के अनुसार बीआरजीएफ के क्षमता निर्माण अनुदान के तहत निर्मुक्तियों एवं उपयोगिता का राज्यवार स्थिति

क्रम सं.	राज्य	जिलों की संख्या	प्रति वर्ष हकदारी	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10
				निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	13	13	13.00	13.00	13.00	13.00	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.50	0.26	—	—	—	—	—
3.	असम	11	11	9.12	1.37	—	—	—	—	—
4.	बिहार	36	36	14.46	#	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	13	13	9.10	8.77	—	—	13.00	#	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	6	6	—	—	—	—	6.04	#	—
7.	हरियाणा	2	2	—	—	—	—	3.23	#	—
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	—	—	2.00	#	1.93	#	—
9.	जम्मू और कश्मीर	3	3	—	—	—	—	—	—	9.00
10.	झारखंड	21	21	—	—	21.00	#	—	—	—
11.	कर्नाटक	5	5	—	—	10.00	6.02	—	—	—
12.	केरल	2	2	—	—	2.00	#	—	—	—
13.	मध्य प्रदेश	24	24	14.96	14.96	24.00	19.40	24.00	#	—
14.	महाराष्ट्र	12	12	6.19	3.69	—	—	29.80	#	—
15.	मणिपुर	3	3	—	—	—	—	4.60	#	—
16.	मेघालय	3	3	—	—	—	—	3.93	#	—
17.	मिजोरम	2	2	—	—	—	—	2.00	#	—
18.	नागालैंड	3	3	—	—	—	—	3.00	#	—
19.	उड़ीसा	19	19	—	—	19.00	#	—	—	—
20.	पंजाब	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21.	राजस्थान	12	12	7.87	4.87	—	—	—	—	—
22.	सिक्किम	1	1	0.99	0.99	—	—	1.00	#	—
23.	तमिलनाडु	6	6	—	—	—	—	16.32	#	—
24.	त्रिपुरा	1	1	—	—	—	—	0.83	#	—
25.	उत्तर प्रदेश	34	34	—	—	25.30	#	—	—	—
26.	उत्तराखंड	3	3	—	—	—	—	9.00	#	—
27.	पश्चिम बंगाल	11	11	10.50	10.50	5.02	3.83	16.97	#	—
	कुल			86.69	58.41	121.32	42.25	135.65	0.00	9.00

#राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई।

विवरण-II

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्ति की गई प्रोत्साहन राशि

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	असम	—	69.24	—	50.00
2.	आंध्र प्रदेश	—	—	75.00	—
3.	छत्तीसगढ़	64.88	—	—	50.00
4.	गोवा	—	—	50.00	—
5.	हरियाणा	24.40	—	50.00	75.00
6.	हिमाचल प्रदेश	—	67.14	75.00	75.00
7.	कर्नाटक	106.55	84.74	100.00	75.00
8.	केरल	106.55	114.34	100.00	150.00
9.	मध्य प्रदेश	—	73.44	75.00	150.00
10.	मणिपुर	—	—	50.00	—
11.	उड़ीसा	39.88	72.84	75.00	—
12.	राजस्थान	—	70.34	100.00	—
13.	सिक्किम	64.88	81.54	50.00	75.00
14.	तमिलनाडु	—	82.64	100.00	150.00
15.	उत्तर प्रदेश	7.14	—	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	85.72	83.74	100.00	150.00
	कुल	500.00	800.00	1000.00	1000.00

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	36.52	—	—
2.	चंडीगढ़	—	18.73	—	—
3.	दमन और दीव	—	32.29	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	—	46.59	—	—
5.	लक्षद्वीप	—	42.25	—	—
6.	पुदुचेरी	—	23.62	—	—
	कुल	—	200.00	—	—
	कुल योग	500.00	1000.00	1000.00	1000.00

नोट:— राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई।

विवरण-III

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण घटक के तहत निर्मुक्त एवं प्रयुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	400.00	400.00	82.16	रु	400.00	#	—	—
2.	असम	77.60	77.60	326.32	326.32	563.32	#	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	47.57	31.89	—	—	600.00	#	—	—
4.	बिहार	439.00	#	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	—	—	395.00	#	—	—	—	—
7.	गोवा	—	—	34.40	#	—	—	—	—
8.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	0.16	#
9.	हरियाणा	189.00	116.00	7.50	#	95.00	#	—	—
10.	हिमाचल प्रदेश	79.50	79.50	252.00	46.00	678.00	#	—	—
11.	कर्नाटक	181.98	181.98	—	—	—	—	—	—
12.	केरल	44.00	44.00	58.72	44.00	58.72	#	—	—
13.	मध्य प्रदेश	62.50	62.50	62.50	62.50	1131.00	#	—	—
14.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	355.00	#	—	—
15.	मणिपुर	—	—	40.35	40.35	40.35	#	—	—
16.	उड़ीसा	—	—	314.71	29.14	—	—	—	—
17.	पंजाब	—	—	443.59	#	—	—	—	—
18.	राजस्थान	—	—	257.36	#	—	—	—	—
19.	सिक्किम	41.33	32.66	—	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	—	—	236.04	#	—	—	—	—
21.	त्रिपुरा	45.00	15.77	—	—	395.00	#	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	899.80	#	—	—	—	—	—	—
23.	पश्चिम बंगाल	100.00	100.00	321.25	100.00	159.00	#	—	—
24.	लक्षद्वीप	12.72	9.92	—	—	—	—	—	—
25.	पुदुचेरी	3.00	1.42	—	—	—	—	—	—
	कुल	2623.00	1153.24	2831.90	648.31	4475.39	—	0.16	#

#राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई।

आरजीएसवाई के अवसंरचना घटक के तहत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	93.75	93.75	600.00	#	—	—
2.	असम	237.50	237.50	722.34	722.34	237.00	#	—	—
3.	बिहार	237.50	237.50	—	—	—	—	—	—
4.	गुजरात	300.00	300.00	—	—	—	—	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	200.00	200.00	572.00	#	—	—
6.	मणिपुर	—	—	113.91	113.91	—	—	—	—
7.	उड़ीसा	—	—	492.00	492.00	—	—	—	—
8.	राजस्थान	300.00	300.00	—	—	—	—	—	—
9.	सिक्किम	157.50	157.50	—	—	—	—	—	—
10.	त्रिपुरा	60.00	60.00	—	—	395.00	#	—	—
11.	पश्चिम बंगाल	12.50	—	—	—	—	—	—	—

#राज्यों के द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के सूचना प्रौद्योगिकी घटक के तहत पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को निर्मुक्त राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07
1	2	3
1.	गोवा	1.00
2.	सिक्किम	3.04
3.	राजस्थान	2.00
4.	पुदुचेरी	0.87
5.	पश्चिम बंगाल	2.60
6.	उड़ीसा	1.00
7.	केरल	2.52

नोट: वर्ष 2006-07 कके लिए राज्यों द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई। वर्ष 2007-08, 2008-09, तथा 2009-10 के दौरान राज्यों को कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण-IV

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) के तहत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान	निर्मुक्त अनुदान	प्रयुक्त अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2,16,000/-	2,16,000/-	23,62,136/-	23,62,136/-	12,92,023/-	#	—	—
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	8,50,625/-	#	1,83,000/-	#	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,71,000/-	2,71,000/-	36,63,463/-	#	—	—	—	—
4.	असम	1,68,750/-	#		—	50,67,000/-	#	—	—
5.	बिहार	—	—	5,37,800/-	5,44,998/-	4,78,064/-	#	17,65,434/-	#
6.	छत्तीसगढ़	1,92,500/-	1,92,500/-	7,74,500/-	7,74,500/-	19,22,900/-	19,22,900/-	15,53,062/-	#
7.	गोवा	1,55,000/-	1,55,000/-	11,13,836/-	11,13,836/-	6,53,850/-	#	—	—
8.	गुजरात	2,22,375/.	#	—	—	—	—	—	—
9.	हरियाणा	1,93,300/-	1,93,300/-	26,47,450/-	26,47,450/-	34,52,450/-	#	—	—
10.	हिमाचल प्रदेश	1,30,300/-	1,30,300/-	11,61,475/-	11,61,475/-	—	—	—	—
11.	कर्नाटक	2,00,000/-	2,00,000/-	12,83,500/-	12,83,500/-	28,74,096/-	#	—	—
12.	केरल	2,75,025/-	2,75,025/-	—	—	16,84,450/-	#	—	—
13.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	5,93,863/-	#	—	—
14.	मध्य प्रदेश	2,31,875/-	2,31,875/-	3,03,125/-	3,03,125/-	3,12,750/-	3,12,750/-	—	—
15.	महाराष्ट्र	2,30,000/-	2,30,000/-	1,28,580/-	1,28,580/-	11,16,500/-	#	—	—
16.	मणिपुर	5,22,638/-	5,22,638/-	6,04,075/-	6,04,075/-	3,48,075/-	#	—	—
17.	पंजाब	3,60,000/-	3,60,000/-	15,47,250/-	#	—	—	—	—
18.	राजस्थान	6,72,306/-	4,04,040/-	7,18,900/-	#	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	सिक्किम	2,04,900/-	2,04,900/-	14,33,974/-	14,33,974/-	5,26,295/-	#	—	—
20.	तमिलनाडु	2,76,470/-	2,76,470/-	—	—	2,76,470/-	2,76,470/-	—	—
21.	त्रिपुरा	2,80,170/-	2,80,170/-	—	—	2,62,464/-	#	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	1,92,100/-	#	—	—	—	—	—	—
23.	उत्तराखंड	—	—	5,38,500/-	2,97,260/-	—	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	1,70,625/-	1,70,625/-	5,54,556/-	5,54,556/-	29,55,750/-	#	—	—

#राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं दी गई।

सूक्ष्म एककों पर हाल के नीतिगत उपायों का प्रभाव

2853. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2007 से नवंबर, 2008 तक बैंकों में की गई तरलता विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सूक्ष्म एककों सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक मंदी से निबटने के लिए हाल के नीतिगत उपायों के प्रभाव का आकलन किया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) मार्च, 2007 से अगस्त, 2008 तक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के नकदी आरक्षित जमा अनुपात (सीआरआर) को, चरणों में, 6.0% से बढ़ाकर 9.0% कर दिया। तथापि, इस अवधि के दौरान, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कोई परिवर्तन किये बगैर उसे 25% पर ही रखा गया। घरेलू वित्तीय बाजारों पर उभरते वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों की प्रतिक्रियास्वरूप, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अनवरत और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए सितम्बर-मध्य 2008 से कई उपाय किये, जिनमें बैंकों के लिए सीआरआर और एसएलआर अपेक्षाओं में कमी शामिल है, जिससे बैंकिंग तंत्र में घरेलू चल निधि में निम्नानुसार वृद्धि हुई:—

	उपाय/सुविधा	(करोड़ रु. में)
1.	सीआरआर में कमी	1,60,000
2.	एमएसएस प्रतिभूतियों का पुनरारंभ/पुनःक्रय/गैर-परिबद्धीकरण	97,781
3.	मियादी रेपो सुविधा	60,000
4.	निर्यात ऋण पुनर्वित्त में वृद्धि	25,512
5.	एससीबी (गैर-आरआरबी) के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा	38,500
6.	सिडबी/एनएचबी/एग्जिम बैंक के लिए पुनर्वित्त सुविधा	16,000
7.	एसपीवी के जरिये एनबीएफसी के लिए चलनिधि सुविधा	25,000*
	कुल	4,22,793
	मेमो: सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कमी	40,000

*अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए के विकल्प सहित

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

योग्य/प्रशिक्षित गाइड

2854. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आने वाले पर्यटकों विशेषरूप से विदेशी पर्यटकों हेतु अच्छे गाइड की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में योग्य/प्रशिक्षित गाइडों की संख्या में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान में उपलब्ध क्षेत्र-वार अर्हता प्राप्त/प्रशिक्षित गाइडों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान में उपलब्ध अर्हता प्राप्त/ प्रशिक्षित गाइडों की संख्या
1.	उत्तरी क्षेत्र	1173
2.	पश्चिमी क्षेत्र	365
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	03
4.	पूर्वी क्षेत्र	144
5.	दक्षिणी क्षेत्र	229
	कुल	1914

(ग) मार्केट मूल्यांकन के आधार पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 29 (क) के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर के गाइडों को लाइसेंस जारी किया जाता है।

मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा

2855. श्री पूर्णमासी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल सेक्रेटेरियट मैनुअल ऑफ आफिस प्रोसेड्योर (सीएसएमओपी) ने मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत विभागों/कार्यालयों में कितने जांच परीक्षण किए गए;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों में हुए विलंब का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे विलंब के क्या कारण थे; और

(ङ) मामलों के विलंबित निपटान पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति मैन्युअल (सी.एस.एम.ओ.पी.) के पैरा 121 में विभागीय अनुदेशों के माध्यम से मामलों के निपटान के लिए समय-सीमाओं को निर्धारित करने के बारे में बताया गया है।

(ख) से (ङ) ये ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्र प्रायोजित पर्यटन योजनाएं

2856. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों को राज्यवार तथा योजनावार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों विशेषरूप से उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त सहायता जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनसे प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता की शर्त पर, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

		2006-07		2007-08		2008-09	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3	1540.56	9	2629.48	7	9980.58
2.	असम	9	2453.39	5	1271.90	4	2107.61
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	1887.80	10	3330.12	13	3147.20
4.	बिहार	2	1937.29	3	1194.75	9	1798.45
5.	छत्तीसगढ़	16	3540.17	4	1274.09	1	1133.82
6.	गोवा	0	0.00	0	0.00	2	4314.91
7.	गुजरात	7	443.65	5	576.58	7	2133.66
8.	हरियाणा	5	1836.16	11	2260.27	7	2495.49
9.	हिमाचल प्रदेश	8	1871.00	12	2286.22	9	2977.66
10.	जम्मू और कश्मीर	29	5233.82	36	6851.15	25	3827.57
11.	झारखंड	3	956.35	7	1130.47	0	0.00
12.	कर्नाटक	4	1323.89	5	2004.71	4	4273.21
13.	केरल	18	4474.02	10	3124.31	12	4269.52
14.	मध्य प्रदेश	10	3668.47	16	3952.66	11	3141.11
15.	महाराष्ट्र	13	2839.05	5	1279.44	3	4110.05
16.	मणिपुर	9	939.35	5	1110.77	9	2943.84
17.	मेघालय	9	1435.29	2	674.40	6	1238.54
18.	मिजोरम	9	2613.38	5	1692.94	4	318.38

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	8	2340.32	21	2241.35	11	2544.66
20.	उड़ीसा	13	2826.84	12	2376.30	6	4115.38
21.	पंजाब	13	3223.37	1	397.89	3	1968.10
22.	राजस्थान	8	953.84	2	1554.46	8	4189.56
23.	सिक्किम	13	2609.42	27	6036.48	23	7076.38
24.	तमिलनाडु	11	1866.41	13	2831.80	15	3595.72
25.	त्रिपुरा	4	291.27	11	1110.76	6	360.94
26.	उत्तराखंड	16	1907.50	5	2081.04	3	4468.72
27.	उत्तर प्रदेश	7	3329.06	7	2833.03	6	3839.64
28.	पश्चिम बंगाल	10	2978.32	12	3243.17	9	3319.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	चंडीगढ़	2	15.00	2	20.00	5	799.11
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	3	24.88
32.	दिल्ली	5	2400.09	7	749.08	1	15.00
33.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	7.00	1	782.73	0	0.00
35.	पुडुचेरी	1	500.00	6	1610.88	4	252.80
	कुल	278	64242.08	277	64513.23	237	90794.32

बीमा पॉलिसियां खरीदना

2857. श्री के. सुधाकरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारियों का निवेशकों द्वारा करोड़ों रुपयों के मूल्य की बीमा पॉलिसी खरीदने के मामलों पर ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां। भारी धनराशि वाली बीमा पालिसियों की खरीद के दृष्टांत आयकर विभाग के ध्यान में आए हैं।

(ख) इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई है जिनमें

आयकर विभाग तथा भारतीय वित्तीय आसूचना एकक में केन्द्रीय सूचना शाखाएं शामिल हैं। ऐसे मामलों के संबंध में मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इन मामलों में आवश्यक जांच-पड़ताल की जाती है और यदि किसी अप्रकटित निवेश का पता चलता है तो आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उस पर कर लगाया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का तुलन-पत्र की कमियों को दूर करना

2858. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करदाताओं के पैसों का उपयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलन-पत्र की कमियों को दूर करने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) इंडियन बैंक और युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया को उनके तुलन-पत्र की कमियों को दूर करने, वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा अपने वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधियां जुटाने के लिए पूंजी बाजार तक उनकी पहुंच बनाने में समर्थ बनाने के लिए सरकार ने इन बैंकों की चुकता इक्विटी पूंजी के मुकाबले उनकी बकाया संचित हानियों का समायोजन करने के लिए इन बैंकों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था। यह प्रस्ताव गैर-नकदी के थे तथा इसमें सरकार द्वारा निधियों को लगाया जाना शामिल नहीं था।

(ग) भारत में सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थिति में सुधार करने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के भी अनुरूप लाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बासेल समिति मानदंडों इत्यादि के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के लिए जोखिम आधारित विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाए हैं जिसे सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक कदमों ने भी संबल प्रदान किया है। इसके अलावा, त्वरित और कुशल निर्णय लेने की सुविधा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समर्थ बनाने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने इन बैंकों के लिए फरवरी, 2005 में एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने विभिन्न निष्पादन पैरामीटरों पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत "वार्षिक लक्ष्यों पर उद्देश्य का विवरण" (एसओआई) के आधार पर पीएसबी के समग्र निष्पादन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना भी की है। तुलनपत्र और लाभप्रदता संकेतक नामत: आरओए, निवल ब्याज मार्जिन, अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) अनुपात, एनपीए के लिए प्रावधानीकरण और वर्गीकरण मानदंड, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इत्यादि दर्शाते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अब वैश्विक बैंचमार्क के अनुरूप है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोयला खानों का अधिग्रहण

2859. श्री पी. बलराम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार विदेश में कोयला खानों के अधिग्रहण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) एनटीपीसी लिमिटेड, अपने पावर प्लांटों के लिए कोयला आपूर्ति करने के स्रोत के तौर पर इंडोनेशिया, मोजांबिक, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों की कोयला खदानों में स्टेक अर्जित करने की संभावना का पता लगा रहा है। विदेशों की मेटलुराजिकल कोल तथा थर्मल कोल परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए स्टील एथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) के बीच इंटरनेशनल कोल वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) नामक संयुक्त कंपनी बनाई गई है। यह कंपनी मुख्यतया आस्ट्रेलिया, मोजांबिक, कनाडा, इंडोनिशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी अवसरों का पता लगा रही है।

पोषक खाद्य-पदार्थ

2860. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बुजुर्ग महिलाओं को पोषक खाद्य पदार्थ नि:शुल्क मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोरियों (11-18 वर्ष) के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार की है। यह स्कीम मंत्रालय द्वारा इस समय कार्यान्वित की जा रही दो स्कीमों, नामत: किशोरी शक्ति योजना और किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के स्थान पर लाई जाएगी। पूरक पोषण इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित सेवाओं में से एक है। स्कीम के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती और धात्री माताएं समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के लक्ष्य-वर्ग हैं। इस मंत्रालय में वृद्ध महिलाओं के लिए स्कीम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यटन संस्थान

2861. **श्री देवजी एम. पटेल : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) यहां पहले से ही भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान है, इसका मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है और भुवनेश्वर, नई दिल्ली तथा गोवा में इसके सेन्टर है।

[अनुवाद]

महिलाओं और बालिकाओं पर तेजाब से हमले

2862. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं पर तेजाब से हमलों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित "अपराध (तेजाब द्वारा) निवारण अधिनियम, 2008" को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तेजाब हमलों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता मुहैया करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों सहित राज्य-वार ऐसे कितने पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357ए के जोड़े जाने के परिणामस्वरूप, अपराध के कारण सभी पीड़ितों को नुकसान या चोट की क्षतिपूर्ति की जानी जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम बनाए जाने की जरूरत है। अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली करेंसी

2863. **श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अपनी तिजोरी में जाली करेंसी जमा कराने पर सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे बैंकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 2008 से एक दंड योजना की शुरूआत की है, जिसमें अधिक संख्या में जाली नोटों का पता लगने पर प्रत्येक समूह में दो करेंसी नोटों की रियायत सीमा के साथ निम्नलिखित दर पर दंड प्रभारित करने का प्रावधान है:—

(i)	100 रु. के मूल्य के नोट	—	1000 रु. प्रति नोट
(ii)	500 रु. और 1000 रु. मूल्य के नोट	—	5000 रु. प्रति नोट

उपर्युक्त दंड उठाई गई वास्तविक हानि के अतिरिक्त होगा। किसी

करेंसी चेस्ट शाखा के लिए तीन दंडों के मामलों में, 5 लाख रु. का दंड लगाया जाएगा और उस बैंक/चेस्ट का नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस संबंध में अनुदेश मौजूद हैं, जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित बैंकों द्वारा जाली नोट जब्त करते हैं और जाली नोटों का पता लगने के प्रत्येक मामले के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस प्राधिकारी के पास दर्ज करते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

2864. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) के वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्र कौन से हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों से ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) : (क) देश में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के मौजूदा क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी तथा पटना में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन ग्राम

2865. श्री मिलिंद देवरा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा कोई अनन्य पर्यटन ग्राम विकसित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे पर्यटन ग्रामों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ङ) ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन के विकास तथा संवर्धन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय कला, शिल्प, संस्कृति, हथकरघा/वस्त्र आदि में संपूर्ण दक्षता वाले ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे ग्रामीण स्थलों में कौशल उन्नयन सहित क्षमता-निर्माण एवं सामुदायिक भगीदारी को भारत सरकार – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्जात पर्यटन परियोजना और मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वियन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी स्थलों के दौरों तथा समीक्षा बैठकों द्वारा करता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि (अवसंरचना + क्षमता निर्माण) (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	349.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	182.12
3.	असम	4	230.08
4.	बिहार	1	70.00
5.	छत्तीसगढ़	8	488.80
6.	दिल्ली	2	46.08
7.	गुजरात	5	365.03
8.	हरियाणा	1	70.00

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	3	170.00
10.	जम्मू और कश्मीर	17	1103.13
11.	झारखंड	2	134.77
12.	कर्नाटक	5	300.00
13.	केरल	6	376.80
14.	मध्य प्रदेश	8	495.65
15.	महाराष्ट्र	2	140.00
16.	मणिपुर	3	149.75
17.	मेघालय	2	123.29
18.	नागालैंड	10	665.15
19.	उड़ीसा	8	489.25
20.	पंजाब	5	261.46
21.	राजस्थान	3	209.32
22.	सिक्किम	6	387.74
23.	तमिलनाडु	8	478.23
24.	त्रिपुरा	5	295.83
25.	उत्तराखंड	11	668.31
26.	उत्तर प्रदेश	3	165.41
27.	पश्चिम बंगाल	5	327.30
	कुल	142	8742.70

नाबार्ड कार्यालयों का उन्नयन

2866. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अपने कार्यालयों/प्रतिष्ठानों का महाप्रबंधक (जी.एम.) स्तर पर उन्नयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या नाबार्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित अपने सभी कार्यालयों का जी.एम. स्तर तक उन्नयन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नाबार्ड के प्रभारी अधिकारियों के पदनामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नाबार्ड के कार्यालयों का वर्तमान स्तर पर उन्नयन किस वर्ष किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में अपने कार्यालयों के उन्नयन के लिए अपनाए गए मानदंड उसके द्वारा इन राज्यों के विकास में, उनके विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए, अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने पर आधारित है।

(ख) और (ग) नाबार्ड के असम क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष एक मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) हैं। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड कारबार के स्तर एवं विकास की संभावना के आधार पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने अन्य सभी कार्यालयों को, चरणबद्ध तरीके से, महाप्रबंधक (जीएम) के स्तर तक उन्नयित कर रहा है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी के पदनाम तथा इसके विद्यमान स्तरों के उन्नयन के वर्ष का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय	ग्रेड	तैनाती का वर्ष
त्रिपुरा	अगरतला	महाप्रबंधक	2007
मिजोरम	आईजोल	महाप्रबंधक	2008
नागालैंड	दीमापुर	महाप्रबंधक	2009
सिक्किम	गंगटोक	महाप्रबंधक	2009
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	महाप्रबंधक	2009
मेघालय	शिलांग	महाप्रबंधक	2008
मणिपुर	इम्फाल	उपमहाप्रबंधक	2008

[हिन्दी]

एनआईएफ

2867. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में कितनी धनराशि जमा की गयी है;

(ख) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आज तक एनआईएफ से धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) एनआईएफ को शासित करने वाले कानूनों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कानूनों/दिशानिर्देशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) राष्ट्रीय निवेश कोष की अब तक कुल 1814.45 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है।

(ख) राष्ट्रीय निवेश कोष की समस्त जमा पूंजी अर्थात् 1814.45 करोड़ रुपए निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन म्युचुअल फण्डों नामत: यूटीआई एसेट मैंनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई फण्ड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एलआईसी म्युचुअल फण्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को निम्न प्रकार आबंटित किए गए हैं।

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रुपए)
2007-08	1651.00
2008-09	163.45
2009-10	–

निवेश के पहले वर्ष के लिए आय के रूप में 84.81 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई है और उसे भारत की संचित निधि में जमा करा दिया गया है।

(ग) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 01 अप्रैल, 2005 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि, जो भारत की संचित निधि में जमा करायी जाती है, राष्ट्रीय निवेश कोष के सृजन के लिए भारत की संचित निधि से विनियोजित की जाएगी। राष्ट्रीय निवेश कोष की प्रबंध व्यवस्था, अपेक्षित अनुभव रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिन्दा वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यवसायिक तौर पर की जाएगी ताकि इसमें जमा पूंजी को प्रभावित किए बिना सरकार को स्थायी आय प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय निवेश कोष की पूंजी स्थायी प्रकृति की होगी। राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली आय को भारत की संचित निधि में जमा कराया जाएगा और उसके बाद इसमें से 75 प्रतिशत का विनियोजन सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें और शेष 25 प्रतिशत का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के लाभप्रद और पुनरुद्धार योग्य उपक्रमों की पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनआरईजीएस लाभार्थियों हेतु बायोमेट्रिक कार्ड

2868. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के लाभार्थियों को बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये कार्ड सभी लाभार्थियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे कार्ड योजना की वर्तमान खामियों को किस प्रकार से दूर करेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरईजीए श्रमिकों

को मजदूरी का भुगतान करने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल तथा उड़ीसा में बायोमेट्रिक काड्स का उपयोग शुरू कर दिया है। बायोमेट्रिक कार्ड का उपयोग श्रमिक की प्रमाणिकता सिद्ध करता है जिससे इस अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आएगी।

भाखड़ा और कोल बांधों के विस्थापितों का पुनर्वास

2869 श्री वरुण गांधी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा और कोल बांधों के विस्थापित अभी भी पुनर्वास हेतु जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सभी विस्थापितों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) बीबीएमबी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भाखड़ा बांध परियोजना से संबंधित भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण नियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था तथा भूमि, मकानों, वृक्षों, घराटों तथा अन्य डूबी संपत्ति के मुआवजे का भुगतान भाखड़ा बांध प्रशासन द्वारा किया गया था। बांध प्रबंधन ने भू-बेदखलों के पुनर्वास के मामलों पर सलाह देने के लिए भाखड़ा पुनर्वास समिति (बीआरसी) का गठन किया। सभी बेदखलों को उक्त समिति द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बसाया गया।

एनटीपीसी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोल डैम जल विद्युत परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। जैसा कि एनटीपीसी द्वारा सूचित किया गया है, उक्त परियोजना से संबंधित पुनर्वास के मामलों का समाधान, 26.02.2000 को हिमाचल प्रदेश सरकार (एचपी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा एनटीपीसी के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार के अनुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना के मामलों का समाधान करने के लिए, करार की पुनःस्थापना तथा पुनर्वास योजना के अनुरूप, एक विस्तृत पुनर्वास कार्य योजना का सूत्रपात किया गया था। योजना राज्य सरकार के पूर्ण समन्वयन के साथ क्रियान्वित की जा रही है तथा यह क्रियान्वयन के अग्रिम चरण पर है।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उपशमन योजनाएं

2870. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार, योजनावार कितनी गरीबी उपशमन योजनाएं तैयार की गयी हैं/क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा गरीबी उपशमन हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार, योजना-वार संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, योजना-वार कितनी निधियां आबंटित और जारी की गयीं तथा कितना व्यय हुआ; और

(च) देश में गरीबी उपशमन हेतु कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार गरीबों को प्रथमतः स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके तथा द्वितीतः सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार प्रदान करके लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित वास्तविक लक्ष्य पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लक्ष्यों से अधिक हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्कीम के प्रारंभ से तथा वर्ष 2008-09 तक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संचयी संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनंतिम से आबंटित केन्द्रीय राशि जारी धनराशि और तिमाही प्रगति रिपोर्टों (क्यूपीआर) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय और वर्ष 2009-10 के लिए अनंतिम आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) को वर्ष 2009-2010 से व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित एस जेएसआरवाई में अब पांच प्रमुख घटक हैं नामत:—

(i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(ii) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)

(iii) शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्द्धन के लिए कौशल उन्नयन (स्टेप-अप)

(iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

(v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संचयी संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तिगत/ग्रुप लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	शहरी मजूदरी कार्यक्रम से सृजित कार्य दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	176491	118395	94.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	540	314	4.85
3.	असम	9069	9386	21.68
4.	बिहार	43630	7696	54.26
5.	छत्तीसगढ़	18658	20598	6.47
6.	गोवा	655	1570	1.96
7.	गुजरात	54083	75201	24.08
8.	हरियाणा	31180	41949	5.03
9.	हिमाचल प्रदेश	2678	5164	6.11
10.	जम्मू और कश्मीर	13711	30297	0.88
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	86015	81762	37.94
13.	केरल	45723	51113	4.11
14.	मध्य प्रदेश	143422	227176	38.67
15.	महाराष्ट्र	217311	356621	40.19
16.	मणिपुर	7	6902	6.71
17.	मेघालय	1855	1692	2.59
18.	मिजोरम	160	7518	17.39
19.	नागालैंड	1301	78	38
20.	उड़ीसा	72676	43941	26.44
21.	पंजाब	8922	16441	5.54
22.	राजस्थान	66775	42460	25.25
23.	सिक्किम	479	1478	3.71
24.	तमिलनाडु	82420	57019	85.66
25.	त्रिपुरा	7038	16756	5.85

1	2	3	4	5
26.	उत्तराखंड	736	1414	5
27.	उत्तर प्रदेश	211261	257438	93.31
28.	पश्चिम बंगाल	43692	71666	42.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	135	0	4.53
30.	चंडीगढ़	431	5881	0
31.	दादरा और नगर हवेली	67	219	0.94
32.	दमन और दीव	68	0	0.04
33.	दिल्ली	1663	3725	0
34.	पांडिचेरी	8169	9539	6.27
	कुल	1351021	1571409	710.11

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान आबंटित/जारी केन्द्रीय अंश और व्यय का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10 अनन्तिम आबंटन*
		अनन्तिम आबंटन*	जारी राशि	सूचित व्यय	अनन्तिम आबंटन*	जारी राशि	सूचित व्यय	अनन्तिम आबंटन*	जारी राशि	सूचित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1938.99	2295.94	2295.94	2058.41	2058.41	2058.42	3115.78	4327.22	1773.79	3390.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	93.36	46.68	73.14	148.64	148.64	0.00	222.53	0.00	0.00	207.85
3.	असम	1234.44	368.27	94.78	1974.81	1974.81	1957.81	2956.48	2947.90	385.27	2956.05
4.	बिहार	1173.65	586.83	23.5	1225.54	1225.54	586.83	1855.09	1980.98	0.00	1790.24
5.	छत्तीसगढ़	698.46	698.46	305.34	741.48	741.48	492.38	1122.37	637.36	413.84	1075.14
6.	गोवा	18.79	0.00	4	73.29	0.00	1.12	110.94	0.00	0.00	90.56
7.	गुजरात	894.65	894.65	908.74	958.18	958.18	975.69	1450.38	1548.80	156.53	1501.44
8.	हरियाणा	171.67	571.67	683.8	361.47	553.03	800.20	547.14	1334.27	321.98	585.34
9.	हिमाचल प्रदेश	9.24	9.24	32.74	7.70	7.69	20.09	11.64	12.43	12.62	12.15
10.	जम्मू और कश्मीर	15.61	849.38	9.06	105.86	105.86	88.69	160.24	0.00	17.17	120.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	झारखंड	391.11	0.00	0.00	480.90	480.90	0.00	727.93	0.00	0.00	728.91
12.	कर्नाटक	1416.98	1416.98	945.41	2410.37	2410.37	2102.72	3648.54	4896.14	2319.30	3524.71
13.	केरल	639.22	639.22	639.22	629.74	629.74	263.17	953.22	1017.91	0.00	948.13
14.	मध्य प्रदेश	1888.35	2388.35	1848.27	3120.18	3120.18	3050.94	4722.97	5043.48	2847.07	4087.96
15.	महाराष्ट्र	3276.34	3776.34	2851.33	5944.50	5944.50	6885.97	8998.10	9808.72	7439.96	8075.96
16.	मणिपुर	342.32	0.00	106.095	297.28	297.28	116.97	445.06	445.71	65.11	461.88
17.	मेघालय	176.35	97.65	71.18	254.81	254.81	4.72	381.48	190.74	0.00	369.51
18.	मिजोरम	233.40	533.40	233.4	233.58	233.58	116.79	349.70	350.20	174.85	369.51
19.	नागालैंड	145.23	145.23	145.23	191.11	191.11	191.11	286.11	286.53	143.08	277.13
20.	उड़ीसा	808.97	808.97	460.97	1039.33	1099.33	730.39	1664.03	1776.95	931.06	1476.59
21.	पंजाब	136.63	135.71	54.9	159.24	159.24	23.25	241.04	120.52	39.53	358.93
22.	राजस्थान	852.93	852.93	568.21	1832.21	1832.21	563.62	2773.39	1574.91	456.94	2623.52
23.	सिक्किम	20.75	10.38	23.03	42.47	115.77	52.85	63.58	63.67	0.00	46.19
24.	तमिलनाडु	1591.51	1891.51	1891.51	2650.59	2650.59	1938.27	4012.17	4284.44	0.00	3817.38
25.	त्रिपुरा	264.15	127.08	131.8	297.28	297.28	264.38	445.06	248.84	0.00	461.88
26.	उत्तराखंड	187.91	93.96	232.38	350.61	350.61	51.01	530.71	566.72	0.00	488.70
27.	उत्तर प्रदेश	3566.49	4566.49	5045.32	4545.23	4545.23	3649.91	6880.05	8846.94	3881.97	6462.43
28.	पश्चिम बंगाल	1063.13	1063.13	807.59	1205.19	1205.19	894.10	1824.27	1948.07	1477.64	1940.44
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55.79	0.00	19.75	43.55	0.00	20.03	43.55	0.00	5.25	37.50
30.	चंडीगढ़	104.61	0.00	98.31	58.06	0.00	64.47	56.06	0.00	8.82	78.52
31.	दादरा और नगर हवेली	6.97	0.00	15.2	25.81	0.00	9.47	25.61	0.00	0.00	17.58
32.	दमन और दीव	11.62	0.00	0	22.58	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	16.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	दिल्ली	165.37	0.00	30.98	92.20	0.00	56.81	92.20	0.00	1.25	93.34
34.	पांडिचेरी	25.63	0.00	126.41	7.80	100.00	89.14	7.80	7.80	0.00	6.66
	कुल	23610.62	24868.45	20777.535	33650.00	33691.56	28121.32	50750.00	54067.25	22869.91	48500.00

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी गरीबी की स्थिति के अनुपात में किया गया अनन्तिम आबंटन

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थी

*2871. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं हेतु किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें देश की ग्रामीण महिलाओं की कवरेज का विशेष प्रावधान है। एनआरईजीए का मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एक मांग आधारित कार्यक्रम है किंतु इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार का एक-तिहाई अवसर महिलाओं को मिलने चाहिए। एसजीएसवाई एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है जिसकें अंतर्गत ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित किया जाता है, उनकी क्षमता निर्माण के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में सहायता मुहैया कराई जाती है। दिशा-निर्देशों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि कार्यक्रम के अंतर्गत, सहायता प्राप्त 40% स्वरोजगारी महिलाएं हों। आईएवाई के ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अंतर्गत, मकानों का आबंटन ग्रामीण बीपीएल परिवार के महिला सदस्य के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है।

(ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है,

(ग) जी, नहीं। इस समय मंत्रालय के पास ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए)

क्र. सं.	राज्य/संख्या राज्य क्षेत्र	महिलाओं को मिले रोजगार के श्रमदिवस (लाख में)			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	371.93	1160.86	1590.78	364.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.36	0.83	6.87	0.12
3.	असम	181.43	150.43	204.02	44.08
4.	बिहार	103.72	233.3	297.75	42.82
5.	छत्तीसगढ़	275.29	553.42	589.69	83.16
6.	गुजरात	50.44	41.92	91.24	22.92
7.	हरियाणा	7.38	12.31	21.18	2.31
8.	हिमाचल प्रदेश	3.66	29.36	80.09	8.93
9.	जम्मू और कश्मीर	1.44	0.3	4.54	0.24

1	2	3	4	5	6
10.	झारखंड	205.46	203.12	213.81	29.39
11.	कर्नाटक	112.24	99.42	145.03	27.59
12.	केरल	13.44	43.37	130.7	12.5
13.	मध्य प्रदेश	852.53	1147.24	1275.39	244.47
14.	महाराष्ट्र	59.05	73.93	194.06	44.81
15.	मणिपुर	9.45	15.85	131.16	2.75
16.	मेघालय	7.59	12.76	35.69	2.61
17.	मिजोरम	2.62	10.6	46.03	4.85
18.	नागालैंड	3.92	7.08	74.4	6.6
19.	उड़ीसा	284.58	147.48	149.45	19.41
20.	पंजाब	5.88	3.12	9.82	0.71
21.	राजस्थान	670.68	1158.01	3241.04	694.86
22.	सिक्किम	0.6	3.16	9.92	0.93
23.	तमिलनाडु	148.27	529.14	958.87	259.33
24.	त्रिपुरा	37.6	80.59	179.11	13.08
25.	उत्तर प्रदेश	136.21	198.03	410.91	46.82
26.	उत्तरांचल	12.37	34.36	38.46	3.05
27.	पश्चिम बंगाल	80.46	164.63	208.66	52.67
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			0.39	0.15
29.	दादरा और नगर हवेली			0.38	0.18
30.	दमन और दीव			0	0
31.	गोवा			0	0
32.	लक्षद्वीप			0.74	0.09
33.	पांडिचेरी			1.1	0
34.	चंडीगढ़			0	0
	कुल	3639.6	6114.62	10341.32	2036.14

*मई 2009 तक

विवरण-II

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक और 2009-10 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संख्या राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई 2009 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	621600	207466	188626	11704
2.	अरुणाचल प्रदेश	897	816	435	0
3.	असम	49549	66078	84393	6423
4.	बिहार	43988	47228	71833	6606
5.	छत्तीसगढ़	16091	22268	25403	735
6.	गोवा	453	569	618	60
7.	गुजरात	10912	13593	19549	3017
8.	हरियाणा	10376	14104	15419	648
9.	हिमाचल प्रदेश	3917	4926	7661	174
10.	जम्मू और कश्मीर	3477	2761	3727	81
11.	झारखंड	45452	35711	57230	3075
12.	कर्नाटक	40094	80883	84663	4906

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	17357	29375	31985	2143
14.	मध्य प्रदेश	28818	35876	50664	1432
15.	महाराष्ट्र	70356	100712	122611	6399
16.	मणिपुर	2783	2663	2438	132
17.	मेघालय	1738	1888	957	567
18.	मिजोरम	6558	3808	6810	6080
19.	नागालैंड	2143	978	1848	0
20.	उड़ीसा	63126	77972	95643	9745
21.	पंजाब	6319	10214	7943	1436
22.	राजस्थान	22582	24187	37970	798
23.	सिक्किम	907	1111	1123	0
24.	तमिलनाडु	50838	146206	102128	13251
25.	त्रिपुरा	5728	8299	14034	707
26.	उत्तर प्रदेश	88959	107056	117137	6787
27.	उत्तरांचल	6981	7035	9385	153
28.	पश्चिम बंगाल	23741	28864	42880	3105
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	85	106	141	41
30.	दमन और दीव				
31.	दादरा और नगर हवेली	8		2	0
32.	लक्षद्वीप	6	65		
33.	पांडिचेरी	1293	1087	1257	0
	कुल	1247132	1083905	1206513	90205

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आईएवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संख्या राज्य क्षेत्र	2006-07*	2007-08*	2008-09**	2009-10** (जून 2009 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	113919	161191	201308	366051
2.	अरुणाचल प्रदेश	981	1515	1618	287
3.	असम	45605	102337	93898	60096
4.	बिहार	116258	330941	422343	215664
5.	छत्तीसगढ़	5586	9054	9223	3920
6.	गोवा	454	364	858	630
7.	गुजरात	27327	21259	36894	42673
8.	हरियाणा	6369	9325	8812	2989
9.	हिमाचल प्रदेश	1120	1623	2540	2082
10.	जम्मू और कश्मीर	4719	7938	4303	422
11.	झारखंड	43191	46191	50261	10550
12.	कर्नाटक	56973	39764	122685	85515
13.	केरल	20198	22813	56776	4323
14.	मध्य प्रदेश	23746	21929	31842	9615
15.	महाराष्ट्र	14948	19771	29878	11182
16.	मणिपुर	2206	2023	1003	0
17.	मेघालय	4078	2269	5601	616

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	1471	867	3105	118
19.	नागालैंड	286	89	334	44
20.	उड़ीसा	74181	115764	21063	1049
21.	पंजाब	5809	11332	10308	3058
22.	राजस्थान	26923	38665	55632	36071
23.	सिक्किम	751	329	1391	506
24.	तमिलनाडु	11999	53836	117434	119152
25.	त्रिपुरा	1909	136	4982	2262
26.	उत्तर प्रदेश	128727	206855	224225	67583
27.	उत्तरांचल	6903	10750	9290	1159
28.	पश्चिम बंगाल	80592	62132	188638	37896
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	62	142	0
30.	दादरा और नगर हवेली	12	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	8	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	95	9
33.	पांडिचेरी	152	38	60	0
	कुल	827399	1301170	1716542	1085522

*2006-07 और 2007-08 की जानकारी में बनाए गए कुल मकानों में से महिलाओं के नाम पर आबंटित किए गए मकान शामिल हैं।

**2008-09 और 2009-10 की जानकारी में आईएवाई के अंतर्गत स्वीकृत कुल मकानों में से महिलाओं के लिए मंजूर किए गए मकान शामिल हैं।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे सरकारी होटल

2872. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे होटल घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा होटल-वार तथा राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन घाटे में चल रहे होटलों को लाभकारी बनाने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन घाटे में चल रहे होटलों का विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी होटल-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय के अधीन, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के स्वामित्व वाले आठ होटलों में से निम्नलिखित होटल वर्ष 2008-09 के लिए अनंतिम वित्तीय परिणामों के अनुसार घाटे में चल रहे हैं:—

क्र. सं.	होटल का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1.	होटल जनपथ	नई दिल्ली
2.	होटल जयपुर, अशोक, जयपुर	राजस्थान
3.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
4.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	बिहार
6.	ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	कर्नाटक

इसके अतिरिक्त, आईटीडीसी, राजस्थान में होटल भरतपुर अशोक का प्रबंधन भी करती है, जिसका स्वामित्व पर्यटन मंत्रालय के पास है। यह होटल भी घाटे में चल रहा है।

वैश्विक मंदी, होटल उद्योग में सामान्य मंदी और पर्यटक आगमन में कमी, घाटे के मुख्य कारण हैं।

(ग) से (च) विनिवेश के लिए पूर्व में निर्धारित किए गए

आईटीडीसी के होटलों के स्वामित्व को बनाए रखने हेतु, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में आईटीडीसी के होटलों में आवश्यक नवीकरण/ पुनरुद्धार किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण हेतु सहायता

2873. श्री प्रदीप माझी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार देश में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा क्षमता हेतु सहायता मुहैया कराती है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ निधियां आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो समय से निधियों का उपयोग नहीं कर सके हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत, राज्य सरकारों से राज्य नामित एजेंसियों (एसडीएएस) को अधिसूचित करना अपेक्षित है। ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (बीईई) संबंधित राज्यों में ऊर्जा संरक्षण कार्यान्वयन और कार्यदक्षता उपायों को कार्यान्वित करने के लिए एसडीएएस को सहायता देने हेतु उनको सुदृढ़ कर रहा है। ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ में इस योजना को शुरू किया गया था। अतः वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान बीईई द्वारा जारी की गई निधियों तथा एसडीएएस के द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। वर्ष 2009-10 में कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) एसडीएएस के द्वारा तैयार की गई वृहद् पंचवर्षीय कार्य योजना के आधार पर, ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (बीईई) ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीएस) के साथ तकनीकी सहायता से 31 अभिज्ञात एसडीएएस में से 29 एसडीएएस के लिए कार्य योजना तैयार की है। मई, 2009 में सिक्किम के एसडीए को अधिसूचित किया गया था। इनके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए भी वृहद् कार्य योजना बनाई गई थी।

(ङ) एसडीएएस की गतिविधियों में तेजी लाने तथा निधियों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए बनाने के लिए राज्यों में नियमित बैठकों सहित एसडीए कार्यक्रम तथा अनुवर्ती उपायों की गहनता से निगरानी की जाती है। जब तक जारी की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता तब तक राज्यों को अगली किस्त जारी नहीं की जाती है।

विवरण

राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों को ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी निधियों और उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी का नाम	2007-08		2008-09	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट	49.00	34.70	92.75	32.05
2.	पंजाब, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	33.60	33.60	131.125	34.00

1	2	3	4	5	6
3.	वैद्युत निरीक्षक का कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सरकार	—	—	67.02	0.00
4.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.	30.26	0.00	61.25	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	18.20	7.24	85.45	0.00
6.	राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी कारपोरेशन लि.	26.43	21.15	81.60	17.59
7.	एनर्जी एफीसिएंशी एंड रिन्यूबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर दिल्ली	—	—	5.25	0.00
8.	उत्तराखंड रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	32.76	29.50	125.20	33.20
9.	एनर्जी मेंनेजमेंट सेंटर, केरल	49.60	49.60	129.90	42.00
10.	नॉन-कंवेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन आंध्र प्रदेश लि.	34.55	34.55	76.24	44.74
11.	तमिलनाडु सरकार, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट	47.50	41.78	103.23	7.00
12.	कर्नाटक रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	28.35	21.15	138.43	13.00
13.	रिन्यूबल एनर्जी एजेंसी पुड्डुचेरी	14.00	1.83	6.30	3.00
14.	वैद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	88.62	0.00
15.	गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	32.52	0.71	229.00	0.00
16.	महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	48.50	18.00	46.55	0.00
17.	छत्तीसगढ़ रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	33.64	25.04	73.34	24.90
18.	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि.	32.20	18.03	98.30	1.10
19.	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	46.50	30.80	101.85	16.00
20.	बिहार एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	32.55	0.83	10.50	0.00
21.	वैद्युत निरीक्षक का कार्यालय, उड़ीसा सरकार	—	—	74.80	0.00
22.	वैद्युत निरीक्षक का कार्यालय, झारखंड सरकार	4.10	0.39	247.10	0.00
23.	वैद्युत निरीक्षक का कार्यालय, नागालैंड सरकार	18.06	18.06	70.00	51.50
24.	अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	14.05	14.05	189.80	52.05
25.	वैद्युत निरीक्षण एवं सह-सलाहकार के कार्यालय, असम सरकार	26.40	22.63	33.25	18.00

1	2	3	4	5	6
26.	पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार	5.80	5.80	58.92	40.00
27.	वैद्युत विभाग, मणिपुर सरकार	4.20	4.20	—	—
28.	वैद्युत निरीक्षक का कार्यालय, मेघालय सरकार	18.73	15.25	22.17	2.00

[हिन्दी]

नेशनल ग्रिड से बिजली

2874. श्री जगदानंद सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेशनल पावर ग्रिड स्थापित करने का प्रयोजन क्या है;

(ख) क्या नार्दर्न ग्रिड से उन राज्यों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है जिनके पास बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन संसाधन उपलब्ध है तथा बिहार सहित उन राज्यों में इस ग्रिड से बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है जो बिजली की कमी वाले राज्य हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने हेतु बिहार सहित देश के बिजली की कमी वाले राज्यों के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) देश में राष्ट्रीय ग्रिड पर्याप्त अन्तर-राज्यीय/अन्तरक्षेत्रीय पारेषण प्रणाली उपलब्ध कराकर अपनी ईष्टतम क्षमता तक देश में असमान वितरित विद्युत, उत्पादन संसाधनों के दोहन को सुगम बनाएगा।

(ख) और (ग) क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता के 85% विद्युत के आवंटन हेतु केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू किए जाने के समय दृढ़ आधार पर क्षेत्र के राज्यों को आवंटित किया जाता है जिसमें कि गत पांच वर्षों के दौरान राज्य में केन्द्रीय योजना सहायता (सीपीए) तथा विद्युत के उपभोग को ध्यान में रखा जाता है।

अधिष्ठापित क्षमता का शेष 15% अनावंटित कोटे के रूप में रखा जाता है। इस अनावंटित कोटे से आवंटन समय-समय पर क्षेत्र में अलग-अलग राज्यों की अनिवार्य/मौसम विद्युत आवश्यकता के साथ-साथ संबंधित विद्युत कमियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनावंटित विद्युत केवल उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को ही आवंटित की जाती है। वर्तमान में, बिहार को 1360 मेगावाट के दृढ़ आवंटन तथा 163 मेगावाट की अनावंटित विद्युत सहित केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से 1523 मेगावाट (एमडब्ल्यू) का आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) बिहार सहित देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

(i) परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 78,700 मेगावाट का अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 11वीं योजना के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें से, दिनांक 13.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार 15,325 मेगावाट की क्षमता चालू की जा चुकी है। और 65,285 मेगावाट निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

(ii) प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा वृहत विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(iii) ग्रिड में अतिरिक्त कैप्टिव विद्युत को प्रयोग में लाना — 12000 मेगावाट की कैप्टिव विद्युत की क्षमता 11वीं योजना के दौरान प्रणाली में जोड़े जाने की संभावना है।

(iv) 14000 मेगावाट ग्रिड प्रभावी नवीकरणीय विद्युत क्षमता

का लक्ष्य 11वीं योजना हेतु निर्धारित किया गया है। जिसके विपरीत योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान लगभग 4230 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है।

(v) देश में जल विद्युत के त्वरित विकास हेतु 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल का आरम्भ।

(vi) पुराने और निष्प्रभावी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(vii) देश में इलैक्ट्रिक विद्युत के लिए उपकरण की उत्पादन क्षमता की वृद्धि।

(viii) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ix) कोयले की सम्भावित मांग तथा घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान

2875. श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री जगदम्बिका पाल :
डॉ. भोला सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान हेतु अविश्वसनीय मानदंडों की वजह से बिहार सहित कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आंकड़ों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना में साफ तौर पर विरोधाभास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय अपनाए गए हैं अथवा अपनाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) जनगणना करवाई जाती है। योजना आयोग गरीबों के अनुपात तथा संख्या के अनुमान के संबंध में विशेषज्ञ समिति (लक्कड़वाला समिति) की रिपोर्ट में दी गई प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा करवाए गए व्यापक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी के मामलों का अनुमान लगाता है।

राज्य सरकारों द्वारा बीपीएल जनगणना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की पहचान तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान अलग उद्देश्यों के लिए की गई दो अलग कार्रवाइयां हैं। चूंकि ये दोनों अलग पद्धति पर आधारित हैं इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती।

एसजीएसवाई के अंतर्गत स्व-सहायता समूह

2876. श्री अधीर चौधरी :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत इन स्व-सहायता समूहों द्वारा अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) 2006-07 से 2008-09 तथा चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या, सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या, वितरित कुल ऋण, वितरित कुल सब्सिडी तथा स्व-सहायता समूहों के लिए कुल वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2006-07 से 2009-10 (मई, 09) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07					2007-08				
		गठित स्व-सहायता समूहों की सं.	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की सं.	वितरित कुल ऋण	वितरित कुल सब्सिडी	स्व-सहायता समूहों के लिए कुल वित्तीय सहायता	गठित स्व-सहायता समूहों की सं.	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की सं.	वितरित कुल ऋण	वितरित कुल सब्सिडी	स्व-सहायता समूहों के लिए कुल वित्तीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	19921	638843	47173.34	7133.47	54306.81	71926	263615	27763.26	5337.21	33100.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	110	1878	173.92	141.27	315.19	65	1599	127.55	412.87	540.42
3.	असम	15511	67587	8852.49	5115.20	13967.69	14333	100261	13207.21	8074.07	21281.28
4.	बिहार	17977	109350	17823.58	10746.14	28569.72	14005	100159	15084.45	9681.32	24765.77
5.	छत्तीसगढ़	2819	33669	7149.58	3726.05	10875.62	3934	44914	10028.49	4883.66	14912.15
6.	गोवा	145	711	103.33	41.99	145.32	103	735	121.98	38.09	160.07
7.	गुजरात	4051	27237	4863.48	2117.93	6981.41	4901	45189	6326.54	3061.59	9388.13
8.	हरियाणा	2120	14158	3829.74	1350.22	5179.96	2261	19891	5399.06	2042.62	7441.68
9.	हिमाचल प्रदेश	497	5905	1625.66	427.91	2053.57	965	7764	2166.05	503.73	2669.78
10.	जम्मू और कश्मीर	518	8219	2247.03	582.86	2829.89	918	6818	2435.36	616.40	3051.76
11.	झारखंड	8881	69077	6613.37	4425.87	11039.24	14668	77168	8858.61	5442.61	14301.22
12.	कर्नाटक	7271	46407	8499.59	3921.08	12420.67	7226	95409	15447.10	6704.19	22151.29
13.	केरल	6549	22401	3929.92	1985.79	5915.71	1789	39683	6536.41	2851.32	9387.73
14.	मध्य प्रदेश	21600	59781	14973.87	6408.53	21382.40	23141	73091	26557.71	15322.03	41879.74
15.	महाराष्ट्र	20765	84707	14442.78	8109.20	22551.98	29678	119344	21599.63	11285.02	32884.65
16.	मणिपुर	767	3560	289.25	293.98	583.23	627	3144	155.70	141.90	297.60
17.	मेघालय	1660	3328	165.39	173.30	338.69	1428	3419	186.96	237.90	424.86
18.	मिजोरम	146	11856	66.85	73.51	140.36	229	5830	87.93	122.07	210.00

2006-07					2009-10 (मई, 09)				
गठित स्व-सहायता समूहों की सं.	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की सं.	वितरित कुल ऋण	वितरित कुल सब्सिडी	स्व-सहायता समूहों के लिए कुल वित्तीय सहायता	गठित स्व-सहायता समूहों की सं.	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की सं.	वितरित कुल ऋण	वितरित कुल सब्सिडी	स्व-सहायता समूहों के लिए कुल वित्तीय सहायता
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
142356	188837	29836.79	7274.42	37111.21	4071.00	11886	1656.23	232.92	1889.15
56	774	93.01	85.03	178.04	8.00	106	10.35	10.35	20.70
20481	142728	23609.78	16289.13	39898.90	595.00	13058	732.02	587.41	1319.43
20344	127226	25592.21	19549.50	45141.71	3524.00	7102	1722.10	1232.43	2954.52
4945	46542	11278.10	5065.82	16343.93	132.00	2120	528.90	272.52	801.42
81	592	149.41	43.39	192.80	4.00	34	15.66	4.12	19.78
4824	41728	7338.78	3584.86	10923.64	512.00	3779	224.69	140.84	365.53
4506	20639	5908.58	1986.57	7895.16	349.00	836	200.17	97.68	297.85
1399	11863	3601.08	904.23	4505.31	205.00	318	100.16	23.83	123.99
433	6990	2296.00	564.88	2860.88	44.00	119	19.35	4.88	24.23
6894	83103	10275.30	6558.00	16833.30	1131.00	2076	60.68	248.37	309.05
7301	99950	23319.88	12018.48	35338.36	819.00	5951	272.83	87.88	360.71
1808	43784	8259.44	3310.63	11570.07	115.00	2792	44.28	19.21	63.49
46234	99200	27136.30	14250.74	41387.04	1095.00	11413	1173.24	631.93	1805.16
30975	154647	26368.24	13260.20	39628.44	3297.00	9188	1302.47	660.76	1963.23
476	3640	209.50	240.50	450.00	0.00	148	0.00	0.00	0.00
527	2195	146.52	144.36	290.88	118.00	1125	23.21	175.58	198.79
236	8748	179.85	176.55	356.40	15.00	7381	10.20	12.60	22.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	नागालैंड	334	3273	74.40	153.53	227.93	383	2259	32.97	76.13	109.10
20.	उड़ीसा	16032	68687	14006.77	6219.98	20226.75	16403	87171	17738.54	7856.81	25595.35
21.	पंजाब	509	10532	2485.71	986.13	3471.84	757	15402	3156.56	1175.91	4332.47
22.	राजस्थान	5076	38445	12560.49	3489.12	16049.61	7952	50351	13605.95	3881.65	17487.60
23.	सिक्किम	444	1397	165.15	131.63	296.78	379	1718	203.35	163.51	366.86
24.	तमिलनाडु	37475	53509	8911.07	3442.24	12353.31	19061	152907	14510.03	5827.21	20337.24
25.	त्रिपुरा	1396	9551	1555.54	729.45	2284.99	2410	13672	1473.83	1341.69	2815.51
26.	उत्तर प्रदेश	16884	257577	41121.15	21743.27	62864.42	29351	292105	55552.52	27642.31	83194.83
27.	उत्तरांचल	66	10564	2005.84	1042.99	3048.83	27	13482	3140.45	1362.58	4503.03
28.	पश्चिम बंगाल	36590	28251	3161.11	2254.15	5415.26	37423	60736	4310.56	2736.04	7046.60
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28	108	0.00	6.10	6.10	68	195	0.00	5.38	5.38
30.	दमन और दीव		0	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली		23	4.34	1.99	6.33		0	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	4	42	8.90	4.45	13.35	8	177	41.47	15.80	57.27
33.	पांडिचेरी	163	1293	237.791	125.77	363.56	269	1087	174.57	66.73	241.30
	कुल	246309	1691926	229121.43	97105.10	326226.52	306688	1699295	276030.80	128910.34	404941.14

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

2877. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम और इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनियों के ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में जून, 2009 तक के दौरान दामोदर घाटी निगम और इसके प्रत्येक ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा किए गए विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक ताप विद्युत स्टेशन द्वारा कोयले के परिवहन एवं खरीद तथा राख के निपटान के लिए व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु दामोदर घाटी निगम द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) थर्मल विद्युत स्टेशनों

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
282	3205	88.74	153.63	242.37	0.00	0	0.00	0.00	0.00
11875	126206	20992.06	9539.59	30531.65	404.00	10059	4.43	1.07	5.50
754	13109	2695.71	1049.98	3745.69	33.00	2305	316.24	144.27	460.50
165641	58495	13937.77	4033.19	17970.96	11336.00	3800	271.41	70.65	342.06
287	1689	243.75	159.46	403.21	0.00	0	0.00	0.00	0.00
15373	113097	13534.36	5081.84	18616.19	600.00	16521	46.45	15.70	62.15
4942	23847	3518.25	1478.82	4997.07	51.00	945	154.32	39.10	193.42
36219	319568	81559.66	41637.38	123197.04	2120.00	18257	4003.37	8397.30	12400.67
1320	18044	4428.09	1728.45	6156.54	231.00	282	89.99	58.59	148.58
32746	99905	6192.86	3959.82	10152.68	2257.00	3617	540.85	333.20	874.05
39	243	8.25	7.73	15.98	12.00	72	0.00	1.80	1.80
	0	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
0	24	4.20	2.04	6.24	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
176	1257	204.52	88.12	292.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00
563530	1861875	353006.96	174227.32	527234.28	33078	135290	13523.58	13504.96	27028.54

के उत्पादन निष्पादन की समीक्षा संयंत्र स्तर पर मासिक ओआरटी बैठकों, मुख्यालय स्तर पर मासिक ओ व एम समीक्षा बैठकों तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा जून, 2009 तक वर्तमान वर्ष के दौरान डीवीसी द्वारा विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) कोयले के परिवहन एवं प्राप्ति तथा उक्त अवधि के दौरान गांव के निपटारे पर डीवीसी के थर्मल विद्युत स्टेशन द्वारा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) डीवीसी ने अगस्त, 2005 में चन्द्रपुरा, बोकारों, "बी" के यूनिटों के संबंध में दक्षता में सुधार तथा अन्य प्रचालन पैरामीटरों के साथ उत्पादन की विश्वसनीयता को सुधारने तथा सतत आधार पर संशोधित पीएलएफ हेतु एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से "पार्टनरशिप-इन-एक्सीलेन्स/कार्यक्रम की शुरूआत की है। मुख्य रिफरबिशमेंट/घटक प्रतिस्थापना की आवश्यकता की परिकल्पना वाली व्यापक सुधार योजना एनटीपीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई थी। तद्नुसार, लघु अवधि, मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि कार्य योजना बनाई गई थी। लघु एवं मध्याविध कार्य योजना 2006-07 से 2008-09 के दौरान पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

विवरण-I

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र का नाम	उत्पादन (मि.यू.)			
		2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल, 09 से जून, 09
1.	बोकारो 'बी' टीपीएस	3304.38	3930.57	3451.68	741.00
2.	चन्द्रपुरा टीपीएस	2144.86	2387.89	2502.735	625
3.	दुर्गापुर टीपीएस	2063.073	1662.254	1921.631	560
4.	मेजिया टीपीएस	6266.13	6829.27	7444.488	1699

विवरण-II

क्र. सं.	उपभोक्ता नाम (श्रेणीवार)	निश्चित उपभोक्ताओं को आपूर्ति (मि.यू.)			
		2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल, 09 से जून, 09
1.	कर्षण (भारतीय रेल)	533	545	574	145
2.	स्टील				
	(क) सेल	1279	1466	1468	309
	(ख) टिस्को	346	238	401	112
	(ग) अन्य स्टील	2619	3694	4030	1114
	कुल स्टील	4244	5398	5899	1535
3.	कोयला				
	(क) कोल इंडिया	1346	1408	1416	334
	(ख) अन्य कोयला	143	155	157	40
	कुल कोयला	1489	1563	1573	374
4.	निजी लाइसेंसी (डीपीएससी)	670	710	727	172
5.	जेएसईबी	2688	2970	3040	750
6.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	684	714	634	160
7.	विविध व अन्य	465	484	453	89
	कुल निश्चित बिक्री	10773	12384	12901	3225

विवरण-III

स्टेशन	अवधि	कोयले की लागत (करोड़ रुपये)	सड़क मार्ग द्वारा कोयला परिवहन की लागत (करोड़ रुपये)	रेल द्वारा कोयला परिवहन की लागत (करोड़ रुपये)	राख की परिवहन लागत (करोड़ रुपये में)
बोकारो	2006-07	365.19	9.06	16.96	18.35
	2007-08	439.84	11.36	23.78	21.20
	2008-09	436.88	8.16	20.38	21.64
	अप्रैल'09-जून'09	134.32	2.67	4.45	5.25
चन्द्रपुरा	2006-07	142.19	11.39	3.66	4.32
	2007-08	168.82	10.45	4.11	9.30
	2008-09	218.32	15.73	2.68	6.11
	अप्रैल'09-जून'09	77.86	5.26	0.36	3.05
मेजिया	2006-07	532.99	38.25	50.66	0.00
	2007-08	535.91	26.75	53.12	0.00
	2008-09	743.03	44.82	67.93	2.61
	अप्रैल'09-जून'09	199.62	6.57	8.53	5.10
दुर्गापुर	2006-07	223.41	—	17.17	7.57
	2007-08	177.82	—	13.39	0.29
	2008-09	219.28	—	26.69	7.94
	अप्रैल'09-जून'09	75.34	—	6.25	4.70

ठोस कचरे से विद्युत उत्पादन

2878. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ठोस कचरे से विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य-वार स्थापित/स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित उक्त विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्थानों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्टों (एमएसडब्ल्यू) से ऊर्जा पर पांच परियोजनाओं की संस्थापना संबंधी एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2.00 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की दर पर पूंजीगत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है जिसकी ऊपरी सीमा 10.00 करोड़ रु. प्रति परियोजना है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक मंत्रालय द्वारा बेंगलुरू, कर्नाटक के लिए 8 मेगावाट क्षमता की एमएसडब्ल्यू से विद्युत की केवल एक परियोजना मंजूर की गई है।

(घ) और (ङ) देश के 423 श्रेणी-I शहरों में नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादन के आकलनों के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अपशिष्ट से ऊर्जा हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान में वर्ष 2007 के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट से 2600 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की संभाव्यता बताई गई थी।

(च) वर्ष 2009-10 के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी कार्यक्रम हेतु 5.00 करोड़ रु. का वित्तीय आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डीजल पर उपकर से प्राप्त निधियां

2879. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यों को निधियां आबंटित करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन में एकरूपता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पीएमजीएसवाई के अंतर्गत डीजल पर उपकर लगाने से केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आबंटन किया गया हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यों को शेष धनराशि का कब तक आबंटन किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) केंद्रीय सड़क कोष से प्राप्त उपकर का हिस्सा राज्यों के बीच आबंटित किया जाता है जिसमें, 75% वेटेज आवश्यकता को (देश की सड़क संपर्क से न जुड़ी कुल बसावटों का हिस्सा) और कवरेज को 25% (देश की सड़क संपर्क से जुड़ी कुल बसावटों का हिस्सा) वेटेज दिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में बताये अनुसार आवश्यकता को 75% तथा कवरेज को 25% वेटेज देकर राज्यों के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए आबंटन, संसद द्वारा बजट अनुमोदित किए जाने के बाद किया जाएगा।

(च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त कोई राशि अनाबंटित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का आवंटन

क्र. सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	105.00	105.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	57.00	57.00
3.	असम	176.00	181.00	181.00
4.	बिहार	332.00	337.00	337.00
5.	छत्तीसगढ़	235.00	240.00	240.00

1	2	3	4	5
6.	गोवा	5.00	5.00	5.00
7.	गुजरात	60.00	65.00	65.00
8.	हरियाणा	25.00	30.00	30.00
9.	हिमाचल प्रदेश	82.00	87.00	87.00
10.	जम्मू और कश्मीर	60.00	65.00	65.00
11.	झारखंड	170.00	175.00	175.00
12.	कर्नाटक	105.00	110.00	110.00
13.	केरल	25.00	30.00	30.00
14.	मध्य प्रदेश	435.00	440.00	440.00
15.	महाराष्ट्र	140.00	145.00	145.00
16.	मणिपुर	28.00	33.00	33.00
17.	मेघालय	40.00	45.00	45.00
18.	मिजोरम	27.00	32.00	32.00
19.	नागालैंड	25.00	30.00	30.00
20.	उड़ीसा	268.00	273.00	273.00
21.	पंजाब	30.00	35.00	35.00
22.	राजस्थान	229.00	234.00	234.00
23.	सिक्किम	25.00	30.00	30.00
24.	तमिलनाडु	85.00	90.00	90.00
25.	त्रिपुरा	35.00	40.00	40.00
26.	उत्तर प्रदेश	370.00	375.00	375.00
27.	उत्तराखंड	95.00	100.00	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	221.00	226.00	226.00
	कुल	3480.00	3615.00	3615.00

[अनुवाद]

आयकर प्रतिदाय के मामले

2880. श्री निशिकांत दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान और अब तक आयकर (आईटी) प्रतिदाय में हुए विलंब के कारण कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिदाय कब तक जारी किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) चूंकि, प्रतिदाय निर्धारितियों द्वारा दायर की गई विवरणियों के संसाधन/कर निर्धारण से व्युत्पन्न होता है, इसलिए आयकर प्रतिदाय में विलम्ब के कारण दी न गई प्रतिदाय की राशि का निर्धारण संसाधन-पूर्व स्तर पर नहीं किया जा सकता।

(ख) कर्मचारियों की कमी के अतिरिक्त साफ्टवेयर की समस्याओं जैसे तकनीकी कारणों और निर्धारितियों द्वारा दिए गए बैंक खातों/पतों/पैन संबंधी विवरणों में विसंगतियों के कारण भी प्रक्रिया में विलम्ब होता है। वर्ष 2008 में मुख्य रूप से संरचना की दो-टियर प्रणाली को संरचना की तीन-टियर प्रणाली में बदलने के कारण भी विलम्ब हुआ। इस कारण विवरणियों के संसाधन की प्रक्रिया धीमी हो गई, जिसमें अब प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और धीरे-धीरे विवरणियों को केन्द्रित रूप से संसाधित करने की प्रक्रिया को अपनाने के माध्यम से सुधार हो रहा है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान दायर की गई विवरणियों के संसाधन के लिए सांविधिक समय-सीमा क्रमशः 31 मार्च, 2010 और 31 मार्च 2011 है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

2881. श्री जयप्रकाश अग्रवाल :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अर्जुन मुंडा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण परिवारों की एक छोटी प्रतिशतता को बिजली उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपने 100 दिवसीय चार्टर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का नवीकरण सम्मिलित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के कुल 138,271,559 ग्रामीण घरों में से 60,180,685 ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 30.09.2009 तक के लिए गांव के विद्युतीकरण तथा गरीबी रेखा से नीचे के घरों को कनैक्शन दिए जाने का निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 7,000 तथा 20 लाख है।

(ङ) और (च) आरजीजीवीवाई योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के घरों का नि:शुल्क बिजली कनैक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के घरों को नि:शुल्क विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराने की प्रतिपूर्ति दर 2200/- रुपये प्रति घर होगी।

विवरण

ग्रामीण आवास विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण घरों की कुल संख्या	वे घर जिनमें बिजली है	विद्युतीकृत घरों का %	आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 16.7.2009 तक जारी कनैक्शन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12,676,218	7,561,733	59.65	2293015
2.	अरुणाचल प्रदेश	164,501	73,250	44.53	49
3.	असम	4,220,173	697,842	16.54	56483
4.	बिहार	12,660,007	649,503	5.13	623107
5.	झारखंड	3,802,412	379,987	9.99	364078
6.	गोवा	140,755	130,105	92.43	0
7.	गुजरात	5,885,961	4,244,758	72.12	219217
8.	हरियाणा	2,454,463	1,926,814	78.50	37571
9.	हिमाचल प्रदेश	1,097,520	1,036,969	94.48	456
10.	जम्मू और कश्मीर	1,161,357	868,341	74.77	10309
11.	कर्नाटक	6,675,173	4,816,913	72.16	747829

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	4,942,550	3,238,899	65.53	11625
13.	मध्य प्रदेश	8,124,795	5,063,424	62.32	123161
14.	छत्तीसगढ़	3,359,078	1,548,926	46.11	183454
15.	महाराष्ट्र	10,993,623	7,164,057	65.17	345036
16.	मणिपुर	296,354	155679	52.53	3356
17.	मेघालय	329,678	99762	30.26	3403
18.	मिजोरम	79,362	35028	44.14	0
19.	नागालैंड	265,334	150929	56.88	0
20.	उड़ीसा	6,782,879	1312744	19.35	237566
21.	पंजाब	2,775,462	2482925	89.46	7008
22.	राजस्थान	7,156,703	3,150,556	44.02	933814
23.	सिक्किम	91,723	68,808	75.02	0
24.	तमिलनाडु	8,274,790	5,890,371	71.18	49209
25.	त्रिपुरा	539,680	171,357	31.75	0
26.	उत्तर प्रदेश	20,590,074	4,084,288	19.84	769212
27.	उत्तराखंड	1,196,157	602,255	50.35	186438
28.	पश्चिम बंगाल	11,161,870	2,262,517	20.27	177994
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49,653	33,807	68.09	0
30.	चंडीगढ़	21,302	20,750	97.41	0
31.	दादरा और नगर हवेली	32,783	27,088	82.63	0
32.	दिल्ली	169,528	144,948	85.50	0
33.	दमन और दीव	22,091	21,529	97.46	0
34.	लक्षद्वीप	5,351	5,337	99.74	0
35.	पांडिचेरी	72,199	58,486	81.01	0
	कुल जोड़	138,271,559	60,180,685	43.52	7383390

पंचायती राज प्रणाली के प्रावधान

2882. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधियों को संसद और विधान सभाओं के सदस्यों की तरह भत्ते मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पंचायतों के अंतर्गत जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पंचायतें विभिन्न योजनाओं को तैयार एवं लागू कर रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (ग) स्थानीय निकाय के रूप में पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) एक राज्य विषय है। राज्यों को विधानों व नियमों को प्रारूपित करने के लिए अधिदेशित किया गया है जिसके तहत शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य सरकारें पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए भत्ते के बारे में निर्णय करती हैं। संघीय सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के भत्ते के ब्यौरे से संबंधित सूचनाओं का अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं।

(घ) और (ङ) पंचायती राज एक राज्य विषय है और जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल करने या नियुक्त करने के मामले राज्य सरकारों द्वारा देखे जाते हैं। इस मामले में संघीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

(च) और (छ) विभिन्न स्कीमों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में निर्णय मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को उनकी स्कीमों में भूमिका के निर्धारण के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ सघन रूप से व्यस्त रहा है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा आधारभूत स्तर से ऊपर की ओर तैयार की गई भागीदारीपूर्ण योजनाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, इसके बाद उन्हें जिला योजना समिति द्वारा जिला के प्रारूप विकास योजना में समेकित किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम की अभिकल्पना भी की है, जो राज्यों को पंचायतों को कार्यों, कोषों एवं कर्मियों के अंतरण के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर लक्षित है। स्कीमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस), मध्याह्न भोजन इत्यादि जैसे स्कीमों में प्रावधान किए गए हैं।

[अनुवाद]

आतिथ्य उद्योग

2883. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की बढ़ती मांग के मद्देनजर आतिथ्य उद्योग में विकास की आवश्यकता है; और

(ख) मूल्य निर्धारण, स्थानों, सेवाओं एवं उपभोक्ताओं की अन्य आवश्यकताओं के बारे में पर्यटकों की मांग को पूरा करने हेतु मौजूदा आतिथ्य उद्योग की क्षमता का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान क्रमश: 13.5%, 14.3% एवं 5.6% की वृद्धि हुई है। इन्हीं वर्षों के दौरान घरेलू पर्यटक यात्रा में 18%, 13.9% एवं 6.9% की वृद्धि हुई थी। भारत सरकार अपनी तरफ से विभिन्न सेवाओं हेतु प्रदान करने के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को समझती है और उसने 18-25 वर्षों के आयु वर्ग में कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह कार्यक्रम खान-पान सेवा एवं खाद्य उत्पादन में प्रशिक्षण करेगा, ताकि, प्रशिक्षणार्थी रोजगार के लायक बन सकें। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना, रसोईयों, वेटरों, चालकों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है।

कर अवकाश लाभ

2884. श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों के उन औद्योगिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिनको गत तीन वर्षों के दौरान उस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने हेतु कर अवकाश का लाभ मिला है;

(ख) क्या कर अवकाश में एकत्रित होने वाले लाभ का पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए पुनर्निवेश करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) किसी भी आंकड़े आधार की जानकारी जिस तरीके से मांगी गई है उस तरह से नहीं रखी जाती है। तथापि, आयकर अधिनियम की धाराओं 80 1ख/1ग के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले कुछ प्रमुख मामले विवरण-I के रूप में संलग्न है।

जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संबंध है, पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिन्हें पिछले तीन वर्ष में उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए मिलने वाले करावकाश का लाभ हुआ है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) आयकर अधिनियम की धाराओं 80 1ख/1ग के अंतर्गत करावकाश से मिलने वाले लाभों के अनिवार्य पुनर्निवेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अंतर्गत भी, सामान्यत: इकाइयों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे होने वाले लाभों की राशि को, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए पुन: निवेश करें। तथापि, दिनांक 21.01.04 की तत्कालीन अधिसूचना सं. 8/2004-सी.ई. के अनुसार एक उपबंध था कि छूट का लाभ उठाने वाली गुटका/जर्दा इकाईयों से यह अपेक्षित था कि वे छूट की राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र के निलंब लेखों में जमा करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर संरचनात्मक एवं सामाजिक परियोजनाओं में इसे निवेश करें। अत: अधिसूचना को दिनांक 1.3.2007 से वापिस ले लिया गया है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान कर में ली गई छूट की राशि तथा निवेश के उद्देश्य से निलंब खाते में जमा की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	निर्धारितियों का नाम
1.	मैसर्स बराक वैली सीमेंटस लि.
2.	मैसर्स बराक इंडस्ट्रीज़
3.	मैसर्स मेघालय स्टील लि.
4.	मैसर्स जी.एल. कोक प्रा.लि.
5.	मैसर्स बसंत कुमार मित्तल
6.	मैसर्स क्वालिटी कोक इंडस्ट्रीज़
7.	मैसर्स प्रोइड कोक प्रा.लि.
8.	मैसर्स प्रीमियर कोक प्रोडक्टस
9.	मैसर्स प्राइम कोक इंडस्ट्रीज़
10.	मैसर्स पोलीकोन इंडस्ट्रीज़ प्रा.लि.
11.	मैसर्स पोड्डार टायर एंड ट्रेड
12.	मैसर्स सन्हीजी इस्पात प्रा.लि.
13.	मैसर्स सावित्रि साल्ट प्रोडक्टस
14.	मैसर्स नैनो टेक. प्रा.लि.
15.	मैसर्स किश्लय फूड प्रोटक्टस प्रा.लि.
16.	मैसर्स नार्थ ईस्ट कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
17.	श्री हरीश चंडक
18.	टोर्शा मशीन लि.
19.	आई टेक. ग्लोबल
20.	आई टेक. इलैक्ट्रॉनिक्स
21.	मैसर्स एल.जी. कोक प्रा.लि.
22.	मैसर्स जम्बो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़
23.	मैसर्स जे.डी.बी. कोक

विवरण-II

करोड़ रुपये में

वर्ष	क्रम सं.	व्यापारिक प्रतिष्ठान	वापिस की गई राशि
1	2	3	4
2006-07	1.	कोठारी प्रोडक्टस लि. जोथाट	34.16
	2.	ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि. तिजीट नागालैंड	7.94
	3.	हिन्दुस्तान लीवर लि. यूनिट 1 डुमडुमा	70.50
	4.	हिन्दुस्तान लीवर लि. यूनिट 2 डुमडुमा	26.76
	5.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरिज प्रा.लि. जोरहाट	1.06
	6.	स्टार सीमेंट ग्रुप मेघालय	23.82
	7.	ग्रेस्टोन ग्रुप मेघालय	5.59
	8.	मेघालय सीमेंट लि.	5.59
	9.	मानस मेटल प्रा.लि.	8.86
	10.	फोर्बस एक्वमाल लि.	4.02
	11.	गोदरेज ग्रुप (समस्त यूनिट)	38.82
	12.	बाइरनिहाट इस्पात (प्रा.) लि. (यूनिट I, II और III)	4.29
	13.	कलरटेक (मेघालय प्रा.लि.)	2.66
	14.	माईथन स्मेलटर्स लि.	1.91
	15.	धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप	141.82
	16.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरिज प्रा.लि. बाइरनिहाट	2.10
		कुल	379.92
		इसके अतिरिक्त 4 तेल शोधक कंपनियों को छोड़कर 220 व्यक्तिगत इकाइयों ने पूर्वोत्तर छूट योजना के अंतर्गत 270.97 करोड़ रुपये तक की राशि का उत्पाद शुल्क वापस लिया।	
2007-08	17.	कोठारी प्रोडक्टस लि. जोथाट	1.38
	18.	ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि. तिजीट नागालैंड	4.80
	19.	हिन्दुस्तान लीवर लि. यूनिट 1 डुमडुमा	51.56
	20.	हिन्दुस्तान लीवर लि. यूनिट 2 डुमडुमा	24.70
	21.	हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरिज प्रा.लि. जोरहाट	0.40
	22.	स्टार सीमेंट ग्रुप मेघालय	37.96
	23.	ओजोन आयुर्वेदिक	11.21
	24.	मेघालय सीमेंट लि.	25.60
	25.	मानव मेटल प्रा.लि.	13.43
	26.	श्री शिव साई स्टील्स	4.80
	27.	गोदरेज ग्रुप (समस्त यूनिट)	32.60
	28.	एस सी जॉनसन (बामुदिमेदन)	12.20
	29.	श्याम सेंचुरी फरेस लि.	8.87
	30.	माईथन स्मेलटर्स लि.	6.35
	31.	धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप	6.98
		कुल	242.84
		इसके अतिरिक्त 4 तेल शोधक कंपनियों को छोड़कर 243 व्यक्तिगत इकाइयों ने पूर्वोत्तर छूट योजना के अंतर्गत 270.97 करोड़ रुपये तक की राशि का उत्पाद शुल्क वापस किया।	
2008-09	32.	कोठारी प्रोडक्टस लि. जोथाट	34.18
	33.	ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि. तिजीट नागालैंड	2.04

1	2	3	4
	34.	हिन्दुस्तान लीवर लि. यूनिट 1 डुमडुमा	43.88
	35.	हिन्दुस्तान लीवर लि. यूनिट 2 डुमडुमा	18.08
	36.	आईकॉन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, रानी	0.74
	37.	आईकॉन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बोरेगांव	1.37
	38.	ओजोन आयुर्वेदिक	5.07
	39.	मेघालय सीमेंट लि.	21.93
	40.	ज्योति लेब्रोटरीज लि. (मेक्सो)	1.99
	41.	ज्योति लेब्रोटरीज लि. यूनिट 2 मोल्डिंग	0.01
	42.	कामाख्या कोस्मेटिक्स	6.29
	43.	एससी जॉनसन (समस्त यूनिट)	8.93
	44.	ब्रह्मपुत्र कार्बन लि.	9.20
	45.	माईथन स्मेलटर्स लि.	4.39
	46.	श्याम सेंचुरी फेरस लि.	7.73
	47.	गेल इंडिया लि. शिवसागर	29.31
	48.	गोदरेज सारा ली लि. (गोदरेज हैल्थ केयर)	1.15
	49.	विनय सीमेंट ग्रुप	5.14
	50.	बराक वैली सीमेंट लि.	5.27
	51.	ग्रेस्टोन ग्रुप मेघालय	2.71
	52.	एच एम सीमेंट लि.	1.98
	53.	सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज	0.68
	54.	सत्यम इस्पात	2.54
	55.	स्टार पेपर एंड बोर्ड मिल	0.36
	56.	सत्यम इस्पात (एनई) लि.	5.69
	57.	इमामी लि. (ईपीआईपी)	11.97
	58.	गोदरेज ग्रुप (समस्त यूनिट)	19.26
	59.	गुवाहाटी कार्बन लि.	5.40
	60.	हर्बो फाउंडेशन प्रा.लि.	3.02
		कुल	260.31

इसके अतिरिक्त 4 तेल शोधक कंपनियों को छोड़कर 250 व्यक्तिगत इकाईयों ने पूर्वोत्तर छूट योजना के अंतर्गत 270.97 करोड़ रुपये तक की राशि का उत्पाद शुल्क वापस किया।

विवरण-III

क्र. सं.	इकाई का नाम	लिए गए कर छूट और वर्ष 2006-07 में निवेश के उद्देश्य से निलंब लेखे में जमा राशि
1.	कोठारी प्रोडक्टस लि., जोरहाट	3.30 (2007-08 के सहित)
2.	धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, गुवाहाटी	80.89
3.	धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, अगरतला	52.60
4.	धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, अगरतला	49.64
5.	धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, अगरतला	1.36

आवासीय विद्यालय

2885. श्री बलीराम जाधव :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार अब तक कितने आवासीय विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) देश में जनजातियों की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए चालू केन्द्रीय योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और एनजीओ-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के जनजातियों क्षेत्रों में और अधिक संख्या में आवासीय विद्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) मंत्रालय देश में जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक खोले गए आवासीय विद्यालयों की संख्या के आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) और (ग) मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों हेतु आवासीय विद्यालयों के संवर्धन हेतु निम्नांकित योजनाओं के तहत निधियां उपलब्ध कराता है:—

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता अनुदान की योजना।
2. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना।
3. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना, और
4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के भाग के रूप में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)।

इस मंत्रालय ने 10वीं योजना के अंत तक देश के विभिन्न भागों में अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 100 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को स्वीकृति दी है। 11वीं योजना के दौरान, कोई भी अतिरिक्त ईएमआरएस को स्वीकृति नहीं दी गई है। राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त (1), (2) तथा (3) पर उल्लिखित आवासीय विद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में किसी योजना के तहत महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पूर्ण प्रस्तावों तथा पिछले वर्ष में दिए गए अनुदानों की उपयोगिता की शर्त के आधार पर देश में जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी जाती है।

विवरण-I

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत अर्थात् वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान आवासीय विद्यालयों हेतु वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची
स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, आंध्र प्रदेश (जिला — वारांगल, अदिलाबाद, नेल्लौर, कडापा, मेहबूब नगर, रंगारेड्डी, मेडाक, निजामाबाद, करीमनगर	18-आवासीय विद्यालय	0	0	26840363

1	2	3	4	5	6
2.	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला – कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1451295	1455030	1320000
3.	ग्राम अभ्युदय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला – अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	3073835	0
4.	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027	आवासीय विद्यालय	852301	1009080	1311200
5.	रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्टिविटी, ग्राम एवं पोस्ट – मंथेनावानीपलेम, जिला – गुण्टूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1987776	519660	0
6.	सारदा एजुकेशनल सोसायटी वीनुकोंडा, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1932228	0	0
7.	सोसायटी फॉर असिस्टेंस एण्ड वोकेशनल एजूकेशन, मछलीपटनम, ज़िला – कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	416294	0
8.	सुनीता महिला मंडली येलेश्वरन, जिला – पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2808108	1077620	0
9.	स्वान एजूकेशन सोसायटी डोक्कालम्मा मंदिर के पास, आर.पी. रोड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	519660	0	0
10.	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163 प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	976851	0	788006
11.	नारायण शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास सोसायटी (श्री मंडलाप्पु नारायण शैक्षिक सोसायटी), परगी, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	975771	0	2277302
	कुल		11503990	7551519	32536871
अरुणाचल प्रदेश					
1.	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला – लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2173590	2173590	3643050
2.	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, बामडिला, जिला – वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1408680	1644210	0
3.	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट – तवंग, जिला – तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1443939	1127142	0
4.	आर.के. मिशन नरोत्तम नगर, वाया – देवमाली, जिला – तिराप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3457206	3457206	6349927

1	2	3	4	5	6
5.	रामकृष्ण शारदा मिशन खोनसा, जिला – तिराप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2752569	2782494	0
6.	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	2092656	2408670	3438990
	कुल		13328640	13593312	13431967
छत्तीसगढ़					
1.	सेवा भारती (मध्य प्रदेश), मातृच्छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने हैशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462001	आवासीय विद्यालय	485677	519660	0
	कुल		485677	519660	0
गुजरात					
1.	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम – धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला – झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	3298500	1246860	1769310
2.	श्री आदिवासी युवक सेवक संघ झालोद, जिला दाहोद, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1039320	0	Stopped
3.	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, बलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	989325	1039320	1028142
	कुल		5327145	2286180	2797452
हिमाचल प्रदेश					
1.	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मांडली, जिला – कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1569096	2272050	2035080
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चर सोसायटी, ताबो, जिला – लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1039320	2438280	0
3.	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति काम्पलेक्स रक्कर, तहसील धर्मशाला योल कैन्ट, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1914000	3871920	3795900
	कुल		4522416	8582250	5830980
जम्मू और कश्मीर					
1.	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कॉलोनी, जम्मू, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	2684260	2320112	0

1	2	3	4	5	6
2.	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ग्राम – गुलाबगढ़, पोस्ट – अठौली, जिला – डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	2638260	0	3352051
3.	लॅमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1108364	1112934
4.	महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1066705	0
	कुल		5322520	4495181	4464985
झारखंड					
1.	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम एवं पोस्ट – पाकुर, जिला – पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय	0	2360750	1779000
2.	भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, रिवर मीड रोड, जमशेदपुर, झारखंड	2-आवासीय विद्यालय	3117960	3117960	5010960
3.	भारत सेवाश्रम संघ पीओ-रानीश्वर, जिला – दुमका, झारखंड	2-आवासीय विद्यालय	0	2598300	0
4.	भारत सेवाश्रम संघ बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय	0	0	885000
	कुल		3117960	8077010	7674960
कर्नाटक					
1.	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट सोसायटी काजीपेट, गुडीबाण्डे, जिला – कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1025460	1028720	1605187
2.	डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी नालकुदारे गोमाल, तालुका – चन्नागिरी, जिला – देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2077830	1039200	1609404
3.	नायक स्टूडेंट फेडरेशन गोकाक, बेलगांव, कर्नाटक	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1011137	0	1016604
4.	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला – गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	970137	0	1604470
5.	श्री होयशाला विद्या संस्था ग्राम एवं पोस्ट – नीलगिरि, जिला – देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2397832	0	0
6.	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था 4206/9, देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1844593	2039669	0
7.	श्री संत कबीर एजूकेशन सोसायटी चिचोरी शिविर, गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1001320	0
8.	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चितास्वामी-तालुक, जिला – कालोर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1039320	1036261	1609470

1	2	3	4	5	6
9.	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला – मैसूर, कर्नाटक	2-आवासीय विद्यालय	2851932	2851932	4832347
10.	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1039320	1039320	1661936
	कुल		14257561	10036422	13939418
केरल					
1.	वनवासी कल्याण आश्रम ट्रस्ट ग्राम एवं पोस्ट – पेरिया, जिला – वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	3681099	1982475	0
	कुल		3681099	1982475	0
मध्य प्रदेश					
1.	आसदीप कल्याण समिति, 86, विनोबा वार्ड, सिहारो, जिला – जबलपुर, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1039320	519660	0
2.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055	आवासीय विद्यालय	0	1039320	0
3.	जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर, जिला हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	157500	0	865123
4.	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	940950	1201496	1642778
5.	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल्ला के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1039320	519660	519681
6.	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	192500	0	977418
	कुल		3369590	3280136	4005000
महाराष्ट्र					
1.	देवनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	508221	0
2.	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला – धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	519660	0	1616617
3.	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, दोइथान, ताल – अशति जिला – बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	956592	0

1	2	3	4	5	6
4.	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	0	2439754
5.	श्री कन्हैयालाल महाराज टन्नस्ट, सामोडे, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1035448	0	2564685
6.	श्री स्वामी स्वयं सेवा शवी संस्था, गनेशपुर, जिला धुले	आवासीय विद्यालय	1028493	0	2606526
7.	सिद्ध्कला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, जिला नासिक	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	993888	1027458	1777770
8.	सुषमा शिक्षण प्रसारक मंडल, बांद्रा, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
9.	तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल टन्नस्ट, नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	157500	0	Stopped
10.	साइ प्रसाद आदिवासी सेवा मंडल, पो. वार्शिद (वेस्ट), ताल-शाहपुर, जिला थाणे, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1431270	0
11.	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पाल्नर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	983745	1609470
12.	स्व. यशवंत बाली राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, ताल-एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	157500	0
	कुल		4364989	5064786	12614822
	मणिपुर				
1.	क्रिश्चियन ग्रॉमर स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर थिंगखाम, तामेंगलांग जिला, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2299860	0	0
2.	डा. अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सोसायटी न्यू लांबका, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1676709	0
3.	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट – थाऊ बाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2284335	2332356	3551262
4.	सियामसिनापाल्पी, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	6814147	4544658	0
5.	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1926000	0	2610450
6.	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस हीरोक, जिला – थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1965060	1039320	1545120
	कुल		15289402	9593043	7706832

1	2	3	4	5	6
मेघालय					
1.	सेवा भारती, शिलांग, मेघालय बेलबारी पश्चिम गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स, मेघालय	आवासीय विद्यालय	0	1039320	0
	कुल		0	1039320	0
मिजोरम					
1.	मिजोरम हिमेथाई एशोसिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	0	3304159
2.	थुंटक नूंटक नूनपुइतु टीम, जुंगटुई, आइजोल-796017, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	764400	0
	कुल		0	764400	3304159
नागालैंड					
1.	हिकाई एंड सन्स सोसायटी, सताखा टाउन, जिला जुनहेबोतो, नागालैंड	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
2.	हिल व्यू वेलफेयर सोसायटी, दीफुपुर, दीमापुर, नागालैंड	आवासीय विद्यालय	157500	1007820	0
	कुल		315000	1007820	0
दिल्ली					
1.	सेवा भारती झण्डेवाला, नई दिल्ली	आवासीय विद्यालय	467680	0	0
	कुल		467680	0	0
उड़ीसा					
1.	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट – कुचिण्डा, जिला – सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	792925	3102470	0
2.	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम – अश्वखोला, पोस्ट – कारामुल, जिला – ढेंकानॉल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1176705	1039320	1620270
3.	एशोसिएशन फॉर सोसियो – कल्चरल रिफॉर्म्स एण्ड इनवायरमेंट (आश्रित) ढेंकानॉल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3394027	1152252	1825470
4.	बनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, जिला – कंधमाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2017755	0

1	2	3	4	5	6
5.	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादी, जिला – कण्डूपारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2958944	1607700
6.	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टन्नेनिंग, पाटा, खुर्दा, उड़ीसा	2-आवासीय विद्यालय (प्राथमिक और माध्यमिक)	2275920	12874500	11509740
7.	निखिल उत्कल हरिजन सेवक संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2266883	1141920	2352822
8.	आर्गेनाइजेशन फार दि रूरल वूमेन एंड यूथ डेवलपमेंट पो. हरेकरशुनपुर, वाया – नलगंजा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	748740	0	0
9.	उड़ीसा हरिजन सेवक संघ भंजपुर, पोस्ट – बारीपाडा, जिला – मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2216432	1282920	0
10.	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2099138	1120788	0
11.	सोशल वीकर अवेयरनेस डेवलपमेंट एण्ड इकोनामिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला – कांधामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	441541	1615307	1579230
12.	विश्व जीवन सेवा संघ सरदारपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2032083	1039320	2020820
13.	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखंड (जिला सुंदरगढ़ और मयूरभंज)	आवासीय विद्यालय	1039320	0	2087900
14.	लक्ष्मी नारायण हरिजन एंड आदिवासी बैकवार्ड डेवलपमेंट सोसायटी, जयपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2078640	2587311
	कुल		18483714	31424136	27191263
	राजस्थान				
1.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	2038471	1028605	0
2.	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	2036646	2564280
	कुल		2038471	3065251	2564280
	सिक्किम				
1.	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ सिक्किम, चोगने, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	1078514	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	मुयाल लियांग टन्नस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2156108	2959851	2074320
	कुल		3234622	2959851	2074320
तमिलनाडु					
1.	साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एशोसिएशन, साइदापेट, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	0	2050787	0
	कुल		0	2050787	0
त्रिपुरा					
1.	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, बिशनुपुर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	157500	0	0
2.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	202500	0
	कुल		157500	202500	0
उत्तर प्रदेश					
1.	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1039320	1039320
2.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-55	आवासीय विद्यालय	0	3335004	0
	कुल		0	4374324	1039320
उत्तराखंड					
1.	अशोक आश्रम ग्राम एवं पोस्ट — अशोक आश्रम, वाया — डाक पत्थर, जिला — देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	3007571	1734097
2.	महिला ग्रामीण उत्थान समिति दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिदुक्कड़ी, जिला — पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	1039320	1039320
3.	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	599220	2192328
4.	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	714430	714430
	कुल		0	5360541	5680175

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल					
1.	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडांग), बेलडांग जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	2-आवासीय विद्यालय	0	2702232	4008768
2.	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1299150	1299150	2004384
3.	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव + पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	0	3900646
4.	भारत सेवाश्रम संघ (नादिया), वाया कुसुरिया, प्रो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	1039320	1670320
5.	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम — क्रांति, पोस्ट — क्रांति हाट, जिला — जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	4897917	1973340	3282930
6.	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र गोहालडिहा, जिला — मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	2921616	2459520
7.	खालिसगड़िहा सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, खालिसगड़िहा, जिला — मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	1024110	4196494
8.	आर.के. मिशन बायज होम, रहारा, जिला — नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	0	2100240	1600470
	कुल		10354347	13060008	23123532
	कुल जोड़		119622323	140370912	169980336

विवरण-II

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के मध्य शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2008-09 के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	संगठनों के नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेयफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम,	9850305	138097195	18918110

1	2	3	4	5
	खम्माम, वारंगल, आदिलाबाद, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुडाप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, निजामाबाद, करीमनगर तथा नलगोंडा जिले में 41 शैक्षिक पसिर)			
2.	चैतन्य एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, जिला—कडप्पा, आंध्र प्रदेश	0	2652000	699000
3.	नवोदय इंटीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एंड वॉलेंटरी एक्शन, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	0	2672000	0
4.	सरोजिनी देवी हरिजन महिला मंडली 10/11/635, बुरहानपुर, जिला—खम्माम, आंध्र प्रदेश	308469	0	867000
5.	सोशल इंटीग्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश	1900134	0	0
6.	वेनेला एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद	757192	0	0
	कुल	12816100	143421195	190984110
	अरुणाचल प्रदेश			
1.	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम	0	0	375000
	कुल	0	0	375000
	छत्तीसगढ़			
1.	विवेकानन्द इंस्टीच्युट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	1585800	1606000	3913218
	कुल	1585800	1606000	3913218
	गुजरात			
1.	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (जिला-बड़ोदरा, गांव खड़कवारा (फेरकुंआ), केदीघोघादेव, मलाजा (एकलबारा), छोड़वानी, मोगरा साइदीवासन, भीखापुर, मोवाड़ा, सलोज, धारसिमन, घुटियांबा, पिसायता), (जिला—दाहोद, गांव—मण्डोर, नीमच, नीनामानी—वाव, गरेड़िया, नानी खजूरी, फतहपुरा, उसरवन), (जिला—वल्साड़, गांव सुथरबाड़ा, कोरचंद), (जिला—पंचमहल, गांव—सालिया मुवाड़ी, नरुकोट, घोघंबा, खैरवा), (जिला—बनासकण्ठा, गांव—सरोत्रा), (जिला—नर्मदा, गांव—डेडियापाड़ा), (जिला—बनासकण्डा, गांव—वीरमपुर, जेठी, महूड़ी (गध), रनपुर (अम्बा) (जिला—साबरकण्ठा, गांव—खेतब्रह्मा) (जिला—तापी, गांव—बाबरघाट) (जिला—डांग, गांव—पीपलपड़िया) (जिला मुख्यालय—जूनागढ़, गांव—जूना नागवाड़ा) (जिला—अहमदाबाद, गांव—शाहपुर)	0	0	38708400

1	2	3	4	5
2.	लोक निकेतन, एटी-ककनपुर, बनासकंठा, गुजरात	2005733	0	1352200
3.	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, सनाली, ता-दांता, जिला बनासकांथा, गुजरात	1124685	0	508000
	कुल	3130418	0	40568600
	झारखंड			
1.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	300000	450000	0
2.	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंक कॉलोनी, रांची, झारखंड	0	0	375000
	कुल	300000	450000	375000
	कर्नाटक			
1.	कर्नाटक रेजीडेंशियल एजुकेशनल सोसायटी, कर्नाटक (गुरुगुंटा, हुसकुरमाला, काक्केरा हथीकुनी तथा सागर जिले में 5-शैक्षिक परिसर)	0	18016000	0
	कुल	0	18016000	0
	मध्य प्रदेश			
1.	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड़, नियर ज्ञान मंदिर, हाईयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर	2820000	0	8184086
2.	आम ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर, जिला-झाबुआ, मध्य प्रदेश	0	0	212500
3.	बंधेवाल शिक्षा समिति, शोपाल, मध्य प्रदेश	4193000	0	4536700
4.	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम—तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	0	0	750000
5.	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल एंड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सत्पमा भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश (जिला—बड़वानी, सिद्धी, जिला—रतलाम, झाबुआ, खरगोन (पश्चिमी निमाड़, बेतूल, हरदा, उमरिया, शहडोल, धार, खंडवा (तत्कालीन पूर्वी निमाड़), डिंडोरी, मांडला)	0	0	14889200
6.	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166-ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	527957	0	2892100
7.	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, शेपाल, मध्य प्रदेश	0	2793000	3472830
8.	राजेंद्र आश्रम टन्नस्ट, काठीवाड़ा, झबुआ, मध्य प्रदेश	1090000	1080000	2548400
9.	रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश	459000	450000	0

1	2	3	4	5
10.	सव्या सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश	1814000	2520200	0
11.	सेवा भारती, सलैया, जिला – डिंडोरी, मध्य प्रदेश	263872	0	0
12.	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	1181607	569867	2039693
13.	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली	1095000	0	0
14.	ग्रामीण सेवा केन्द्र, मंडलीनाथु, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश	549000	689000	0
	कुल	13993436	8102067	39525509
	महाराष्ट्र			
1.	एबीएम समाज प्रबोधन संस्था, जिला थाने, महाराष्ट्र	1238000	0	0
2.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड्गांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	1537200	1392200	0
	कुल	2775200	1392200	0
	उड़ीसा			
1.	अरुण इंस्टीट्यूट आफ रूरल अफेयर्स, एटी/अस्वखोला, पीओ-करमुल, जिला धेनकाना, पिन-759014, उड़ीसा	2825466	1428000	3428718
2.	ब्राइट कैरियर एकाडमी, कोरापुत, उड़ीसा	1413000	1440000	2853444
3.	जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन (जीआईटीए), ब्राह्मणपाद, जिला कंधामल, उड़ीसा	0	0	3063000
4.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यशमापुर, जिला गोपालवाड़ी (केठिगुड़ा) जिला रायगडा, उड़ीसा	379886	0	459963
5.	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर, एनएसी कॉम्पलेक्स, सुनाबेदा, जिला कोरापुट, उड़ीसा	2014470	1440000	3136700
6.	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, उड़ीसा	2814200	1423000	3076700
7.	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो, कोरापुत, उड़ीसा	1456300	975000	2446200
8.	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पी.ओ.-संथापुर, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	2570743	1179000	2706110
9.	उड़ीसा मॉडल ट्राबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा (जिला—रायगड़ा, गांव—अरिश्कनी, परसली, कैरबा), (जिला—मयूर भंज, गांव—अंगरपाड़ा, चिकतामतिया),	0	0	82527800

1	2	3	4	5
	(जिला-अंगूल, गांव—सीविदा), (जिला—मलकानगिरी, गांव—बड़बेल, नंदी निगोड़ा, बदापदा), (जिला—नौपाड़ा, गांव—सलेपाड़ा), (जिला—सुंदरगढ़, गांव—खूटा गांव), (जिला—देवगड़, गांव झराबहल), (जिला—कालाहांडी, गांव—बनिपगा), (जिला—कंधमाल, गांव धूमामस्का), (जिला—गंजाम, गांव—लोकशाही), (जिला—क्योंझर), गांव-कोनासिका, उपरी कुशीमिता)			
10.	परकल्पा क्योंझर, उड़ीसा	0	0	4876400
11.	सवेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी रायगाडा	882452	430706	1336320
12.	सेवा समाज, जिला रायगडा	1350000	678000	0
13.	सोशल एजुकेशन फार एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड), नायपल्ली भुवनेश्वर, उड़ीसा (सारदा तोंडापैली ब्लॉक, कोरू कोंडा, जिला मलकानगिरि)	1752536	950800	2279990
14.	सोशल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ग्राम एवं पोस्ट—बैनसिया, जिला—ढेंकानॉल	3137000	1401000	0
15.	सोसायटी फॉर नेचर, हेल्थ एंड एजूकेशन भुवनेश्वर, बारीगुडा ब्लाक भीसम कटक, जिला रयाडा, उड़ीसा	2472000	1484000	0
16.	श्री रामाकृष्णा आश्रम ग्राम एवं पोस्ट-बादारोहिला, जिला—आंगुल	2837826	1428000	3094700
17.	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, मार्केलगोदाम ब्लाक कोरूकांडा जिला मलकानगिरि उड़ीसा	1204000	1243000	3064904
18.	सर्वोदय समिति, गांधी नगर कोरापुट, उड़ीसा	1989000	424963	1015037
19.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	900000	0	0
	कुल	29998879	15925469	119365986
राजस्थान				
1.	जनजातीय महिला विकास संस्थान अनुराग निवास, जिला – सवाई माधोपुर राजस्थान	2595800	0	1247257
2.	लोक भारतीय प्रतिष्ठान बदकाई, पी.ओ.-डुंगला, पिन-312402, जिला—चित्तौड़, राजस्थान	0	740269	0
3.	महावीर जैन विद्यालय संस्थान उदयपुर	966000	0	0
4.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर	2293000	2544000	0
5.	राजस्थान बाल कल्याण समिति ग्राम एवं पोस्ट—झाडोल, जिला—उदयपुर	2813400	1634000	3645320
	कुल	8668200	4918269	4892577

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
1.	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, जिला-मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	5862100	3668800	0
	कुल	5862100	3668800	0
	कुल जोड़	79130133	197500000	400000000

विवरण-III

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा स्वीकृत विद्यालयों की संख्या

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		राशि	विद्यालय	राशि	विद्यालय	राशि	विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	असम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	112.76	11	558.00	40	886.80	25
6.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	गुजरात	156.52	बकाया	117.39	बकाया	0.00	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
10.	झारखंड	0.00	0	250.00	2	0.00	0
11.	कर्नाटक	400.00	बकाया	100.00	4	153.13	बकाया
12.	केरल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	624.01	बकाया	673.81	20	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	महाराष्ट्र	256.71	बकाया	300.80	31	940.07	बकाया
15.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	1020.00	52
20.	राजस्थान	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	0.00	0
23.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
28.	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	1550.00	11	2000.00	97	3000.00	77

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली

2886. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चूककर्ता कंपनियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन पर 10 करोड़ रुपये और उसके अधिक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) वसूली हेतु लंबित हैं; और

(ख) ऋण वसूली नीति को सुचारू बनाने एवं एनपीए/अशोध्य ऋण के वसूली की नयी विधि विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली, उन चूककर्ता कंपनी/व्यक्तियों, जिन पर 10 करोड़ रु. से अधिक की अनुपयोज्य आस्तियां बकाया है, के आंकड़े एकत्र नहीं करती है। तथापि, ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) अपने वेबसाइट *www.cibil.com.* पर 1 करोड़ रु. और उससे अधिक के खातों, जिन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, के आंकड़ों का अनुरक्षण करता है। सीआईबीआईएल वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रु. और उससे अधिक (मुकदमा दर्ज खाते) के चूककर्ताओं की कुल संख्या 5422 थी।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक प्रभावकारी आस्ति प्रबंधन और वसूली तंत्र तैयार किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपयोज्य आस्तियों के प्रावधानन और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, स्लिपेज रोकने के लिए दिशा-निर्देश, कंपनी ऋण पुनर्संरचना और अन्य पुनर्संरचना योजनाएं, एकबारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 शामिल हैं। बैंक समग्र कानूनी और विनियामक संरचना के अंदर ही अपने देयों की वसूली के विभिन्न तरीके अपनाते हैं।

क्रेडिट इनफारमेशन कंपनी एक्ट, 2005

2887. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय बैंक और वित्तीय संस्थान क्रेडिट इनफारमेशन कंपनी एक्ट, 2005 के प्रावधानों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दोषी बैंकों/वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 21 में निहित प्रावधान के तहत ऋण संस्थानों से यह अपेक्षित है कि वे, अनुरोध करने पर, ऋण सूचना कंपनी से उनके द्वारा हासिल ऋण सूचना की एक प्रति निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर किसी ऋण सुविधा आवेदक को प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक को, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों सहित, कई शिकायतें प्राप्त हुईं हैं कि ग्राहक बैंकों से स्वयं की क्रेडिट रिपोर्ट पाने में असमर्थ हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24.06.2009 के अपने परिपत्र द्वारा सभी बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों को इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली और विनियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस परिपत्र को अपनी वेबसाइट *www.rbi.org.in* पर भी प्रकाशित किया है।

[हिन्दी]

वनों में रहने वाली जनजातियों को सुविधाएं

2888. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों में रहने वाली जनजातियों को वन संबंधी कार्य करने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकार ''टू टियर सैट-अप'' अर्थात् प्रभागीय स्तर पर वन विभाग एजेंसियों (एफडीए) और ग्राम स्तर पर वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) के माध्यम से निम्नीकृत वनों और संलग्न भूमि के पुनः सृजन के लिए राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जनजातियों सहित और व्यक्ति भी भाग लेते हैं। यह 100% केन्द्रीय वित्तपोषण सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनः सृजन, कृत्रिम पुनःसृजन, चरागाह विकास बांस रोपण, बेंत रोपण, चिकित्सीय महत्व वाले वृक्षों का मिश्रित रोपण और बारहमासी जड़ी-बूटियों और चिकित्सीय महत्व वाली झाड़ियों का पुनः सृजन जैसे मॉडल शामिल हैं। उन मॉडलों/हस्तक्षेपों में रोपण, उनका रखरखाव, मृदा और नमी संरक्षण, निगरानी और मूल्यांकन, लघु आयोजना, बाड़ लगाना, जागरूकता पैदा करना और प्रविष्टि प्वांइट कार्यकलाप शामिल हैं।

सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त करने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी को बांटने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के साथ वनरोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्यान्वित परियोजनाओं का समवर्ती और स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों का मध्यावधि मूल्यांकन भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा और क्षेत्र कवरेज और उत्तरजीविता प्रतिशत मूल्यांकन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कर लिया गया है।

(ङ) मूल्यांकन-कर्त्ताओं ने कार्यान्वयन की संतोषजनक प्रगति दर्शाई है।

[अनुवाद]

यूनिक ट्रांजैक्शन नम्बर

2889. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने सभी कर निर्धारितियों द्वारा आयकर विवरणी में यूनिक ट्रांजैक्शन नम्बर (यूटीएन) का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी आयकर निर्धारितियों को यूटीएन जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सभी कर निर्धारितियों को यूटीएन कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी कर निर्धारितियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले आयकर विवरणी प्रपत्रों में अनूठी संव्यवहार संख्या (यूटीएन) का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया जाए जिन्हें आयकर विभाग द्वारा ऐसी संख्या आबंटित की गई है। तथापि, दिनांक 30 जून, 2009 की प्रेस विज्ञप्ति के तहत यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल अनूठी संव्यवहार संख्या (यूटीएन) के उल्लेख करने की अपेक्षता को स्थगित रखा जाए।

(ख) ऐसे प्रत्येक संव्यवहार जिसमें स्रोत पर कर कटौती की गई है अथवा कर संग्रहीत किया गया है, के लिए अनूठी संव्यवहार संख्या आबंटित की जाएगी। यह प्रस्ताव है कि आयकर विवरणी प्रपत्रों में इस संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया जाए ताकि करदाताओं का तुरन्त सत्यापन तथा कर क्रेडिट प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। चूंकि करदाताओं को अनूठी संव्यवहार संप्रेषित नहीं की गई है अत: कर-निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए आयकर विवरणी प्रपत्र में अनूठी संव्यवहार संख्या के उल्लेख करने की अपेक्षता को स्थगित रखा गया है।

(घ) आशा है कि अनूठी संव्यवहार संख्या आबंटित करने की यह प्रणाली 1 जनवरी, 2010 तक कार्य करना शुरू कर देगी।

बायोगैस संयंत्र

2890. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित हैं तथा अब तक इन लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है;

(ख) क्या देश में ऐसे संयंत्रों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों की संख्या बढ़ाने हेतु वर्तमान कार्यक्रम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी सहायता/अनुदान (सब्सिडी) दी जा रही है या दिए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 20 लाख घन मीटर समग्र क्षमता के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना किए जाने का विचार है। राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 1.97 लाख (लगभग चार लाख घन मीटर) परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र संस्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ग्यारहवीं योजना के दौरान बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना 10वीं योजना की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है।

(घ) ऐसे संयंत्रों की स्थापना को बढ़ाने के लिए, जैसा कि 11वीं योजना के दौरान विचार है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं जिनमें समूह दृष्टिकोण को अपनाना, अन्य ग्राम आधारित कार्यक्रमों के साथ अभिमुख होना, कुकिंग के अतिरिक्त विविध अनुप्रयोगों के लिए बायोगैस का उपयोग करना और बायो-उर्वरक/कार्बनिक खाद के उपयोग पर बल देना शामिल है।

(ङ) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, टर्न की जॉब शुल्क, मॉनीटरिंग, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता, प्रचार, आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही केन्द्रीय सब्सिडी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना के लिए केन्द्रीय सब्सिडी के विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	विभिन्न क्षमताओं के पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (रु.)	
		1 घन मीटर	2-6 घन मीटर
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य और सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/-	11,700/-
2.	असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/-	9,000/-
3.	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु में नीलगिरी; दार्जिलिंग जिले (पश्चिम बंगाल) के सदर कुर्सोंग और कलिमपोंग सब-डिवीजन, सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,500/-	4,500/-
4.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मरुस्थलीय जिले, छोटे और सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल का तराई क्षेत्र, पश्चिम घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	2,800/-	3,500/-
5.	अन्य सभी	2,100/-	2,700/-

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता

2891. श्री हसन खान : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं (भूतापीय, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा) का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र सहित देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोत (सौर को छोड़कर) के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु लगभग 86,000 मेगावाट की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। देश के अधिकांश भागों के लिए सौर ऊर्जा की संभाव्यता, सौर संग्राहकों से कवर किए गए खुले, छायारहित क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 20 मेगावाट होने का अनुमान है।

मुख्यतया जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पुगा घाटी और

छत्तीसगढ़ में तत्तापानी में भू-तापीय ऊर्जा की अनुमानित संभाव्यता लगभग 150 मेगावाट है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता के राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पवन विद्युत मेगावाट	लघु पनबिजली मेगावाट	खोई सह-उत्पादन मेगावाट	अपशिष्ट से ऊर्जा मेगावाट
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8968	552	200	187
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1333	0	0
3.	असम	0	213	5	11
4.	बिहार	0	213	200	117
5.	छत्तीसगढ़	0	706	0	39
6.	गोवा	0	9	5	0
7.	गुजरात	10645	196	200	172
8.	हरियाणा	0	110	0	32
9.	हिमाचल प्रदेश	0	2268	0	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1411	0	
11.	झारखंड	0	207	0	14
12.	कर्नाटक	11531	643	300	219
13.	केरल	1171	708	10	56
14.	मध्य प्रदेश	1019	400	25	119
15.	महाराष्ट्र	4584	762	1000	438
16.	मणिपुर	0	109	0	3
17.	मेघालय	0	229	0	3
18.	मिजोरम	0	166	0	2
19.	नागालैंड	0	196	0	0
20.	उड़ीसा	255	295	25	33
21.	पंजाब	0	390	150	68
22.	राजस्थान	4858	63	10	93
23.	सिक्किम	0	265	0	0
24.	तमिलनाडु	5530	499	350	240
25.	त्रिपुरा	0	46	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	0	292	1000	270
27.	उत्तरांचल	0	1609	0	7
28.	पश्चिम बंगाल	0	393	10	221
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	8	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	9
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	194
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	10	4
	अन्य			16000	1281*
	कुल	48561	14294	19500	3831

*औद्योगिक अपशिष्ट

[हिन्दी]

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

2892. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग) ने जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में स्थापित इको-पर्यटन उद्योगों सहित कुछ पहचाने गए बढ़ते हुए उद्योगों हेतु पैकेजों की घोषणा की है। इसके पश्चात्, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग ने उत्तर-पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में होटलों, साहसिक, लेज़र खेलों और रोपवे सहित विभिन्न औद्योगिक और सेवा क्षेत्र क्रियाकलापों हेतु पूंजी निवेश इमदाद उपलब्ध है।

बकाया ऋण

2893. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर बैंकों का ऋण बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनसे ऋण की वसूली के लिए भी वहीं प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अन्यों के लिए अपनाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त ऋणों की वसूली के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली वांछित तरीके से सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, वर्ष 2008-09 सूचना प्रेषण के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र (लघु, मझोले और बड़े उद्योगों सहित) को कुल बकाया ऋण 10,54,390 करोड़ रुपए था। इन बकाया ऋणों में ज्यादातर मानक आस्ति हैं, जिनमें सामान्य कारोबार के दौरान बैंकों द्वारा समय पर पुनर्भुगतान प्राप्त होता है।

(ग) और (घ) बैंक देय की वसूली की प्रक्रिया आस्तियों के वर्गीकरण, बकाया ऋणों की राशि, उपलब्ध प्रतिभूति और इसके भुनाने योग्य मूल्य, संगत कानूनी प्रावधानों को लागू होने की स्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और बैंक की वसूली नीति पर निर्भर करती है।

(ङ) वित्तीय क्षेत्र की अर्थक्षमता में सुधार लाने, अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने, बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने और एक अच्छे वसूली वातावरण का निर्माण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने वर्षों से कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपयोज्य आस्तियों के प्रावधानन और वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करना, स्लिपेज रोकने के लिए दिशानिर्देश, कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन और अन्य पुनर्गठन योजना, एकबारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, ऋण आसूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 इत्यादित का अधिनियमन शामिल हैं।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन प्रणाली

2894. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) देश के शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इन सुधारों का उद्देश्य सेवा सुपुर्दगी प्रणाली जैसे उपभोग प्रभारों की वसूली, आधुनिक प्रोद्भूत आधारित लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को अपनाने, ई-गवर्नेंस, जल के पुनःचक्रण के पुनः उपयोग में सुधार लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत इन्हें

सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय जलापूर्ति हेतु सेवा स्तरीय बैंचमार्क को अपनाने को भी प्रोत्साहित कर रहा है जिसमें निरंतरता, गुणता, कवरेज, पर्याप्तता, वित्तीय स्थिरता, शिकयत निवारण और समग्रता से संबंधित मानदंडों की व्यवस्था की गई है।

यद्यपि, जलापूर्ति के लिए अलग से धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है तथापि इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के साथ-साथ छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत उच्चतम प्राथमिकता दी गई है जिसमें जलापूर्ति सहित शहरी अवस्थापना परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत, 18540.17 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली 141 जलापूर्ति परियोजनाएं और यूआईडीडीएसएसएमटी के अंतर्गत 10473 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की 521 जलापूर्ति परियोजनाएं अभी तक स्वीकृत की गई हैं।

यह अनुमान है कि संगत शहरी सुधार और शहरी जलापूर्ति में सेवा स्तरीय बेंचमार्क के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रणाली का उचित प्रबंधन होगा।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को न्यूनतम मजदूरी

2895. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :
श्री के.डी. देशमुख :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और हेल्परों को दिया जाने वाला मानदेय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य आंगनवाड़ियों का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं को दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और हेल्परों के लिए कल्याणकारी उपायों पर गौर करने के लिए किसी आयोग/समिति का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से चुनी गईं 'अवैतनिक कार्यकर्त्रियां' होती हैं। तथापि, इन कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वैच्छिक सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए इन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक मानदेय दिया जाता है। इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त सहायतानुदान में से दिया जा रहा मानदेय 1438/-रुपये से लेकर 1563/-रुपये प्रति माह है, जो उनकी अर्हता और अनुभव पर निर्भर है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह 750/-रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा, आई.सी.डी.एस. के कार्य से भिन्न कार्यों के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा इन्हें अपने संसाधनों में से अतिरिक्त मानदेय भी दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को वर्तमान में दिए जा रहे मानदेय के मुद्दे तथा अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए वर्ष 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया था और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत् आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय को 01.04.2008 से बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम में संशोधन

2896. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित और सरलीकृत आयकर कानून की तैयारी पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो नए आयकर कानून का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या देश में और अधिक निवेश की आवक को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरलीकृत नए आयकर कानून की तैयारी चल रही है। दिनांक 20 अगस्त, 2009 तक परिचर्चा पत्र के साथ नई प्रत्यक्ष कर संहिता जारी हो जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इस संबंध में विशिष्ट ब्यौरे तभी उपलब्ध होंगे जब सार्वजनिक परिचर्चा हेतु प्रत्यक्ष कर संहिता जारी हो जाएगी।

ग्रामीण पेयजल हेतु प्रस्ताव

2897. **श्री जगदीश ठाकोर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के पाटन, बनसकांथा तथा दहोद के पिछड़े आदिवासी जिलों के ग्रामीण इलाकों में सतत् सामुदायिक प्रबंधित पेयजल अवसंरचना नामक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय को विश्व बैंक सहायता के लिए गुजरात सरकार से "गुजरात नगरपालिका जलापूर्ति परियोजना" नामक एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना में गुजरात की 54 नगरपालिकाओं के लिए एक सम्पूर्ण और कार्यक्षम जलापूर्जि योजना मुहैया कराने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव है। प्रस्ताव की 54 नगरपालिकाओं की सूची में बांसकांठा जिले से पालनपुर और दीसा नमक दो नगपालिकाएं और पाटन जिले से सिधपुर नामक एक नगरपालिका शामिल हैं।

राज्य सरकार से शहरी विकास मंत्रालय, योजना आयोग और व्यय विभाग (ऋण वहनीयता दृष्टिकोण से) के अनुमोदनों सहित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। शहरी विकास मंत्रालय और योजना आयोग के अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं। गुजरात राज्य सरकार से प्रस्ताव के लिए व्यय विभाग का अनुमोदन (ऋण वहनीयता दृष्टिकोण से) अभी प्राप्त होना बाकी है।

पेयजल परियोजनाएं

2898. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है अथवा शामिल किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तटों से जल लेने के स्थान पर नदियों के स्रोतों से पेयजल प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में चिन्हित नदियों के क्या नाम हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा) : (क) और (ख) चूंकि, केन्द्र किसी भी परियोजना का कार्यान्वयन सीधे तौर पर नहीं करता है अतः, निजी कपंनियों को काम में लगाने अथवा काम में रखने का प्रस्ताव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय राज्य विभिन्न घटकों जैसे कि गड्डे की खुदाई, हैंडपंप लगाना, पाईप लाईन डालना, उपचारी संयंत्र, पंपिंग स्टेशन इत्यादि के निष्पादन के लिए निजी कंपनियों को काम पर लगा सकता है।

(ग) पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाएं

2899. **श्री मदन लाल शर्मा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग की है जबकि वे इन योजनाओं के अंतर्गत उन्हें आबंटित की गई धनराशि के हिस्से का आहरण करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदत्त अतिरिक्त सहायता का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने के अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन

2900. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गन्ने के अपशिष्ट से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गन्ने के अपशिष्ट से उत्पादित विद्युत, जल और ताप विद्युत से सस्ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को प्रत्येक चीनी मिल में गन्ने के अपशिष्ट से विद्युत का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना करने का निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) दिनांक 30.6.2009 के अनुसार देश में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना खोई सह-उत्पादन पर आधारित 1134 मेगावाट की कुल अतिशेष विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन पैरामीटरों पर निर्भर करते हुए गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन की लागत 2.5 रु. से 3.00 रु./यूनिट की श्रेणी में है तथा स्थल, आकार और ईंधन की पसंद पर निर्भर करते हुए सामान्यतया नई पारम्परिक विद्युत परियोजनाओं की लागतों के साथ तुलनात्मक है।

(ग) और (घ) बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ङ) से देश में अक्षय क्षेत्र के लिए सांविधिक और विनियामक फ्रेमवर्क लागू हुआ है। इससे राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन का संवर्धन किया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चीनी मिलों में गन्ना खोई सह-उत्पादन से अधिकतम अतिरिक्त विद्युत के संवर्धन हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न आकार और प्रकार की सह-उत्पादन परियोजनाओं और विभिन्न श्रेणियों के अंतिम उपयोगकर्त्ताओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, त्वरित मूल्यह्रास, उत्पाद शुल्क से छूट, सह-उत्पादन परियोजनाओं की आरंभिक संस्थापना हेतु आवश्यक उपकरणों और संघटकों पर रियायती सीमा-शुल्क, गन्ना खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं से अर्जित आय पर 10 वर्षों का करावकाश, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, संभाव्यता वाले राज्यों में गन्ना खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं से बिजली की बिक्री के लिए अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध कराई जा रही है। सह-उत्पादन परियोजनाओं के विकास, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और चीनी मिल इंजीनियर के प्रशिक्षण आदि के लिए भी संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। भारत सरकार चीनी मिलों में सह-उत्पादन करने के लिए राज्यों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

रियल एस्टेट हेतु विधान

2901. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में रियल एस्टेट के विनियमन के लिए कोई विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक पुर:स्थापित और लागू किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) 'भूमि' तथा "कालोनाइजेशन" राज्य का विषय होने के नाते पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराने और इसे सुकर बनाने के लिए नियामक उपायों का नियमन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, सभी के लिए किफायती आवास पर दिनांक 20.1.2009 को आयोजित आवास, शहरी विकास और नगरपालिका प्रशासन के राज्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया गया था कि केन्द्र सरकार एक आदर्श स्थावर संपदा विनियमन विधेयक तैयार करेगा जिसमें राज्य सरकारों के उपयोग हेतु भूमि मूल्यांकन प्रणाली एवं तंत्र की व्यवस्था शामिल की जाएगी ताकि शहरी विकास में पर्याप्त नियंत्रण रख जा सके।

प्रस्तावित कानून पर अभी विभिन्न हितबद्धियों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

किराया नियंत्रण अधिनियम

2902. **प्रो. रामशंकर : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विद्यमान किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आदर्श किराया नियंत्रण अधिनियम अपनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार सहित इन राज्य सरकारों को आदर्श किराया नियंत्रण अधिनियम के अभाव में जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत धनराशि देना जारी रखेगी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कितने राज्यों ने नया आदर्श किराया नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया है और सरकार द्वारा अन्य राज्यों में नया आदेश किराया अधिनियम, अधिनियमित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने आदर्श किराया नियंत्रण कानून तैयार किया था और किराया नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण आदर्श कानून की तर्ज पर इसे अपने मौजूदा किराया कानूनों में संशोधन करने या नया किराया अधिनियम बनाने हेतु वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया था।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन (एमओए) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर किराया नियंत्रण में सुधारों सहित शहरी क्षेत्र में कतिपय सुधारों का कार्यान्वियन अपेक्षित है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की दूसरी और इसके बाद की किश्तें राज्य सरकारों से उचित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही जारी की जाती हैं। केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की दूसरी और इसके बाद की किश्तें जारी करने से पहले राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा यथा सहमत सुधारों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करती है।

शहरी विकास मंत्रालय, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा यथा निर्धारित सभी सुधारों को समयसीमा के अनुसार कार्यान्वित करने पर जोर दे रहा है। अभी तक 7 राज्यों ने किराया नियंत्रण संबंधी सुधारों का कार्यान्वियन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सहित 24 राज्यों द्वारा उनकी वचनबद्धता के अनुसार यह सुधार कार्यान्वित किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 2009-10 तक किराया नियंत्रण सुधारों का कार्यान्वियन करने की अपनी वचनबद्धता की है। किराया नियंत्रण में सुधारों के कार्यान्वियन की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधारों हेतु करार ज्ञापन (एमओए) के अनुसार वचनबद्धता	स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2007-08	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
2.	अरुणाचल प्रदेश	2009.10	—
3.	असम	2009.10	—

1	2	3	4
4.	बिहार	2007-08	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
5.	चंडीगढ़	वचनबद्धता नहीं की गई	—
6.	छत्तीसगढ़	2007.08	—
7.	दिल्ली	वचनबद्धता नहीं की गई	—
8.	गोवा	2009.10	—
9.	गुजरात	2009.10	—
10.	हरियाणा	2009.10	—
11.	हिमाचल प्रदेश	2010.11	—
12.	जम्मू और कश्मीर	2008.09	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
13.	झारखंड	2009.10	—
14.	कर्नाटक		लक्ष्य प्राप्त हुआ
15.	केरल	2011.12	—
16.	मध्य प्रदेश	2007.08	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
17.	महाराष्ट्र	वचनबद्धता नहीं की गई	—
18.	मेघालय	2009.10	—
19.	मणिपुर		लक्ष्य प्राप्त हुआ
20.	मिजोरम		लक्ष्य प्राप्त हुआ
21.	नागालैंड		लक्ष्य प्राप्त हुआ
22.	उड़ीसा		लक्ष्य प्राप्त हुआ
23.	पुडुचेरी	2008.09	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
24.	पंजाब	2007.08	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
25.	राजस्थान		लक्ष्य प्राप्त हुआ
26.	सिक्किम	2010-11	—
27.	तमिलनाडु	2008-09	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
28.	त्रिपुरा	2008-09	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
29.	उत्तर प्रदेश	2009-10	—
30.	उत्तराखंड	2009-10	—
31.	पश्चिम बंगाल	—	लक्ष्य प्राप्त हुआ

शहरी स्वच्छता कार्यक्रम

2903. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शौचालयों के निर्माण के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित शहरी स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में विनिर्दिष्ट प्रति इकाई लागत का ब्यौरा क्या है और राज्यों के केन्द्र के हिस्से से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रति इकाई लागत सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ केन्द्र के हिस्से में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां। केन्द्र प्रायोजित "एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम" (आईएलसीएस) के संशोधित दिशानिर्देश इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) अधिसंरचना के साथ दो गर्त वाले जलवाही व्यक्तिगत शौचालय की पूर्ण इकाई के लिए 10,000 रुपए की ऊपरी लागत सीमा मुहैया करायी जाती है (दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित राज्यों को छोड़कर)। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणी में आने वाले राज्यों के लिए, प्रत्येक दो गर्त वाले जलवाही शौचालय हेतु 25% अतिरिक्त लागत मुहैया करायी जाती है। राज्यों को उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सब्सिडी 75% है।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 (31.5.2009 तक) के दौरान एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत इकाइयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दिशानिर्देशों को हाल ही में संशोधित किया गया है। निर्धारित प्रति इकाई लागत सीमा में और वृद्धि करने अथवा केन्द्रीय अंश में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	परिवर्तन के लिए अनुमोदित इकाइयों की संख्या	नए निर्माण के लिए अनुमोदित इकाइयों की संख्या	अनुमोदित कुल इकाइयां
1.	बिहार	1222	8586	9808
2.	जम्मू और कश्मीर	843	273	1116
3.	मणिपुर	0	7117	7117
4.	महाराष्ट्र	0	4452	4452
5.	नागालैंड	0	3404	3404
6.	उत्तर प्रदेश	238253	0	238253
7.	उत्तराखंड	1613	0	1613
8.	पश्चिम बंगाल	0	6798	6798
9.	केरल	0	1675	1675
	कुल	241931	32305	274236

[हिन्दी]

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाए का भुगतान

2904. **डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बकाए के रूप में भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्मचारियों को शेष धनराशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) शेष बकाए के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शेष बकाए पर ब्याज देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करते समय सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान अपने कर्मचारियों को बकाए की 40 प्रतिशत राशि अदा कर दी है। सरकार के निर्णय के अनुसार बकाए की शेष 60 प्रतिशत राशि वर्ष 2009-10 के दौरान अदा की जानी है।

(ग) बकाए की शेष 60 प्रतिशत राशि के भुगतान में कोई विलंब नहीं हो रहा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त उत्तर (ग) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण

2905. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने बच्चों के दत्तक ग्रहण के प्रोत्साहन और विनियमन के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों के यौन शोषण के अवसरों को कम करने के उद्देश्य से अभिभावकों की निगरानी करने हेतु ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) में दत्तक ग्रहण के कार्य के समन्वयन, मानीटरन और विकास तथा राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति को सचिवालयी

सहायता प्रदान करने के लिए राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के अधीन एक एकक के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रशासनिक खर्च

2906. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि करने के अनुरोध/सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय में एनआरईजीएस के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तद्नुसार, एनआरईजीएस के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय को 1.4.2007 से 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है तथा 1.4.2009 से इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. हेतु मानदंड

2907. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, दिल्ली द्वारा को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना और उसे चलाने के किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, दिल्ली द्वारा मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, दिल्ली के विरुद्ध किसी भी को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के उप-नियमों में एकपक्षीय संशोधन और उन्हें अस्वीकृत करने के संबंध में शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) सहकारी सोसाइटी पंजीयक (आरसीएस), दिल्ली ने सूचित किया है कि को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का पंजीकरण दिल्ली सहकारिता अधिनियम, 2007 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली सहकारिता सोसाइटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किया जा सकता है। दिल्ली सहकारिता सोसाइटी नियम, 2007 की अनुसूची vi के अनुसार सहकारिता समूह आवासीय सोसाइटी की व्यवहार्यता मानदंड पूरे करने चाहिए अर्थात:—

(i) इसमें कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए।

(ii) पंजीकरण से पहले भूमि आबंटित करने वाली एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, वीसीएस अधिनियम, 2003 तथा दिल्ली सहकारिता सोसाइटी नियम 2007 तथा उनके उप-नियमों के प्रावधानों के तहत कार्य करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

एन.टी.पी.सी. का लाभ

2908. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में एनटीपीसी का लाभ कम हुआ है और अब इसे हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एनटीपीसी के लाभ में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) विगत तीन वर्षों में एनटीपीसी लि. द्वारा अर्जित लाभ निम्नानुसार है:–

वर्ष	कर पश्चात लाभ (करोड़ रुपये)
2006-07	6865
2007-08	7415
2008-09	8201

(ख) से (घ) जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एनटीपीसी का कर पश्चात लाभ वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है।

एयर कंडीशनर लगाना

2909. श्री पूर्णमासी राम : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी क्वार्टरों में नाममात्र के शुल्क पर एयर कंडीशनर लगाने के लिए कोई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान संस्वीकृत बिजली लोड/बिजली का लोड बढ़ाने से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिम्हाद्री विद्युत परियोजना

2910. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिम्हाद्री स्टेट-II विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) सिम्हाद्री चरण-II (2×500 मेगावाट) विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

यूनिट-3 (500 मेगावाट) – विभिन्न पैकेजों का निर्माण और उत्थापन कार्य चल रहा है। नवंबर, 2008 (निर्धारित कार्यक्रम – दिसंबर, 2008) में बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग पूरी हो गई है तथा प्रेशर पार्ट्स का उत्थापन किया जा रहा है। प्लांट पैकेजों के शेष कार्यों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है।

यूनिट-4 (500 मेगावाट) – मुख्य पैकेजों का निर्माण और उत्थापन कार्य चल रहा है। मार्च, 2009 (निर्धारित कार्यक्रम – जून, 2009) में बॉयलर ड्रम लिफ्टिंग पूरी की गई तथा प्रेशर पार्ट्स का उत्थापन किया जा रहा है। प्लांट पैकेजों के शेष कार्यों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है।

(ख) सिम्हाद्री चरण-II विद्युत परियोजना के लिए 30.06.2009 तक 1716.63 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) दोनों यूनिटों, यूनिट-3 और 4 को चालू किए जाने की निर्धारित तिथि से पहले अर्थात क्रमशः नवंबर, 2010 तथा मई, 2011 में चालू किए जाने की संभावना है।

जनजातीय समूहों का पुनर्वास

2911. श्री पी. बलराम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कारण आदिम जनजातीय समूहों के सदस्य अस्थायी अथवा स्थायी रूप से विस्थापित हुए हैं/विस्थापित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विस्थापित हुई इन जनजातियों का राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जातियों को पुन: बसाने एवं उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है अथवा तैयार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) देश में केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के कारण किसी भी आदिम जन-जातीय समूहों (पीटीजी) को विस्थापित नहीं किया गया/ किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना, 2007 (एनआरआरपी-2007) बनाई है। एनआरआरपी 2007 के प्रावधानों में बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना तथा जिन परियोजनाओं के कारण लोग अनिच्छा में विस्थापित हुए, उनके पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के मामलों को व्यापक तौर पर हल करना उपबंधित है। राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेंसियों तथा अन्य अपेक्षित निकायों को एनआरआरपी 2007 में निर्धारित लाभों की अपेक्षा अधिक लाभ देने की छूट दे रखी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एसएस तारापोर समिति

2912. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता संबंधी एसएस तारापोर समिति की सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 2006 में गठित की गई थी। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2006 को प्रस्तुत की। समिति ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नीति से संबंधित कतिपय विशेष उपायों की सिफारिश की। इन उपायों को निम्नलिखित मदों में श्रेणीबद्ध किया गया और इन्हें तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना था; चरण-1 (2006-07), चरण-2 (2007-09) और चरण-3 (2009-11):—

I. कारपोरेट/कारोबार

क. कारपोरेट/कारोबार-निवासी

1. विदेश में वित्तीय पूंजी का अन्तरण जिसमें चालू/चैक वाले खाते खोलने के लिए भी अंतरण शामिल है।

2. विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

3. व्यापारिक उधार

4. विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

5. विदेश में कार्यालयों की स्थापना

6. भागीदारी फर्मों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

7. विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से निवेश के अलावा कारपोरेट और पंजीकृत भागीदारी फर्मों द्वारा विदेश में कृषि में निवेश

8. स्वामित्व वाले/अपंजीकृत भागीदारी प्रतिष्ठानों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

9. निर्यातकों और विदेशी मुद्रा अर्जकों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते

10. परियोजना निर्यातक

ख. कारपोरेट-अनिवासी

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2. शेयर बाजारों के माध्यम से शेयरों/ऋणपत्रों में पोर्टफोलियों निवेश

3. विनिवेश

4. भारत में संसाधन जुटाने के लिए अनुमत बहुपक्षीय संस्थाए।

II. बैंक

क. बैंक — निवासी

1. विदेशी प्रतिनिधि बैंक के पास हमारे खाते (नोस्ट्रो एकांउट) में ओवरड्राफ्टों सहित विदेशी के बैंकों और प्रतिनिधियों से ऋण एवं उधार

2. विदेशी बाजारों में निवेश

III. बैंक-भिन्न-वित्तीय

क. निवासी

1. सेबी में पंजीकृत भारतीय निवेशकों के (म्युचुअल फंड सहित) विदेश में निवेश

ख. अनिवासी

1. विदेशी संस्थागत निवेशक

(क) पोर्टफोलियो निवेश

(ख) प्राथमिक बाजार निवेश/निजी नियोजन

(ग) विनिवेश

(घ) ऋण लिखतों में निवेश

IV. व्यक्तिगत

क. व्यक्तिगत — निवासी

1. वित्तीय पूंजी अन्तरण जिसमें चालू/चैक वाले खाते खोलने के लिए भी अन्तरण शामिल है।

2. निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाता

3. आरएफसी (डी) खाता

ख. व्यक्तिगत — अनिवासी

1. भारत में धारित अप्रत्यावर्तनीय आस्तियों से पूंजी अन्तरण (इसमें अनिवासी सामान्य और आनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा खाते भी शामिल हैं)

2. आस्तियों का विप्रेषण

3. अनिवासी भारतीयों के लिए जमा योजनाएं

4. भारत में शेयर बाजार के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि चरण-1 और चरण-2 के उपायों के कार्यान्वयन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और चरण-3 के उपायों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चालू है।

[हिन्दी]

किशोर सुधार गृह

2913. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सहित देश में राज्य-वार कितने किशोर सुधार गृह हैं तथा उनमें कितने बच्चे हैं;

(ख) क्या इन सुधार गृहों में बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में किशोर गृहों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर गृहों की स्थापना व रख-रखाव, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कुछ गृहों, जिनमें बाल गृह, आश्रय गृह, प्रेक्षण गृह तथा विशेष गृह शामिल हैं, को स्थापित करने व संचालित करने हेतु अनुदान देता है। इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा मंत्रालय की वैबसाइट *www.wcd.nic.in* पर उपलब्ध है। मंत्रालय विशिष्ट प्रकार के गृहों में रहने वाले बच्चों के बारे में आंकड़े नहीं रखता।

(ख) और (ग) किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन गृहों को चलाया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कहा गया है कि वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किशोर गृहों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	15
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
4.	असम	8
5.	बिहार	11
6.	छत्तीसगढ़	2
7.	चण्डीगढ़	1
8.	दमन और दीव	शून्य
9.	दिल्ली	4
10.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
11.	गोवा	4
12.	गुजरात	36
13.	हरियाणा	3
14.	हिमाचल प्रदेश	1
15.	झारखंड	9
16.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
17.	कर्नाटक	10
18.	केरल	13
19.	लक्षद्वीप	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	21
21.	महाराष्ट्र	60
22.	मणिपुर	2
23.	मिजोरम	4
24.	मेघालय	2
25.	नागालैंड	2
26.	उड़ीसा	15
27.	पांडिचेरी	2
28.	पंजाब	4
29.	राजस्थान	6
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	10
32.	त्रिपुरा	1
33.	उत्तर प्रदेश	22
34.	उत्तराखंड	7
35.	पश्चिम बंगाल	11

[अनुवाद]

विदेशी एजेंसियों से वित्तपोषण

2914. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)\ क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं तथा बच्चों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सहायता के लिए सरकार को विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा

2915. श्री एंटो एंटोनी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में महिलाओं और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं प्रारंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई स्कीम शुरू नहीं की है। तथापि, महिलाओं और बच्चों के बचाव, उन्हें राहत, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण आदि के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनका ब्यौरा मंत्रालय की वैबसाइट *www.wcd.nic.in* पर उपलब्ध है।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

2916. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ताप विद्युत स्टेशनों में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी जैसे सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, (जिसका लक्ष्य कोल फायर्ड ताप विद्युत उत्पादन दक्षता को बढ़ाना है), सर्कुलेटिंग फ्ल्यूडायज्ड बेड कम्बुशन (सी.एफ.बी.सी.) प्रौद्योगिकी तथा इंटिग्रेटिड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल (आईजीसीसी) प्रौद्योगिकी (उच्चतर दक्षता प्राप्त करने की संभाव्यता रखने वालों) को ताप विद्युत केन्द्रों में अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है।

आवास ऋण

2917. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 5 लाख रुपए तथा इससे ज्यादा का आवास ऋण कम ब्याज दर पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 5 लाख रुपए तथा इससे ज्यादा के स्वीकृत आवास ऋण की राज्य-वार कुल कितनी राशि है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र के बैंक भी कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा आवास क्षेत्र के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के नए आवास ऋण प्रथम पांच वर्ष के लिए अधिकतम 9.25% वार्षिक की ब्याज दर पर दे रहे हैं। एक और प्रोत्साहन के रूप में कोई कार्यवाही शुल्क, कोई पूर्व भुगतान शुल्क/दंड नहीं लगाया जाना है और बकाया ऋण की सम्पूर्ण राशि के लिए ऋणकर्ता को निःशुल्क बीमा सुरक्षा दी जानी है।

(ग) गृह-निर्माण के संबंध में आंकड़े उस तरीके से नहीं रखे जा रहे हैं, जिस तरह से अपेक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने हाल के महीनों में अपनी बेंचमार्क मूल उधार दरें (बीपीएलआर) घटा दी है और तद्नुसार अस्थायी दरों पर गृह-निर्माण ऋणों सहित मौजूदा ऋणों पर ब्याज दरें कम हो गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन

2918. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु कर अवकाश देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्या नए प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किन अन्य उपायों पर विचार किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झख की उपधारा (11क) के अंतर्गत फलों अथवा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग के कारोबार से अथवा खाद्यान्नों के व्यापार, भंडारण तथा परिवहन के समेकित कारोबार से किसी उपक्रम को व्युत्पन्न होने वाले लाभ के मामले में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक लाभ से कटौती की अनुमति दी गई है, यदि ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद ऐसे कारोबार का प्रचालन शुरू करता है।

इसके अतिरिक्त, कई प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्यों जैसे प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियों, चटनियों, कैचअप सूपों, तथा शोरबों आदि को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है। इसके अलावा, बजट 2008-09 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:—

I. निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त थी:—

(क) मृदुल नारियल पानी के पैकेज़

(ख) पाव, मूढ़ी (मुरमुरा) तथा इस तरह के।

(ग) अखरोट वाले दुग्ध

(घ) चाय/काफी प्रिमिक्स

II. निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया:—

(क) मुएस्ली, कार्नफ्लैक तथा मिलते-जुलते ब्रेक फास्ट अन्न

(ख) शर्बत

(ग) पैकेजिंग सामग्री अर्थात ओपन टाप सैनिटरी (ओटीएस) कैन, एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर, एसेप्टिक बैग

दिनांक 07.12.2008 की अधिसूचना सं. 58/2008 द्वारा उपर्युक्त मदों पर उत्पाद शुल्क को 8 प्रतिशत से और घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ग) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 35 कघ को अन्तःस्थापित करके विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला सुविधाएं संस्थापित करने तथा प्रचालित करने वाले कारोबार एवं कृषि उपज के भंडारण के लिए भांडागारण सुविधाएं संस्थापित करने तथा प्रचालित करने वाले कारोबार को निवेश से जुड़ा कर प्रोत्साहन भी देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नई धारा के अनुसार उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें ऐसा व्यय किया जाता है, विनिर्दिष्ट कारोबार के प्रयोजनार्थ पूर्णतया तथा अनन्तया किए गए पूंजीगत स्वरूप के किसी पूर्ण व्यय (भूमि अथवा साख अथवा वित्तीय लिखतों पर व्यय से भिन्न) के संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन शत-प्रतिशत कटौती की अनुमति होगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पहलें आरंभ की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेगा फूड पार्कों, कोल्ड चेन, मूल्य वर्धित केन्द्रों तथा पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण की एक स्कीम को अनुमोदित किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम में एक सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण जोन की परिकल्पना की गई है जिनमें मददकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ अद्यतन प्रोसेसिंग सुविधाएं मौजूद होंगी।

11वीं योजना के दौरान अन्य महत्वपूर्ण पहलों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा परिरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक स्कीम शामिल है जिसका उद्देश्य फार्म द्वार से उपभोक्ता तक निर्बाध रूप से समेकित तथा पूर्ण शीत श्रृंखला और परिरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान करना है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन/खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन एवं मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है ताकि दूध, फल एवं सब्जियों, मांस, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, अनाज़ उपभोक्ता मदें, तिलहनों, चावल पेषण, आटा पेषण, दाल आदि को शामिल किया जा सके।

इसी प्रकार गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलापों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा तथा टीक्यूएम जिसमें आईएसओ 14000, आईएसओ 22000, एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएचपी शामिल हैं जैसे गुणवत्ता आश्वासन तंत्रों को स्वीकार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना तथा डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के उपरान्त विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार करना है।

मानव संसाधन विकास की स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों एवं गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जन शक्ति के विकास पर प्रकाश डाला गया है।

संस्थाओं को मजबूत करने की स्कीम का उद्देश्य भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी मौजूदा संस्थाओं को मजबूत बनाना तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीएम) की स्थापना करना है। उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय के अधीन दो बोर्डों अर्थात भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड एवं राष्ट्रीय मांस तथा कुक्कुट पालन प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना की गई है।

राज्यों को केन्द्र का हिस्सा जारी किया जाना

2919. श्री वैजयंत पांडा :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के संदर्भ में उड़ीसा तथा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों को केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय हिस्सा जारी करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) इंदिरा आवास योजना आवंटन आधारित योजना है और ग्रामीण आवासों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को वर्ष के प्रारंभ में आवंटित की जाती है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दो किश्तों में रिलीज की जाती हैं। किसी विशेष जिले के लिए 50 प्रतिशत आवंटन के बराबर पहली किश्त की राशि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन सभी जिलों को रिलीज की जाती है जिन्होंने विगत वर्ष के दौरान दूसरी किश्त की राशि बिना शर्त प्राप्त की थी। जहां दूसरी किश्त उपलब्ध नहीं कराई जाती है अथवा कुछ शर्तों के साथ रिलीज की जाती है तो आगामी वर्ष में निधियों की पहली किश्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने अथवा शर्तें पूरी करने पर, जो भी स्थिति हो, दी जाती है। राजस्थान के पांच जिले और उड़ीसा के दो जिलों को चालू वर्ष 2009-10 के दौरान निधियों की पहली किश्त प्राप्त होनी है। राजस्थान और उड़ीसा सहित उन जिलों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अब तक पहली किश्त रिलीज नहीं की गई है के राज्यवार नाम और उनके कारणों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

नरेगा मांग आधारित है और केन्द्र सरकार श्रमिकों की मांग के आधार पर जिलों को निधियां रिलीज करती है। राज्यों को नरेगा अधिनियम की अध्याय चार पैरा 14 के उप पैरा और नरेगा के परिचालन दिशा-निर्देश के पैरा 8.4 के अनुसार क्षेत्र स्तर पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तावित जिलेवार श्रम बजट प्रस्तुत करना होता है। श्रम बजट स्वीकार होने पर वित्त वर्ष के प्रथम छह माह की आवश्यक राशि वित्त वर्ष के अप्रैल माह में रिलीज की जाती है। दूसरी किश्त की रिलीज उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और विगत वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियों के लिए लेखा परीक्षा सहित कतिपय निर्धारित मापदंडों के आधार पर क्षेत्र में वास्तविक निष्पादन पर निर्भर करती है। राजस्थान और उड़ीसा के जिलों सहित जिलों जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान निधियां रिलीज नहीं की गई है की राज्यवार सूची और निधियां नहीं रिलीज नहीं करने के कारणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार संबंधित राज्यों के पास लंबित दस्तावेजों/स्पष्टीकरणों को गति प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सतत सम्पर्क में है।

विवरण-I

जिले जिन्हें चालू वर्ष 2009-10 के दौरान निधियां रिलीज नहीं की गई हैं और निधियां रिलीज नहीं करने के कारण

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों के नाम	कारण
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	(i) दिबांग घाटी	दूसरी किश्त विगत वर्ष में भी उपलब्ध नहीं कराई गई। आइएवाई सामान्य और 5% आईएवाई के लिए अलग-अलग संशोधित प्रस्ताव मांगे नए लेकिन अभी तक अपेक्षित हैं।

1	2	3	4
		(ii) उपरी सियांग	ब्लॉकवार व्यय विवरण (बीईएस) नहीं दिए गए और बचत में से वर्ष 2007-08 के दौरान रिलीज की गई निधियां उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई। अब प्राप्त हुए दस्तावेज और निधियों के रिलीज पर विचार किया जा रहा है।
2.	असम	करीमगंज	(यूसी) और (एआर) में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरी किश्त रिलीज करते समय शर्ते लगाई गई। वर्ष 2007-08 में शर्ते पूरी नहीं की गई।
3.	बिहार	(i) गया	5 प्रतिशत आईएवाई के अंतर्गत रिलीज किए गए (यूसी) उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना था।
		(ii) गोपालगंज	उपयोग प्रमाण-पत्र में अर्थशेष के अंतर का समाधान किया जाना था।
		(iii) पूर्वो चंपारन	(यूसी) और (एआर) में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरी किश्त रिलीज करते समय शर्ते लगाई गई। वर्ष 2007-08 में शर्ते पूरी नहीं की गई।
4.	गुजरात	भावनगर	उपयोग कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत से कम है।
5.	हिमाचल प्रदेश	(i) किनौर	निधियों एक मुस्त किश्तों में रिलीज की जाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव में कतिपय विसंगतियां है।
		(ii) लाहुल स्पीति	-वही-
6.	जम्मू और कश्मीर	(i) किश्तवार	विगत वर्ष दूसरी किश्त उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 2007-08 के लिए (यूसी) और (एआर) मांग गई जो अभी अपेक्षित है।
		(ii) रामबन	-वही-
		(iii) कूपवाड़ा	दूसरी किश्त रिलीज करते समय बताई गई विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। निधियों की रिलीज पर विचार किया गया है।
		(iv) लेह	निधियां एक मुस्त किश्तों में रिलीज की जाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव में कतिपय विसंगतियां है।
		(v) करगिल	निधियां एक मुस्त किश्तों में रिलीज की जाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव में कतिपय विसंगतियां है।
7.	मध्य प्रदेश	(i) खरगोंन	(यूसी) और (एआर) में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरी किश्त रिलीज करते समय शर्ते लगाई गई। वर्ष 2007-08 में शर्ते पूरी नहीं की गई।

1	2	3		4
8.	मणिपुर	(i)	विष्णुपुर	दूसरी किश्त उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रस्ताव में उल्लखित विसंगतियां दूर की जानी है।
		(ii)	थोबल	-वही-
		(iii)	उखरूल	-वही-
		(iv)	इम्फाल पश्चिम	-वही-
9.	मेघालय	(i)	रीभोई	(यूसी) और (एआर) में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरी किश्त रिलीज करते समय शर्ते लगाई गई। वर्ष 2007-08 में शर्ते पूरी नहीं की गई।
		(ii)	दक्षिण गारो हिल्स	दूसरी किश्त उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रस्ताव में उल्लखित विसंगतियां दूर की जानी है।
		(iii)	पश्चिम खासी हिल्स	-वही-
10.	उड़ीसा	(i)	जगत सिंह पुर	विगत वर्ष दूसरी किश्त प्राप्त नहीं हुई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
		(ii)	बालासोर	विगत वर्ष भी निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 2008-09 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट अपेक्षित है।
11.	पंजाब	(i)	जालंधर	विगत वर्ष दूसरी किश्त प्राप्त नहीं हुई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
12.	राजस्थान	(i)	पाली	(यूसी) और (एआर) में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरी किश्त रिलीज करते समय शर्ते लगाई गई। वर्ष 2007-08 में शर्ते पूरी नहीं की गई।
		(ii)	झालावाड़	दूसरी किश्त रिलीज करते समय बताई गई विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। निधियों की रिलीज पर विचार किया गया है।
		(iii)	डूगरपुर	(यूसी) और (एआर) में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरी किश्त रिलीज करते समय शर्ते लगाई गई। वर्ष 2007-08 में शर्ते पूरी नहीं की गई।
		(iv)	सिरोही	दूसरी किश्त रिलीज करते समय बताई गई विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। निधियों की रिलीज पर विचार किया गया है।
		(v)	झुंझनू	प्रतीक्षा में सूची पूरी हो गई। निधियों की आवश्यकता नहीं।
13.	उत्तर प्रदेश	(i)	बलरामपुर	दूसरी किश्त रिलीज करते समय बताई गई विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। निधियों की रिलीज पर विचार किया गया है।
14.	पश्चिम बंगाल	(i)	मेदनीपुर पूर्व	विगत वर्ष दूसरी किश्त उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 2007-08 के लिए (यूसी) एवं (एआर) मांग गई है।

1	2		3	4
		(ii)	दक्षिण 24 परगना	विगत वर्ष दूसरी किश्त भी उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 2007-08 के लिए (यूसी) एवं (एआर) में विसंगतियां दूर की जानी है।
		(iii)	दार्जिलिंग	विगत कुछ वर्षों से निधियां उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ष भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।
15.	उत्तरांचल	(i)	नैनीताल	विगत वर्ष दूसरी किश्त भी उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत से कम था।
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	(i)	अंडमान	निधियां एक मुस्त किश्त में रिलीज की जाती है। प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए।
		(ii)	निकोबार	
		(iii)	उत्तर और मध्य अंडमान	
17.	दादरा और नगर हवेली	(i)	दादरा और नगर हवेली में 2008-09 में निधियां रिलीज नहीं की गई।	विगत वर्ष दूरी किश्त भी उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यय कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत से कम था।
18.	दमन और दीव	(i)	दमन और दीव	वर्ष 2002-03 से निधियां उपलब्ध नहीं हुई है। व्यय उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत से कम था।
19.	लक्षद्वीप	(i)	लक्षद्वीप	निधियां एक मुस्त किश्त में रिलीज की जाती है। प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए।
20.	पांडिचेरी	(i)	पांडिचेरी	विगत वर्ष भी निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई। अब प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और रिलीज पर विचार किया जा रहा है।

विवरण-II

उन जिलों की राज्यवार सूची जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान निधियां रिलीज नहीं की गई हैं

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2009-10 में निधियां रिलीज न किए जाने के कारण
1	2	3
गुजरात		
1.	डांग	*अत्यधिक अथशेष
2.	वलसाड	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
3.	आणंद	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
4.	गांधी नगर	*अत्यधिक अथशेष **लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
5.	जाम नगर	*अत्यधिक अथशेष **लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
6.	सुरेन्द्र नगर	*अत्यधिक अथशेष

*अत्यधिक अथशेष

1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास अत्यधिक निधियां हैं

**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

वर्ष 2007 तक के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

1	2	3
पंजाब		
1.	जालंधर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
2.	पटियाला	2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
3.	संगरूर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
4.	एसएएस नगर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
5.	लुधियाना	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
6.	बरनाला	2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
7.	कपूरथला	*अत्यधिक अथशेष एसजीआरवाई तथा एनआरईजीए का 2007-08 का यू.सी. अपेक्षित है
8.	फिरोजपुर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
9.	मुक्तसर	2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
10.	रूपनगर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
11.	तरणतारन	*अत्यधिक अथशेष

*अत्यधिक अथशेष

1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास अत्यधिक निधियां हैं

आंध्र प्रदेश		
1.	रंगारेड्डी	*अत्यधिक अथशेष
2.	कृष्णा	
3.	विशाखापट्टनम	2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
4.	डब्ल्यू. गोदावरी	

*अत्यधिक अथशेष

1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास अत्यधिक निधियां हैं

1	2	3
कर्नाटक		
1.	दावनगेरे	*अत्यधिक अथशेष
2.	रायचूर	*अत्यधिक अथशेष
3.	हासन	*अत्यधिक अथशेष
4.	मांडिया	*अत्यधिक अथशेष
5.	चामराज नगर	*अत्यधिक अथशेष
6.	टुमकुर	*अत्यधिक अथशेष
7.	हावेरी	*अत्यधिक अथशेष
8.	बंगलौर (शहरी)	*अत्यधिक अथशेष
9.	दक्षिणी कन्नड़	*अत्यधिक अथशेष
10.	कोलर	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
11.	उत्तरी कन्नड़	*अत्यधिक अथशेष
12.	धारवाड़	*अत्यधिक अथशेष
13.	उडुपी	*अत्यधिक अथशेष
14.	बंगलौर (ग्रामीण)	*अत्यधिक अथशेष
15.	चिकबालापुरा	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
16.	रामनगर	*अत्यधिक अथशेष

*अत्यधिक अथशेष

1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास अत्यधिक निधियां हैं

**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

वर्ष 2007 तक के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

महाराष्ट्र		
1.	अहमदनगर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
2.	अमरावती	एजीआरवाई का 2006-07 का यू.सी. तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट अपेक्षित है

1	2	3
3.	भंडारा	*अत्यधिक अथशेष
4.	चंद्रपुर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
5.	यवतमाल	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
6.	अकोला	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
7.	बुलढाना	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
8.	उस्मानाबाद	2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
9.	वर्धा	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
10.	वासिम	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
11.	बीड़	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
12.	जलगांव	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
13.	जालना	**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
14.	कोल्हापुर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
15.	नागपुर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
16.	नासिक	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
17.	परभनी	*अत्यधिक अथशेष **लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
18.	पूना	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
19.	रायगडा	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
20.	रत्नागिरि	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
21.	सांगली	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
22.	सतारा	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
23.	सिंधुदुर्ग	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है
24.	शोलापुर	*अत्यधिक अथशेष 2007-08 का यू.सी. तथा एआर अपेक्षित है

*अत्यधिक अथशेष

1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास अत्यधिक निधियां हैं

**लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

वर्ष 2007 तक के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

उत्तर प्रदेश

1.	फरूखाबाद	वर्ष 2007-08 की एआर के पैरा 5-10 के संबंध में लेखा परीक्षक की अभ्युक्तियों के संबंध में टिप्पणियां
2.	श्रावस्ती	एसजीआरवाई की वर्ष 2007-08 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट
3.	बुलंदशहर	वर्ष 2007-08 के दौरान नरेगा के तहत रिलीज किए गए 68.50 लाख रु. का यूसी तथा एआर। यूसी तथा एआर में 149.02 लाख रु. का सीबी दिखाया गया है जबकि 2008-09 के यूसी में 88.69 लाख रु. का अथशेष दिखाया गया है।
4.	गौतमबुद्ध नगर	वर्ष 2007-08 के यूसी तथा एआर के साथ प्रस्ताव तथा वर्ष 2008-09 का यूसी। नरेगा के लिए 2007-08 का यूसी तथा एआर।

1	2	3
5.	मेरठ	एसजीआरवाई का 2007-08 का यूसी तथा एआर
6.	कांशीराम नगर	वर्ष 2008-09 के दौरान एटा जिले से प्राप्त धनराशि तथा वर्ष के दौरान किए गए व्यय की जानकारी नहीं दी गई है।

सीबी का अर्थ है अंतशेष

तमिलनाडु

1	2	3
1.	नीलगिरि	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
2.	कन्याकुमारी	नरेगा का वर्ष 2007-08 का यूसी तथा एआर आपस में मेल नहीं खाते हैं। एसजीआरवाई का वर्ष 2007-08 के ब्लॉकवार व्यय का ब्यौरा। नरेगा का वर्ष 2008-09 का यूसी
3.	डिंडीगुल	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
4.	शिवगंगई	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
5.	तंजावूर	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
6.	करूर	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
7.	वेल्लोर	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
8.	सालेम	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
9.	नम्मकल	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
10.	धर्मपुरी	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
11.	इरोड	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं
12.	कोयम्बटूर	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष होने के कारण जिले के पास पर्याप्त निधियां हैं

पश्चिम बंगाल

1	2	3
1.	मालदा	लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत वर्ष 2006-07 के ब्लॉकवार व्यय का ब्यौरा तथा वर्ष 2007-08 का यूसी तथा एआर और प्रस्ताव के साथ 2008-09 का यूसी
2.	उत्तरी दिनाजपुर	वर्ष 2006-07 के यूसी तथा एआर का ओबी तथा सीबी आपस में मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2007-08 का यूसी तथा एआर और प्रस्ताव के साथ 2008-09 का यूसी
3.	दक्षिणी दिनाजपुर	वर्ष 2007-08 का प्रस्ताव के साथ यूसी तथा एआर और 2008-09 का यूसी
4.	24 उत्तरी परगना	लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006-07 का संशोधित यूसी तथा वर्ष 2007-08 का प्रस्ताव के साथ यूसी तथा एआर और 2008-09 का यूसी
5.	नादिया	मार्च, 2007 में नादिया जिले को रिलीज किए गए 337.60 लाख रु. को यूसी/एआर में नहीं दर्शाया गया है। वर्ष 2006-07 के यूसी तथा एआर का सीबी आपस में मेल नहीं खाते हैं। यूसी तथा एआर के सीबी में 0.68 लाख रु. का अंतर है। वर्ष 2006-07 के एआर में 297.98 लाख रु. को 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार सीबी के रूप में दर्शाया गया है जबकि नरेगा के वर्ष 2007-08 के यूसी में 516.13 लाख रु. को विगत वर्ष के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।
6.	सिलीगुड़ी	लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत वर्ष 2006-07 के ब्लॉकवार व्यय का ब्यौरा तथा एसजीआरवाई के वर्ष 2007-08 की एआर
7.	हावड़ा	वर्ष 2007-08 के दौरान नरेगा के तहत रिलीज किए गए 68.50 लाख रु. की एआर।

1	2	3
		एसजीआरवाई खाते से 10 करोड़ रु. अलग करने के बाद वर्ष 2007-08 की नई एआर
हरियाणा		
1.	गुड़गांव	2007-08 के लिए यू.सी. और ए.आर. के साथ प्रस्ताव और यू.सी. 2008-09। एनआरईजीए के लिए 2007-08 के लिए यू.सी. और ए.आर.
2.	फरीदाबाद	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष की वजह से जिले के पास पर्याप्त राशि है।
3.	महेन्द्रगढ़	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष की वजह से जिले के पास पर्याप्त राशि है।
4.	रेवाड़ी	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष की वजह से जिले के पास पर्याप्त राशि है।
5.	सोनीपत	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष की वजह से जिले के पास पर्याप्त राशि है।
मध्य प्रदेश		
1.	रीवा	(1) 2007-08 के दौरान केंद्र और राज्य से 414.99 लाख रु. मिले हैं जैसाकि दिनांक 20.3.2009 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, किंतु यू.सी. और ए.आर. में यह राशि 302.09 लाख रु. दर्शाई गई है। (2) एनआरईजीए से अंतरित निधियों (350.06 लाख रु.) जैसाकि 2007-08 के लिए एसजीआरवाई के ए.आर. में दर्शाया गया है और एनआरईजीए को मिली निधियों (424.37 लाख रु.) जैसाकि 2007-08 के यू.सी. और ए.आर. में दर्शाया गया है में अंतर। इसके अलावा, एनआरईजीए में 350.06 लाख रु. अंतरित किए गए, एसजीआरवाई के ए.आर. में 31.3.2008 को शेष राशि 43.66 लाख रु. दर्शाई गई है। जबकि 2007-08 के यू.सी. के अनुसार एसजीआरवाई की कुल शेष राशि 31.3.2008 के अनुसार 393.73 लाख रु. थी।
2.	भिंड	वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए एनआरईजीए का यू.सी.। वर्ष 2007-08 के लिए एसजीआरवाई के खर्च का ब्लॉक वार ब्यौरा।
3.	उज्जैन	वर्ष 2007-08 के लिए एसजीआरवाई की ए.आर. की स्वच्छ प्रति और 2008-09 के लिए एनआरईजीए का यू.सी.।
4.	दतिया	वर्ष 2006-07 के लिए एसजीआरवाई की ए.आर. की स्वच्छ प्रति और 2008-09 के लिए एनआरईजीए का यू.सी.। वर्ष 2007-08 के लिए एसजीआरवाई और एनआरईजीए के खर्च का ब्लॉक वार ब्यौरा।
5.	होशंगाबाद	1. यू.सी. और ए.आर. की शेष नकद राशि मेल नहीं खाती है। श्रम दिवस के उच्च लागत के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।
6.	बैतुल	कार्यान्वयन एजेंसियों को मिली निधियां डीआरडीए द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित राशि से मेल नहीं खाती है।
7.	शहडोल	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष की वजह से जिले के पास पर्याप्त राशि है।
8.	बुरहानपुर	1.4.2009 को अत्यधिक अथशेष की वजह से जिले के पास पर्याप्त राशि है।
अरुणाचल प्रदेश		
1.	अपर सुबनसिरी	राज्य ने जिलों का श्रम बजट हाल ही में प्रस्तुत किया है जिस पर विचार किया जा रहा है।
2.	चांगलांग	
3.	लोहित	
4.	त्वांग	
5.	प. कामेंग	

1	2	3
6.	पूर्वी कामेंग	
7.	पापूमपारे	
8.	लोवर सुबनसिरी	
9.	पश्चिमी सियांग	
10.	पूर्वी सियांग	
11.	उत्तरी सियांग	
12.	तिरप	
13.	यू.डी. वैली	
14.	एल.डी. वैली	
15.	कुरुंग-कूमे	
16.	अंजाव	
असम		
1.	उत्तरी कछार हिल्स	आज तक अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	मारीगांव	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
3.	दरांग	(1) जिले ने 2006-07 के लिए एसजीआरवाई का यू.सी./ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है। (2) 2007-08 के लिए एनआरईजीए का यू.सी. और ए.आर. आपस में मेल नहीं खाते हैं।
4.	बरपेटा	विचाराधीन।
5.	गोलाघाट	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
6.	नगांव	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।

1	2	3
7.	सोनितपुर	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
बिहार		
1.	मधुबनी	विचाराधीन
2.	नवादा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
3.	समस्तीपुर	विचाराधीन
4.	शिवहर	विचाराधीन
5.	मुंगेर	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
6.	पूर्णिया	जिले ने एनआरईजीए के अंतर्गत वर्ष 2007-08 का बकाया यू.सी. प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिले ने 2007-08 के लिए एसजीआरवाई के अंतर्गत पूर्ण ए.आर. भी प्रस्तुत नहीं किया है।
7.	दरभंगा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
8.	रोहतास	विचाराधीन
9.	किशनगंज	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
10.	शेखपुरा	जिले ने 2007-08 के लिए एसजीआरवाई के अंतर्गत पूर्ण ए.आर. भी प्रस्तुत नहीं किया है।
11.	सीतामढ़ी	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।

1	2	3
12.	पश्चिमी चम्पारण	(1) जिले ने 2006-07 के लिए एसजीआरवाई का यू.सी./ए.आर (2) 2007-08 के दौरान 2007-08 के लिए लेखा परीक्षा टिप्पणी पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
13.	बेगूसराय	विचाराधीन
14.	सारण (छपरा)	जिले ने 2006-07 की पूरी अप्रयुक्त शेष राशि अगले वर्ष अर्थात 2007-08 में स्थांतरित नहीं की है। 2007-08 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
15.	अरवल	2007-08 के यू.सी./यू.आर. को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
छत्तीसगढ़		
1.	दंतेवाड़ा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
2.	कांकेर	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
3.	रायगढ़	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
4.	जांजगीर-चांपा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
हिमाचल प्रदेश		
1.	मंडी	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
2.	कुल्लू	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
3.	लाहौल-स्पीती	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
जम्मू और कश्मीर		
1.	अनंतनाग	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
2.	जम्मू	जिले ने 2006-07 के लिए एसजीआरवाई का यू.सी. और ए.आर प्रस्तुत नहीं किया है।
3.	श्रीनगर	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
4.	बढ़गाम	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
5.	पुलवामा	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
6.	बारामूला	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
7.	लद्दाख	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
9.	कारगिल	जिले ने 2007-08 के लिए एसजीआरवाई का यू.सी और ए.आर प्रस्तुत नहीं किया है।
9.	कठुआ	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
10.	उधमपुर	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
11.	गन्दरबल	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
12.	कुलगांव	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
13.	शौपियां	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।

1	2	3
14.	बंदीपुरा	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
झारखंड		
1.	गोड्डा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
2.	गुमला	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
3.	लोहरदग्गा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
4.	पश्चिमी सिंहभूम	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
5.	बोकारो	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
6.	धनबाद	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
7.	हजारीबाग	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
8.	रांची	स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया (जिले ने इस विषय में मंत्रालय के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद एसजीआरवाई के अंतर्गत कार्य करना जारी रखा।)
9.	गिरीडीह	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
10.	देवघर	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की

1	2	3
		जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
11.	खूंटी	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
केरल		
1.	पथनमथिट्टा	2007-08 और 2008-09 का यू.सी./ए.आर. आपस में मेल नहीं खाते हैं।
2.	एर्नाकुलम	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
मणिपुर		
1.	विष्णुपुर	जिले ने मार्च, 2009 की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
मेघालय		
1.	पश्चिमी खासी हिल्स	विचाराधीन।
उड़ीसा		
1.	बौध	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
2.	देवगढ़	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
3.	ढेंकानल	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
4.	झरसूगोडा	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
5.	कालाहांडी	2009-10 के दौरान शुरूआती छः माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।

1	2	3
6.	क्योंझर	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
7.	कोरापुट	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
8.	नवरंगपुर	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
9.	संबलपुर	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
10.	सोनपुर	जिले ने एजेंसीवार ब्यौरो के साथ 2007-08 का संशोधित यू.सी. प्रस्तुत नहीं किया है।
11.	सुदरगढ़	एनआरईजीए के अंतर्गत 2007-08 का यू.सी./ए.आर. आपस में मेल नहीं खाते हैं।
12.	बरगढ़	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
13.	आंगुल	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
14.	बालासोर	जिले ने 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
15.	जाजपुर	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
16.	कटक	जिले ने एसजीआरवाई के अंतर्गत 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
17.	जगतसिंहपुर	जिले ने एसजीआरवाई के अंतर्गत 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
18.	केंद्रपाड़ा	जिले ने एसजीआरवाई के अंतर्गत 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
19.	खुर्दा	जिले ने एसजीआरवाई के अंतर्गत 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
20.	नयागढ़	जिले ने एसजीआरवाई के अंतर्गत 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
21.	पुरी	जिले ने एसजीआरवाई के अंतर्गत 2007-08 का बकाया यू.सी. और ए.आर. प्रस्तुत नहीं किया है।
राजस्थान		
1.	प्रतापगढ़	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
1.	अंडमान (दक्षिण)	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
2.	निकोबार	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
1.	उत्तर और मध्य अंडमान	2009-10 के दौरान शुरूआती छ: माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के पास पर्याप्त अथशेष है।
लक्षद्वीप		
1.	लक्षद्वीप	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
पांडिचेरी		
1.	पांडिचेरी	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
2.	कराइकाल	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।

1	2	3
गोवा		
1.	उत्तरी गोवा	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
2.	दक्षिणी गोवा	राज्य/जिले ने 2009-10 का श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

महिला जनसंख्या

2920. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) सरकार ने देश में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण कराया है और न ही कराने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनआरईजीए लाभभोगियों हेतु बीमा सुरक्षा

2921. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत अब तक राज्य-वार एनआरईजीए के कितने कामगारों/लाभभोगियों को लाया गया है तथा इसके अंतर्गत उन्हें क्या लाभ प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इन कामगारों/लाभभोगियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) को आंध्र प्रदेश राज्य में लागू कर दिया गया है और लगभग 8 लाख श्रमिकों को राज्य में इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ निम्नानुसार हैं:—

(i) स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000 रु. की बीमा सुरक्षा राशि।

(ii) दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता के मामले में अधिकतम 75,000 रु. तथा दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता के लिए अधिकतम 37,500 रु.।

(iii) शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत शामिल किए गए अभिभावकों के बच्चों को इस योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक प्रति तिमाही, प्रति बच्चे के लिए 300 रु. की छात्रवृत्ति। यह लाभ दो बच्चों तक सीमित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। राज्य सरकारों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बीपीएल श्रेणी के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्य एमओएलई द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं। वर्तमान में, आरएसबीवाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र तथा झारखंड में लागू हैं।

[अनुवाद]

पोषण का आकलन

2922. **श्रीमती जयाप्रदा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कैलोरी/ऊर्जा पोषण की कमी के कारण राष्ट्र को हुए नुकसान का कभी आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा "नैशनल स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चाइल्डहुड मैलन्यूट्रिशियन" (दिसम्बर, 1997) शीर्षक से तैयार रिपोर्ट में कुपोषण संबंधी प्रमुख बीमारियों के कारण भारत में वार्षिक उत्पादकता ह्रास वर्ष 1996 में सकल घरेलू उत्पाद का 3-9% आंका गया था।

(घ) कैलोरी/ऊर्जा से भरपूर आहार सहित लोगों को पोषाहारीय स्थिति में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.) चला रहा है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाओं, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की 6 सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है।

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में सुधार किए गए हैं, जिनमें पोषाहारीय एवं वित्तीय मानकों में वृद्धि शामिल हैं। ये संशोधित मानक इस प्रकार है:—

श्रेणी	संशोधित दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन)	संशोधित पोषाहारीय मानक	
		कैलोरी (कैल)	प्रोटीन (ग्राम)
(i) बच्चे (6-72 माह)	4.00 रुपये	500	12-15
(ii) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	6.00 रुपये	800	20-25
(iii) गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	5.00 रुपये	600	18-20

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अतिरिक्त, सरकार देश भर में कई ऐसे कार्यक्रम चला रही है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की पोषाहारीय स्थिति में सुधार करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महिलाओं और बच्चों में कैलोरी/ऊर्जा से भरपूर पोषण की कमी में सुधार करने वाली स्कीमें/कार्यक्रम

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें बच्चों के समुचित विकास एवं जीवन रक्षा के लिए चलाए जाने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:—
   - संस्थाओं में प्रसव को बढ़ावा देने, प्रसव-पूर्व देखरेख सेवा के प्रसासर एवं गुणवत्ता में सुधार करने, गर्भवती महिलाओं को कुशल देखरेख प्रदान करने इत्यादि के लिए जननी सुरक्षा योजना।
   - टीकाकरण।
   - नवजात शिशुओं और बच्चों को होने वाली बीमारियों का समेकित उपचार।
   - 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विटामिन 'ए' अनुपूरण तथा शिशुओं, स्कूल-पूर्व बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आयरन एवं फौलिक एसिड अनुपूरण के माध्यम से विटामिन 'ए' तथा आयरन एवं फौलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के निवारण एवं रोकथाम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए आयोडीन-युक्त नमक का वितरण भी किया जा रहा है।
   - गंभीर कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों का सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उपचार।
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अल्प-पोषित किशोरियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम चला रहा है।
3. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहारीय समर्थन कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) चला रहा है।
4. स्तनपान और आहार में विविधता को बढ़ावा देने सहित जागरूकता बढ़ाने और आहारीय पद्धतियों में यथेष्ट परिवर्तन लाने हेतु पोषण

एवं स्वास्थ्य शिक्षा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का खाद्य एवं पोषण बोर्ड विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं तथा जन सामान्य के बीच पोषण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के विषय में समर्थन, प्रशिक्षण और जागरूकता विकास कार्यकलाप चला रहा है।

शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आहार पद्धतियों को बढ़ावा देने पर और अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। ये आहार पद्धतियां इस प्रकार हैं:—

- शिशु के जन्म के तुरन्त बाद और यदि संभव हो तो एक घंटे के भीतर उसे स्तनपान कराना शुरू करना।
- पहले छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराना।
- छह माह की आयु से शिशु को पूरक आहार के साथ-साथ स्तनपान कराना।
- शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करके इनका देश भर में प्रचार-प्रसार किया गया है।
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलें और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992, जिसे शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, का कार्यान्वयन।

5. खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंतोदय अन्न योजना के माध्यम से सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है।

6. अन्य उपाय इस प्रकार हैं:—

- कृषि और बागबानी उत्पादों में वृद्धि करना।
- विभिन्न आय अर्जन स्कीमों के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना।

चीनी मिलों को ऋण

2923. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चीनी मिलों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान कर चीनी पैकेज क्रियान्वित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी मिलों को राज्य-वार ब्याजमुक्त ऋण के रूप में कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ग) किन बैंकों ने उक्त पैकेज को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने गन्ना किसानों को संबंधित चीनी मौसम के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से जुड़ी चीनी मौसम 2006-07 की गन्ना मूल्य बकाया राशि तथा चीनी मौसम 2007-08 की गन्ना मूल्य बकाया राशि को चुकाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए उनकी चलनिधि स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से दिनांक 7.12.2007 को, एक "चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना, 2007" की अधिसूचना कर दी थी। योजना में उन सभी चीनी मिलों को शामिल किया गया जो चीनी मौसम 2006-07 तथा 2007-08 में कार्यरत हैं। प्रदान किए गए ऋण की सीमा चीनी मौसम 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान चीनी के कुल उत्पादन पर देय आनुमानिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य है।

योजना में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को ऋण की कुल अवधि अर्थात् 2 वर्ष के अधिस्थगन के साथ 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली देश में चीनी मिलों को विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित ब्याज मुक्त ऋण की राशि से संबंधित राज्यवार आंकड़े नहीं प्रदान करती है।

(ग) और (घ) यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जानी है। किसी बैंक द्वारा इस पैकेज का कार्यान्वयन न करने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

लघु बचत योजनाओं में ब्याज दरें

2924. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चल रही लघु बचत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक योजना पर कितनी ब्याज दर लागू है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने डाकघरों और बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दर को बिगाड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) डाकघरों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संचालित की जा रही लघु बचत योजनाएं और इन योजनाओं पर लागू ब्याज दरें इस प्रकार हैं:–

योजना का नाम	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)/परिपक्वता मूल्य
1. डाकघर बचत जमा	3.50 प्रतिशत
2. डाकघर सावधि जमा	
1-वर्षीय	6.25 प्रतिशत
2-वर्षीय	6.50 प्रतिशत
3-वर्षीय	7.25 प्रतिशत
5-वर्षीय	7.50 प्रतिशत
3. डाकघर आवर्ती जमा (5-वर्षीय) (10 रुपए मूलयवर्ग खाते का परिपक्वता मूल्य)	रुपए 728.90 (लगभग 7.50 प्रतिशत)
4. मासिक आय खाता (6-वर्षीय)	8.00 प्रतिशत और परिपक्वता पर 5 प्रतिशत की दर से बोनस देय है (दिनांक 8/12/2007 को अथवा इसके पश्चात् खुले नए खातों पर)। दिनांक 13/2/2006 से पहले खोले गए खातों पर 10 प्रतिशत की दर पर बोनस देय था, जिसका आहरण दिनांक 13/2/2006 से खोले गए नए खातों में किया गया।
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (100 रुपए मूल्यवर्ग के प्रमाणपत्र का परिपक्वता मूल्य)	100 रुपए की राशि 6 वर्ष में 160.10 रुपए हो जाती है (8.20 प्रतिशत)
6. किसान विकास पत्र	8 वर्ष और 7 माह में राशि दोगुनी हो जाती है (लगभग 8.40 प्रतिशत)
7. *लोक भविष्य निधि (15-वर्षीय)	8.00 प्रतिशत
8. *वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (5-वर्षीय)	9.00 प्रतिशत

*केवल ये योजनाएं बैंकों के माध्यम से भी संचालित की जाती हैं।

(ख) और (ग) लघु बचत योजनाओं पर अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों के संदर्भ में ब्याज दरें निर्धारित नहीं की जाती हैं।

[अनुवाद]

चक्रीय निधि

2925. **श्री ए. सम्पत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक नई चक्रीय निधि की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क)

और (ख) जी, नहीं। हालांकि, एक तंत्र के रूप में दिसम्बर, 2007 में "भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)" नामक एक स्कीम अधिसूचित की गई थी जिसके माध्यम से प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी लेनदेन की लागतों के एक भाग का वित्तपोषण करने में सक्षम हो सकेगा। इससे उनके बजटों पर अधिप्राप्ति से संबंधित खर्चों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

आयकर विवरणी प्रक्रमण केन्द्र

2926. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2009-10 के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयकर विवरणी प्रक्रमण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों द्वारा विशेषकर देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में करदाताओं को किस प्रकार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) गुजरात सहित देश भर में ऐसे केन्द्रों की कब तक स्थापना हो जाने की संभावना है और ये कहां-कहां स्थित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी हां, इस समय सरकार के पास वर्ष 2009-10 के दौरान कर्नाटक राज्य में प्राप्त सभी आयकर विवरणियों की प्रोसेसिंग के लिए क्या देश में प्राप्त सभी ई-विवरणियों की प्रोसेसिंग के लिए केवल बेंगलुरू में एक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ग) इससे विवरणियों की प्रोसेसिंग तथा सभी करदाताओं को प्रतिदाय जारी करने में तेजी आएगी भले ही वे शहरी, ग्रामीण अथवा जनजातीय क्षेत्रों में क्यों न हों, यदि वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी विवरणियां दाखिल करते हैं।

(घ) आशा है कि बेंगलुरू में केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र अगस्त, 2009 के अन्त तक अपना कार्य शुरू कर देगा।

राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति

2927. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन और इसे बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नई पद्धतियां अपनाई गई हैं/अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त नीति कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) से (घ) सरकार ने दिसम्बर, 2008 में एक समेकित ऊर्जा नीति तैयार की है जिसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित ऊर्जा से सभी स्रोत शामिल हैं। इस नीति संबंधी दस्तावेज में अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर के अधिकाधिक दोहन सहित घरेलू ऊर्जा आपूर्ति विकल्पों को अधिकतम रूप से विकसित करने और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसमें आगे यह अनुमान लगाया गया है कि एक सम्मिलित प्रयास के साथ वर्ष 2031-32 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में अक्षय स्रोतों का हिस्सा 5 से 6 प्रतिशत तक हो सकता है।

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति

2928. श्री भक्त चरण दास : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर. एण्ड आर.) नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित किसानों के लिए विशेष प्रावधान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग द्वारा तैयार की गई संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 को मंत्रिमंडल द्वारा 11 अक्तूबर, 2007

को अनुमोदित किया गया और इसे भारत के राजपत्र में 31 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया है। संशोधित नीति को ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट (http:èèrural.nic.in) और भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट (http:èèdolr.nic.in) पर पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विस्थापन की स्थिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए नीति के पैरा 7.21 में विशेष उपबंधों को शामिल किया गया है। उपबंधों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007, भारत के राजपत्र (असाधारण) में इसके प्रकाशन की तारीख, अर्थात् 31 अक्तूबर, 2007 से लागू हुई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एन.आर.आर.पी.-2007) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं

- नीति में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामले शामिल किए गए हैं;
- उन परियोजनाओं के मामले में, जिनसे मैदानी/जनजातीय, पहाड़ी, अनुसूचित क्षेत्रों आदि में 400/200 या इससे अधिक परिवारों का विस्थापन होता है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) शुरू किया गया है;
- 200 और इससे अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास योजना तैयार करना;
- ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करने अथवा जन-सुविधाओं को अनिवार्य बनाया गया है;
- विस्थापन से पूर्व पुनर्वास का सिद्धान्त;
- यदि संभव हो, तो मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि;
- दक्षता विकास सहायता तथा परियोजना कार्यों में रोजगार में प्राथमिकता (प्रति एकल परिवार एक व्यक्ति);
- भूमि/रोजगार के बदले में पुनर्वास अनुदान;
- प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहीं कम्पनियां में शेयरों का विकल्प;
- भूमिहीनों सहित सभी प्रभावित परिवारों को आवास का लाभ;
- अभावग्रस्त व्यक्तियों जैसे विकलांगों, नि:सहाय, अनाथों, विधवाओं, सविवाहित लड़कियों आदि के लिए मासिक पेंशन;
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संयोजित मौद्रिक लाभ; जिन्हें आवधिक अंतरालों पर उपयुक्त रूप से संशोधित भी किया जाना है;
- पुनर्स्थापन क्षेत्रों में अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा सुख-साधन उपलब्ध कराना;
- परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों का विकास;
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की अध्यक्षता में प्रत्येक परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति;
- शिकायत निवारण हेतु ऑमबड्समैन;
- बाहरी पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग।

विवरण-II

7.21 अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ:—

7.21.1 ऐसी परियोजना के मामले में जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है और जिसमें 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, तो भूमि अर्जन के साथ-साथ विशेष अभियान चलाकर प्राप्य उन भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने, जिन्हें अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा अंतरित भूमि पर जनजातीय लोगों के स्वामित्व अधिकार बहाल करने के लिए विनिर्धारित किए जाने वाले स्वरूप में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक जनजातीय विकास योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में पांच वर्षों की अवधि के भीतर उन जनजातीय समुदायों, जिन्हें वनों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया है, की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर-इमारती लकड़ी आदि जैसे वन उत्पाद (एनटीएफपी) संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम भी शामिल होगा।

7.21.2 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अथवा उस समय प्रवृत्त संघ अथवा राज्य के किसी अन्य अधिनियम, जिसके तहत भूमि का अर्जन किया जाता है, के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से पूर्व अत्यावश्यकता के मामले में भूमि का अर्जन करने सहित ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के सभी मामलों में संविधान की अनुसूची V के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम-सभा अथवा पंचायतों से समुचित स्तर पर अथवा यथास्थिति, अनुसूची VI के क्षेत्रों में परिषदों से परामर्श किया जाएगा तथा यह परामर्श पंचायत (अनूसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार और अन्य संगत कानूनों के अनुसार होगा।

इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों में 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों (टी.ए.सी.) से भी परामर्श किया जाएगा।

7.21.3 यदि पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध है, तो भूमि के बदले भूमि के आबंटन में पहले अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी और तत्पश्चात् अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7.21.4 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि अर्जन किए जाने के मामले में, उन्हें प्राप्य प्रतिकर की राशि का कम से कम एक-तिहाई भाग प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में अदा किया जाएगा और शेष राशि भूमि का कब्जा लेने के समय पर अदा की जाएगी।

7.21.5 ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, प्रत्येक प्रभावित जनजातीय परिवार वन उत्पादों के संबंध में परम्परागत अधिकारों अथवा उपयोगों से वंचित होने के एवज में पांच सौ दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा।

7.21.6 प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को जहां तक संभव हो, उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक सुसंहत ब्लॉक में पुन: बसाया जाएगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सकें। अपवादों को केवल ऐसे विरल मामलों में ही अनुमति दी जाएगी जिनमें भूमि अर्जन वाली परियोजना के मामले में अर्जनकारी निकाय अथवा अनैच्छिक विस्थापन के अन्य मामलों में राज्य सरकार ऐसी भूमि का उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से भूमि मुहैया कराने में असमर्थ हो।

7.21.7 ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जनजातीय लोगों की बसावट हो, वहां पर सामुदायिक तथा सामाजिक सभाओं के लिए समुचित सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार भूमि बिना लागत के मुहैया करायी जाएगी।

7.21.8 ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है, ऐसे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवार, जिन्हें जिले के बाहर पुनर्स्थापित किया गया है।, पैरा 7.9, 7.10, 7.11 तथा 7.12 में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ मौद्रिक रूप से पच्चीस प्रतिशत अधिक प्राप्त करेंगे।

7.21.9 भूमि अंतरण के संबंध में उस समय प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करके किए गए जनजातीय लोगों की भूमि के किसी अंतरण को निष्प्रभावी माना जाएगा। ऐसी भूमि के अर्जन के मामले में पुनर्वास ओर पुनर्स्थापन लाभ केवल भूमि के मूल जनजातीय भू-स्वामी को ही दिए जाएंगे।

7.21.10 सिंचाई तथा जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों, अन्य परम्परागत वनवासियों और अनुसूचित जनजाति के परिवारों, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त थे, को सिंचाई अथवा जल-विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में स्थित जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

7.21.11 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवार, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, पुनर्स्थापन क्षेत्र में आरक्षण के ऐसे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

7.21.12 वे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवार भी, जिसके कब्जे में 13 दिसम्बर, 2005 के दिन से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में वन भूमि थी, इस नीति के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

निजी कंपनियों में शामिल होने वाले एनटीपीसी अधिकारी

2929. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कंपनी को छोड़कर निजी क्षेत्र में

नौकरी पाने वाले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) गत दो वर्षों (अप्रैल, 2007 से मार्च, 2009) के दौरान, किसी भी बोर्ड स्तर के अधिकारी ने त्यागपत्र नहीं दिया है और एनटीपीसी नहीं छोड़ी है। बोर्ड स्तर से नीचे के निजी कंपनियों में जाने वाले एनटीपीसी के अधिकारियों से संबंधित ब्यौरा/आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा किसी अन्य संगठन में पदभार ग्रहण करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, महाप्रबंधक और कायकारी निदेशक स्तर के अधिकारियों, जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान एनटीपीसी से त्यागपत्र दिया है और एनटीपीसी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए गए थे, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अनिवार्य राष्ट्रपति निर्देश, डीपीई दिशानिर्देश के अंतर्गत यथा अनिवार्य है, संगठन में प्रतिभा को बनाए रखने के लिए 01.01.2007 से कार्यपालक संवर्ग के कार्मिकों के मुआवजा पैकेज संशोधन हेतु एनटीपीसी को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी में कर्मचारी और उसकी/के पत्नी/पति के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सकीय लाभ भी दिए जाते हैं। एट्रिशन दर वर्ष 2007-08 के 3.1% से कम होकर वर्ष 2008-09 में 1.8% हो गई है।

विवरण

उन वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जिन्होंने गत दो वर्षों (2007-08 और 2008-09) में त्यागपत्र दिया है तथा एनटीपीसी छोड़ी है

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री)	छोड़ने की तारीख
1	2	3
1.	सतीश कुमार धर, महाप्रबंधक	02.04.2007
2.	पी. श्रीनिवास राव, महाप्रबंधक	31.05.2007
3.	आर.पी. गुप्ता, महाप्रबंधक	15.06.2007
4.	डी.पी. जोशी, महाप्रबंधक	13.08.2007
5.	के.के. पंडा, महाप्रबंधक	31.08.2007
6.	एस. त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक	10.08.2007
7.	एस.एल. बोस, महाप्रबंधक	30.11.2007
8.	एस.आर. यादव, कार्यपालक निदेशक	29.02.2008
9.	एच.एल. सैनी, महाप्रबंधक	31.01.2008
10.	के.के. सेठ, महाप्रबंधक	31.01.2008
11.	बी.एन. यादव, महाप्रबंधक	07.03.2008
12.	आर.आर. सोंडे, कार्यपालक निदेशक	31.03.2008
13.	ए. राधाकृष्णन, महाप्रबंधक	02.04.2008
14.	एम.के. परमेश्वरन, महाप्रबंधक	14.06.2008
15.	श्याम वढेरा, कार्यपालक निदेशक	17.11.2008
16.	सी. सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक	10.11.2008
17.	बी.एस. बिष्ट, महाप्रबंधक	13.04.2009

जीएम — महाप्रबंधक

ईडी — कार्यपालक निदेशक

[हिन्दी]

सी.एफ.एल. का उपयोग

2930. श्री राकेश सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्राकशमान विद्युत बल्बों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंपों (सीएफएल) के उपयोग को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय का विचार देश में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रकाशवान विद्युत बल्बों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का नहीं है।

तथापि, विद्युत मंत्रालय ने घरों में बिजली के बल्बों के स्थान पर ऊर्जा कुशल तथा उच्च कोटि के काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) को बढ़ावा देने के लिए बचत लैंप योजना (बीएलआई) शुरू की है। ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) घरेलू उपभोक्ताओं को उच्च कोटि का सीएफएल लगभग 15/- रुपये प्रति लैंप अर्थात बिजली के बल्बों के समतुल्य मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के तहत स्वैच्छिक प्रयासों का समन्वयन कर रहा है। इससे सीएफएल के महंगे दाम (जो इस समय 40 रुपये से 100 रुपये प्रति लैंप है) जिसकी वजह से यह घरों की पहुंच से बाहर है, की बाधा दूरी होगी। इसका लक्ष्य देश में प्रयोग में लाए जा रहे लगभग 40 करोड़ बिजली के बल्बों को बदलना है, जिसके फलस्वरूप 6000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट तक की विद्युत मांग में संभावित कमी आएगी तथा प्रत्येक वर्ष कार्बनडाइक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में लगभग 24 मिलियन टन की कमी आएगी। दरों में कमी क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) पर बल देते हुए की जाएगी जिसके द्वारा सीएफएल आपूर्तिकर्ता कार्बनडाइक्साइड का उत्सर्जन कम करने के आधार पर जो कि बिजली के बल्बों की तुलना में कम विद्युत खपत करने वाले सीएफएल की वजह से होगा, प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) के रूप में अर्जित करेंगे। योजना 25 फरवरी, 2009 को औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई थी। परियोजना को सहायता देने के लिए, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) ने स्वच्छ विकास तंत्र कार्यकारी मंडल के कार्यकलापों कार्यक्रम (पीईओ) के अंतर्गत "छत्र" (अम्ब्रेला) सीडीएम परियोजना तैयार की है। विजाग तथा यमुनानगर में दो पायलट परियोजनाएं यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के साथ पंजीकृत की जा चुकी हैं तथा सीएफएल का वितरण प्रारंभ हो चुका है।

[अनुवाद]

छोटे निवेशकों को संरक्षण

2931. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा कानून वित्तीय संस्थाओं और शेयर बाजार में छोटे जमाकर्ताओं और निवेशकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। विद्यमान कानून अर्थात् भारतीय रिजर्व अधिनियम, 1934 वित्तीय संस्थाओं में छोटे जमाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित को स्थूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत कंपनियां, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं, (ख) अनधिकृत रूप से सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार करने वाले अनिगमित निकाय (यूआईबी)। एनबीएफसी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय III और V के तहत किया जाता है, यूआईबी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उल्लिखित संबंधियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया गया है।

इसी प्रकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के तहत, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसको विनियमित करना सेबी का कर्तव्य हैं। सेबी अधिनियम, 1992, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन (अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत अपने सांविधिक कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए, सेबी ने प्रतिभूति बाजार में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न विनियम/मार्गनिर्देश बनाए हैं। इनमें सेबी (प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा) मार्गनिर्देश, 2000 शामिल है, जिसमें प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए पात्रता संबंधी अपेक्षाओं और प्रतिभूतियों में निवेशकों में अंशदान का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव संबंधी दस्तावेजों में किए जाने वाले प्रकटीकरणों को विनिर्दिष्ट किया गया है। मार्गनिर्देशों में यह भी अपेक्षा की गई है कि सेबी द्वारा पंजीकृत मर्चेंट बैंकर द्वारा इस संबंध में सम्यक सावधानी प्रमाणपत्र जारी किया जाए जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का उल्लेख किया जाए कि प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज में किए प्रकटीकरण सही, उचित और पर्याप्त हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने पर, 14 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने तमिलनाडु जमाकर्ता (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) हित सुरक्षा अधिनियम, 1997 की तरह विधान अधिनियमित किए हैं, जिनमें जमाराशियों और ब्याज की वापसी अदायगी में चूक करने वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों के प्रवर्तकों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार और अन्य नियामक निकायों के साथ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के संस्थागत ढांचे के माध्यम से निकट समन्वय के परिणामस्वरूप एनबीएफसी और अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियों की अनधिकृत रूप से स्वीकृति की पर्याप्त/बेहतर निगरानी हो रही है और उस पर प्रतिबंध लगा है। हाल ही में, सेबी ने निवेशकों की जानकारी और सुरक्षा के प्रयोजन के लिए निवेशक सुरक्षा और जानकारी निधि की स्थापना भी की है।

सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली के लिए रूपरेखा

2932. **श्री वरुण गांधी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली (आई.टी.एस.) के कार्यान्वयन की रूपरेखा बनाने में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली के कब तक लागू होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली (आईटीएस) का कार्यान्वयन एक बहु-विषयक गतिविधि और जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन

2933. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
डॉ. के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य द्वारा उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या देश में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) स्कीम जो स्लमों में रहने वाले शहरी गरीबों की आवासीय जरूरतों को पूरा करती है, को अब दिसम्बर, 2005 में विनिर्दिष्ट मिशन शहरों हेतु जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं बीएसयूपी उप घटक में तथा मिशन शहरों के अलावा शहरों/कस्बों हेतु एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में मिला दिया गया है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नाम की एक केन्द्र प्रायोजित रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य शहरी निर्धन बेरोजगारों और अल्प रोजगारों को प्रथमत: स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना और द्वितीयत: सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके नाम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर लाभकारी रोजगार प्रदान करना है।

(ग) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम घटकों) जो दिनांक 3.12.2005 से वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में शामिल हो गए हैं, के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों में जारी की गई भारत सरकार सब्सिडी का राज्य-वार संचयी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनंतिम से आबंटित केन्द्रीय राशि जारी धनराशि और तिमाही प्रगति रिपोर्टों (क्यूपीआर) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय और वर्ष 2009-10 के लिए अनंतिम आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) को वर्ष 2009-2010 से व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित एसजेएसआरवाई में अब पांच प्रमुख घटक हैं नामत:

(i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(ii) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)

(iii) शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्द्धन के लिए कौशल उन्नयन (स्टेप-अप)

(iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

(v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

विवरण-I

जेएनएनयूआरएम

शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07				2007-08				2008-09			
		परियोजना की संख्या	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या	परियोजना की संख्या	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या	परियोजना की संख्या	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9	572.61	284.34	30320	5	511.27	250.63	14675	[illegible]	1302.40	650.50	40699
2.	अरुणाचल प्रदेश	0		0		1	4.10	3.36	100	1	45.15	40.59	752
3.	असम	0		0		1	53.95	48.56	1232	1	54.49	49.04	1028
4.	बिहार	0		0		9	367.72	179.54	14596	9	342.27	133.22	7776
5.	छत्तीसगढ़	4	391.45	312.18	27976	0	0	0		1	28.79	23.03	888
6.	चंडीगढ़	2	544.94	396.13	25728	0	0	0		0	0	0	
7.	दिल्ली	0	0	0		11	1506.89	630.9	57504	4	307.59	137.83	8000
8.	गोवा	0	0	0		1	10.22	4.6	155				
9.	गुजरात	10	1028.32	497.36	72368	3	240.55	115.63	15136	3	168.02	78.75	7580
10.	हरियाणा	2	64.23	31.18	3248	0				0	0	0	
11.	हिमाचल प्रदेश	1	9.99	7.05	252	1	14.01	11.21	384	0	0	0	
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0		2	105.17	84.88	5208	3	57.22	49.56	1469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	झारखंड	0	0	0		5	195.29	132.91	7218	6	175.38	118.69	5008
14.	कर्नाटक	3	238.84	125.40	14511	4	271.43	147.57	7335	11	236.91	134.99	6272
15.	केरल	3	69.20	47.17	4748	3	234.92	155.22	17460	1	39.55	31.18	1369
16.	मध्य प्रदेश	14	428.22	206.02	26205	1	17.41	13.26	1320	3	183.98	87.59	8157
17.	महाराष्ट्र	31	2934.82	1299.50	105978	5	1200.65	632.62	30034	19	1739.27	834.00	32506
18.	मेघालय	0	0	0		2	30.44	23.77	600	1	21.30	16.58	168
19.	मणिपुर	0	0	0		0	0	0		1	51.23	43.91	1250
20.	मिजोरम	0	0	0		2	34.33	28.91	408	2	56.99	51.20	688
21.	उड़ीसा	0	0	0		5	67.17	48.77	2316	1	7.45	5.41	192
22.	पंजाब	0	0	0		2	72.43	36.15	5152	0	0	0	
23.	पुडुचेरी	0	0	0		2	43.97	32.31	1304	0	0	0	
24.	सिक्किम	0	0	0		1	3.25	2.79	52	2	30.33	26.26	202
25.	नागालैंड	1	134.50	105.60	3504	0	0	0		0	0	0	
26.	राजस्थान	2	277.14	169.20	17337	0	0	0		0	0	0	
27.	तमिलनाडु	19	830.26	359.67	44021	5	1303.85	587.69	41586	27	193.21	94.44	5711
28.	त्रिपुरा	0	0	0		1	16.73	13.96	256	0	0	0	
29.	उत्तर प्रदेश	5	82.13	38.58	4680	7	355.58	162.50	17072	55	1893.13	937.76	46240
30.	उत्तराखंड	0	0	0		4	22.88	18.08	524	4	13.24	9.93	249
31.	पश्चिम बंगाल	45	1169.51	556.54	60312	31	1241.80	610.01	54932	15	881.74	440.87	24808
	कुल	151	8796.15	4435.94	441188	114	7926.01	3975.83	296559	187	7829.6	3995.33	201012

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07				2007-08				2008-09			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजनओं की लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं. (नए+उन्नयन)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजनओं की लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं. (नए+उन्नयन)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजनओं की लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं. (नए+उन्नयन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	25	301.92	210.57	25170	32	385.30	300.55	4087	20	451.87	253.45	18639
2.	अरुणाचल प्रदेश	0		0	0	0	0	0	0	1	9.95	8.66	176
3.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0.50	0.45	0				
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	5.27	4.74	40	1	9.88	8.9	0
5.	दमन और दीव	0	0	0	0	1	0.69	0.58	16				
6.	असम	3	12.24	10.79	613	9	26.07	22.32	4780	3	28.76	23.38	1984
7.	बिहार	7	48.81	36.55	4167	3	31.92	23.21	2333	6	113.39	64.21	3264
8.	छत्तीसगढ़	14	176.50	122.01	14846					4	49.10	36.82	3076
9.	गुजरात	8	72.07	51.54	6200	15	155.43	101.59	12205	9	114.58	73.22	6108
10.	हरियाणा	15	238.84	182.96	14641					3	33.42	26.74	1785
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	23.44	16.19	816	3	31.90	20.88	800
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	10	42.40	32.23	2654	15	42.60	27.6	3408
13.	झारखंड	0	0	0	0	1	19.67	15.58	1292	6	123.67	66.65	6576

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. कर्नाटक	5	68.46	41.90	4070	20	171.81	103.86	8983	9	139.38	76.93	4184
15. केरल	15	65.25	50.10	6480	11	71.45	53.85	6411	11	55.50	41.94	5800
16. मध्य प्रदेश	23	197.17	138.00	14644	10	44.72	33.07	2518	4	28.48	21.88	1708
17. मिजोरम	0	0	0	0	1	8.27	6.21	500	7	31.00	23.57	1450
18. मणिपुर	0	0	0	0	2	16.50	12.37	1103	1	10.83	8.33	663
19. मेघालय	0	0	0	0	1	21.82	8.97	456	2	19.66	13.46	456
20. महाराष्ट्र	15	152.67	120.71	13036	20	245.77	181.94	18091	68	1390.85	827.96	58812
21. नागालैंड	1	87.74	44.14	2496	0	0	0		0	0	0	
22. उड़ीसा	0	0	0	0	15	83.63	59.13	4884	16	184.06	117.20	7709
23. पंजाब	0	0	0	0	2	42.40	25.55	3938	1	21.01	7.07	720
24. पांडिचेरी	0	0	0	0	1	17.03	5.48	432	0	0	0	
25. राजस्थान	17	140.06	110.08	10981	10	186.37	122.24	11526	4	83.37	48.36	3214
26. तमिलनाडु	22	146.05	112.56	12931	8	79.61	56.64	6832	52	249.24	162.77	15500
27. त्रिपुरा	0	0	0	0	1	7.19	6.33	400	2	20.01	17.60	1150
28. उत्तर प्रदेश	8	29.01	22.11	2032	1	4.29	2.78	204	124	771.75	485.32	29733
29. उत्तराखंड	0	0	0	0	2	5.85	2.91	231	0	0	0	
30. पश्चिम बंगाल	16	201.20	150.57	12824	44	365.43	260.70	20061	34	377.09	269.77	19726
कुल	194	1938.00	1404.57	145131	225	2062.83	1459.47	114293	406	4391.35	2732.67	196641

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान आबंटित/जारी केन्द्रीय अंश और व्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10
		अनंतिम आबंटन*	जारी राशि	सूचित व्यय	अनंतिम आबंटन*	जारी राशि	सूचित व्यय	अनंतिम आबंटन*	जारी राशि	सूचित व्यय	अनन्तिम आबंटन*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1938.99	2295.94	2295.94	2058.41	2058.41	2058.42	3115.78	4327.22	1773.79	3390.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	93.36	46.68	73.14	148.64	148.64	0.00	222.53	0.00	0.00	207.85
3.	असम	1234.44	368.27	94.78	1974.81	1974.81	1957.81	2956.48	2947.90	385.27	2956.05
4.	बिहार	1173.65	586.83	23.5	1225.54	1225.54	586.83	1855.09	1980.98	0.00	1790.24
5.	छत्तीसगढ़	698.46	698.46	305.34	741.48	741.48	492.38	1122.37	637.36	413.84	1075.14
6.	गोवा	18.79	0.00	4	73.29	0.00	1.12	110.94	0.00	0.00	90.56
7.	गुजरात	894.65	894.65	908.74	958.18	958.18	975.69	1450.38	1548.80	156.53	1501.44
8.	हरियाणा	171.67	571.67	683.8	361.47	553.03	800.20	547.14	1334.27	321.98	585.34
9.	हिमाचल प्रदेश	9.24	9.24	32.74	7.70	7.69	20.09	11.64	12.43	12.62	12.15
10.	जम्मू और कश्मीर	15.61	849.38	9.06	105.86	105.86	88.69	160.24	0.00	17.17	120.93
11.	झारखंड	391.11	0.00	0.00	480.90	480.90	0.00	727.93	0.00	0.00	728.91
12.	कर्नाटक	1416.98	1416.98	945.41	2410.37	2410.37	2102.72	3648.54	4896.14	2319.30	3524.71
13.	केरल	639.22	639.22	639.22	629.74	629.74	263.17	953.22	1017.91	0.00	948.13
14.	मध्य प्रदेश	1888.35	2388.35	1848.27	3120.18	3120.18	3050.94	4722.97	5043.48	2847.07	4087.96
15.	महाराष्ट्र	3276.34	3776.34	2851.33	5944.50	5944.50	6885.97	8998.10	9608.72	7439.06	8075.96
16.	मणिपुर	342.32	0.00	106.095	297.28	297.28	116.97	445.06	445.71	65.11	461.88
17.	मेघालय	176.35	97.65	71.18	254.81	254.81	4.72	381.48	190.74	0.00	369.51
18.	मिजोरम	233.40	533.40	233.4	233.58	233.58	116.79	349.70	350.20	174.85	369.51
19.	नागालैंड	145.23	145.23	145.23	191.11	191.11	191.11	286.11	286.53	143.06	277.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	उड़ीसा	808.97	808.97	460.97	1099.33	1099.33	730.39	1664.03	1776.95	931.06	1476.59
21.	पंजाब	136.63	135.71	54.9	159.24	159.24	23.25	241.04	120.52	39.53	358.93
22.	राजस्थान	852.93	852.93	568.21	1832.21	1832.21	563.62	2773.39	1574.91	455.94	2623.52
23.	सिक्किम	20.75	10.38	23.03	42.47	115.77	52.85	63.58	63.67	0.00	46.19
24.	तमिलनाडु	1591.51	1891.51	1891.51	2650.59	2650.59	1938.27	4012.17	4284.44	0.00	3817.38
25.	त्रिपुरा	254.15	127.08	131.8	297.28	297.28	264.38	445.06	248.84	0.00	461.88
26.	उत्तराखंड	187.91	93.96	232.38	350.61	350.61	51.01	530.71	566.72	0.00	488.70
27.	उत्तर प्रदेश	3566.49	4566.49	5045.32	4545.23	4545.23	3649.91	6880.05	8846.94	3881.97	6462.43
28.	पश्चिम बंगाल	1063.13	1063.13	807.59	1205.19	1205.19	894.10	1824.27	1948.07	1477.54	1940.44
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55.79	0.00	19.75	43.55	0.00	20.03	43.55	0.00	5.25	37.50
30.	चंडीगढ़	104.61	0.00	98.31	58.06	0.00	64.47	58.06	0.00	6.82	78.52
31.	दादरा और नगर हवेली	6.97	0.00	15.2	25.81	0.00	9.47	25.81	0.00	0.00	17.58
32.	दमन और दीव	11.62	0.00	0	22.58	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00	16.41
33.	दिल्ली	165.37	0.00	30.98	92.20	0.00	56.81	92.20	0.00	1.25	93.34
34.	पांडिचेरी	25.63	0.00	126.41	7.80	100.00	89.14	7.80	7.80	0.00	6.66
	कुल	23610.62	24868.45	20777.535	33650.00	33691.56	28121.32	50750.00	54067.25	22869.91	48500.00

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी गरीबी की स्थिति के अनुपात में किया गया अनन्तिम आबंटन

[हिन्दी]

जल विद्युत उत्पादन

2934. श्री संजय सिंह चौहान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता से बड़ी नदियों पर जल विद्युत उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो नदी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क)

से (घ) निम्नलिखित हाइड्रो परियोजनाएं राज्य सरकार/राज्य सरकार यूटिलिटियों की प्रतिभागिता के साथ संयुक्त उद्यम योजनाओं के रूप में सरकार के द्वारा क्रियान्वयन के लिए विचाराधीन हैं:—

(i) चेनाब नदी पर 2120 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के विकास के लिए एनएचपीसी लिमिटेड, सीपीएसयू तथा जम्मू व कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हो चुका है।

(ii) मणिपुर राज्य में बारक नदी पर 1500 मेगावाट (अर्थात तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना) के विकास के लिए एनएचपीसी लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) दोनों सीपीएसयू तथा मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया जा चुका है।

(iii) मणिपुर राज्य में लेमाटक नदी पर 66 मेगावाट अर्थात लोकटक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना) के विकास के लिए एनएचपीसी लिमिटेड तथा मणिपुर सरकार के बीच में संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया जा चुका है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जाली वित्तीय कंपनियां

2935. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री सी. शिवासामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में जाली वित्तीय कंपनियां सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी वित्तीय कंपनियों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं करती है। तथापि, आरबीआई अधिनियम में विनिर्दिष्ट रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से जमा स्वीकार करने पर रोक होने पर भी कुछ अनिगमित निकाय (यूआईबी) अप्राधिकृत रूप से सार्वजनिक जमा स्वीकार कर रहे हैं। यूआईबी द्वारा जमा का अप्राधिकृत स्वीकार्यता के ऐसे मामलों को संबंधित राज्य के पुलिस विभाग की आर्थिक अपराध शाखा को भेजा जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर, तमिलनाडु जमाकर्ता (वित्तीय प्रतिष्ठानों) में हित संरक्षण अधिनियम, 1997 की तरह का विधेयक विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिनियमित किया गया है। इस विधान में, जमा और ब्याज को वापस करने में चूक करने वाले वित्तीय संगठनों के प्रवर्तकों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। अब तक 14 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश ने इस तरह के विधान अधिनियमित किए हैं। राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के संस्थागत संरचना का राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों के साथ घनिष्ठ समन्वयन से बेहतर निगरानी और एनबीएफसी और अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशि को अप्राधिकृत रूप से स्वीकार किए जाने पर प्रतिबंध लगाने में काफी सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

जल संरक्षण के लिए सहायता

2936. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडब्ल्यूपी) के अंतर्गत कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार, जल संरक्षण तथा छत पर वर्षा जल एकत्रण से संबंधित परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। पूर्ववर्ती त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) जिसे 1.4.2009 से

नए सिरे से बनाया गया और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का नाम दिया गया, के जरिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य जल संरक्षण और छत पर वर्षा जल एकत्रीकरण करने सहित स्थायित्व को बढ़ावा देने वाले उपायों के लिए आबंटित निधियों की 20% राशि तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। केन्द्र सरकार इस घटक को पूरी तरह वित्तपोषित करती है। इस योजना के अलावा केन्द्र के अन्य कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हरियाली योजना, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम आदि के अंतर्गत कार्यों के साथ जल संरक्षण उपायों का तालमेल बिठाया जा सकता है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों में स्थायित्व संबंधी उपायों के दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रायः परामर्श किया जाता है तथा उनके द्वारा दी गई जानकारियों का तकनीकी नोट, पुस्तिकाओं, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। सभी राज्यों के साथ ऐसी अंतिम कार्यशाला हैदराबाद में 24-26 जून, 2009 को आयोजित की गई थी।

पंचायती राज प्रणाली का कार्यान्वयन

2937. श्री राधामोहन सिंह : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में अभी तक पंचायती राज प्रणाली कार्यान्वित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे राज्यों में पंचायती राज प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (ग) देश में जहां संविधान का भाग-IX लागू होता है, पंचायती राज प्रणाली अनुबंधित है। झारखंड राज्य में पंचायतों का चुनाव गत पंचायत के कार्यकाल से नहीं कराया गया है एवं मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने पंचायतों के प्रावधान के लिए अपना विधान लागू किया है एवं वहां पंचायतों के चुनाव नहीं कराए गए हैं।

इंदिरा आवास योजना में अनियमितताएं

2938. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत गरीबों के लिए आवासों के निर्माण में अनियमितताओं के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) एक बार इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधियों के आबंटन तथा रिलीज के पश्चात योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। तदनुसार जब भी इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता/कमी के संबंध में कोई शिकायत इस मंत्रालय को प्राप्त होती है तो वह मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ तुरंत उठाया जाता है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के मामले में इस मंत्रालय के पैनल पर राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को इन शिकायतों की जांच करने के लिए कहा जाता है। यदि अनियमितता सिद्ध हो जाये तो राज्य सरकारों को सुधारात्मक उपाय करने के अनुदेश दिये जाते हैं। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए मकानों के निर्माण में अनियमितताओं के मामलों तथा उनपर की गई कार्रवाई की सूची

1. बिहार

(क) 12.4.2006 को श्री सीताराम यादव, सांसद (लोक सभा) से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत – युजार मध्य, ब्लॉक – कटरा, जिला – मुजफ्फरपुर के ग्रामीणों की बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें भेजी थीं। इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि आईएवाई के आबंटन के लिए प्रत्येक लाभार्थी से रिश्वत के रूप में 2000 रु. से 5000 रु. तक की राशि ली गई थी।

की गई कार्रवाई

इस मामले की एनएलएम द्वारा जांच की गई तथा कुछ अनियमितताएं पाई गईं। 14.6.2006 को बिहार सरकार से इस मामले

को देखने तथा सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, स्थिति रिपोर्ट प्रतीक्षित है। अंतिम अनुस्मारक 19.1.2009 को भेजा गया था।

(ख) 25.1.2007 को श्री रामवरण प्रसाद, पूर्व सरपंच तथा अन्य, ग्राम पंचायत – टेटर, जिला – गया से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत – टेटर, जिला – गया में निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

इस मामले को बिहार सरकार के साथ उठाया गया था। अंतिम अनुस्मारक 19.1.2009 को भेजे जाने के बावजूद भी स्थिति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) 6.9.2008 को श्री बली राम चौधरी, उप सरपंच, ग्राम पंचायत – राजसिधवाल, ब्लॉक – हुसैनगंज, जिला – सीवान (बिहार) से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनियमितताओं एवं निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई।

की गई कार्रवाई

इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस शिकायत को बिहार सरकार को भेज दिया गया था।

(घ) 12.8.2008 को श्री शंकर दास, सचिव, भारतीय जन विकास मंच, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत – ग्राम बरना, ब्लॉक – कुशेशार, जिला - दरभंगा, बिहार में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा अपात्र अभ्यार्थियों के चयन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस शिकायत को बिहार सरकार को भेज दिया गया था।

2. उड़ीसा

(क) 11.6.2006 को श्री सीताकांत महापात्र, विधान सभा सदस्य से उड़ीसा में महाचक्रवात तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए नियत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

उड़ीसा के पुरी जिले में चक्रवात निधियों से संबंधित लेखाओं की नवम्बर, 2006 में इस मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा जांच की गई थी तब प्रक्रिया संबंधी चूक पाई गई। तत्पश्चात् इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा सभी जिलों के लेखाओं की जांच की जा रही है तथा 28 जिलों में से 14 जिलों के मामलों को सम्यक जांच के पश्चात् बंद कर दिया गया। शेष जिलों की जांच चल रही है।

(ख) उड़ीसा में महाचक्रवात तथा बाढ़ के पीड़ितों के लिए निर्धारित निधियों के दुरुपयोग के संबंध में 3.8.2006 को श्री जे. बी. पटनायक, नेता प्रतिपक्ष तथा उड़ीसा विधान सभा से एक शिकायत मिली थी।

की गई कार्रवाई

जैसाकि उपर्युक्त (क) के उत्तर में पहले ही बता दिया गया है, उड़ीसा की पुरी जिले में चक्रवात निधियों से संबंधित लेखाओं की नवम्बर, 2006 में इस मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा जांच की गई थी तब प्रक्रिया संबंधी चुक पाई गई। तत्पश्चात् इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा सभी जिलों के लेखाओं की जांच की जा रही है तथा 28 जिलों में से 14 जिलों के मामलों को सम्यक जांच के पश्चात् बंद कर दिया गया। शेष जिलों की जांच चल रही है।

3. राजस्थान

7.6.2006 को डॉ. चन्द्रशेखर ब्रैड, विधान सभा सदस्य से राजस्थान को चुरू जिले में आईएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

राजस्थान सरकार के साथ यह मामला उठाया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा बताया गया है जिला प्राधिकारी ने लाभार्थी से आईएवाई धन की वसूली के लिए आदेश पारित किए हैं किन्तु उस पर कार्रवाई नहीं की गई तथा इसके बजाय कनिष्ठ अधिकारी द्वारा पुनः जांच के आदेश दिए गए। तदनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चुरू द्वारा एक जांच पुनः करवाई गई जिन्हें पता चला कि लाभार्थी से आईएवाई धन की वसूली का आदेश सही नहीं था।

उपर्युक्त रिपोर्ट को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा इस मामले को बंद कर दिया गया क्योंकि इसे आईएवाई मकान के रूप में माना गया तथा कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

4. पश्चिम बंगाल

25.9.2008 को श्री भैरव सैनी तथा अन्य ग्रामीणों, पंचाल ग्राम पंचायत, ब्लॉक – सोनामुखी, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल से इंदिरा

आवास योजना के अंतर्गत अपात्र अभ्यार्थियों के चयन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्व. भास्कर दत्ता की विधवा श्रीमती अम्मपुरणा दत्ता को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। जबकि उनका अपना 8 कमरों का एक बड़ा मकान है जिसमें रसोई तथा शौचालय भी है।

की गई कार्रवाई

इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया गया। अंतिम अनुस्मारक 29.6.2009 को भेजा गया था किन्तु की गई कार्रवाई रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

पारेषण हानियां

2939. श्री निशिकांत दुबे :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पारेषण के दौरान विद्युत का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पारेषण हानि की भरपाई के लिए राज्यों को वित्ती सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत पारेषण और वितरण नेटवर्क का विकास हेतु वित्तपोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत कोष की स्थापना करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है और इससे कितना लाभ अर्जित होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में पारेषण हानियां लगभग 3.4% हैं, जो कि मुख्यत: तकनीकी हानि के कारण हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय विद्युत निधि के गठन का प्रस्ताव वर्तमान में विद्युत मंत्रालय की जांच के अधीन है तथा इस निधि के गठन हेतु अभी तक कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

यमुना का विकास

2940. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी-तल के विकास के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यमुना नदी-तल के विकास के लिए अधिग्रहण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त विकास कार्य के कब तक शुरू और समाप्त होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के संबंध में राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) को अध्ययन कार्य सौंपा था तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा अक्टूबर, 2005 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नदी के पुनरुद्धार/प्रबंध के लिए अध्ययन द्वारा सिफारिश किए गए सामान्य दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल है:—

(i) नदी की जलधारण क्षमता बढ़ाने और नियमित गाद निकालना सुनिश्चित करने के प्रयासों के अलावा सम्पूर्ण नदी तल तथा विशेष रूप में वजीराबाद बराज के अनुप्रवाह में नदी तल की नियमित खुदाई करना।

(ii) अप्राधिकृत अतिक्रमण को रोका जाना।

(iii) नदी तल पर प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधि के लिए बाहर से पर्याप्त मात्रा में निर्माण सामग्री की अनुमति नहीं

दी जानी चाहिए तथा विभिन्न संरचनाओं के नवीनतम डिजाइनों का उपयोग किया जाए ताकि प्रवाह बना रहे।

(iv) नदी तल के किसी भाग में गहन वृक्षारोपण नहीं किया जाना चाहिए।

(v) नदी तल पर कोई रिहायशी अथवा औद्योगिक सुविधाएं, जिनके लिए स्थायी संरचनाएं अपेक्षित हों, मुहैया नहीं करायी जानी चाहिए।

(vi) प्रत्येक विकास के लिए सभी संशोधित भूमि उपयोगों हेतु प्रभावी आपातकालीन चेतावनी प्रणाली और निकास योजना तैयार की जानी चाहिए।

(vii) नदी तल में किए गए सभी विकास कार्यों के लिए उचित ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा किसी भी मामले में नदी तल में कचरा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया कि यमुना नदी तल की लगभग 4641.47 एकड़ भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार में है। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 288 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है किन्तु इसका कब्जा डीडीए को नहीं सौंपा गया है। कुल 939.94 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है। जिसमें से राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित परियोजनाओं के लिए लगभग 17.483 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पहले ही चल रही है। भारत सरकार द्वारा उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में यमुना नदी विकास के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। दिल्ली की मुख्य मंत्री इसकी उपाध्यक्ष है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जोन "ओ" (यमुना नदी/नदी मुहाना) की प्रारुप जोनल योजना भी तैयार की गई है।

[अनुवाद]

बैंकों के बीच द्विपक्षीय समझौते

2941. **श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में इटालियन बैंक के साथ निकट सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे दोनों देशों के ग्राहकों को किस हद तक लाभ पहुंचेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने 26 जून, 2009 को इटली के एक बैंक, बैंका पापुलर विसेन्जा (बीपीवी) के साथ गैर-अनन्य आधार पर एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) बैंकों द्वारा अपने सम्पर्कियों के साथ द्विपक्षीय करारों से उनके माध्यम से उनका व्यावसायिक प्रवाह बढ़ता है तथा इससे सम्बन्धित बैंकों तथा उनके ग्राहकों को पारस्परिक लाभ प्राप्त होता है। बीपीवी बैंक प्रभावी रूप से उत्तरी इटली के विसेन्जा जिले में संकेन्द्रित है जहां इकाइयों विशेषत: इंजनियरिंग, कपड़ा उद्योग, वस्त्र, चमड़ा, चमड़ा उद्योग, स्वर्ण आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, तेल एवं गैस उपकरण तथा रक्षा उपकरण क्षेत्र सम्बन्धी बड़ी संख्या में विशेषीकृत इकाइयां संकेन्द्रित हैं, जो इटली से भारत को बड़ी मात्रा में निर्यात करती हैं। इनमें कई इकाईयां बीपीवी के साथ बैंकिंग करती हैं। इस करार पर हस्ताक्षर करने से, भारतीय स्टेट बैंक आयातकों/निर्यातकों का उनके बैंकर्स के साथ प्रत्यक्ष, सम्पर्क सहित सेवा देने हेतु बेहतर स्थिति में होगा।

[हिन्दी]

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

2942. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) में परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध कराई जाने हेतु प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र हेतु अपनाए गए/अपनाए जाने हेतु प्रस्तावित अन्य सुधारों/उपायों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क)

जी हां, सरकार ने 11वीं योजना में पुनर्गठित एपीडीआरपी प्रारंभ किया है। आर-पीडीआरपी का ब्यौरा निम्नवत है:—

(ख) सही बेस लाइन आंकड़ों के सतत एकत्रीकरण हेतु विश्वसनीय और स्वचालित प्रणालियां की स्थापना और ऊर्जा लेखा के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अपनाना पुनर्गठित एपीडीआरपी (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत किसी भी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने की अनिवार्य पूर्व शर्तें होंगी।

30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-कस्बों और शहरों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट भार वाले कुछ हाई-लोड जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और औद्योगिक फीडरों से कृषि फीडरों के पृथककीरण तथा हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (11केवी) के कार्यों को भी शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वे कस्बे/क्षेत्र जिनके लिए परियोजनाओं को 10वीं योजना आर-एपीडीआरपी में मंजूर किया गया है, पर पूर्व में मंजूर की गई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अथवा लघु बंदी के पश्चात् ही 11वीं योजना के लिए विचार किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाएगी। भाग-क में ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा तथा आई टी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत आंकड़ों तथा आई टी आवेदनों की स्थापना हेतु परियोजनाएं शामिल होगी। भाग-ख में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल होगी।

(ग) यह कार्यक्रम 51,577 करोड़ रुपये का होगा। आरंभ में 50,000 करोड़ रुपये भारत सरकार/वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्रदान/व्यवस्थित किए जाएंगे, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि अनुदान में परिवर्तित कर दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से कुल अनुदान का अनुमान 31,577 करोड़ रुपये लगाया गया है। अब तक 3561.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1022 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है और 584.31 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों को पीएफसी द्वारा जारी किए गए हैं।

(घ) आर-एपीडीआरपी का लक्ष्य सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को 15% और उससे कम तक करना है।

आर-एपीडीआरपी के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं:—

— शेष राज्य यूटिलिटियों को विभाजित करना/निगमीकरण। अब तक 17 राज्यों ने अपनी यूटिलिटियों को विभाजित/निगमित किया हैं।

— सभी राज्यों के एसएलडीसी को कार्यात्मक रूप से तथा वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जा रहा है।

— विद्युत की चोरी से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा प्रचालन।

— यद्यपि बहुत से राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) ने निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित विभिन्न विनियम जारी किए हैं, तथापि कुछ राज्यों ने इन विनियमों को अभी तक जारी नहीं किया है।

(1) ऊर्जा लेखा परीक्षण के माध्यम से तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के पृथकीकरण हेतु विनियम, जिसमें हानियों को कम करने, ऊर्जा लेखा और उसके परिणामों की घोषणा हेतु कार्य योजना शामिल है।

(2) बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) फ्रेमवर्क के अंतर्गत टैरिफ हेतु विनियम।

(3) स्वतंत्र तृतीय पक्ष मीटर जांच हेतु व्यापक उपभोक्ताओं तथा व्यवस्थाओं के लिए टीओडी मीटरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नियम।

(4) क्रास सब्सिडी सरचार्ज तथा उसके कार्यान्वयन के निर्धारण हेतु विनियम।

(5) टैरिफ के यौक्तिकरण हेतु विनियम ताकि 2012 तक आपूर्ति की लागत के 20% की रेंज के भीतर लाया जा सके।

(6) लाइसेंसियों द्वारा उपभोक्ता शिकायत समाधान मंच (सीजीआर) की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देशों का निर्माण एवं अधिसूचना और लोकपाल से संबंधित विनियम तथा लोकपाल की नियुक्ति/पदनामित भी करना।

[अनुवाद]

पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाना

2943. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन क्षेत्र में वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एफडीआई सीमा को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सरकार ने पेंशन क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पर अपनी नीति तैयार नहीं की है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ण स्वच्छता अभियान

2944. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ग्रामीण परिवारों को मूलभूत स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है;

(ख) पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत क्या कुछ राज्य उक्त परियोजना के निष्पादन में पिछड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या टीएससी के अंतर्गत आवंटित धनराशि का कुछ राज्यों में उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत धनराशि के उचित उपयोग हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा) : (क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की पूर्व केंद्रीकृत योजना को पुनर्गठित कर भारत सरकार ने 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान आरंभ किया जिसका उद्देश्य घरेलू शौचालयों, विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी शौचालयों के संबंध में शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज हासिल करना है। अभी तक टीएससी के अंतर्गत देश में 593 ग्रामीण जिलों में परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है तथा प्रत्येक परियोजना की अवधि 4-5 वर्ष की होगी।

ग्यारहवीं योजना में टीएससी के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9 करोड़ परिवारों को शामिल करना है जिनमें से योजना अवधि के प्रथम दो वर्ष की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	निर्मित पृथक घरेलू शौचालयों की सं.
2007-08	1,15,27,890
2008-09	1,16,68,244

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केंद्रीय बजट आबंटन 7816.00 करोड़ रु. है जिसमें से प्रथम तीन वर्ष के लिए आबंटन निम्नानुसार है:—

वर्ष	कुल (करोड़ रु. में)
2007-2008	1060.00
2008-2009	1200.00
2009-2010	1200.00

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक घरेलू शौचालयों की कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रगति की धीमी गति का श्रेय राज्य तथा जिला स्तर पर स्टॉफ की कमी, पर्याप्त कार्यालयीन अभिप्रेरणा, राज्य राशि को रिलीज करने में देरी, स्वच्छता के साथ-साथ जिला स्तर इत्यादि पर अन्य कार्यक्रमों को कम प्राथमिकता दिया जाना था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

21 जुलाई, 2009 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	परियोजना उद्देश्यों की तुलना में प्रतिशत-वार परियोजना निष्पादन आईएचएचएल (एपीएल + बीपीएल)		
		परियोजना उद्देश्य	परियोजना निष्पादन	प्रतिशत-वार प्रगति (%)
1	2	3	4	5
1.	दादरा और नगर हवेली	2480	37	1.49
2.	मणिपुर	263254	14869	5.65
3.	पांडिचेरी	18000	2191	12.17
4.	असम	3381037	470769	13.92
5.	अरुणाचल प्रदेश	133861	22195	16.58
6.	बिहार	11171314	1854855	16.60
7.	नागालैंड	198369	38149	19.23
8.	जम्मू और कश्मीर	1300724	275362	21.17
9.	मेघालय	269136	60139	22.35
10.	झारखंड	3729495	1010069	27.08
11.	उड़ीसा	7056648	2171603	30.77
12.	राजस्थान	6984333	2256626	32.31
13.	छत्तीसगढ़	3365426	1208095	35.90
14.	कर्नाटक	5558061	2086956	37.55
15.	उत्तराखंड	886301	358410	40.44
16.	पंजाब	1155966	495240	42.84
17.	उत्तर प्रदेश	20494156	10084166	49.21
18.	मध्य प्रदेश	7926222	3946249	49.79
19.	महाराष्ट्र	9813283	5257934	53.58
20.	आंध्र प्रदेश	10150779	6069749	59.80
21.	तमिलनाडु	8244883	5599571	67.92
22.	पश्चिम बंगाल	9133516	6365715	69.70
23.	गोवा	45323	33753	74.47
24.	गुजरात	4111577	3132796	76.19
25.	हिमाचल प्रदेश	846486	701870	82.92
26.	मिजोरम	76540	71042	92.82
27.	त्रिपुरा	559063	522893	93.53
28.	हरियाणा	1785097	1687693	94.54
29.	केरल	1073742	1072493	99.88
30.	सिक्किम	87014	94600	100.00

[हिन्दी]

घर पर ही पेंशन का संवितरण

2945. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन बैंकों, राजकोष और डाक-घरों के माध्यम से संवितरित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषकर पहाड़ी, ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले वृद्ध निशक्त पेंशनभोगियों के पास चैक सुविधा नहीं है तथा उन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है जिसके कारण उन्हें काफी असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों में ढील देकर इन निशक्त/वृद्ध लोगों को उनके निवास पर ही पेंशन संवितरित करने की सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में बीमार और शारीरिक तौर पर विकलांग पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन निकालने के लिए स्कीम-पुस्तिका में प्रावधान किया गया है। स्कीम-पुस्तिका का पैरा 18(2) के उपबंध में व्यवस्था दी गई है कि पेंशनभोगी बैंक से पेंशन राशि चैक/निकासी फार्म के द्वारा निकालने के लिए किसी व्यक्ति को नामजद कर सकता है। लेकिन, उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा दी जानी चाहिए तथा जिनमें से एक गवाह अवश्य बैंक कर्मचारी होना चाहिए। बैंक से वास्तव में धन आहरित करने वाले व्यक्ति से बैंक में अपने हस्ताक्षर देने के लिए कहा जाना चाहिए।

रेल पेंशनभोगियों के संबंध में वृद्ध, अशक्त पेंशनभोगियों सहित सभी पेंशनभोगियों के पास अपनी पेंशन आहरित करने के लिए रेलवे को पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत बैंकों की सर्वाधिक सुविधाजनक शाखा का चयन करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, धारक चैक द्वारा धन निकालने की सामान्य सुविधा बैंक के ग्राहकों के पास पहले से ही मौजूद है।

रक्षा पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन का वितरण घर पर ही करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, यदि कोई पेंशनभोगी ऐसा चाहता है, तो वह पेंशन भुगतान अनुदेश, 2005 के पैरा 90 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मनीआर्डर के जरिए अपनी पेंशन प्राप्त कर सकता है।

डाक विभाग के पेंशनभोगी अपनी पेंशन विभागीय डाकघरों, डाकघर के बचत बैंक खातों तथा धनादेश के जरिए प्राप्त कर रहे हैं। संदेशवाहक के जरिए पेंशन भुगतान की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 66 के अनुसार, 2250 रुपए + राहत तक की पेंशन विभाग की लागत पर मनीआर्डर के जरिए भेजी जा सकती है।

[अनुवाद]

आयकर विवरणी प्रपत्र

2946. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आयकर विवरणी भरने की प्रक्रिया को सरल बनाने/बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर विवरणी भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र और पद्धति को बार-बार बदलने का औचित्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास आयकर विवरणियां दाखिल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयकर विवरणी प्रपत्र एक खास कर-निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट होते हैं। अतः प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिए इसे अलग से अधिसूचित करना पड़ता है ताकि संगत वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा लागू किए गए आयकर अधिनियम में विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाया जा सके। कम्पनियों तथा उन मामलों जिन पर आयकर अधिनियम की धारा 44कख के उपबंध लागू होते हैं, को अनिवार्य रूप से अपनी कर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करनी पड़ती है। तथापि, अन्य कर-निर्धारितियों के पास अपनी आयकर की विवरणी कागज़ी रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने का विकल्प है।

अवस्फीति रुझान के प्रभाव

2947. डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में अवस्फीति रुझान के परिणामस्वरूप किसी प्रतिकूल प्रभाव की आशंका जताई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापित वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति का गिरकर जून, 2009 में ऋणात्मक दर को हो जाना सितम्बर, 2008 से शुरू हुए गिरावट के उस रूख का विस्तार था जो वैश्विक वित्तीय संकट और वैश्विक कीमतों में कमी के कारण व्याप्त था। यह ऋणात्मक मुद्रास्फीति ईंधन, विद्युत और प्रकाश के सूचकांक मूल्य में हुई भारी गिरावट और विनिर्मित उत्पादों के समूह में हुई अपेक्षाकृत कम गिरावट से उपजी थी। इसका स्वरूप अंशतः

सांख्यिकीय है जो वर्ष 2008 की तदनुरूप अवधि में उच्च आधार से उत्पन्न हुई है। इसके विपरीत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), मुद्रास्फीति घनात्मक बनी रही है।

पवन ऊर्जा उत्पादन

2948. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पवन आधारित परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन में तेजी से कमी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस स्थिति से निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं। देश में पवन विद्युत क्षमता संयोजन में कोई भारी गिरावट नहीं है। भारत पिछले चार वर्षों में लगभग 1500 मेगावाट वार्षिक पवन विद्युत क्षमता संयोजन की नियमित वृद्धि को बनाए हुए है।

(ख) पिछले वर्ष क्षमता संयोजन में मामूली कमी के कारणों में कुछ पवन संभाव्यता वाले राज्यों में नियामक और स्थानीय मुद्दे और वैश्विक आर्थिक मंदी का होना शामिल है जिससे सभी क्षेत्रों में सामान्यतया निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहनों जैसे त्वरित मूल्यह्रास, पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त आय पर दस वर्ष का करावकाश और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से देश में पवन ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन किया जाना जारी है। मंत्रालय के पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा आगे संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, संभाव्यता वाले राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध कराई जा रही है।

विद्युत का बंटवारा

2949. **डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :**
डॉ. रूद्रमाधव राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बनायी गयी ताप अथवा जल विद्युत परियोजनाओं से राज्यों के बीच विद्युत का बंटवारा करने की प्रक्रिया में बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को ज्यादा विद्युत मुहैया कराने का है जो कि विद्युत उत्पादन हेतु भूमि अथवा ईंधन मुहैया कराते हैं;

(घ) यदि हां, तो इससे उन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनके पास विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन/संसाधन नहीं हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) हाल ही में विद्युत आबंटन से संबंधित वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा संबंधी आवश्यकता को जांचने हेतु विद्युत मंत्रालय में विभागीय विचार प्रक्रिया शुरू की गई है। चूंकि यह प्रक्रिया बहुत शुरूआती चरण में है, इस चरण में विद्युत वितरण के संभावित अनुपात तथा अन्य संबंधित विवरणों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

[हिन्दी]

जब्त वस्तुएं

2950. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के जब्ती संबंधी मामलों की कमिशनरी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) जब्त की गई वस्तुओं की कुल कीमत कितनी है तथा उक्त वस्तुओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) जब्त की गई वस्तुओं की नीलामी हेतु अपनायी गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में कोई अनियमितता प्रकाश में आयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

2951. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिजली की चोरी रोकने हेतु कोई कार्यात्मक योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) देश में बिजली की चोरी की सरकार को जानकारी है। विद्युत-वितरण राज्यों का विषय है। तथापि भारत सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। विद्युत अधिनियम 2003, में बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए विधिक-फ्रेमवर्क का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत जो भी गलत तरीके से बिजली लाइनों, केबिलों, सर्विस वायरों से बिजली लेगा, मीटरों को नष्ट, नुकसान, छेड़छाड़, आदि करेगा, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि तीन वर्षों तक कढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थ-दंड या दोनों ही दिए जाएंगे। बिजली की चोरी को कम करने के लिए निम्नलिखित पहल/उपाय भी किए जा रहे हैं:—

— टेम्पर से बचाव की विशेषताओं को शामिल करते हुए के.वि.प्रा. के विनियमों के अनुसार मीटरों की स्थापना।

— शत-प्रतिशत उपभोक्ता मीटरिंग, फीडर मीटरिंग तथा वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग पर बल।

— विशेष न्यायालयों एवं पुलिस स्टेशनों आदि की स्थापना, जिसके तहत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के अंतर्गत 23 राज्यों द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन।

— ऊर्जा लेखा परीक्षा पर बल।

— उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली तथा एरियल बंध केबल सहित बेयर कंडक्टर्स को बदलना।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संशोधित नियम एवं शर्तों के साथ 11वीं योजना के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में निरंतर हानियों में कमी, वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एटी एंड सी हानियों को 15% तक या इससे नीचे लाने का है।

30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-कस्बों और शहरों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट भार वाले कुछ हाई-लोड सघनता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और औद्योगिक फीडरों से कृषि फीडरों के पृथकीकरण तथा हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (11केवी) के कार्यों को भी शुरू किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाएगी। भाग-क में ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों के लिए आधारभूत आंकड़ों तथा आईटी आवेदनों की स्थापना हेतु परियोजनाएं शामिल होगी तथा भाग-ख में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल होगी।

भूकंप रोधी प्रौद्योगिकी

2952. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा निजी कंपनियों द्वारा देश में भवन निर्माण हेतु भूकंपरोधी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) इसे अनिवार्य बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) भूकंप से इमारतों के बचाव के लिए, राज्य सरकारों ने अपने भवन उप नियमों में संरचना सुरक्षा संबंधी उपबंधों को शामिल किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए अर्थक्वेक टिप्स भी सभी राज्य सरकारों को परिचालित किए गए हैं तथा उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर लोड किया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा प्रकाशित हैंड बुक ऑन सेसमिक रेट्रोफिट ऑफ बिल्डिंग भी राज्य सरकारों को परिचालित

की गई है ताकि सभी प्रकार की इमारतों में भूकंपरोधी प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपनी शहरों/कस्बों के भवन उपनियमों में आदर्श भवन उपनियम तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार संरचना सुरक्षा संबंधी उपबंधों को शामिल करें। गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों को आदर्श भवन उपनियमों में दिए संरचना सुरक्षा उपबंधन के साथ-साथ गृह मंत्रालय के आदर्श उपनियमों को शामिल करने के निदेश दिए हैं।

सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष (एसआईडीएफ)

2953. श्री गजानन ध. बाबर :
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष (एसआईडीएफ) के अंतर्गत सृजित/निर्धारित राशि तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षा (सीएण्डएजी) ने यह इंगित किया है कि एसआईडीएफ का उपयोग अविनिर्दिष्ट कार्यक्रमों हेतु किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) वर्ष 2008-09 और 2009-10 में भारत की समेकित निधि से सामाजिक एवं अवसरंचना विकास कोष (एसआईडीएफ) में कोई धनराशि अंतरित नहीं हुई थी। तथापि, 2008-09 और 2009-10 में एसआईडीएफ से विभिन्न योजनाओं के निधिपोषण के लिए क्रमश: 4,464.08 करोड़ रुपए और 1,070.18 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से एसआईडीएफ से निधिपोषित मुख्य योजनाएं जो संसद द्वारा अनुमोदित है, निम्नलिखित हैं: (i) राष्ट्रीय आय-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए आधारभूत निधि के सृजन हेतु ऋण (641.54 करोड़ रुपए), (ii) ग्रामीण विद्यालयायें में स्टैंडालोन जल शुद्धिकरण प्रणाली (100 करोड़ रुपए), (iii) चेन्नई के पास विलरणीकरण संयंत्र की स्थापना (300 करोड़ रुपए), (iv) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की आधारभूत निधि की अंशदान (1000 करोड़ रुपए), (v) प्रबंधन संस्थान समिति को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से सरकार के आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए ऋण (627.50 करोड़ रुपए), (vi) केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम भुगतान के संबंध में प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए एलआईसी द्वारा धारित आम आदमी बीमा योजना प्रीमियम निधि में वृद्धि (1000 करोड़ रुपए), (vii) सभी महिला स्व-सहायता समूहों को जनश्री बीमा योजना के तहत प्रीमियम के 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करने के लिए एलआईसी द्वारा धारित सामाजिक सुरक्षा निधि में जमा करवाने हेतु (500 करोड़ रुपए), आदि। वर्ष 2009-10 के दौरान एसआईडीएफ से निधि पोषित की जाने वाली योजनाएं निम्नलिखित हैं: (i) कृषि शिक्षा (73.37 करोड़ रुपए) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना उन्नयन के लिए विशेष निधि के तहत योजनाएं (146.80 करोड़ रुपए), (iii) प्रबंधन संस्थान समिति को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से सरकार के आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए ऋण (750.01 करोड़ रुपए), और (iv) ग्रामीण स्कूलों में स्टैंडालोन जल शुद्धीकरण प्रणाली (100 करोड़ रुपए)।

(ख) और (ग) एसआईडीएफ से अविनिर्दिष्ट कार्यक्रमों को कोई राशि अपवर्तित नहीं की गई थी। एसआईडीएफ से निधिपोषित योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं बजट घोषणाओं का भाग थीं। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2007-2008 के केन्द्र सरकार के लेखों संबंधी अपने रपट में संकेत दिया है। कि यद्यपि सामाजिक अवसंरचना विकास निधि को भारत की समेकित निधि से राशि अन्तरित की गई थी और उसे पूंजी व्यय के रूप में माना गया था, फिर भी 2007-2008 में व्यय मदों पर एसआईडीएफ से 1586.75 करोड़ रुपए व्यय हुआ जो राजस्व स्वरूप के थे और जिस कारण सरकार का पूंजी व्यय बढ़ाकर दिखाया गया।

योजना के अनुसार, एसआईडीएफ से निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए उपयुक्त मामलों में ही किया जा सकता है। इस विशिष्ट लेखा परीक्षा अवलोकन संबंधी की गई कार्रवाई टिप्पणी को लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्युत संयंत्रों का निजीकरण

2954. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ विद्युत संयंत्रों का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एनएचपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन

2955. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) ने विद्युत उत्पादन हेतु कोई विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) उसमें कुल कितना निवेश होगा; और

(घ) इस संबंध में अबतक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की शुरूआत में एनएचपीसी ने 5322 मे.वा. की कुल संस्थापित क्षमता वाली 12 और परियोजनाओं की विस्तार योजना तैयार की थी। इन परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं नामतः तीस्ता-V (510 मे.वा.) तथा ओंकारेश्वर (520 मे.वा.) 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही चालू की जा चुकी हैं। राज्य तथा परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा इससे आगे के लिए एनएचपीसी लि. ने क्षमता वृद्धि कार्यक्रम हेतु 21,600 करोड़ रुपये की निधि निवेश का अनुमान लगाया है।

विवरण

क्र. सं	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की प्रत्याशित तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5
	जम्मू और कश्मीर			
1.	सेवा-II	120	दिसंबर '2009	
2.	उड़ी-II	240	फरवरी '2011	निर्माणाधीन चरण में
3.	निम्मू बाजगो	45	अगस्त '2010	
4.	चुटक	44	फरवरी '2011	
	हिमाचल प्रदेश			
5.	पार्बती-I	800	मार्च '2013	निर्माणाधीन चरण में
6.	चमेरा-II	231	अगस्त '2010	
7.	पार्बती-III	520	नवंबर '2010	
	पश्चिम बंगाल			
8.	तीस्ता लो डैम-III	132	फरवरी '2011	निर्माणाधीन चरण में
9.	तीस्ता लो डैम-IV	160	अगस्त '2011	

1	2	3	4	5
	अरुणाचल प्रदेश			
10.	सुबानसिरी लोअर	2000	दिसंबर '2012	निर्माणाधीन चरण में
	सिक्किम			
11.	तीस्ता-V	510		चालू एवं प्रचालनाधीन है।
	मध्य प्रदेश			
12.	ओंकारेश्वर	520		चालू एवं प्रचालनाधीन है।
	कुल	5322		

*एनएचपीसी लि. और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम परियोजना।

विद्युत की आवश्यकता

2956. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु विद्युत की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ विद्युत मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के 17वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2010-11 के दौरान दिल्ली के लिए अनुमानित विद्युत आवश्यकता 5633 मे.वा. की व्यस्ततम आवश्यकता तथा 33556 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता है। वर्तमान में दिल्ली की अधिकतम विद्युत मांग विद्युत की 4430 मे.वा. की तुलना में 4400 मे.वा. है।

(ग)(i) राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने 5 विद्युत परियोजनाएं नामतः मेजिया थर्मल पावर प्लांट फेज-II (2x500 मे.वा.) एवं दामोदर घाटी परियोजना (डीवीसी) की दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर प्लांट (2x500 मे.वा.) और नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्रोजेक् स्टेज-II, दादरी (2x490 मे.वा.) एवं एनटीपीसी लि. के इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झज्जर (3x500 मे.वा.) को अभिज्ञात किया है। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सूची के अनुसार पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है इन परियोजनाओं की स्थिति/प्रगति की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठकें नियमित रूप से होती हैं।

(ii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 8.5.2007 के आदेश के द्वारा अक्टूबर-दिसम्बर, 2010 की अवधि के लिए एमओपी के अनावंटित कोटे में से विद्युत के आवंटन को रोक दिया है। वर्तमान में अनावंटित कोटे में से 4600 मे.वा. विद्युत उपलब्ध है।

(iv) इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजधानी क्षेत्र के लिए गैस आधारित प्रगति फेज-III (बवाना परियोजना) लगाने की योजना है। दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की उत्पादक यूटिलिटियों के साथ विद्युत के लिए कई विद्युत क्रय करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्टूबर, 10 में इन व्यवस्थाओं से लगभग 330 मे.वा. की उपलब्धता है।

नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण

2957. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूरस्थ गांवों का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकरण जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जहां ग्रिड विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है और जिन्हें पारम्परिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत नहीं लिया गया है। ऐसे गांवों को विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से रोशनी/बिजली की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु पूर्व विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

आयकर विवरणी का भरा जाना

2958. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में पैन कार्डधारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पैन कार्डधारियों के लिए आयकर विवरणी भरना अनिवार्य है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा आयकर विवरणी न भरने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) इस समय देश में पैन कार्डधारियों की संख्या की राज्यवार सूची संलग्न विवरण 'क' के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार देश में पैन कार्डधारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पैन कार्डधारी
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49514
2.	आंध्र प्रदेश	5619059
3.	अरुणाचल प्रदेश	40891
4.	असम	1664808
5.	बिहार	2368199
6.	चंडीगढ़	393683
7.	दादरा और नगर हवेली	46302
8.	दमन और दीव	39909
9.	दिल्ली	5768359
10.	गोवा	313388
11.	गुजरात	6772430
12.	हरियाणा	2513798
13.	हिमाचल प्रदेश	546340
14.	जम्मू और कश्मीर	590510
15.	कर्नाटक	4798806
16.	केरल	1931704

1	2	3
17.	लक्षद्वीप	3842
18.	मध्य प्रदेश	3064151
19.	महाराष्ट्र	17084983
20.	मणिपुर	63975
21.	मेघालय	101293
22.	मिजोरम	9406
23.	नागालैंड	40799
24.	उड़ीसा	1425859
25.	पांडिचेरी	121026
26.	पंजाब	2954624
27.	राजस्थान	4054942
28.	सिक्किम	17874
29.	तमिलनाडु	5677923
30.	त्रिपुरा	126262
31.	उत्तर प्रदेश	7067628
32.	पश्चिम बंगाल	6124468
33.	छत्तीसगढ़	764202
34.	उत्तरांचल	549750
35.	झारखंड	1111448
36.	अन्य (अनिवासी आदि)	983604
	योग	84805759

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन

2959. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) देश के दक्षिणी क्षेत्र में 6000 मेगावाट से अधिक क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) वर्तमान में एनटीपीसी देश के दक्षिणी क्षेत्र में 2500 मेगा वाट क्षमता अभिवृद्धि का क्रियान्वयन कर रहा है। इसका राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	सिम्हाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीपीपी), स्टेज-II	1000	आंध्र प्रदेश	क्रियान्वयनाधीन
2.	वैलूर टीपीपी, स्टेज-I, फेज-I (एनटीपीसी और तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम परियोजना)	1000	तमिलनाडु	क्रियान्वयनाधीन
3.	वैलूर टीपीपी, स्टेज-I, फेज-II (एनटीपीसी और तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम परियोजना)	500	तमिलनाडु	• संयुक्त उद्यम बोर्ड द्वारा निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया। • मुख्य संयंत्र अवार्ड प्रक्रिया में है।
	कुल	2500		

यही नहीं, एनटीपीसी ने दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न नई परियोजनाएं अपने हाथों में ली हैं, जिनकी रिपोर्ट की तैयारी तथा अनुमति/अनुमोदन विभिन्न स्तरों पर हैं। इस का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	कायमकुलम में राजीव गांधी कंबाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II	1950	केरल	व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी। ईंधन टाई-अप के उपरांत संशोधित की जाएगी जो अभी प्रक्रिया में है।
2.	कुडगी एसटीपीसी स्टेज-I	2400	कर्नाटक	• 4000 मेगा वाट (स्टेज-I: 3 × 800 मे.वा. + स्टेज-II: 2 × 800 मे.वा.) की परियोजना स्थापित करने हेतु कर्नाटक सरकार तथा कर्नाटक लिमिटेड की विद्युत कंपनी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया। • व्यहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशिष्ट स्थल अध्ययन प्रगति पर है।
3.	पवन ऊर्जा परियोजनाएं	500	कर्नाटक	• कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया। • विशिष्ट स्थल अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
4.	मरक्कनम स्टेज-I	2400	तमिलनाडु	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशिष्ट स्थल अध्ययन प्रगति पर है।

निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय कंपनियों की धृति

2960. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय कंपनियों की स्थानापन्न धृति की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार को अब तक देश में किसी स्थानापन्न शृति का पता चल पाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय कंपनियों की प्रतिनिधि धारिता की जांच नहीं कर रहा है। भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व एवं अभिशासन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी एकल सत्ता अथवा संबंधी सत्ताओं के समूह को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक में, बैंक की चुकता पूंजी के 10% से अधिक पणधारिता की अनुमति नहीं है।

स्थानीय निकायों में आरक्षण

2961. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 73वें और 74वें संविधान संशोधन में संशोधन करके स्थानीय निकायों में आरक्षण की अवधि 5 वर्ष की बजाय कम से कम दो निश्चित अवधि तक करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र हेतु निधियां

2962. श्री पी. बलराम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के अवसंरचना विकास हेतु कितनी निधियों की आवश्यकता होगी; और

(ख) उसमें विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा क्या भूमिका निभायी जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग के विद्युत संबंधी कार्यदल के उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 10,59,515 करोड़ रुपये (निजी क्षेत्र सहित) की निधियों की आवश्यकता का आकलन किया है।

(ख) विश्व बैंक और एडीबी ने विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए क्रमशः 2655 मिलियन यू एस डालर (12,744 करोड़ रु.) तथा 1892 मिलियन यू एस डॉलर (9028 करोड़ रु.) के कुल वित्त-पोषण की प्रतिबद्धता की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विश्व बैंक तथा एडीवी से विद्युत परियोजनाओं हेतु क्रमशः 4850 मिलियन यू एस डॉलर (23,280 करोड़ रु.) तथा 1300 मिलियन यू एस डॉलर (6240 करोड़ रु.) के कुल अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए बात की है।

विनिवेश

2963. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री दुष्यंत सिंह :
डॉ. के.एस. राव :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजकोषीय घाटे के मद्देनज़र विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रति द्वारा दिनांक 04 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र को किए गए सम्बोधन में घोषित किया गया है और वित्त मंत्री द्वारा 06 जुलाई, 2009 को अपने बजट भाषण में दोहराया गया है, सरकार की यह नीति है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जन-स्वामित्व का विकास किया जाएगा और साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी इक्विटी 51% से कम ने होने पाए और प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास बना रहे। विनिवेश के मामलों का निर्णय मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा। एनएचपीसी लिमिटेड और ऑयल इण्डिया लिमिटेड में आरम्भिक सार्वजनिक सार्वजनिक पेशकशों की प्रक्रिया पहले ही प्रगति पर है। विनिवेश से प्राप्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करायी जाएगी।

समुद्रतट पर्यटन परियोजनाएं

2964. श्री ए. सम्पत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समुद्रतट पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना किन-किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय में ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आवासी संबंधी कार्य दल

2965. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में शहरी आवास की कमी का मूल्यांकन करने के लिए किसी कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी आवास की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कितनी निधियां आबंटित की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शहरी आवासीय कमी के आकलन के लिए गठित तकनीकी दल द्वारा लगाये गए अनुमान के अनुसार, देश में कुल आवासीय कमी 24.71 मिलियन है। तकनीकी दल ने विभिन्न आय समूहों के बीच आवासीय कमी इस प्रकार दर्शायी है:—

आय श्रेणी	10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आवासीय कमी (मिलियन में)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	21.78
कम आय समूह (एलआईजी)	2.89
मध्यम आय समूह (एमआईजी)	0.04
उच्च आय समूह (एचआईजी)	

केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा कम आय समूह (एलआईजी) की आवासीय जरूरतों को पूरा करने पर विशेष बल देते हुए, "सभी के लिए किफायती आवास "मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 तैयार की है।

इस नीति में शहरी पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई है, ताकि समाज के सभी वर्गों को किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं के समान आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

सरकार ने 2005 में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं उप मिशन के अंतर्गत 65 विनिर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में स्लमों का समग्र और एकीकृत विकास करके अन्यों के साथ-साथ शहरी गरीबों के लिए आवास और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करने के लिए जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया है। अभी तक देश भर में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत कुल 461 परियोजनाएं तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत 839 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें क्रमशः 9,93,523 तथा 4,61,887 हियशी मकानों का निर्माण/उन्यन किया जाना है।

सरकार ने दिसम्बर, 2008 में आवास ऋणों को सस्ता बनाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/कम आय समूह (एलआईजी) की वापसी भुगतान क्षमता के अन्दर लाने के लिए ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने हेतु शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम नामक एक नई स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम में आवास निर्माण/अर्जन के प्रयोजन से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के मार्फत 5% की ब्याज सब्सिडी पर 1 लाख रु. तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए भूमि के आबंटन को प्रोत्साहित करने के लिए "भागीदारी में किफायती आवास" की एक अन्य स्कीम आरंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत आवास परियोजनाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं हेतु केन्द्र सरकार की सहायता उपलब्ध है, जिसमें 80 वर्ग मी. तक के कारपेट एरिया के मकान उपलब्ध होंगे और इनमें से कम से कम 25% ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए हैं।

सरकार ने जून, 2009 में स्लमों की समस्याओं के व्यापक समाधान के लिए तथा इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर उन शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए राजीव आवास योजना (आरएवाई) आरंभ करने की घोषणा की है, जहां राज्य स्लम क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सम्पत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं।

(घ) शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए अवास घटक, बुनियादी सेवाएं आदि को शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और सलम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। 7 वर्ष की मिशन अवधि अर्थात वर्ष 2005-2012 के लिए बीएसयूपी के अंतर्गत 13650 करोड़ रुपए तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत 4450 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। बाद में, बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के लिए संयुक्त

रूप से 5043 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया करायी गयी है।

शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिड़ी स्कीम (आईएसएचयूपी) हेतु ग्यारहवीं योजना में 1378 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करायी गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

2966. श्री एंटो एंटनी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आईसी) ने काफी समय से केरल सहित देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में पर्याप्त सहयोग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से आरईसी ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल सहित देश में इस प्रकार के कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया है और इस प्रकार के कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ है तथा इससे क्या लाभ हुए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल गैर विद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की उपलब्धि तथा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आरईसी द्वारा केरल में वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत टीएण्डडी योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

विवरण-I

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर विद्युतीकृत/निविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की उपलब्धि

करोड़ रुपए में

	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	2008-09 के दौरान
विद्युतीकृत गांव	28706	9301	12056
जारी की गई निधियां*	3379.27	3745.36	5654.72

*2006-07 में 5.14 करोड़ रुपए तथा 2008-09 में 0.83 करोड़ रुपए की मात्रा सहित केरल को जारी की गई निधियों सहित।

विवरण

केरल में आरईसी द्वारा वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत टीएण्डडी योजनाएं

2008-09 के दौरान स्वीकृत

क्र. सं.	श्रेणी	योजना का नाम	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	पी:आईई	कोल्लम जिले में कोल्लम विद्युत वितरण सर्किल	2221.09
2.	पी:आईई	पंथानमथीटा जिले में पंथानमथीटा विद्युत वितरण सर्किल	2084.60
3.	पी:आईई	तिरुअंतपुरम जिले में तिरुअंतपुरम शहरी विद्युत सर्किल	2831.51
4.	पी:आईई	तिरुअंतपुरम जिले में तिरुअंतपुरम ग्रामीण विद्युत सर्किल	3709.52
5.	पी:आईई	कोल्लाम जिले में कोट्टरकारा (संपूर्ण विद्युत वितरण सर्किल को शामिल करते हुए)	1800.95
6.	पी:एसआई (टी)	कटाकड़ा में संबद्ध पारेषण लाइनों के साथ नए 2 × 100 एमवीए, 220/110 के.वी. एस/एस की स्थापना तथा तिरुअंतपुरम जिले में 2 × 200 एमवीए से 3 × 200 एमवीए में मौजूदा 220/110 केवी पाथेनकोड एस/एस में वृद्धि करना	20722.15

1	2	3	4
7.	पी:एसआई (टी)	कटाकड़ा में संबद्ध पारेषण लाइनों के साथ नए 2 × 100 एमवीए, 220/110 के.वी. एस/एस की स्थापना तथा कोझीकोड जिले में 210 एमवीए से 210+1 × 12.5 एमवीए में मौजूदा 110/11 केवी चंवायुर एस/एस में वृद्धि	3755.50
8.	पी:एसआई (डी)	बलरामपुरम में एक 66/11 के.वी., 2 × 10 एमवीए एस/एस, करमाणा, वेलाराडा, कडकेबूर, वितुरा में चार 33/11 के.वी., 2 × 5 एमवीए एस/एस की स्थापना तथा 110/11 के.वी., 1 × 12.5 की अतिरिक्त ट्रांसफार्मर क्षमता से मौजूदा एस/एस का उन्नयन।	4478.21
9.	पी:एसआई (टी)	मालापरम्भा में संबद्ध पारेषण लाइनों के साथ नये 2 × 100 एमवी, 220/110 के.वी. एस/एस की स्थापना तथा मौजूदा कुट्टिकटूर एस/एस 66/11 के.वी. को मल्लापुरम जिले में (1 × 8 एमवीए + 1 × 10 एमवी) से 2 × 10 एमवी में वृद्धि करना।	3927.07
		कुल	45531

पी:आईई – प्रोजेक्ट इंटेसिव इलैक्ट्रिफिकेशन

पी:एसआई (डी) – प्रोजेक्ट सिस्टम इंप्रुवमेंट आफ डिस्ट्रीब्यूशन

पी:एसआई (टी) – प्रोजेक्ट सिस्टम इंप्रुवमेंट आफ ट्रांसमिशन

केरल में आरईसी द्वारा वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत टीएण्डडी योजनाएं

2009-10 के दौरान स्वीकृत

क्र. सं.	श्रेणी	योजना का नाम	स्वीकृत ऋण राशि (लाख (रुपए में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	पी:आईई	कासरगोडे जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला कासरगोडे	2964.38	
2.	पी:आईई	कन्नूर जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला श्रीकांतपुरम	3549.09	
3.	पी:एसआई (डी)	नये एस/एसएस की स्थापना, मौजूदा की वृद्धि/उन्नयन	3856.02	
4.	पी:एसआई (डी)	नये एस/एसएस की स्थापना, कन्नूर जिले में संबद्ध लाइनों के साथ मौजूदा एस/एसएस की वृद्धि उन्नयन	2075.86	केएसईबी के अनुरोध पर स्वीकृति पत्र जारी करना रोक दिया गया।
5.	पी:आईई	कोझिकोड जिले में कोझिकोड विद्युत वितरण सर्किल	2797.14	
6	पी:आईई	पालाखाड़ जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला पालाखाड़	1424.75	
7	पी:आईई	पालाखाड़ जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला शिरानूर	1688.76	

1	2	3	4	5
8.	पी:आईई	वायानाड जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला कलपेट्टा	1522.31	
9.	पी:आईई	कोटायम जिले में कोटायम विद्युत सर्किल	1327.46	केएसईबी के अनुरोध पर स्वीकृति पत्र जारी करना रोक दिया गया।
10.	पी:आईई	कोटायम जिले में पल्ला विद्युत सर्किल	1445.41	
11.	पी:आईई	कन्नूड जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला कन्नूड	1608.84	
12.	पी:आईई	मल्लापुरम जिले में संपूर्ण विद्युत सर्किल को शामिल करने वाला मंजेरी	1260.48	
		कुल	25521	

पी:आईई – प्रोजेक्ट इंटेसिव इलैक्ट्रिफिकेशन

पी:एसआई (डी) – प्रोजेक्ट सिस्टम इंप्रुवमेंट आफ डिस्ट्रीब्यूशन

पी:एसआई (टी) – प्रोजेक्ट सिस्टम इंप्रुवमेंट आफ ट्रांसमिशन

साहसिक कार्य पर्यटन

2967. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में साहसिक कार्य पर्यटन और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) साहसिक पर्यटन और विरासत पर्यटन सहित पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता की शर्त पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय की गंतव्य और परिपथ योजना के लिए उत्पाद/अवसरंचना विकास के अंतर्गत पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान साहसिक पर्यटन और विरासत पर्यटन सहित स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रथम दो वर्षों के दौरान स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	12610.06
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	6477.32
4.	बिहार	12	2993.20
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	2	4314.91
7.	गुजरात	12	2710.24
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	21	5263.88

1	2	3	4
10.	जम्मू और कश्मीर	61	10678.72
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	9	6277.92
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	27	7093.77
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	14	4054.61
17.	मेघालय	8	1912.94
18.	मिजोरम	9	2011.32
19.	नागालैंड	32	4786.01
20.	उड़ीसा	18	6491.68
21.	पंजाब	4	2365.99
22.	राजस्थान	10	5744.02
23.	सिक्किम	50	13112.86
24.	तमिलनाडु	28	6427.52
25.	त्रिपुरा	17	1471.70
26.	उत्तराखंड	8	6549.76
27.	उत्तर प्रदेश	13	6672.67
28.	पश्चिम बंगाल	21	6562.50
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	7	819.11
31.	दादरा और नगर हवेली	3	24.88
32.	दिल्ली	8	764.08
33.	दमन और दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुडुचेरी	10	1863.68
	कुल	514	155307.55

[हिन्दी]

पंचायत चुनाव

2968. श्री अशोक कुमार रावत : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन से राज्यों में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं; और

(ख) उन राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) और (ख) वैसे क्षेत्रों में जहां संविधान का भाग-IX लागू होता है, झारखण्ड राज्य में पंचायतों का चुनाव गत पंचायत के कार्यकाल से नहीं कराया गया है एवं मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने पंचायतों के प्रावधान के लिए अपना विधान लागू किया है एवं वहां पंचायतों के चुनाव नहीं कराए गए हैं।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत खरीदना

2969. श्री वैजयंत पांडा : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राज्यों और सरकारी संस्थानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत खरीद को बाध्यकारी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के लिए यह बाध्यता है कि एक वितरण लाइसेंसी के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए कुछ प्रतिशतता का निर्धारण करें। इस प्रकार की प्रतिशतता को अक्षय खरीद बाध्यता कहा जाता है। तदनुसार, कई राज्यों में विनियामकों ने 1% से 10% के बीच अक्षय खरीद बाध्यता हेतु आदेश जारी किए हैं।

बैंकों के माध्यम से वेतन का भुगतान

2970. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक बैंक खोलने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के बैंक कब तक खोले जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने वेतन, भत्ते, बिल आदि जैसे सभी सरकारी भुगतान केवल बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ही करने की परिकल्पना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) नई बैंक शाखाओं को खोलना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। अत:, वाणिज्यिक बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि कोई नई शाखा/कार्यालय खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। तथापि, देश के बैंक-रहित खंडों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिये अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराने के लिये, सरकार ने, ऐसे खंडों में कम से कम एक केन्द्र/विक्रय केन्द्र (पीओएस) का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिये, एक एकमुश्त सहायता अनुदान के रूप में चालू वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

(ग) और (घ) आरबीआई द्वारा जून, 2008 में लिखे गए एक पत्र में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे विभिन्न लाभार्थियों को, एनआरईजीएस के अंतर्गत भुगतानों सहित सरकारी भुगतानों को बैंकिंग तंत्र के जरिये करने की संभावना तलाश करें। बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ भुगतानों के लिये बैंकिंग तंत्र के अधिकतर प्रयोग को सुविधाजनक बनाने को ध्यान में रखते हुए, व्यवसाय संपर्की/ सुविधाप्रदाता नियुक्त करने, विशेष सुविधा रहित खाते खोलने, स्मार्ट कार्ड वितरित करने और वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श प्रचारित करने के लिये पहले ही उपाय आरंभ कर दिये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए पर्यटन अवसंरचना

2971. श्री वरूण गांधी :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय आवास अवसंरचना में वृद्धि की मॉनिटरिंग कर रहा है और यह आकलन किया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु आने वाले अतिथियों की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 40,000 कमरों की जरूरत होगी। होटलों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की गतिविधि है, जिसमें गहन पूंजी की जरूरत होती है और इसकी समापन अवधि लंबी होती है। आगामी राष्ट्रमंडल खेल, 2010 को देखते हुए, पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय ने 1.04.2007 से 31.03.2010 के बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिलों में दो, तीन एवं चार सितारा श्रेणी के अंतर्गत बन रहे नए होटलों को आय कर अधिनियम की धारा 80-आईडी (1) के अंतर्गत पांच वर्ष का कर अवकाश प्रदान किया है।

पर्यटक गंतव्यों का संवर्धन एवं विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वरा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के

दौरान पर्यटन के विकास हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए स्वीकृत निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
2006-07	2400.09
2007-08	1811.28
2008-09	1826.28

विद्युत उत्पादन हेतु कार्य योजना

2972. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नई विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों को स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि करने के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 78,700 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से कुल 15325 मेगावाट की क्षमता 15.07.2009 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है और शेष निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 14000 मेगावाट की क्षमता की योजना भी बनाई गई है। क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:—

— पावर प्रोजेक्ट मानीटिरिंग पैनल के माध्यम से निगरानी के अतिरिक्त उच्चतम स्तर पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की गहन निगरानी।

— सभी स्वीकृतियां प्राप्त की गई तथा सम्पूर्ण क्षमता हेतु ईंधन लिंकेज प्राप्त किए गए।

— भारत हैवी इलैक्ट्रकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा प्रमुख संयंत्र उपकरण विनिर्माण करने की क्षमता का विस्तार।

— बाहरी स्रोतों के माध्यम से बीएचईएल द्वारा विक्रेता आधार को व्यापक बनाना।

— विभिन्न विद्युत संयंत्रों के उपकरणों के विनिर्माण हेतु एनटीपीसी लिमिटेड और भेल, मैसर्स एल एंड टी और एमएचआई जापान, मैसर्स जेएसडब्ल्यू एण्ड तोशिबा, मैसर्स भारत फार्ड एंड एलस्टाम और मैसर्स बीबी इन्जीनियरिंग एंड एलस्टाम और मैसर्स बीबी इंजीनियरिंग एण्ड अनसाल्डों द्वारा संयुक्त वैंचर कम्पनी का गठन।

— सभी पणधारियों को विक्रेता आधार को बढ़ाने के लिए संवेदनशील बनाया गया है ताकि बैलेन्स आफ प्लांट (बीओपी) आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

— कुशल जनशक्ति की कमी पर काबू पाने के लिए, "आईटीआई अंगीकृत करें" की पहल की गई है।

(ग) विद्युत मंत्रालय नई विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी धन की आवक

2973. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी ऋण की बढ़ती प्रवत्ति के मद्देनजर विदेशी ऋण, इसके एंड-यूज को सीमित करने और अल्पकालीन ऋणों की निगरानी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विदेशी ऋण की वर्तमान आवक कितनी है;

(घ) क्या विदेशी धन आवक से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विदेशी धन की आवक की बढ़ती प्रवत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार समग्र वृहत आर्थिक जरूरतों के अनुरूप और विदेशी ऋण के स्तर को नियंत्रणीय सीमा में रखने के लिए विदेशी ऋण के प्रबंधन की विवेकपूर्ण नीतियों का पालन कर रही है। इन नीतियों में दीर्घावधिक परिपक्वताओं वाले ऋण जुटाना, वाणिज्यिक उधारों के स्तरों और उनके अंतिम प्रयोग को विनियमित करना, अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाना, दीर्घावधिक और अल्पावधिक ऋण को मॉनीटर करना तथा ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों को बढ़ावा देना शामिल है।

(ग) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल विदेशी ऋण प्रवाह इस प्रकार रहे हैं:—

सारणी : निवल विदेशी ऋण प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

2006-07	26,341
2007-08	53,566
2008-09	1,503

टिप्पणी: निवल विदेशी ऋण प्रवाहों में विदेशी सहायता, विदेशी वाणिज्यिक उधार, अनिवासी भारतीय जमाराशियां, अल्पावधिक व्यापार ऋण तथा रुपया ऋण शोधन की निवल प्राप्तियां शामिल हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की 30 जून, 2009 की प्रेस विज्ञप्ति

विदेश ऋण प्रवाहों से घरेलू निवेश और आयात की मांग पूरी की जाती है तथा अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार की मौजूदा स्थिति और कारपोरेट क्षेत्र के वित्तपोषण की जरूरत के संदर्भ में नियमित रूप से विदेशी वाणिज्यिक उधारों और अल्पावधिक ऋणों पर नजर रखते हैं।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषक आहार

2974. श्री संजय सिंह चौहान : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पोषक आहार वितरित करने हेतु एक रुपया प्रति बालक प्रतिदिन की सीमा को संशोधित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग न किए जाने की कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत स्कीम के पोषण और आहार संबंधी मानकों के अनुसार, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के सभी बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पूरक पोषण के वित्तीय मानकों को 19.10.2004 से 1/-रुपया प्रति लाभार्थी प्रति दिन से बढ़ाकर 2/-रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कर दिया। इन मानकों में अब और संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है:—

श्रेणी	संशोधन-पूर्व दरें	संशोधित दरें*
1	2	3
बच्चे (6-72 माह)	2.00 रुपये	4.00 रुपये

1	2	3
अत्यधिक कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	2.70 रुपये	6.00 रुपये
गर्भवती एवं धात्री माताएं	2.30 रुपये	5.00 रुपये

*जम्मू व कश्मीर के मामले में 29.12.2008 से

*मध्य प्रदेश, छत्तीगढ़, राजस्थान, दिल्ली तथा मिजोरम के मामले में 23.12.2008 से

*अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 7.11.2008 से

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत

2975. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान और विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) वर्तमान में देश की राज्य-वार कितनी प्रतिशत जनसंख्या नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर है;

(घ) क्या देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और उपयोग हेतु स्वैच्छिक संगठनों से सरकार द्वारा कोई सहायता ली जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) सरकार लगाई गई प्रौद्योगिकी, अवस्थिति और प्रयोगकर्त्ता की श्रेणी पर निर्भर करते हुए विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना हेतु लागत के लगभग 30% से 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता करा रही है। स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय संसाधनों, मुख्यतया बायोमास, के माध्यम से कुकिंग, रोशनी और मोटिर पावर की ग्राम ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनिंदा गांवों में ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर प्रायोगिक परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं।

(ख) सरकार राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों को मिलाकर संसाधन मूल्यांकन की सहायता और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का संवर्धन कर रही है। इनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्याह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में अक्षय विद्युत के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण हेतु संस्थापित उपकरणों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-1ए के अंतर्गत लाभ उपलब्ध है। इसके अलावा, संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर दी जा रही है।

(ग) ऐसे किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, देश में कुल संस्थापित क्षमता में अक्षय विद्युत का अंशदान लगभग 9% है। साथ ही, लगभग 9300 उन दूरस्थ गांवों/बस्तियों, जो ग्रिड से जुड़ी हुई नहीं हैं, के लिए सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों के प्रावधान हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है जैसा कि संलग्न विवरण में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सामान्यतया राज्य नोडल विभागों/एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है जो गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करती है। मंत्रालय भी विशिष्ट मामलों में गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही शामिल करता है।

विवरण

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 31 मई, 2009 की स्थिति के अनुसार शामिल किए गए गांवों/बस्तियों के राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	गांवों/बस्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	298
3.	असम	1986
4.	छत्तीसगढ़	588
5.	गुजरात	38
6.	हरियाणा	286
7.	हिमाचल प्रदेश	22

1	2	3
8.	जम्मू और कश्मीर	235
9.	झारखंड	477
10.	कर्नाटक	79
11.	केरल	607
12.	मध्य प्रदेश	274
13.	महाराष्ट्र	353
14.	मणिपुर	240
15.	मेघालय	97
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	306
19.	राजस्थान	327
20.	सिक्किम	13
21.	तमिलनाडु	184
22.	त्रिपुरा	755
23.	उत्तराखंड	718
24.	उत्तर प्रदेश	250
25.	पश्चिम बंगाल	1186
	कुल	9355

[अनुवाद]

परतीभूमि का विकास

2976. श्री निशिकांत दुबे :
डॉ. भोला सिंह :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत गत-तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित परियोजनाओं और खेती के अंतर्गत लाई गई परतीभूमि के क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परतीभूमि के कितने क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को संशोधित समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) : (क) भूमि संसाधन विभाग, तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांत, 2003 के अनुसार वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) द्वारा परियोजनाओं को पांच वर्षों की परियोजनावधि के साथ 6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के संबंध में वित्तपोषण को केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में तथा आई.डब्ल्यू.डी.पी. के संबंध में 11:1 के अनुपात में बांटा जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. और आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत राज्यों को कुल 5841 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) 11वीं योजना के दौरान समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत 24 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए 15,359.46 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग में संशोधित समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डबल्यू.एम.पी.) के तहत निधियों के केन्द्रीय भाग को जारी करने हेतु किसी भी राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

होटल किराया

2977. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में फोर स्टार और फाइव स्टार होटलों का किराया विकसित देशों में इसी प्रकार के होटलों के किराये की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टार होटलों की किराया दरें देश में पर्यटकों के आने की संख्या को प्रभावित कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टार होटलों के किराये ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर स्थित बजट होटलों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय होटल के किराए निर्धारित नहीं करता है। होटल कमरों की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करने वाले मार्केट फोर्सेज के आधार पर होटल अपना किराया स्वयं निर्धारित करते हैं। बजट श्रेणी के होटलों में आवास की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय ने 1.04.2007 से 31.03.2010 के बीच दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद के जिलों में दो, तीन एवं चार सितारा श्रेणी के अंतर्गत बन रहे नए होटलों को आय कर अधिनियम की धारा 80-आईडी (1) के अंतर्गत पांच वर्ष का कर अवकाश प्रदान किया है। इसी प्रकार मुंबई तथा दिल्ली के राजस्व जिलों को छोड़कर युनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल वाले निर्धारित जिलों में तैयार किए गए दो, तीन एवं चार सितारा होटलों के लिए भी वर्ष 2008-09 के बजट में पांच वर्ष के कर आवकाश की घोषणा की गई थी। इन होटलों का निर्माण और इनके कार्य संचालन का प्रारंभ 1.4.2008 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान होना चाहिए।

सतर्कता और निगरानी समितियां

2978. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राज्य और जिला स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुई ऐसी बैठकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैठकों के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बैठकें नियमित रूप से नहीं करने और निर्धारित नियमों के अनुसार ग्रामीण विकास परियोजनाओं की निगरानी नहीं करने के कारण संसद सदस्यों सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सतर्कता और निगरानी समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित करनी होती है। मंत्रालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की 36 बैठकें तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की 575 बैठके आयोजित की गई थीं। आयोजित की गई बैठकों की राज्यवार तथा जिलेवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है। पन्द्रहवीं लोकसभा के गठन के परिणामस्वरूप पहले गठित की गई सतर्कता एवं निगरानी समितियां भंग हो गई हैं।

(ग) दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि किसी बिन्दु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी हो तो सतर्कता एवं निगरानी समितियां अपनी अभियुक्ति/सिफारिश उन्हें भेजेंगी यदि कोई भारी उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी जानकारी मंत्रालय को दी जाए।

(घ) से (च) सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठकें आयोजित न किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों सहित अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से कुछ शिकायतें मिली थीं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन को दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठकें आयोजित करने को कहा तथा प्राप्त शिकायतों की उन्हें जानकारी भी दीं।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें

क्र. सं.	राज्य	आयोजित बैठकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	1
8.	हरियाणा	—
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	—
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	2
13.	केरल	1
14.	मध्य प्रदेश	1
15.	महाराष्ट्र	—
16.	मणिपुर	—
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	—
19.	नागालैंड	—
00.	उड़ीसा	1
21.	पंजाब	1
22.	राजस्थान	1
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	2
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तराखण्ड	1
27.	उत्तर प्रदेश	3
28.	पश्चिम बंगाल	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	दमन और दीव	1
31.	दादरा और नगर हवेली	—
32.	लक्षद्वीप	1
33.	पांडिचेरी	2
	कुल	36

विवरण-II

वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें

क्र. सं.	राज्य	जिलों की कुल संख्या	उन जिलों की संख्या जहां बैठकें आयोजित की गई	जिला स्तीरय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	19	29
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	8	8
3.	असम	27	11	14
4.	बिहार	39	2[illegible]	23
5.	छत्तीसगढ़	16	9	11
6.	गोवा	2	2	2
7.	गुजरात	25	25	62

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	20	10	13
9.	हिमाचल प्रदेश	12	3	4
10.	जम्मू और कश्मीर	22	2	2
11.	झारखंड	24	5	6
12.	कर्नाटक	29	15	16
13.	केरल	14	14	32
14.	मध्य प्रदेश	48	40	63
15.	महाराष्ट्र	33	21	34
16.	मणिपुर	9	3	3
17.	मेघालय	7	7	7
18.	मिजोरम	8	8	11
19.	नागालैंड	11	3	3
20.	उड़ीसा	30	17	29
21.	पंजाब	20	7	8
22.	राजस्थान	33	26	41
23.	सिक्किम	1	1	2
24.	तमिलनाडु	29	29	51
25.	त्रिपुरा	4	4	4
26.	उत्तराखण्ड	13	8	10
27.	उत्तर प्रदेश	70	44	63
28.	पश्चिम बंगाल	19	11	15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2	3
30.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—
31.	दमन और दीव	2	2	3
32.	लक्षद्वीप	1	1	1
33.	पांडिचेरी	1	1	2
	कुल	612	381	575

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रिक्त पद

2979. श्री तथागत सत्पथी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी बैंकों में विभिन्न ग्रेडों में कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) सरकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को प्रदान की गई प्रबन्धकीय स्वायत्तता के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण परिचालनात्मक एवं प्रबन्धकीय स्वायत्तता दी गई है; जिसमें उनके द्वारा स्वयं की "मानव संसाधन" नीतियां तथा कार्य पद्धतियां तैयार करना, श्रमशक्ति नियोजन तथा भर्ती शामिल है। रिक्त पदों को भरना एक सतत् कार्य है और सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी जरूरतों तथा अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भर्ती करते हैं।

[हिन्दी]

मेगा टूरिस्ट सर्किट्स

2980. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों में अपने राज्यों में मेगा टूरिस्ट सर्किटों की स्थापना हेतु स्वीकृति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) आगमन और भावी सम्भाव्यता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मेगा गंतव्यों और परिपथों का अभिनिर्धारण किया जाता है। अब तक विभिन्न राज्यों में 29 गंतव्यों/परिपथों का मेगा परियोजनाओं के लिए अभिनिर्धारण किया जा चुका है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम

2981. श्री आंनदराव अडसुल :
श्री अर्जुन मुंडा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उक्त विधान की निरंतर समीक्षा हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र की स्थापना करने के अतिरिक्त कोई कार्य योजना बनाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जनांकिकीय विवरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से चर्चा कर रहा है तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए उनसे सम्पर्क कर रहा है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा मंत्रालय के अधिकारी कार्यान्वयन के निर्धारण एवं दिशानिर्देश के लिए राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं वर्तमान वर्ष के दौरान वन अधिकारों को प्रदान करने से संबंधित कार्य की समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हाल ही में सुझाव दिया है तथा इसमें लगा हुआ है।

30.06.2009 तक इस अधिनियम के तहत 21.49 लाख दावें प्राप्त हुए तथा विभिन्न राज्यों में 2.70 लाख (लगभग) अधिकार पत्र संवितरित कर दिए गए हैं तथा 1.35 लाख (लगभग) अधिकार पत्र संवितरण हेतु तैयार हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी

2982. श्री रायपति सांबासिवा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को धोखाधड़ी के माध्यम से अब भी बैंकों से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रहे बेईमान व्यक्तियों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ी का पता लगाने हेतु कोई विशिष्ट तंत्र स्थापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 सितम्बर, 2008 तथा 24 जून, 2009 के अपने परिपत्रों द्वारा सभी बैंकों से कहा है कि बहुबैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत ऋण सुविधाएं लेने वाले उधारकर्ताओं की हैसियत

के बारे में सूचना के आदान-प्रदान को सुदढ़ बनाएं और कानूनी/दांडिक कार्रवाईयों, वसूली के लिए अनुवर्तन, कार्य-पद्धति संबंधी ब्यौरों के आदान- प्रदान, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित धोखाधड़ी संबंधी आंकड़ों/सूचना में निरन्तरता बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से सहमत कार्यनीति पर आधारित समन्वित कार्रवाई करें। धोखाधड़ी का पता लगाने वाले बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि बहुबैंकिंग व्यवस्थाओं में सभी अन्य बैंकों के साथ ब्यौरों का आदान-प्रदान तुरन्त करें।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किसी व्यवस्था का सृजन नहीं किया है और अनन्य रूप से कोई विशिष्ट तंत्र नहीं बनाया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में समय-समय पर बैंकों को सामान्य धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों, कार्य पद्धति तथा बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं रोकने/उनमें कमी करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी देता रहता है। बैंकों से धोखाधड़ी की सूचनाएं मिलने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों से कहा था कि सीबीआई/पुलिस/एसएफआईओ को मामले की सूचना दें, कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच करें तथा चूक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाहियां शीघ्र पूरी करें, धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली के लिए उपाय करें, जहां कहीं लागू हो बीमा राशि का दावा करें और साथ ही प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बतनाएं, ताकि ऐसी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

कारोबार का समय

2983. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शेयर बाजार के कारोबार का समय बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शेयर बाजार के शीघ्र अथवा विलंब से खुलने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के समय में भी परिवर्तन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 19 मार्च, 2009 को एक्सचेंजों में कारोबार के बाजार समय में वृद्धि शीर्षक से एक परिचर्चा पत्र को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अपनी वेब साइट पर डाला है। जब और जैसे यह लागू किया जाएगा, बैंकों/वित्त संस्थाओं द्वारा अपने समय में परिवर्तन किए जाने की संभावना है ताकि वे अपनी व्यावसायिक कार्यनीति और विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, अपेक्षाकृत दीर्घ कारोबारी समय का लाभ उठा सकें।

प्रति व्यक्ति आय

2984. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय कुछ अन्य एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति औसत आय की तुलना में कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में भी काफी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय लेखा अनुभाग के अनुसार, भारत और चुनिंदा एशियाई देशों से संदर्भ में अमरीकी डॉलर मूल्य में वर्ष 2007 का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जून, 2009 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार है:-

देश अथवा क्षेत्र	2007 में अमरीकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
1	2
अफगानिस्तान	345
बांग्लादेश	428
चीन	2604
चीनी हांगकांग एसएआर	28685
चीनी मकाओ एसएआर	39731
भारत	976
इण्डोनेशिया	1869

1	2
जापान	34225
मलेशिया	7027
मालदीव	3454
मॉरीशस	5846
नेपाल	419
पाकिस्तान	996
सिंगापुर	36370
श्रीलंका	1676
थाईलैण्ड	3841

(ख) और (ग) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अन्य बातों के अलावा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी से भी निर्धारित होती है। अल्पावधि संदर्भ में विशेषकर वार्षिक आधार पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्यत: सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से निर्धारित होती है। आर्थिक समीक्षा 2008-09 के अनुसार सामान्य मानसून और सितंबर, 2009 तक वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार होने का अनुमान लगाते हुए भारत में राजकोषीय वर्ष 2009-10 में उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.0 +/- 0.75 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन विदेशी आर्थिक मंदी के अधिक लम्बा खिंच जाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के 2010 के आरंभ तक टल जाने की स्थिति में वृद्धि दर शायद इस परिधि की निचली सीमा पर रहेगी। अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में, अन्य देशों की तुलना में भारत की भावी सापेक्ष स्थिति भारत में और अन्य देशों में वैश्विक संकट के बाद के आर्थिक पुनरुद्धार की रफ्तार पर निर्भर करेगी।

सहकारी बैंकों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. की भर्ती

2985. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.वर्ग की भर्ती और आरक्षण व्यवस्था को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) जी, नहीं। सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की नियुक्ति और आरक्षण प्रणाली केवल सहकारी बैंकों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है, क्योंकि ये संस्थाएं राज्यों के सहकारी विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

पीजीसीआईएल का डब्ल्यूबी और एडीबी के साथ करार

2986. **श्री गजानन ध. बाबर : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय के साथ 5,400 करोड़ रुपये के कारोबार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीजीसीआईएल ने देश में विभिन्न पारेषण परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु दो ऋणों के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनके लिए उपर्युक्त ऋण का उपयोग किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां, वर्ष 2008-09 के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करने हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय के साथ 5400 करोड़ रुपए के कारोबार की परिकल्पना करते हुए 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां, पीजीसीआईएल ने 400 मिलियन यूएस डॉलर (पीएसडीपी-IV ऋण के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण) के विश्व बैंक ऋण तथा 200 मिलियन यूएस डॉलर (एडीबी-V) के एशियाई विकास ऋण के लिए जनवरी, 2009 में करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) विश्व बैंक ऋण द्वारा आंशिक रूप से वित्त-पोषित परियोजनाएं हैं: (i) पूर्वी-पश्चिमी पारेषण कॉरिडोर सुदृढ़ीकरण योजना (ii) पश्चिमी

क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (iii) पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-I तथा एडीबी ऋण द्वारा आंशिक रूप से वित्त-पोषित परियोजना हैं: + 800 के.वी. एचवीडीसी एनईआर-एनआर/डब्ल्यूआर अंतरयोजक (इंटरकनेक्टर)-I (लोअर सुबनसिरी तथा कामेंग जल विद्युत परियोजनाएं)।

जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

2987. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री पी. बलराम :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाई करने वाले सभी जनजातीय छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या जनजातीय छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना केवल कुछ विषयों तक ही समिति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितने अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ योजना-वार राज्य सरकारों को जारी की गई और उनके द्वारा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति की अदायगी न करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) और (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से उन सभी पात्र अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिकोत्तर अध्ययन करने के लिए प्रदान की जा रही है, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 1.08 लाख रुपए से अधिक न हो।

(ग) और (घ) पीटीजी सहित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए 35 विषयों की सूची बनाई गई है। "प्लान-स्कीम" के रूप में इस योजना को 2007-08 में संशोधित किया गया और और प्रतिवर्ष 15 पुरस्कारों (13 अनुसूचति जनजातियों के लिए और 2 पीटीजी के लिए) का प्रावधान किया गया है केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिन्होंने विदेश में किसी प्रत्यायित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है। पिछले तीन वर्षों में 4 उम्मीदवारों को विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। चालू वर्ष में अब तक कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है।

(ङ) अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यों/संघ राजक्षेत्रों को कोई निधि निर्मुक्त नहीं की जाती। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन निर्मुक्त और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त सहायता-अनुदान के बदले पात्र अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2008-09 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्मुक्त और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006.07		2007.08		2008.09	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग में लाई गई निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोग में लाई गई निधि	निर्मुक्त निधि	उपयोग में लाई गई निधि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4403.27	4403.27	2284.39	2284.39	1662.13	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	असम	2360.46	2360.46	1857.14	1857.14	1696.18	1696.18
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
5.	छत्तीसगढ़	853.71	674.62	130.24	125.10	160.28	
6.	गोवा	70.45	70.45	13.80	13.80	18.96	
7.	गुजरात	910.67	910.67	315.97	156.50	387.36	
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	59.72	20.58	10.00	
9.	जम्मू और कश्मीर	200.00	200.00	43.44	24.42	0.00	
10.	झारखंड	461.07	461.07	107.97	107.97	1058.48	
11.	कर्नाटक	1178.00	1178.00	456.87	456.87	1053.97	
12.	केरल	311.42	311.42	29.79	29.79	298.03	269.74
13.	मध्य प्रदेश	2092.41	2092.41	583.41	583.41	1228.18	
14.	महाराष्ट्र	750.00	750.00	2155.56	2155.56	2500.00	
15.	मणिपुर	1316.45	1316.45	1438.78	1429.46	1912.68	
16.	मेघालय	550.00	550.00	2435.72	2160.40	1342.12	
17.	मिजोरम	1153.02	1153.02	1370.20	1356.79	1421.18	1421.18
18.	नागालैंड	2694.79	2694.79	1593.50	1429.23	1467.27	
19.	उड़ीसा	1410.34	237.43	95.97	85.10	461.75	
20.	राजस्थान	3496.74	3496.74	4616.62	1779.37	4654.00	
21.	सिक्किम	9.63	9.63	25.63	23.19	25.13	
22.	तमिलनाडु	75.53	58.23	4.76	4.76	2.50	
23.	त्रिपुरा	348.18	348.18	294.89	281.86	433.19	
24.	उत्तर प्रदेश	93.68	25.00	7.50	0.00	0.00	
25.	उत्तराखंड	312.26	312.26	32.35	32.35	230.52	222.77

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	पश्चिम बंगाल	447.92	431.34	44.79	44.79	389.28	
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह *	3.42	3.42	4.45	4.45	3.00	
28.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
	कुल	25503.41	24048.85	20003.45	16447.27	22586.31	3609.87

*वर्ष 2008-09 में निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त करने की तारीख से केवल एक वर्ष बाद ही देय हो जाते हैं।

[हिन्दी]

धान की पुआल से विद्युत

2988. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के धान उत्पादक क्षेत्रों में धान की पुआल से विद्युत उत्पादित करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) देश में ग्यारहवीं योजना अवधि हेतु 500 मेगावाट की बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) बायोमास में चावल की भूसी और चावल का पुआल (अर्थात् धान पुआल) और कृषि औद्योगिकी अपशिष्टों सहित अतिरेक कृषि अवशिष्ट शामिल होते हैं। चावल भूसी की तुलना में विद्युत उत्पादन हेतु सीमित रूप में धान पुआल का प्रयोग किया जाता है। धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों सहित देश में बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु अब तक 703 मेगावाट की एक संचयी क्षमता संस्थापित की गई है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार देश भर में बायोमास से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए क्षमता से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी और राजकोषीय प्रोत्साहनों जैसे मशीनरी और संघटकों के आयात पर रियायती सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, प्रमुख संघटकों पर त्वरित मूल्यह्रास, करों से राहत और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण सहित विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त संभाव्यता वाले राज्यों में वाणिज्यिक बायोमास विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की बिक्री हेतु अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध कराई जा रही है।

विवरण

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित बायोमास विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	राज्य	कुल क्षमता (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	210
2.	छत्तीसगढ़	156
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	4
5.	कर्नाटक	82
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	63
8.	पंजाब	16
9.	राजस्थान	31
10.	तमिलनाडु	139
	कुल	703

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

2989. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :
डॉ. भोला सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए और अनुमोदित किये गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या कितनी है और राज्य सरकारों द्वारा कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं;

(ख) क्या इन अनुमोदित परियोजनाओं में से कुछ पर कार्य समय पर आरंभ नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कार्यान्वित की जा रही कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, उनके पूरा होने में कितने विलंब की संभावना है तथा ऐसे विलंब के कारण कितनी लागत वृद्धि हुई है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मई, 2009 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत भारत सरकार को प्राप्त एवं उसके द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों (सड़क कार्य) की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (मई, 2009 तक) के दौरान राज्य सरकारों द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं (सड़क कार्य) की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) इन अनुमोदित कार्यों में से कुछ कार्य समय पर शुरू नहीं हुए हैं। इनके समय पर शुरू न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) पहली पर परवर्ती कॉल में प्रत्युत्तर बोलियां प्राप्त न होना।

(2) राज्य सरकार के अधिकारियों की अपर्याप्त सांस्थानिक क्षमता होना तथा उन्हें कम शक्तियां प्राप्त होना।

(3) वन संबंधी स्वीकृति में विलम्ब।

(4) विभिन्न चुनावों के संदर्भ में आदेर्श आचार संहित लागू होना।

(5) देश के कुछ भागों में सुरक्षा संबंधी समस्याएं होना।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा टेंडर जारी होने की तारीख से मैदानी इलाकों के लिए 12 मास तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 18 मास है। पूर्णता की तारीख प्रत्येक राज्य के मामले में अलग-अलग है। अधिकांश कार्यों के मामले में पूर्णता की अवधि मैदानी इलाकों में 15-24 मास तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 24-30 मास है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जिन कार्यों को संभावित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका, उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

ये ठेके नियत कीमत के ठेके होते हैं और ठेकों में मूल्य-परिवर्तन संबंधी धारा नहीं होती है। तथापि, इन विलम्ब के कारण यदि लागत वृद्धि होती है तो उसे राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों से पूरा किया जाता है।

(च) पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का दायित्व है। राज्य सरकारों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति तेज करने को कहा गया है। मंत्रालय ने स्तर पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

- राज्यों की संविदात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए मानक बोली दस्तावेज में संशोधन किया गया है ताकि बड़े ठेकेदारों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम ठेकेदारों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

- राज्य सरकार का कार्यभार के अनुपात में पर्याप्त प्रतिबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों की तैनाती करने की सलाह दी गई है।

- राज्य सरकारों को पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं की ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में तेजी लाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
- सितम्बर, 2006 में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु कार्य निष्पादन प्रोत्साह प्रदान करना शुरू किया गया है जिसके तहत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने वाले ठेकेदारों को भावी ठेकों में योग्यता मूल्यांकन में उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है।
- राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के निर्धारित कार्यक्रम की गहनता से निगरानी करने की सलाह दी गई है तथा जहां अपेक्षित हो, परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने को कहा जाता है।
- प्रगति की उपयुक्त निगरानी के लिए समीक्षा एवं निगरानी बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया गया है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों वन विभाग के अधिकारियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बैठकें भी की जाती हैं।
- फील्ड कर्मियों की कार्यक्रम कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना।

विवरण-I

प्राप्त प्रस्तावों तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य	सड़क कार्यों की संख्या			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई, 09 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	340	366	1260	
2.	अरुणाचल प्रदेश	116		168	
3.	असम	417	139	2582	
4.	बिहार	431	1531	5628	418
5.	छत्तीसगढ़	924	1251	1049	
6.	गोवा				
7.	गुजरात	449	390	466	
8.	हरियाणा	47	108	67	
9.	हिमाचल प्रदेश	639	165	19	
10.	जम्मू और कश्मीर	251	25	440	
11.	झारखंड		353	669	
12.	कर्नाटक	252	313	310	429
13.	केरल	77	322	200	
14.	मध्य प्रदेश	2971	2953	1935	
15.	महाराष्ट्र	1530	439	128	638
16.	मणिपुर	59		131	
17.	मेघालय	26		36	
18.	मिजोरम		30	47	
19.	नागालैंड		29	11	
20.	उड़ीसा	843	1689	2076	
21.	पंजाब	119	63		
22.	राजस्थान	3634	2321	337	
23.	सिक्किम	67	39	105	
24.	तमिलनाडु	379		2409	
25.	त्रिपुरा	266	332	78	
26.	उत्तर प्रदेश	2881	817	81	
27.	उत्तराखंड	102	94	1310	133
28.	पश्चिम बंगाल	236	444	590	
	कुल	17056	14213	22132	1689

विवरण-II

पूर्ण की गई सड़क परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2006-07	वित्त वर्ष 2007-08	वित्त वर्ष 2008-09	वित्त वर्ष 2009-10 (मई, 09 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	479	332	383	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	33	31	6
3.	असम	270	129	293	80
4.	बिहार	194	199	309	22
5.	छत्तीसगढ़	518	603	721	111
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	293	334	375	38
8.	हरियाणा	14	64	99	12
9.	हिमाचल प्रदेश	141	197	307	50
10.	जम्मू और कश्मीर	22	52	48	23
11.	झारखंड	59	63	44	29
12.	कर्नाटक	114	268	301	126
13.	केरल	44	53	111	7
14.	मध्य प्रदेश	857	939	2068	196
15.	महाराष्ट्र	459	695	818	101
16.	मणिपुर	6	0	59	0
17.	मेघालय	12	17	8	1
18.	मिजोरम	1	17	11	0
19.	नागालैंड	1	13	19	2
20.	उड़ीसा	491	432	685	59
21.	पंजाब	64	64	54	23
22.	राजस्थान	1824	3005	1694	83
23.	सिक्किम	30	7	22	18
24.	तमिलनाडु	214	379	241	23
25.	त्रिपुरा	36	40	119	4
26.	उत्तर प्रदेश	1366	1649	1423	242
27.	उत्तराखंड	18	67	25	10
28.	पश्चिम बंगाल	192	227	268	10
	कुल योग	7732	9878	10536	1287

विवरण-III

पीएमजीएसवाई के तहत उन कार्यों की संख्या दर्शाने वाला विवरण जिन्हें संभावित समय-सीमा में पूरा किया गया (अप्रैल, 05 से दिसम्बर, 07 के बीच स्वीकृत कार्य)

क्र. सं.	राज्य	2006-07	2007-08 पूर्ण नहीं	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	436	303	267	1006
2.	अरुणाचल प्रदेश	64	43	73	180
3.	असम	430	0	139	569
4.	बिहार	160	392	1218	1770
5.	छत्तीसगढ़	945	0	1769	2714
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	122	209	349	680
8.	हरियाणा	22	38	66	126
9.	हिमाचल प्रदेश	0	859	165	1024

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	0	107	141	248
11.	झारखंड	0	102	341	443
12.	कर्नाटक	177	198	259	634
13.	केरल	91	77	322	490
14.	मध्य प्रदेश	919	1613	2295	4827
15.	महाराष्ट्र	0	1331	355	1686
16.	मणिपुर	0	59	0	59
17.	मेघालय	30	26	0	56
18.	मिजोरम	0	34	29	63
19.	नागालैंड	0	23	29	52
20.	उड़ीसा	1007	797	1561	3365
21.	पंजाब	28	57	0	85
22.	राजस्थान	698	1348	332	2378
23.	सिक्किम	29	67	38	134
24.	तमिलनाडु	0	358	0	358
25.	त्रिपुरा	36	266	330	632
26.	उत्तर प्रदेश	1410	2826	0	4236
27.	उत्तराखंड	79	102	79	260
28.	पश्चिम बंगाल	281	229	414	924
	कुल योग	6964	11464	10571	28999

भारत निर्माण कार्यक्रम

2990. श्री एंटो एंटोनी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में भारत निर्माण कार्यक्रम को इसके आरंभ से ही कार्यान्वित करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए 2005-06 में शुरू किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम में छह घटक हैं नाम हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, पेयजल तथा टेलीफोन की सुविधा। 2005-06 से 2008-09 के दौरान भारत निर्माण के कार्यान्वियन की प्रगति निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	घटक	भारत निर्माण लक्ष्य	उपलब्धि 2005-2009
1.	सिंचाई (लाख हैक्टेयर में)	100	60.18
2.	ग्रामीण आवास (लाख में)	60.00	71.76
3.	**ग्रामीण सड़कें**		
	(i) बसावटें (संख्या में)	59,564	31,924
	(ii) उन्नयन (लाख कि.मी. में)	1.94	1.55
4.	**पेयजल आपूर्ति (बसावटें संख्या में)**		
	(i) कवर न की गई बसावटें	55,067	54,435
	(ii) निचली श्रेणी में लौट आई बसावटें	3,31,604	3,57,822*
	(iii) गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	2,16,968	2,59,628**
	कुल	6,03,639	6,68,073
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण (गांव लाख में)	1.25	0.63#
6.	ग्रामीण टेलीफोन संपर्कता (गांव लाख में)	66822	57240

*अधिक उपलब्धि की जानकारी संचयी रूप से दी गई है क्योंकि कुछ राज्यों ने भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल की गई बसावटों के अलावा अन्य बसावटों को कवर न किए जाने की जानकारी दी है।

**पूरी हो चुकी परियोजनाएं: 46380; चल रहीं परियोजनाएं: 2,13,284

#योजना आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान भारत निर्माण के छह घटकों के तहत उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III तथा IV में दिया गया है। भारत निर्माण के सफल कार्यान्वयन के लिए व्यापक निगरानी प्रणाली बनाई गई है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान भारत निर्माण के तहत वास्तविक उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य	सिंचाई (लाख हैक्टेयर में)	विद्युतीकरण (गांवों की संख्या	ग्रामीण आवास (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8.00	0	7.400
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.19	54	0.240
3.	असम	0.58	825	4.930
4.	बिहार	5.27	17017	15.960
5.	छत्तीसगढ़	1.57	54	1.080
6.	गोआ	0.13	0	0.030
7.	गुजरात	5.05	0	3.640
8.	हरियाणा	0.54	0	0.470
9.	हिमाचल प्रदेश	0.20	0	0.150
10.	जम्मू और कश्मीर	0.60	48	0.470
11.	झारखंड	0.84	7355	2.320
12.	कर्नाटक	2.70	58	2.330
13.	करेल	0.28	0	1.570
14.	मध्य प्रदेश	3.11	84	2.490
15.	महाराष्ट्र	5.17	0	4.170
16.	मणिपुर	0.12	93	0.120
17.	मेघालय	0.06	108	0.190
18.	मिजोरम	0.07	0	0.110
19.	नागालैंड	0.13	0	0.460
20.	उड़ीसा	2.38	1896	3.720
21.	पंजाब	1.37	0	0.460
22.	राजस्थान	4.25	1928	1.670
23.	सिक्किम	0.04	0	0.060
24.	तमिलनाडु	2.25	0	2.920
25.	त्रिपुरा	0.12	0	0.620
26.	उत्तर प्रदेश	18.88	27673	8.830
27.	उत्तरांचल	1.01	1433	0.700
28.	पश्चिम बंगाल	0.29	3894	4.620
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0.010
30.	दादरा और नगर हवेली			0.000
31.	दमन और दीव			0.000
32.	लक्षद्वीप			0.000
33.	पुडुचेरी			0.010
	कुल	65.20	62520	71.750

विवरण-II

भारत निर्माण 2005-06 से 2008-09 टेलीफोन संपर्क

क्र. सं.	राज्य	उपलब्धि (टेलीफोन सुविधा मुहैया कराए गए गांवों की संख्या)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	675
2.	असम	8772

1	2	3
3.	बिहार	0
4.	झारखंड	1569
5.	गुजरात (दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सहित)	4057
6.	हरियाणा	0
7.	हिमाचल प्रदेश	964
8.	जम्मू और कश्मीर	1468
9.	कर्नाटक	0
10.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	0
11.	मध्य प्रदेश	11834
12.	छत्तीसगढ़	3361
13.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	5976
14.	पूर्वोत्तर I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	607
15.	पूर्वोत्तर II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	856
16.	उड़ीसा	2920
17.	पंजाब	0
18.	राजस्थान	11819
19.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	0
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0
22.	उत्तराखंड	2362
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	0
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
	कुल	57240

विवरण-III

भारत निर्माण – 2005-06 से 2008-09
वास्तविक उपलब्धियां – ग्रामीण सड़क घटक

क्र. सं.	राज्य	उन्नयन (लंबाई कि.मी. में)	नए सड़क संपर्क (लंबाई कि.मी. में)	नए सड़क संपर्क (बसावटें)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8797.58	1031.13	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	541.27	41
3.	असम	613.46	5166.32	3016
4.	बिहार	2671.84	2529.87	2199
5.	छत्तीसगढ़	2384.62	9493.34	2931
6.	गोवा	0.00	1.80	2
7.	गुजरात	7024.57	2026.85	947
8.	हरियाणा	3992.51	42.80	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3588.41	3569.79	583
10.	जम्मू और कश्मीर	631.15	652.17	247
11.	झारखंड	476.00	2070.27	669
12.	कर्नाटक	8388.92	71.50	17
13.	केरल	918.31	127.16	50
14.	मध्य प्रदेश	5756.91	19673.33	6551
15.	महाराष्ट्र	14802.31	948.60	251
16.	मणिपुर	278.83	549.81	78
17.	मेघालय	13.00	151.57	30
18.	मिजोरम	0.00	653.98	25
19.	नागालैंड	281.07	568.60	19

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	4585.03	6423.45	3209
21.	पंजाब	3949.18	177.97	50
22.	राजस्थान	17459.06	10326.17	2954
23.	सिक्किम	26.20	780.93	76
24.	तमिलनाडु	12833.57	610.49	79
25.	त्रिपुरा	0.00	600.00	281
26.	उत्तर प्रदेश	54152.62	8795.80	3733
27.	उत्तरांचल	1387.30	1638.34	192
28.	पश्चिम बंगाल	6.50	6181.96	3679
	कुल	155018.95	85405.27	31924

विवरण-IV

भारत निर्माण — 2005-06 से 2008-09 (ग्रामीण पेयजल आपूर्ति)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न की गई बसावटें (संख्या में)	निचली श्रेणी में लौट गई बसावटें (संख्या में)	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (संख्या में)	परियोजनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	28598	2611	5696
2.	अरुणाचल प्रदेश	668	870	401	986
3.	असम	7375	8829	1626	28181
4.	बिहार	0	42705	6306	18583
5.	छत्तीसगढ़	0	29547	1042	5021
6.	गोआ	3	1	0	0
7.	गुजरात	36	6046	3551	8717
8.	हरियाणा	0	2860	205	356
9.	हिमाचल प्रदेश	6030	9653	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3211	398	0	49
11.	झारखंड	0	17005	175	997
12.	कर्नाटक	5618	8717	3238	15303
13.	केरल	8859	3946	691	979

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	0	38512	559	5381
15.	महाराष्ट्र	17738	14338	3622	11212
16.	मणिपुर	0	517	0	74
17.	मेघालय	250	3563	98	174
18.	मिजोरम	112	357	26	78
19.	नागालैंड	262	141	46	196
20.	उड़ीसा	0	39902	5124	32254
21.	पंजाब	1822	2198	703	2097
22.	राजस्थान	1871	26897	5355	40832
23.	सिक्किम	74	510	0	76
24.	तमिलनाडु	0	33123	1300	5451
25.	त्रिपुरा	0	825	683	6687
26.	उत्तर प्रदेश	0	24620	2882	5564
27.	उत्तराखंड	218	5611	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	7500	6048	64570
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	102	0	0	26
30.	दादरा और नगर हवेली	66	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	120	33	88	88
	कुल	54435	357822	46380	259628

[हिन्दी]

अफीम उत्पादन

2991. श्री अशोक कुमार रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की राज्य-वार उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की देश में अफीम के उत्पादन को बढ़ाने/घटाने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई/की जाने वाले प्रस्तावित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क)

किसी राज्य में अफीम उत्पादन की क्षमता लाइसेंस प्राप्त खेतिहरों की संख्या, वास्तव में इसकी खेती और लावनी करने वाले खेतिहरों की संख्या, लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र की सीमा, लावनी किए गए क्षेत्र की सीमा तथा प्रति हेक्टेयर औसत उपज पर निर्भर करती है। पिछले तीन फसल वर्षों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उत्पादित अफीम की मात्रा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	फसल वर्ष में 70 डिग्री संशक्ति पर उत्पादित अफीम की मात्रा (मीट्रिक टन में)		
		2006-07	2007-08 (अनंतिम)	2008-09 (अनंतिम)
1.	मध्य प्रदेश	207	103	298
2.	राजस्थान	150	73	211
3.	उत्तर प्रदेश	0.046	0.199	0.078
	योग	357.046	176.199	509.078

(ख) और (ग) देश में अफीम का उत्पादन बढ़ाने/घटाने संबंधी निर्णय सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों को अधिसूचित करते समय लिया जाएगा जिसे सितम्बर, 2009 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राज्य वित्त निगम

2992. श्री वैजयंत पांडा :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार स्थापित किए गए राज्य वित्त निगमों (एसएफसीज) का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसे एसएफसी के कार्यकरण की क्या स्थिति है;

(ख) क्या किसी एसएफसी का पुनर्गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी एसएफसी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से एसएफसी के पुनरुद्धार के लिए अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) देश में 18 राज्य वित्त निगम हैं। 18 राज्य वित्त निगमों के नाम तथा उनकी कार्यकरण स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन वित्त निगमों की समग्री स्थिति और कार्यकरण में सुधार करने के लिए सिडबी ने संबंधित राज्य सरकारों को शामिल करते हुए 11 राज्य वित्त्र निगमों के साथ एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, 1 राज्य वित्त निगम नामतः यूपीएफसी ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा सिडबी की बही में इसका खाता एनपीए बन गया है।

(ग) सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 10 राज्य वित्त निगमों में से 8 राज्य वित्त निगमों की निवल मालियत सकारात्मक बन गई है। बाकी 2 राज्य वित्त निगम के भी वर्ष 2009-10 के दौरान सकारात्मक निवल मालियत वाले निगम के रूप में उभरने की संभावना है। राज्य वित्त निगम अब अपने कार्यकरण में प्रणालीगत विकास के बारे में संवेदनशील हैं।

(घ) और (ङ) जून, 2007 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सिडबी को नकारात्मक निवल मालियत वाले राज्य वित्त निगमों को पुनर्वित्त बंद करने का निदेश दिया था। परिणामस्वरूप, 4 राज्य सरकारें नामतः हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश संघ सरकार के पास पुनर्वित्त सहयोग जारी रखने हेतु सिडबी को अनुमति दिए जाने के लिए मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाने के लिए पहुंची थीं। इन राज्यों की स्वीकृति के बाद कि वे राज्य वित्त निगमों को पुनरुद्धारित करने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करने के द्वारा सहयोग देंगी, सिडबी को इन राज्य वित्त निगमों को पुनर्वित्त जारी रखने की अनुमति दी गई।

उड़ीसा राज्य वित्त निगम (ओएसएफसी) वर्ष 2002 से ही भुगतान में चूककर्ता था। राज्य वित्त निगम को सिडबी द्वारा जुलाई, 2005 में पुनर्संरचना पैकेज दिया गया। तत्पश्चात् निगम पैकेज के अनुसार अपने देयों का भुगतान करने में नियमित रहा है। सिडबी ने उड़ीसा राज्य वित्त निगम को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा पुनर्वित्त सुविधा पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है।

विवरण

राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य वित्त निगम का नाम	कार्यकरण की स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम (एपीएसएफसी)	ये 10 राज्य वित्त निगम परिचालनगत हैं। इन राज्य वित्त निगमों तथा संबंधित राज्य सरकारों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2004 से अपने कार्यकरण में संतोषजनक सुधार दर्शाया है।
2.	दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)	
3.	हरियाणा वित्त निगम (एचएफसी)	
4.	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (एचपीएफसी)	
5.	कर्नाटक राज्य वित्त निगम (केएसएफसी)	
6.	केरल वित्त निगम (एमपीएफसी)	
7.	मध्य प्रदेश वित्त निगम (एपीएफसी)	
8.	राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)	
9.	तमिलनाडु औद्योगिकी निवेश निगम (टीआईआईसी)	
10.	पश्चिम बंगाल वित्त निगम (डब्ल्यूबीएफसी)	
11.	असम वित्त निगम (एएफसी)	असम वित्त निगम का परिचालन वित्तीय वर्ष 2006 तक बहुत निम्न स्तरीय था। यह अपने तुलन-पत्र को असम सरकार तथा सिडबी के सक्रिय सहयोग से वित्तीय वर्ष 2008 तक सम्पूर्ण करने में समर्थ हुआ था। सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2006 में आंशिक मूलधन तथा ब्याज हानि सहित एकबारगी निपटान योजना प्रदान की, जो पहले ही निपटाई जा चुकी है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2007 से अपने परिचालन को धीरे-धीरे ऊपर उठाना शुरू किया है।
12.	बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी)	इन 7 राज्य वित्त निगमों ने विगत कुछ वर्षों से अपने उधार परिचालन को बंद रखा है और वर्तमान में उनकी गतिविधियां बकायों की वसूली तक सीमित हो गई हैं।
13.	गुजरात राज्य वित्त निगम (जीएसएफसी)	
14.	जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम (जेकेएसएफसी)	
15.	महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम (एमएसएफसी)	
16.	उड़ीसा राज्य वित्त निगम (ओएसएफसी)	
17.	पंजाब वित्त निगम (पीएफसी)	
18.	उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यूपीएफसी)	

प्राइवेट विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली मीटर

2993. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश में प्राइवेट विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली मीटरों में कुछ खराबी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इसके कारण उपभोक्ताओं को भारी हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र डिस्कॉमों के विद्युत मीटरों के संबंध में, दिल्ली राज्य को छोड़कर खराब मीटरों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यहां तक दिल्ली का संबंध है, लगभग 2000 मीटरों का परीक्षण किया गया था। उनमें से 48 मीटर अनुमेय सीमा से परे पाए गए।

(ग) और (घ) दिल्ली राज्य के उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाए गए मीटरों की परिशुद्धता की जांच करने के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर ने 1652 मीटरों का अध्ययन किया है। 1652 मीटरों में से, केवल 81 मीटर परिशुद्धता की अनुमेय सीमा से परे पाए गए।

(ङ) और (च) दिल्ली सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि खराब मीटरों के कारण उपयोक्ताओं को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि खराब मीटरों की संख्या बहुत कम है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

2994. श्री वरुण गांधी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित करने का विचार है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए एनजीओ

2995. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) को ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजीओज द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(i) जन सहयोग (पीसी)

(ii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उन्नयन (एआरटी)

(iii) लाभार्थियों का संगठन (ओबी)

(iv) अपंगता संबंधी कार्य (डीए)

कपोर्ट की स्थापना से लेकर 15 जुलाई, 2009 तक इसके द्वारा 11482 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में 26677 परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई है। अब तक 1020 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और 743 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं। तथापि, वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा चालू

वर्ष के दौरान कपार्ट द्वारा सहायता-प्रदत्त गैर-सरकारी संगठनों, प्राप्त परियोजनाओं, स्वीकृत एवं संवितरित निधियों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कपार्ट द्वारा वित्त-पोषित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर सूचीबद्ध निगरानीकर्ताओं द्वारा की जाती है। निगरानीकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई की जाती है:—

(i) यदि रिपोर्ट संतोषजनक होती है तो दूसरी किस्त समयानुसार रिलीज की जाती है।

(ii) यदि संबंधित गैर-सरकारी संगठन निर्धारण के अनुसार परियोजना को पूरी कर देता है, तो परियोजना को बंद कर दिया जाता है।

(iii) यदि प्रगति संबंधी रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो संबंधित गैर-सरकारी संगठन का वित्त-पोषण संबंधी प्रतिबंध अर्थात सहायता रोक देना, लागू किए जाते हैं।

(iv) यदि निधियों का गलत उपयोग अथवा विपथन पाया जाता है, तो संबंधित गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डाल दिया जाता है। कपार्ट के नियमों के अनुसार वसूली संबंधी कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान, मूल्यांकन के आधार पर कुछ मामलों में या तो प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई अथवा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, कपार्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मामले को निपटाये जाने तक चार संगठनों को वित्तीय सहायता रोक दी गई है। इसके अलावा, दो संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है और कपार्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

वर्ष 2006-07

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की सख्यां	स्वीकृत राशि (रु.)	संवितरित राशि(रु.)	एफएएस के अंतर्गत डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	33	490	38	3,21,97,203	2,45,69,325	1	—
2.	असम	3	95	3	15,92,200	13,35,100	—	—
3	अरुणाचल प्रदेश	—	2	—	—	—	—	—
4.	बिहार	11	358	13	57,59,282	50,52,094	—	—
5.	चंडीगढ़	1	4	1	5,98,400	5,98,400	—	—
6.	छत्तीसगढ़	3	20	8	89,51,347	31,72,085	—	—
7.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
8.	दमन और दीव	1	1	1	1,27,700	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	दिल्ली	1	29	1	5,00,000	5,00,000	—	—
10	गुजरात	19	90	27	3,08,75,049	1,41,98,324	—	—
11.	हरियाणा	9	147	9	29,80,136	23,83,866	—	—
12.	हिमाचल प्रदेश	8	38	9	25,93,590	17,90,722	—	—
13.	जम्मू और कश्मीर	7	32	7	13,73,950	8,63,570	—	—
14.	झारखंड	14	72	35	6,98,89,022	3,83,97,786	1	—
15.	कर्नाटक	13	39	36	16,47,66,630	7,12,24,363	—	—
16.	केरल	2	12	2	8,42,225	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	7	88	7	24,82,865	11,87,939	—	—
18.	महाराष्ट्र	23	81	52	12,27,35,718	6,02,03,143	—	—
19.	मणिपुर	6	122	6	19,02,727	15,05,143	—	—
20.	मेघालय	—	2	—	—	—	—	—
21.	मिजोरम	—	4	—	—	—	—	—
22.	नागालैंड	3	23	3	15,07,540	10,92,586	—	—
23.	उड़ीसा	19	193	41	6,07,45,928	1,97,00,454	—	1
24.	पांडिचेरी	—	1	—	—	—	—	—
25.	पंजाब	3	28	3	6,45,200	6,25,200	—	—
26.	राजस्थान	19	137	31	7,19,55,209	1,66,85,521	—	1
27.	सिक्किम	1	5	1	10,84,00	8,67,200	—	—
28.	तमिलनाडु	12	95	17	2,79,34,681	97,52,180	—	—
29.	त्रिपुरा	4	5	4	20,28,180	16,77,850	—	—
30.	उत्तर प्रदेश	4	593	4	72,00,726	6,56,162	—	—
31.	उत्तराखंड	4	47	4	36,59,467	28,81,651	—	—
32.	पश्चिम बंगाल	9	178	10	66,00,255	31,50,081	—	—

वर्ष 2007-08

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की सख्यां	स्वीकृत राशि (रु.)	संवितरित राशि (रु.)	एफएएस के अंतर्गत डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	126	512	129	4,78,14,946	3,16,41,477	1	—
2.	असम	19	152	19	87,99,232	57,13,109	—	—
3	अरुणाचल प्रदेश	—	2	—	—	—	—	—
4.	बिहार	34	395	43	4,76,81,933	1,06,36,286	—	—
5.	चंडीगढ़	2	15	3	23,72,000	4,90,000	—	—
6.	छत्तीसगढ़	4	24	5	28,02,899	7,05,691	—	—
7.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
8.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
9.	दिल्ली	2	17	2	18,26,475	1,79,849	—	—
10	गुजरात	17	48	17	1,67,17,951	70,19,849	—	—
11.	हरियाणा	25	88	29	1,27,77,788	93,43,865	—	—
12.	हिमाचल प्रदेश	13	84	14	1,03,88,339	78,17,552	—	—
13.	जम्मू और कश्मीर	15	40	17	58,37,810	50,82,375	—	—
14.	झारखंड	9	47	13	53,62,326	42,23,894	—	—
15.	कर्नाटक	1	2	1	12,23,145	—	—	—
16.	केरल	—	5	—	—		—	—
17.	मध्य प्रदेश.	8	61	8	31,90,100	16,41,008	—	—
18.	महाराष्ट्र	3	29	3	21,66,904	19,05,534	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	मणिपुर	33	160	34	1,35,34,158	78,38,812	—	—
20.	मेघालय	1	3	1	5,52,000	2,16,800	—	—
21.	मिजोरम	2	9	3	18,85,758	17,31,678	—	—
22.	नागालैंड	7	13	7	19,73,241	10,28,566	—	—
23.	उड़ीसा	41	217	43	2,27,20,287	1,21,22,227	—	—
24.	पांडिचेरी	1	4	1	4,26,000	3,97,297	—	—
25.	पंजाब	6	36	7	19,14,550	13,09,650	—	—
26.	राजस्थान	15	141		76,01,626	56,03,901	—	—
27.	सिक्किम	—	2	15	—	—	—	—
28.	तमिलनाडु	11	168	11	36,20,126	28,24,689	—	—
29.	त्रिपुरा	6	24	6	20,61,281	12,58,468	—	—
30.	उत्तर प्रदेश	60	530	68	5,69,07,885	2,43,51,572	—	—
31.	उत्तराखंड	2	40	2	7,80,585	4,14,513	—	—
32.	पश्चिम बंगाल	23	144	25	1,64,13,156	87,62,302	—	—

वर्ष 2007-08

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की सख्यां	स्वीकृत राशि (रु.)	संवितरित राशि (रु.)	एफएएस के अंतर्गत डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	1	—	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	92	714	96	5,95,15,480	2,63,840	1	—
3.	असम	9	70	9	29,00561	16,12,630	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	9	—	—	—	—	—
5.	बिहार	55	178	64	3,94,19,680	2,06,12,155	—	—
6.	चण्डीगढ़	2	3	3	21,16,900	15,07,720	—	—
7.	छत्तीसगढ़	7	25	7	48,85,548	3,73,256	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
9.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
10	दिल्ली	8	35	8	22,87,145	13,94,161	—	—
11.	गुजरात	22	98	22	86,59,797	41,24,406	—	—
12.	हरियाणा	20	107	22	83,61,062	42,57,280	—	—
13.	हिमाचल प्रदेश	11	52	14	80,42,230	48,61,350	—	—
14.	जम्मू और कश्मीर	5	48	7	42,10,300	23,46,350	—	—
15.	झारखंड	6	33	7	24,67,537	12,94,015	—	—
16.	कर्नाटक	—	9	—	—	—	—	—
17.	केरल	1	10	1	2,63,000	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	10	70	12	1,08,10,475	62,48,312	—	—
19.	महाराष्ट्र	12	66	12	63,39,240	19,71,535	—	—
20.	मणिपुर	12	120	12	84,62,975	27,95,623	—	—
21.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
22.	मिजोरम	—	5	—	—	—	—	—
23.	नागालैंड	—	2	—	—	—	—	—
24.	उड़ीसा	47	173	48	1,89,19,875	78,49,656	—	—
25.	पांडिचेरी	—	1	—	—	—	—	—
26.	पंजाब	4	25	4	9,84,400	4,47,200	—	—
27.	राजस्थान	13	120	15	1,02,48,432	60,52,534	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	सिक्किम	1	1	1	2,91,580	—	—	—
29.	तमिलनाडु	12	189	13	95,96,575	46,44,959	—	—
30.	त्रिपुरा	2	19	2	4,94,790	2,01,250	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	128	654	134	7,27,00,586	3,44,14,132	—	—
32.	उत्तराखंड	7	32	7	62,57,648	30,52,598	—	—
33.	पश्चिम बंगाल	40	194	44	2,62,80,691	1,21,57,668	—	—

वर्ष 2009-10 (अब से 31.05.2009)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की सख्यां	स्वीकृत राशि (रु.)	संवितरित राशि (रु.)	एफएएस के अंतर्गत डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	4	—	—	—	—	—
3	असम	—	—	—	—	—	—	—
4.	अरुणाचल प्रदेश		—	—	—	—	—	—
5.	बिहार	2	30	2	6,27,200	—	—	—
6.	चंडीगढ़	1	—	1	15,99,950	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	—	1	—	—	—	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
9.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—
10	दिल्ली	—	4	—	—	—	-	—
11.	गुजरात	—	18	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	हरियाणा	—	28	—	—	—	—	—
13.	हिमाचल प्रदेश	1	13	1	28,40,063	—	—	—
14.	जम्मू और कश्मीर	—	13	—		—	—	—
15.	झारखंड	1	8	1	92,025	—	—	—
16.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—
17.	केरल	—	1	—	—	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	—	17	—	—	—	—	—
19.	महाराष्ट्र	—	13	—	—	—	—	—
20.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
21.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
22.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
23.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
24.	उड़ीसा	1	10	1	12,92,456	6,40,838	—	—
25.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
26.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—
27.	राजस्थान	—	22	—	—	—		—
28.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
29.	तमिलनाडु	—	4	—	—	—	—	—
30.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	—	4	—	—	—	—	—
32.	उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—
33.	पश्चिम बंगाल	—	13	—	—	—	—	—

[हिन्दी]

जनजातियों के विकास हेतु प्रस्ताव

2996. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातियों/जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम बनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल कंपनियों द्वारा सेवा कर की अदायगी

2997. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल कंपनियां सेवा कर की अदायगी में अनियमितताएं बरत रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सेवा कर की अदायगी में अनियमितता की दोषी पाई गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आवास बंधक गारंटी कोष

2998. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आवास क्षेत्र के लिए आवास बंधक गारंटी कोष बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निकाय (कापर्स) निधि आबंटित की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) आवास क्षेत्र के लिए आवास बंधक गारंटी कोष स्थापित करने हेतु इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पारेषण उपकरणों का शुल्क रहित आयात

2999. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारेषण परियोजनाओं के लिए अपेक्षित उपकरणों के शुल्क रहित आयात को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार पारेषण नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए अपेक्षित बिजली उपकरणों पर सीमा शुल्क कटौती पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) द्वारा अधिकांशतः स्वदेशी उपकरण ही जुटाए जाते हैं। उक्त उपकरण देश में उपलब्ध न होने पर ही आयात का सहारा लिया जाता है।

मेट्रो रेल परियोजनाएं

3000. श्री मुकेश भैरावदानजी गढ़वी :
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में मेट्रो रेल सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) ऐसे प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों के कब तक अनुमोदित और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों से भारत सरकार को प्राप्त मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम लम्बाई कि.मी. में, लागत करोड़ रु. में	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	दिल्ली	**दिल्ली एमआरटीएस फेज-II** लम्बाई: 54.675 कि.मी. लागत: 8605.36 करोड़ रु. (केन्द्रीय करों रहित)	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और कार्य शुरू हो चुका है। शाहदरा-दिलशाद गार्डन और विश्वविद्यालय-जहांगीरपुरी खण्डों में मेट्रो क्रमश: 30.6.2008 और 3.2.2009 को चालू हो गई है। शेष भाग 31.10.2009 तक पूरा होना लक्षित है।
2.	दिल्ली/हरियाणा	दिल्ली में अम्बेडकर नगर से सुशांत लोक (गुडगांव) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार लम्बाई: 14.47 कि.मी. लागत: 1589 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 31.1.2010 तक पूणी होनी लक्षित है।
3.	दिल्ली/उत्तर प्रदेश	दिल्ली में न्यू अशोक नगर से नोएडा सैक्टर-32 तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार लम्बाई: 7.0 कि.मी. लागत: 827 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 31.10.2010 तक पूणी होनी लक्षित है।
4.	दिल्ली	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयर पोर्ट तक हाई स्पीड एक्सप्रैस लिंक लम्बाई: 19.2 कि.मी. लागत: 3076 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 31.8.2010 तक पूणी होनी लक्षित है।
5.	दिल्ली	आईजीआईएयर पोर्ट से द्वारका सेक्टर-21 तक एक्सप्रैस लिंक लम्बाई: 3.50 कि.मी. लागत: 793 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 30.9.2010 तक पूर्ण होनी लक्षित है।

1	2	3	4
6.	दिल्ली	द्वारका सेक्टर-9 से द्वारका सेक्टर-21 तक मेट्रो लिंक लम्बाई: 2.76 कि.मी. लागत: 356.11 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 30.9.2010 तक पूर्ण होनी लक्षित है।
7.	हरियाणा	फरीदाबाद तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार लम्बाई: 13.875 कि.मी. लागत: 2028 करोड़ रु.	हरियाणा सरकार से व्यापक मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) नगरीय बस सेवा में सुधार करने, विशिष्ट उद्देश्य हेतु वाहनों को शुरू करने के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो प्रतीक्षित हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में 50% का स्वामित्व होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की मंजूरी भी प्रतीक्षित है परियोजना के अनुमोदन और कार्यान्वियन के संबंध में इस तरह की कोई वचनबद्धता नहीं की जा सकती है।
8.	हरियाणा	बहादुरगढ़ तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा शहरी विकास मंत्रालय से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी मांगी है। केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार से लागत अनुमानों, लागत अंश और लागत के अपने अंश को पूरा करने की अपनी ठोस वचनबद्धता इत्यादि सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जो प्रतीक्षित है। परियोजना के अनुमोदन और कार्यान्वियन के संबंध में इस तरह की कोई वचनबद्धता नहीं की जा सकती है।
9.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना लम्बाई: 42.3 कि.मी. लागत: 8158 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 30.01.2015 तक पूर्ण होनी लक्षित है।
10.	पश्चिम बंगाल	ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर, कोलकाता लम्बाई: 14.67 कि.मी. लागत: 4874.58 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 31.9.2015 तक पूर्ण होनी लक्षित है।
11.	तमिलनाडु	चैन्नई मेट्रो रेल परियोजना लम्बाई: 46.5 कि.मी. लागत: 14600 करोड़ रु.	भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई और यह 30.9.2014-15 तक पूर्ण होनी लक्षित है।
12.	महाराष्ट्र	वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर लाइन-I मुम्बई लम्बाई: 11.07 कि.मी. लागत: 2356 करोड़ रु.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनकि निजी भागीदारी आधार पर यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने, वर्ष 2009-2010 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में परियोजना हेतु 235.50 करोड़ रु. के व्यवहार्यता अंतराल कोष सहायता प्रावधान की आवश्यकता को नोट कर लिया है। परियोजना 2011-2012 तक पूर्ण होनी लक्षित है।

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	चारकोप-बांद्रा-मनखुर्द लाईन-2 मुम्बई लम्बाई: 31.87 कि.मी. लागत: 7660 करोड़ रु.	परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर कार्यान्वित की जानी है। अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 25.8.2008 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्त मंत्रालय को व्यवहार्यता अंतराल कोष स्कीम के अंतर्गत 7660 करोड़ रु. की परियोजना लागत के अनुसार 20% वीजीएफ देने की सैद्धान्तिक रूप से सिफारिश की है। राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त बोलियों के अनुसार 2298 करोड़ रु. के व्यवहार्यता अंतराल कोष की मांग की गई है।
14.	केरल	कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना-I लम्बाई: 25.3 कि.मी. लागत: 2991.5 करोड़ रु.	केरल सरकार ने दिनांक 12.09.2005 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। योजना आयोग ने विशेष शर्तों के अध्यधीन प्रस्ताव का समर्थन किया है केबिनेट के लिए प्रारुप नोट को संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों हेतु परिचालित कर दिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की समय सीमा की संभावना अभी बतायी नहीं जा सकती है।
15.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मैट्रो रेल परियोजना-I लम्बाई: 71.16 कि.मी. लागत: 9696 करोड़ रु.	भारत सरकार से व्यवहार्यता अंतराल कोष सहायता से परियोजना शुरू करने हेतु दिनांक 28.6.2005 को राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परियोजना हेतु छूटकरार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में मैसर्स नवभारत के नेतृत्व वाले संघ को प्रदान किया गया था। जिसमें किसी व्यवहार्यता अंतराल कोष की परिकल्पना नहीं की गयी है। राज्य सरकार को इस छूटकरार को रद्द किए जाने की सूचना दी गई है। राज्य सरकार से नवीन प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

निवेशक सुरक्षा कोष

3001. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशक सुरक्षा निधि अप्रयुक्त रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार निवेशकों में विभिन्न निवेश विकल्पों तथा उसमें निहित जोखिम के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के तहत क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2007-08 में लगभग 3.42 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है। सेबी ने वर्ष 2007 में निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि का गठन किया है। निधि को शासित करने वाला विनियम 19 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया है। सेबी ने सूचित किया है कि पहली अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2008 तक स्टाक एक्सचेंजों के निवेशक संरक्षण कोष से 17.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सेबी मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करता रहा है

और इसने 3000 से भी अधिक निवेशक शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, इसने अंग्रेजी, हिन्दी और स्थानीय भाषाओं में शिक्षाप्रद पाठन सामग्रियां प्रकाशित की हैं।

सुरक्षा उपयोग

3002. **श्री आनंदराव अडसुल : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण स्थलों पर मानदंडों तथा उनके कार्यान्वयन की पद्धति को बताने के लिए सुरक्षा आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्लाई-ओवर तथा रेल गलियारा सहित एलिवेटिड कॉरीडोर परियोजना में शामिल निर्माण एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश ज़ारी करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छठी अनुसूची पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

3003. **श्री गजानन ध. बाबर : क्या पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "छठी अनुसूची क्षेत्रों की आयोजना तथा संविधान के भाग-नौ तथा नौ-क के तहत शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों "पर विशेषज्ञ समिति ने ग्रामीण और स्वायत्त पषिदों को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त सिंफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ग्रामीण और स्वायत्त परिषदों की स्थापना की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण और स्वायत्त परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) जी, हां। "छठी अनुसूची क्षेत्रों की आयोजना तथा संविधान के भाग-नौ तथा नौ-क के तहत शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों" पर विशेषज्ञ समिति ने विकेंद्रित एवं भागीदारीपूर्ण आयोजना के जिल स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/स्वायत्त परिषदों (एसी) एवं ग्रामीण परिषदों को सुदृढ़ करने का परामर्श दिया है।

(ख) से (ङ) समिति की रिपोर्ट को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड और संबद्ध केंद्रीय-मंत्रालओं को अग्रेषित किया गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अन्तरमंत्रालयी परामर्श किए गये हैं। उत्तर-पूर्व राज्यों में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत दस स्वायत्त जिला परिषदों/स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों/स्वायत्त परिषदों को स्व-सरकार के संगठनों के तौर पर कार्य करने हेतु कुछ कार्यकारी, विधायी, न्यायिक एवं वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। छठी अनुसूची के तहत, ग्रामीण समितियों या परिषदों की स्थापना समेत कतिपय विषयों से संबंधित विधि निर्माण की शक्तियां स्वायत्त जिला परिषदों/स्वायत्त परिषदों को सोंपी गई है।

[हिन्दी]

राजकोषीय घाटा

3004. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक भारत के राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अभी तक राजकोषीय घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है:—

राजकोषीय घाटा	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
केन्द्र तथा राज्य सरकारें संयुक्त (करोड़ रुपए)	2,30,432	2,47,832	2,44,462
केन्द्र सरकार (करोड़ रुपए)	1,42,573	1,26,912	3,30,114*

*अनन्तिम वास्तविक

स्रोत : केन्द्रीय बजट 2009-10 और महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक।

महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के अनुसार अप्रैल-मई, 2009 में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 90,758 करोड़ रुपए है। 2008-09 में दो बड़े आर्थिक झटके पड़े नामश: वर्ष के पूर्वार्द्ध में वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई भारी वृद्धि और उत्तरार्ध में गहराया वैश्विक वित्तीय संकट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तुओं की वैश्विक मूल्य वृद्धि तथा वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने के लिए करों में कटौती करके और सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी करके 2008-09 और 2009-10 के दौरान विस्तारवादी राजकोषीय दृष्टिकोण अपनाने के प्रति सजग बदलाव लाया गया था। यह विस्तारवादी नीति सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप है और अल्पावधि उपाय के तौर पर पूर्णतया उपयुक्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक झटकों के प्रतिकूल प्रभाव पर एक बार काबू पाए जाने के बाद, राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। 2009-10 के बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में अनुमान लगाया गया है कि केन्द्र का राजकोषीय घाटा गिरकर 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत और कम होकर 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत हो जाएगा।

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई

3005. श्री वैजयंत पांडा :
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु दिशानिर्देशों में ढील देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि राज्य के बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनंदगांव और सरगुजा जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों की वजह से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई सड़क परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दिशा-निर्देशों में छूट देने का अनुरोध किया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के निष्पादन में सामने आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार छूट देने का निर्णय लिया है:—

(i) चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नक्सली हिंसा की वजह से विस्तृत सर्वेक्षण कराना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं है, इन क्षेत्रों के लिए लाइन आकलनों के आधार पर भी चरण-I के प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं।

(ii) सुरक्षा संबंधी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में नए ठेकों के लिए कार्यों के समापन की समयावधि बढ़ाकर 18 महीने की जाए। तथापि, मूल्य में किसी भी तरह की वृद्धि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा।

(iii) ठेकेदारों की अनुपलब्धता की संभावना को ध्यान में रखते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी किराए पर लेकर, सामग्रियों की खरीद करके और ठेका आधार पर या खुदरा कार्यों के आधार पर, जैसा भी राज्य सरकार की पीडब्ल्यूडी नियमावली में प्रावधान किया गया हो, श्रमिकों को तैनात करते हुए कार्यों को विभागीय तौर पर कार्यान्वित किया जाए।

ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत उपयोग प्रमाण-पत्र

3006. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र समय से प्राप्त हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु अभिप्रेत निधियों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किए जाने से संबंधित शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई निधियों के लिए उनसे उपयोग प्रमाण-पत्र इस मंत्रालय में समय पर प्राप्त होते हैं क्योंकि यह निधियों की अनुवर्ती रिलीज के लिए पूर्व शर्त है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान रिलीज की गई कुछ राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजे हैं। झारखंड, पंजाब और दमन एवं दीव ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान रिलीज की गई कुछ राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजे हैं।

(ग) से (ङ) मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा – परीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट (वर्ष 2003 की सं. 3) में 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 58.39 करोड़ रु. की निधियों के अन्यत्र उपयोग के कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वर्ष 2006 की रिपोर्ट सं. 13) जो 2000-2005 की अवधि के लिए अभिलेखों के विषयगत जांच पर आधारित है, में 13 राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में निधियों के अन्यत्र उपयोग के कुछ उदाहरणों की जानकारी दी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों, राज्य सचिवों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशक/जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा और राष्ट्र स्तरीय स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के जरिए निधियों के उपयोग सहित कायक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की व्यापक प्रणाली बनाई है। इस मंत्रालय ने पांच सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिनमें (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन (ii) पारदर्शिता (iii) जन भागीदारी (iv) जवाबदेही और (v) कार्यक्रमों की सख्त सतर्कता एवं निगरानी। इन उपायों से समय पर निधियों को अधिकतम उपयोग और कार्यों/परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है।

विद्युत की मांग

3007. **श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :**
श्री पी. बलराम :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2009-10 के लिए कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों से विद्युत की मांग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के लिए दर्शाई गई मांग को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) 17वें इलैक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 तक के लिए कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्ष-वार प्रतिशत विद्युत उपभोग का प्रकाशन किया है तथा इस रिपोर्ट में इसी अवधि के लिए वर्ष-वार राज्य-वार विद्युत-ऊर्जा आवश्यकता तथा पावर स्टेशनों के बस-बार्स की व्यस्ततम मांग प्रकाशित की गई है। 17वीं ईपीएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार उपयोग के अनुमान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्युत समवर्ती-सूची का विषय है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण, संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी की गई मांग से संबंधित विवरण भी राज्य सरकार/राज्य-विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि देश में विद्युत की निरंतर कमी है, यह कमी मुख्यत: विद्युत की मांग में वृद्धि के कारण है जाकि विद्युत के विकास और इसकी उपलब्धता से अधिक है। यह कमी राज्य-दर-राज्य, माह-दर-माह तथा दैनंदिन आधार पर बदलती रहती है। अप्रैल से जून, 2009 के दौरान देश में विद्युत की कमी तथा उच्चतम कमी क्रमश: 9.8% तथा 12.3% रही है।

(ङ) योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की विद्युत संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 78,700 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि 15,325 मे. वा. समेकित क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है, 65285 मे. वा. समेकित क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है जिसका लाभ 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिलने की संभावना है। देश में विद्युत की कमी को कम करने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(i) अधिशेष केप्टिव विद्युत को ग्रिड में डालना। कैप्टिव विद्युत की 12,000 मेगावाट की क्षमता 11वीं योजना के दौरान प्रणाली में जोड़े जाने की संभावना है।

(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 14,000 मेगावाट ग्रिड इंटर एक्टिव नवीकरणीय विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से लगभग 4320 मेगावाट की अभिवृद्धि योजना के प्रथम दो वर्षों में हो चुकी है।

(iii) देश में जल विद्युत के त्वरित विकास के लिए 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल की शुरूआत।

(iv) पुरानी और गैर-कुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(v) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करना।

विवरण

वर्ष 2009-10 हेतु सत्रहवें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे का अखिल भारतीय, राज्यवार और श्रेणीवार पूर्वानुमान

राज्य	घरेलू	वाणिज्यिक	सार्वजनिक प्रकाश	पब्लिक वाटर वर्क्स	सिंचाई	औद्योगिक विद्युत (लो एवं मीडियम)	औद्योगिक (हाई वोल्टेज)	रेलवे	विविध	बेची गई ऊर्जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दिल्ली	11293	5230	285	398	72	2633	1083	593	450	22036
हरियाणा	4876	1403	55	544	9230	1545	4664	266	782	23365
हिमाचल प्रदेश	1037	408	16	492	70	480	3512	0	316	6331
जम्मू और कश्मीर	2762	755	77	461	236	372	963	0	917	6542
पंजाब	8687	2928	155	435	12909	3267	10299	153	577	39409
राजस्थान	7224	2426	248	1330	8580	2593	6552	357	0	29308
उत्तर प्रदेश	18578	3475	505	850	7775	3886	7225	1722	3762	47777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तराखंड	1818	932	60	218	717	158	1403	0	0	5306
चंडीगढ़	612	427	19	40	3	164	207	0	39	1510
उप जोड़ (उ.क्षे.)	56886	17982	1420	4768	39591	15097	35908	3091	6842	181586
गोवा	691	281	60	250	27	126	1656	0	0	3090
गुजरात	8992	3802	287	1193	15078	9017	14989	654	256	54267
छत्तीसगढ़	2952	461	57	117	1790	590	7083	809	0	13859
मध्य प्रदेश	8249	1619	250	798	8563	1137	6610	1843	0	29070
महाराष्ट्र	19568	7812	1206	2356	14168	7691	25053	2500	0	80355
दादरा और नगर हवेली	61	67	12	6	10	478	2785	0	0	3419
दमन और दीव	62	48	8	2	4	270	1591	0	0	1985
उप जोड़ (प.क्षे.)	40575	14089	1880	4723	39641	19308	59768	5806	256	186046
आंध्र प्रदेश	13003	3794	1383	768	22013	4451	12705	1620	184	59921
कर्नाटक	6008	3304	982	2510	13548	4370	6364	49	212	37347
केरल	6215	2275	303	319	322	931	3426	64	122	13977
तमिलनाडु	19795	5866	793	1327	12629	7470	11678	710	494	60762
लक्षद्वीप	19	7	2	0	0	1	0	0	0	30
पांडिचेरी	493	137	20	33	137	144	2002	0	7	2973
उप जोड़ (द.क्षे.)	45514	15376	3481	4958	48650	17366	36175	2443	1018	174980
बिहार	6388	454	38	271	1674	286	1094	461	0	10665
झारखंड	3163	324	74	85	106	293	9612	990	0	14648
उड़ीसा	6222	732	69	220	417	436	6361	439	429	15326
पश्चिम बंगाल	9523	2838	286	525	1079	1322	11521	1175	287	28555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	129	47	11	2	0	7	0	0	24	219
सिक्किम	76	38	45	3	0	24	6	0	0	201
उप जोड़ (पू.क्षे.)	25371	4386	513	1104	3276	2361	28594	3065	724	69394
असम	2429	404	20	88	73	318	787	0	318	4438
मणिपुर	250	21	5	19	5	40	27	0	78	444
मेघालय	430	186	4	51	1	15	637	0	163	1487
नागालैंड	189	26	9	6	0	38	101	0	63	431
त्रिपुरा	359	54	11	85	117	77	0	0	0	704
अरुणाचल प्रदेश	113	74	24	9	0	9	0	0	0	229
मिजोरम	178	11	18	32	5	5	3	0	14	265
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	3949	775	91	290	200	502	1554	0	636	7996
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	129	47	11	2	0	7	0	0	24	219
लक्षद्वीप	19	7	2	0	0	1	0	0	0	30
कुल (अखिल भारत)	172443	52663	7397	15845	131357	54643	161999	14404	9500	620251

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहायता

3008. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उपयोग की गई निधियों तथा अप्रयुक्त निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष निधियों का कब तक उपयोग कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) आर्थिक मामले विभाग द्वारा यथा सूचित विश्व बैंक सहायता के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तीन परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों (2006-07 से 2008-09 तक) के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि	हस्ताक्षर करने की तिथि
1.	बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	63 मिलियन अमेरिकी डालर	09.08.2007
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपमशन परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण	65 मिलियन अमेरिकी डालर	25.01.2008
3.	उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना	82.4 मिलियन अमेरिकी डालर	27.01.2009

एशियाई विकास बैंक से कोई भी सहायता विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, एडीबी से प्राप्त सहायता का लक्ष्य आधारभूत संरचना विकास द्वारा गरीबी को कम करना है। उक्त सहायता के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) पर निर्दिष्ट विश्व बैंक सहायता से प्राप्त 3 परियोजनाओं के लिए 30 जून, 2009 तक संचयी संवितरण की राशि क्रमशः 4.46 मिलियन, 39.46 मिलियन तथा 3.11 मिलियन अमेरिकी डालर है।

(ग) उपर्युक्त विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समापन तिथियां क्रमशः 31.10.2012, 30.9.2009 तथा 31.12.2013 हैं। संपूर्ण ऋण राशि का संवितरण एक किश्त में नहीं किया जाता है। परियोजना की प्रकृति तथा इसकी कार्यान्वयन अनुसूची के आधार पर परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान संवितरण किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठन

3009. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार जनजातियों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए कौन-कौन से राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए है; और

(ख) उक्त लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) पिछले पांच वर्षों की वांछित सूचना को सारणी-बद्ध किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव की अलग से जांच के बाद ही पात्र मामलों के लिए जाने वाले समय का पता चल सकेगा।

बैंक शाखाएं

3010. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकिंग सुविधा की कमी वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई शाखाओं को खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार, बैंकों को कम बैंक सुविधा वाले जिलों तथा ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसे सुकर बनाने के उद्देश्य से, बैंकों को 1 जुलाई, 2009 के शाखा प्राधिकार संबंधी मास्टर परिपत्र के अंतर्गत कम बैंक सुविधा वाले जिलों की एक सूची अग्रेषित की गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (*www.rbi.org.in*) पर भी दी गई है। बैंकों को वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान किसी भी समय विशेष ग्रामीण/कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों (जिलों) में, शाखाएं खोलने के संबंध में तत्काल प्रस्ताव हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करने की अनुमति भी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2009-10 के अपने बजट प्रस्ताव में, देश में बैंक सुविधा रहित प्रत्येक प्रखण्ड में बैंकिंग सेवाओं हेतु न्यूनतम एक केन्द्र/बिक्री केन्द्र (पीओएस) का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एकबारगी अनुदान सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपए रखे हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च, 2009 के लिए उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की 82,185 शाखाओं (प्रशासनिक कार्यालयों सहित) में से 31,653 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और 16,564 शाखाएं शहरी क्षेत्रों में थीं (शेष 18,999 अर्द्ध शहरी क्षेत्र में और 14,969 महानगरीय क्षेत्र में थीं)।

[अनुवाद]

हडको का पुर्नगठन

3011. श्री रायापति सांबासिवा राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के पुर्नगठन/क्रियाकलापों के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव हडको को आवासीय संस्थाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु कर मुक्त बांड जारी करने की अनुमति प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हडको विभिन्न राज्य सरकारों के आवास बोर्डों तथा संस्थानों को मकानों के निर्माण के लिए ऋण/सहायता प्रदान कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने तथा समाज के गरीब व कमजोर तबकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने हेतु क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए श्री अशोक झा, पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की गई है और मामले में हडको के विचार भी लिए गए हैं। हडको का पुर्नगठन करने का मुख्य आधार यह है कि इससे हडको सामाजिक आवास और आधारभूत अवस्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर पूर्ण तथा ध्यान दे सकेगा।

(ग) और (घ) कमजोर तबकों और कम आय समूहों के लिए सामाजिक आवास कार्यक्रम का वित्तपोषण करने में हडको को समर्थ बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श में कर मुक्त बांडों के विकल्प सहित सभी विकल्प तलाशे जाएंगे।

(ङ) जी, हां।

(च) राज्य सरकारों, आवास बोर्डों तथा संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर आवास ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य सरकारें, आवास बोर्ड और संस्थान आदि शामिल) को स्वीकृत आवास ऋण का राज्यवार सार

(करोड़ रु. में)

राज्य	2006-2007		2007-2008		2008-2009	
	स्वीकृति ऋण	आवास	स्वीकृति ऋण	आवास	स्वीकृति ऋण	आवास
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	351.07	86024				
असम	28.00	985	9.68	0	15.00	0

1	2	3	4	5	6	7
बिहार			8.91	322		
छत्तीसगढ़	596.85	29350	74.04	13536	73.41	404
गुजरात						
हरियाणा			60.00	948		
हिमाचल प्रदेश	45.00	0	25.00	0		
झारखंड					430.00	100876
मध्य प्रदेश	21.99	5764	9.18	0		
मणिपुर						
मिजोरम	1.00	62	7.23	170		
नागालैंड	20.30	161	42.95	208	106.60	222
पांडिचेरी					130.00	3000
राजस्थान	451.25	10000				
उत्तर प्रदेश	102.33	0	31.42	0	100.00	0
पश्चिम बंगाल			200.00	70000		
	1617.79	132346	468.41	85184	855.01	104502

टिप्पणी : इस विवरण में हडको निवास शामिल नहीं है, जो व्यक्ति विशेष के लिए है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

3012. श्री मुकेश भरवदानजी गढ़वी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी हां, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के 78700 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में 6843.4 मेगावाट समेकित क्षमता की पंद्रह गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को शामिल किया गया है। लक्ष्य की तुलना में, अब तक कुल 2983.7 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं चालू की जा चुकी हैं तथा वर्तमान में कुल 4329.2 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं (दो अतिरिक्त परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के द्वारा ताप क्षमता में अभिवृद्धि

क्षेत्र/परियोजना का नाम एवं राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	ऑर्डर तिथि	इकाई सं.	लक्षित क्षमता (मे.वा.)	क्षमता (मेवा) 2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
महाराष्ट्र						
1. रत्नागिरी (दाभोल) फेज-I	आरजीपीपीएल	05/99	ब्लाक-3	740	740	—
त्रिपुरा						
2. त्रिपुरा गैस	ओएनजीसी	06/08	मॉड्यूल-1	375	—	—
			मॉड्यूल-2	375	—	—
उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र):				1490	740	0.0
राज्य क्षेत्र						
असम						
3. लकवा वेस्ट हीट	एपीजीसीएल	03/06	एसटी	37.2	—	—
दिल्ली						
4. प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	05/08	जीटी-1	250	—	—
			जीटी-2	250	—	—
			जीटी-3	250	—	—
			जीटी-4	250	—	—
			एसटी-1	250	—	—
			एसटी-2	250	—	—
गुजरात						
5. धुव्रण सीसीपीपी एक्स.	जीएसईसीएल	03/04	एसटी	40	40	—
6. हजीरा सीसीपीपी एक्स.		01/08	जीटी+एसटी	351	—	—
7. पीपावाव सीसीपीपी		03/08	ब्लाक-1	351	—	—
			ब्लाक-2	351	—	—
8. उतरान सीसीपीपी एक्स.		04/07	जीटी	228	—	—
			एसटी	146	—	—

21-जुलाई-2009 के अनुसार

दौरान प्राप्ति 2009-10	कुल प्राप्ति	शेष क्षमता (मेवा) दौरान प्रत्याशित 2009-10	2010-11	2011-12	कुल शेष अनुमानित	कुल क्षमता दौरान प्रत्याशित 11वीं योजना	वास्तविक (ए)/ चालू की तारीख
8	9	10	11	12	13	14	15
–	740	0	–	–	–	740	**28-10-07(ए)**
–	–	0	–	363	363	363	09/2011
–	–	0	–	363	363	363	03/2012
0.0	740	0.0	726.0	726.0	1466.0		
–	–	0	37.2	–	37.2	37.2	04/2010
–	–	0	250	–	250	250	04/2010
–	–	0	250	–	250	250	06/2010
–	–	0	250	–	250	250	08/2010
–	–	0	250	–	250	250	10/2010
–	–	0	250	–	250	250	08/2010
–	–	0	250	–	250	250	12/2010
–	40	0	–	–	–	40	**13-08-07(ए)**
–	–	0	351	–	351	351	01/2011
–	–	0	351	–	351	351	10/2010
–	–	0	351	–	351	351	01/2011
–	–	228	–	–	228	228	09/2009
–	–	146	–	–	146	146	09/2009

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
9. धौलपुर सीसीजीटी	आरआरवीयूएनएल	06/04	जीटी-2	110	110	—
				110	110	—
तमिलनाडु						
10. वलुथुर सीसीपीपी एक्स.	टीएनईबी	05/06	जीटी	59.8	—	59.8
			एसटी	32.4	—	32.4
उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र):				3316.4	260.0	92.2
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश						
11. गौतमी सीसीपीपी	गौतमी पावर लि.	09/03	जीटी-1	145	—	—
			जीटी-2	145	—	—
			एसटी	174	—	—
12. कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा ईपीएस	03/01	जीटी-1	140	—	—
			जीटी-2	140	—	—
			एसटी	165	—	—
13. लैंको कोंडापल्ली एक्स. फेज-II	लैंको कोंडापल्ली	11/07	जीटी	@	—	—
			एसटी	@	—	—
दिल्ली						
14. रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	05/08	जीटी+एसटी	@	—	—
गुजरात						
15. सुजेन सीसीपीपी (अखाखोल)	टॉरेंट पावर जेन. लि.	06/05	ब्लाक-I	376	—	382.5
			ब्लाक-II	376	—	—
			ब्लाक-III	376	—	—
उप-जोड़ (निजी क्षेत्र):				2037.0		382.5
कुल (11वीं योजना):				6843.4	1000.0	474.7

टिप्पणी: @मूल 11वीं योजना में अतिरिक्त इकाइयां शामिल नहीं की गई है लेकिन इस योजना के दौरान इनके शामिल होने की संभावना है।

8	9	10	11	12	13	14	15
—	110	0	—	—	—	110	**16-06-07(ए)**
—	110	0	—	—	—	110	**27-12-07(ए)**
—	59.8	0	—	—	—	59.8	**06-05-08(ए)**
—	32.4	0	—	—	—	32.4	**16-02-09(ए)**
0.0	352.2	374.0	2690.2		2964.2	3316.4	
0	145	0	—	—	—	145	**03-05-09(ए)**
0	145	0	—	—	—	145	**03-05-09(ए)**
0	174	0	—	—	—	174	**03-05-09(ए)**
0	140	0	—	—	—	140	**01-05-09(ए)**
0	140	0	—	—	—	140	**01-05-09(ए)**
—	—	165	—	—	165	165	08/2009
—	—	233	—	—	233	233	12/2009
—	—	133	—	—	133	133	12/2009
—	—	108	—	—	108	108	01/2010
—	382.5	0	—	—	—	382.5	**04-02-09(ए)**
0	382.5	0	—	—	—	382.5	**07-05-09(ए)**
0	382.5	0	—	—	—	382.5	**08-06-09(ए)**
1509.0	1891.5	639.0			639.0	2530.5	
1509.0	2983.7	1013.0	2590.2	726.0	4329.2	7312.9	

एनआरईजीएस के तहत कार्य घंटे

3013. **श्री गजानन ध. बाबर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत कामगारों के लिए कार्य घंटों का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस संबंध में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 8 में यह प्रावधान है कि अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों की अनुसूची इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि एक व्यक्ति जो 7 घंटे काम करेगा उसे सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी दी जाएगी। सरकार ने दिनांक 14 जनवरी, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया है:—

(i) "8(1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि 9 घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके।

(8)2 किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं, यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को 12 घंटे से अधिक न हो।"

इस संबंध में दिनांक 28.05.2008 के परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैरा 8(1) में निर्दिष्ट कार्य के 9 घंटों में विश्राम का 1 घंटा भी शामिल है। यह संशोधन, कार्य के घंटों तथा मजदूरी दरों के संदर्भ में नरेगा को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

(ii) पैरा 8 के पश्चात निम्नलिखित पैरा *अंतःस्थापित* किया जाएगा अर्थात्

"8-क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो।"

[हिन्दी]

महिलाओं हेतु पुनर्वास केंद्र

3014. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निराश्रित महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनके लिए पुनर्वास केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का राज्य/स्वैच्छिक एजेंसियों के सहयोग से ऐसे केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) सरकार ने देश में बेघर महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ख) पुनर्वास केन्द्रों (स्वाधार आश्रय गृहों एवं अल्पावास गृहों) की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2008-09 में देश में 81 स्वाधार गृहों एवं 30 अल्पावास गृहों को संस्वीकृत किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 20.07.2009 तक 17 स्वाधार गृहों को संस्वीकृत किया गया है।

(ङ) स्वास्थ्य एवं अल्पावास गृह *क्रमशः* मंत्रालय एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत राशि सीधे कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों, जिनमें राज्य सरकारों के संगठन भी शामिल हैं, को निर्मुक्त की जाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/सरकारी अभिकरणों को निर्मुक्त एवं उनके द्वारा उपयोग में लाई गयी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 10.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार स्वाधार आश्रय गृहों एवं अल्पावास गृहों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	आश्रय गृहों की संख्या	अल्पावास गृहों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	32	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	12	12
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1
5.	बिहार	2	15
6.	चंडीगढ़	0	1
7.	छत्तीसगढ़	1	3
8.	दिल्ली	0	2
9.	गुजरात	3	5
10.	गोवा	0	1
11.	हरियाणा	6	5
12.	झारखंड	2	3
13.	जम्मू और कश्मीर	4	2
14.	कर्नाटक	36	32
15.	केरल	1	7
16.	मध्य प्रदेश	7	17
17.	महाराष्ट्र	44	34
18.	मिजोरम	1	1
19.	मणिपुर	17	6
20.	नागालैंड	6	1
21.	उड़ीसा	38	37
22.	पंजाब	0	4
23.	पुदुचेरी	0	2
24.	राजस्थान	7	8
25.	सिक्किम	0	2
26.	तमिलनाडु	17	43
27.	त्रिपुरा	0	5
28.	उत्तर प्रदेश	34	40
29.	उत्तरांचल	3	6
30.	पश्चिम बंगाल	18	38
	कुल	292	384

विवरण-II

स्वाधार स्कीम एवं अल्पावास गृह स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/राज्य कल्याण बोर्डों को संस्वीकृत एवं उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (20.07.2009 तक)	
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1448000	1448000	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	जम्मू और कश्मीर	—	—	2679522	817404	—	—	—	—
3.	महाराष्ट्र	4000000	4000000	1000000	1000000	—	—		
4.	मिजोरम	—	—	2430000	2430000	—	—	607500	607500
5.	उत्तर प्रदेश	5851600	5851600	2527960	2527960	—	—	1941450	—

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान अल्पावास स्कीम के अंतर्गत **बाढ़ सहायता हेतु बिहार राज्य बोर्ड** को 1,88,34,000/- रुपये निर्मुक्त किए गए।

उपरोक्त राशि राज्य सरकारों/राज्य कल्याण बोर्डों आदि को निर्मुक्त की गई।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

3015. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुन्डीया पन विद्युत परियोजना सहित कुछ विद्युत परियोजनाओं को बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) सभी जल विद्युत परियोजनाएं जो कि निर्माणाधीन हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिनके लाभ प्राप्ति की संभावनाएं है उनकी वन अनुमति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।

कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि. (केपीसीएल) से प्राप्त सूचना के आधार पर गुंडिया जल विद्युत परियोजना (1×200=200 मे.वा.) को निर्माण के अंतर्गत नहीं लिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति प्रक्रियाधीन है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा पूर्व-निर्माण अनुमति प्रदान किए जाने के आधार पर केवल सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर, किसी भी विद्युत परियोजना के निर्माण का कार्य बिना पर्यावरणीय अनुमति के प्रारंभ नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डोंगरिया जनजाति

3016. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सहित देश में डोंगरिया जनजाति की मौजूदगी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त जनजाति की राज्य-वार कुल जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त जनजाति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) सरकार इससे अवगत है कि "डोंगरिया खोंड" उड़ीसा राज्य में एक अनुसूचित जनजाति है और "खोंड" के पर्याय के रूप में है।

(ख) से (घ) "डोंगरिया खोंड" की अलग जनसंख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जनगणना के आंकड़ों में जनसंख्या का विवरण "खोंड" के नाम से मुख्य प्रविष्टि में है, जिसमें "डोंगरिया खोंड" सहित इसके सभी पर्याय शामिल हैं। इस जनजाति के धीरे-धीरे विलुप्त होने के संबंध में कोई रिपोर्ट मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. योजना

3017. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा बच्चों को दिए जाने भोजन पर विशेषज्ञों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंगनवाड़ी केंद्रों पर आई.सी.डी.एस. योजना के तहत, उपलब्ध कराए जा रहे भोजन का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। 'सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए उपाय सुझाने' हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित कार्य बल ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुपोषण में कमी लाने के लिए कार्यनीतियां सुझाने एवं आई.सी.डी.एस. लाभार्थियों हेतु कैलोरी मानक एवं उन्हें प्रदान किए जाने वाले भोजन की किस्म निर्धारित करने का कार्य 'समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के पूरक पोषण घटक के संपुष्टिकरण' पर उप-समिति को सौंप दिया।

उप-समिति की अनुशंसाओं के आधार पर बच्चों, जिनमें अत्यधिक कुपोषित बच्चे भी शमिल हैं, तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पोषक आहार एवं वित्तीय मानकों में संशोधन किया गया है।

संशोधित मानक इस प्रकार हैं:–

श्रेणी		संशोधित दर (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन)	संशोधित पोषण मानक	
			कैलोरी (कैल)	प्रोटीन (ग्राम)
(i)	बच्चे (6 माह से 72 माह)	4.00 रुपये	500	12.15
(ii)	अत्यधिक कुपोषित बच्चे (6 माह से 72 माह)	6.00 रुपये	800	20.25
(iii)	गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं	5.00 रुपये	600	18.20

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषण के रूप में प्रदान किए जाने वाले आहार की किस्म का चयन करने की छूट होती है। हाल ही में, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सुबह अल्पाहार के साथ-साथ पका हुआ गरम भोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 24 फरवरी, 2009 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 22 अप्रैल, 2009 के अपने आदेश में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भारत सरकार के 24 फरवरी, 2009 के पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों को पका हुआ गरम भोजन प्रदान करने के लिए निदेश दिए हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों में पके हुए गरम भोजन के अलावा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों, अत्यधित कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को घर ले जाने वाला राशन प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित विकास कार्य

3018. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को राज्यों में अवसरंचनात्मक तथा सामाजिक क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में कोई शर्तें भी रखी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इससें अधिकाधिक लाभ प्राप्त प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों 2006-07 से 2008-09 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हस्ताक्षरित अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विदेशी सहायता से वित्तपोषित परियोजनाओं का संगठन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों 2006-07 से 2008-09 के दौरान अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विदेशी वित्तपोषण वाले सरकारी ऋणों का संगठन-वार, राज्य-वार और परियोजना-वार संवितरण का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जापान और जर्मनी से ऋणों के संबंध में ऋणों से कोई शर्त नहीं जुड़ी है क्योंकि ये अनाबद्ध ऋण हैं।

एशियाई विकास बैंक के संबंध में, प्रत्येक अलग-अलग परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरे वार शर्तें, प्रत्येक परियोजना के लिए एडीबी के साथ हस्ताक्षरित ऋण दस्तावेज में दी गई हैं। ब्यौरा एडीबी के वेबसाइट "*www.adb.org*" पर देखा जा सकता हैं।

विश्व बैंक ऋणों के संबंध में सामान्य शर्तें विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) परियोजनाओं को आरम्भ करने से पूर्व उनकी तैयारी के संकेतकों से जांच की जाती है। कार्यान्वयन के दौरान, परियोजनाओं को आवधिक संयुक्त पुनरीक्षा बैठकों के माध्यम से मानीटर किया जाता है। समय-समय पर राज्य स्तर-पर पोर्टफोलियो पुनरीक्षाएं और स्थल दौरे भी किए जाते हैं।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 2006-2007 के दौरान हस्ताक्षरित परियोजनाओं का ब्यौरा

(जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) (जेआईसीए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	ऋण राशि मिलियन/ येन करोड़ रुपए (लगभग)	हस्ताक्षर की तारीख
1	2	3	4	5
1.	उड़ीसा एकीकृत सफाई सुधार परियोजना	उड़ीसा	19061/657.60	30.3.2007
2.	बंगलौर वितरण स्तरोन्नयन परियोजना	कर्नाटक	10643/367.18	30.3.2007
3.	आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना (चरण-I)	आंध्र प्रदेश	23974/527.10	30.3.2007
4.	हैदराबाद और सिकन्दराबाद के जुड़वां शहरों में पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	आंध्र प्रदेश	23697/817.54	30.3.2007
5.	विशाखापत्तनम पत्तन विस्तार परियोजना	आंध्र प्रदेश	4129/142.45	30.3.2007
6.	आगरा जलापूर्ति (गंगाजल) परियोजना	उत्तर प्रदेश	24822/856.35	03.3.2007
7.	दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-II (2)	दिल्ली	13583/463.61	30.3.2007
8.	गुजरात वानिकी विकास परियोजना-II	गुजरात	17521/604.47	30.3.2007
9.	अमृतसर मल निकासी सुधार परियोजना	पंजाब	6961/240.15	30.3.2007
10.	केरल जलापूर्ति परियोजना (II)	केरल	32777/1130.80	30.3.2007
11.	त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार और गरीबी उन्मूलन परियोजना	त्रिपुरा	7725/266.51	30.3.2007

1	2	3	4	5
केएफडब्ल्यू (जर्मनी)				
12.	ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, राजस्थान (अतिरिक्त निधिकरण)	राजस्थान	3.00 (मिलि. यूरो)	26.6.2006
13.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-VIII	केन्द्रीय क्षेत्र	20.00 (मिलि. यूरो)	12.12.2006
विश्व बैंक				
14.	तमिलनाडु एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण और जलाशय बहाली एवं प्रबंधन परियोजना	तमिलनाडु	335.00-आईबीआरडी 150.00-आईडीए जोड़: 485.00 (मिलि. अ. डालर)	12.02.2007
15.	पंजाब राज्य सड़क परियोजना	पंजाब	250.00-आईबीआरडी (मिलि. अ. डालर)	26.2.2007
16.	पंजाब ग्रामीण डब्ल्युएसएस परियोजना	पंजाब	161.0-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	26.2.2007
17.	कर्नाटक नगर पालिका सुधार कार्यक्रम	कर्नाटक	216.00-आईबीआरडी (मिलि. अ. डालर)	2.5.2006
18.	उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना	उत्तरांचल	129.1-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	16.10.2006
19.	ओएसडीईएल-II	उड़ीसा	आईबीआरडी + आईडीए 150 + 75 (मिलि. अ. डालर)	28.8.2006
20.	एपीईआरएल-III	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी + आईडीए 150 + 75 (मिलि. अ. डालर)	8.2.2007
21.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना-II (ऋण 4227 आईएन)	केन्द्रीय	360-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	16.10.2006
22.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण परियोजना-II (ऋण 4228 आईएन)	केन्द्रीय	170-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	16.10.2006
23.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास एवं सुधार परियोजना (ऋण 4229 आईएन)	राज्य	141.83-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	16.10.2006
24.	कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना (ऋण 4211 आईएन)	कर्नाटक	120.00 (मिलि. अ. डालर)	24.7.2006

1	2	3	4	5
25.	राष्ट्रीय कृषि नवप्रर्वतन परियोजना (ऋण सं. 4161-आईएन और 4162-आईएन)	अखिल भारत	200.00 (मिलि. अ. डालर)	24.7.2006
26.	विद्युत प्रणाली विकास-III	केन्द्रीय क्षेत्र	400.00 (मिलि. अ. डालर)	2.5.2006
आईएफएडी				
27.	तेजस्विनी-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिला अधिकारिता कार्यक्रम	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	39.44 (मिलि. अ. डालर)	12.10.2006
एडीबी				
28.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	केन्द्रीय	180 (मिलि. अ. डालर)	29.08.2006
29.	केरल स्थायी शहरी विकास परियोजना	केरल	221.2 (मिलि. अ. डालर)	08.12.2006
30.	ग्रामीण सहकारी ऋण पुनर्संरचना एवं विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	1000 (मिलि. अ. डालर)	11.12.2006
31.	कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना (पूरक)	पश्चिम बंगाल	80 (मिलि. अ. डालर)	21.02.2007
32.	उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	उत्तराखंड	41.9 (मिलि. अ. डालर)	22.02.2007

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 2007-2008 के दौरान हस्ताक्षरित परियोजनाओं का ब्यौरा

(जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एर्जेसी) (जेआईसीए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	ऋण राशि मिलियन/ येन करोड़ रुपए (लगभग)	हस्ताक्षर की तारीख
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली परियोजना	महाराष्ट्र	167,49/569.46	14.9.07
2.	गोवा जलापूर्ति एवं मल निकासी परियोजना	गोवा	22,806/775.40	14.9.07
3.	हरियाणा पारेषण प्रणाली परियोजना	हरियाणा	20,902/796.78	10.3.2008
4.	दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (III)	दिल्ली	72,100/2748.45	10.3.2008
5.	कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना	पश्चिम बंगाल	6,437/245.37	10.3.2008
6.	हैदराबाद बाहरी रिंग रोड परियोजना चरण-1	आंध्र प्रदेश	41,853/1595.43	10.3.2008

1	2	3	4	5
7.	उत्तर प्रदेश भागीदारी वन प्रबंधन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	उत्तर प्रदेश	13,345/508.71	10.3.2008
8.	होगनाकल जलापूर्ति और फ्लोरेसिस शमन परियोजना	तमिलनाडु	22,387/853.39	10.3.2008
9.	तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	तमिलनाडु	8,551/325.96	10.3.2008
केएफडब्ल्यू (जर्मनी)				
10.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-IX	केन्द्रीय क्षेत्र	42.00 (मिलि. यूरो)	20.12.2007
11.	नाबार्ड-XI (ग्रामीण सहकारी ऋण ढ़ांचे का सुधार)	केन्द्रीय क्षेत्र	100.00 (मिलि. यूरो)	20.12.2007
12.	नाबार्ड-XI (ग्रामीण सहकारी ऋण ढ़ांचे का सुधार)	केन्द्रीय क्षेत्र	40.00 (मिलि. यूरो)	20.12.2007
विश्व बैंक				
13.	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश	94.50-आईबीआरडी 94.50-आईडीए जोड़: 189.0 (मिलि. अ. डालर)	08.06.2007
14.	कर्नाटक समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन परियोजना अतिरिक्त वित्तपोषण	कर्नाटक	32.00-आईबीआरडी 32.00-आंडीए जोड़: 64.00 (मिलि. अ. डालर)	02.11.2007
15.	हिमाचल राज्य सड़क परियोजना	हिमाचल	220.00- आईबीआरडी (मिलि. अ. डालर)	7.8.2007
16.	ग्रामीण ऋण सहकारिता सुदृढ़ीकरण	बहुराज्य	आईबीआरडी + आईडीए 300+300 (मिलि. अ. डालर)	2.11.2007
17.	पहला हिमाचल प्रदेश विकास नीति ऋण	हिमाचल प्रदेश	आईबीआरडी + आईडीए 135+65 (मिलि. अ. डालर)	19.11.2007
18.	बिहार विकास नीति प्रचालन-I	बिहार	आईबीआरडी + आईडीए 150+75 (मिलि. अ. डालर)	15.1.2008
19.	राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना चरण-III (ऋण सं. 4299-आईएन)	केन्द्रीय	250-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	05.07.2007
20.	व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (ऋण सं. 4319-आईएन)	केन्द्रीय और राज्य	280-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	2.11.2007

1	2	3	4	5
21.	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (ऋण सं. 4323-आईएन)	बिहार	63.00 (मिलि. अ. डालर)	9.8.2007
22.	अतिरिक्त वित्तपोषण-आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी अपशमन परियोजना (ऋण सं. 3732-आईएन)	आंध्र प्रदेश	65.00 (मिलि. अ. डालर)	25.1.2008
23.	रामपुर पनविद्युत	केन्द्रीय क्षेत्र	400.00 (मिलि. अ. डालर)	15.1.2008
24.	विद्युत प्रणाली विकास-IV	केन्द्रीय क्षेत्र	600.00 (मिलि. अ. डालर)	28.3.2008
एडीबी				
25.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	मध्य प्रदेश	106 (मिलि. अ. डालर)	12.04.2007
26.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	मध्य प्रदेश	45 (मिलि. अ. डालर)	12.04.2007
27.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र परियोजना-2	मध्य प्रदेश	320 (मिलि. अ. (डालर)	23.07.2007
28.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-3)	मध्य प्रदेश	144 (मिलि. अ. डालर)	23.08.2007
29.	जम्मू और कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	जम्मू और कश्मीर	42.2 (मिलि. अ. डालर)	28.12.2007
30.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	राजस्थान	60 (मिलि. अ. डालर)	17.01.2008
31.	उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	कर्नाटक	33 (मिलि. अ. डालर)	23.01.2008
32.	भारत अवसंरचना परियोजना वित्तपोषण सुविधा	केन्द्रीय	300 (मिलि. अ. डालर)	03.03.2008
33.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-4)	मध्य प्रदेश	90 (मिलि. अ. डालर)	07.03.2008
34.	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	केन्द्रीय	400 (मिलि. अ. डालर)	28.03.2008
35.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	केन्द्रीय	53.55 (मिलि. अ. डालर)	28.03.2008

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 2008-2009 के दौरान हस्ताक्षरित परियोजनाओं का ब्यौरा

(जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) (जेआईसीए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	ऋण राशि मिलियन/ येन करोड़ रुपए (लगभग)	हस्ताक्षर की तारीख
1	2	3	4	5
1.	चैन्नई मैट्रो परियोजना	तमिलनाडु	21751/1087.55	21.11.2008
2.	हैदराबाद बाहरी रिंग रोड परियोजना (चरण-2)	आंध्र प्रदेश	42027/2102.35	21.11.2008
3.	वन प्रबंधन और कार्मिक प्रशिक्षण परियोजना के लिए क्षमता विकास*	राष्ट्र-व्यापी	5241/262.05	21.11.2008
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम ऊर्जा बचत परियोजना	राष्ट्र-व्यापी	30000/1500.00	21.11.2008
5.	गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना*	असम	29453/1462.75	30.3.2009
6.	दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (IV)	दिल्ली	77753/3887.65	30.3.2009
7.	केरल जलापूर्ति परियोजना (III)*	केरल	12727/636.35	30.3.2009
8.	होगनाकल जलापूर्ति और फ्लोरेसिस शमन परियोजना	तमिलनाडु	17095/854.57	30.3.2009
	केएमडब्ल्यु (जर्मनी)			
9.	तमिलनाडु में स्थायी नगरपालिका अवसंरचना वित्तपोषण	तमिलनाडु	65.00 (मिलि. यूरो)	9.7.2008
10.	तमिलनाडु में स्थायी नगरपालिका अवसंरचना वित्तपोषण	तमिलनाडु	10.00 (मिलि. यूरो)	9.7.2008
11.	अति संवेदी विद्युत स्टेशन, कृष्णापत्तनम (आंध्र प्रदेश) (करार संशोधित हो रहा है)	आंध्र प्रदेश	281.057 (मिलि. यूरो)	11.12.2008
12.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-X	केन्द्रीय क्षेत्र	31.00 (मिलि. यूरो)	11.12.2008
13.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-XI	केन्द्रीय क्षेत्र	13.580 (मिलि. यूरो)	11.12.2008
	विश्व बैंक			
14.	उड़ीसा समुदाय ताल प्रबंधन परियोजना	उड़ीसा	56.00 आईबीआरडी 56.00-आईडीए जोड़: 112.0 (मिलि. अ. डालर)	27.1.2009
15.	उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	उड़ीसा	250.00-आईबीआरडी (मिलि. अ. डालर)	27.1.2009

1	2	3	4	5
16.	एसएमई-II	बहु-राज्य	400.00-आईबीआरडी (मिलि. अ. डालर)	5.6.2009
17.	द्वितीय आरम्भिक शिक्षा परियोजना (सर्व शिक्षा अभियान चरण-II — ऋण सं. 4417-आईएन)	केन्द्रीय	600-आईडीए (मिलि. अ. डालर)	14.8.2008
18.	वेक्टर वाही रोग नियंत्रण एंव पोलियो उन्मूलन सहायता परियोजना (ऋण सं. 4461-आईएन)	केन्द्रीय	521 (मिलि. अ. डालर)	13.02.2009
19.	उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना (ऋण सं. 4472-आईएन)	उड़ीसा	824.00 (मिलि. अ. डालर)	27.1.2009
20.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना चरण-III (ऋण सं. 4640-आईएन)*	उत्तर प्रदेश	197.00 (मिलि. अ. डालर)	20.7.2009
21.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी अभिक्रम परियोजना चरण-II (ऋण सं. 4632-आईएन)*	मध्य प्रदेश	100.00 (मिलि. अ. डालर)	20.7.2009
22.	विद्युत प्रणाली विकास-IV अतिरिक्त वित्तपोषण	केन्द्रीय क्षेत्र	400.00 (मिलि. अ. डालर)	27.1.2009
आईएफएडी				
23.	पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उपशमन (लाइसेंस सं. 748-आईएन)	राजस्थान	30.3 (मिलि. अ. डालर)	17.10.2008
24.	प्रिय दर्शिनी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य गांगेय मैदानों में महिला अधिकारिता एवं आजिविका कार्यक्रम (लाइसेंस सं. लाइसेंस सं. 710-आईएन)*	उत्तर प्रदेश और बिहार	30.2 (मिलि. अ. डालर)	11.12.2008
एडीबी				
25.	असम शासन और जन स्रोत शमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (उप कार्यक्रम-II)	असम	100 (मिलि. अ. डालर)	14.10.2008
26.	उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	उत्तराखंड	60 (मिलि. अ. डालर)	23.10.2008
27.	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति और पर्यावरण सुधार (पूरक)	मध्य प्रदेश	71 (मिलि. अ. डालर)	10.11.2008
28.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II निवेश कार्यक्रम (परियोजना-3)	केन्द्रीय	130 (मिलि. अ. डालर)	05.01.2009
29.	उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	उत्तराखंड	140 (मिलि. अ. डालर)	10.02.2009

1	2	3	4	5
30.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	राजस्थान	150 (मिलि. अ. डालर)	18.02.2009
31.	उड़ीसा एकीकृत कृषि और जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	उड़ीसा	16.5 (मिलि. अ. डालर)	25.02.2009
32.	उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	उत्तराखंड	62.4 (मिलि. अ. डालर)	25.02.2009
33.	उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-3)	उत्तराखंड	30.6 (मिलि. अ. डालर)	25.02.2009
34.	उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन कार्यक्रम (परियोजना-1)	उत्तराखंड	50 (मिलि. अ. डालर)	25.02.2009
35.	भारत अवसंरचना परियोजना वित्तपोषण सुविधा (परियोजना 2)	केन्द्रीय	200 (मिलि. अ. डालर)	26.02.2009
36.	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना 2)	केन्द्रीय	200 (मिलि. अ. डालर)	27.03.2009
37.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम 5	मध्य प्रदेश	166 (मिलि. अ. डालर	27.5.2009

विवरण-II

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक सरकारी ऋणों का प्राधिकरण

(राशि हजार में)

दाता, राज्य, क्षेत्र, ऋण	ऋण मुद्रा	करार की तारीख	ऋण राशि	2006-2007	2007-2008	2008-2009
1	2	3	4	5	6	7
सामान्य						
एशियाई विकास बैंक	**अमरीकी डालर**		**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	भारतीय रुपया			**45,262,362.00**	**0.00**	**0.00**
केन्द्रीय सरकार	अमरीकी डालर		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			45,262,362.00	0.00	0.00
आईएनजीएन अवसंरचना क्षेत्र-सामान्य	अमरीकी डालर		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			45,262,362.00	0.00	0.00
1. 2281-इंड ग्रामीण सहकारी पुनर्संरचना और विकास कार्यक्रम	अमरीकी डालर	11/12/2006	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			45,262,362.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
समर्थित						
जीओडीई जर्मनी	**यूरो**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**0.00**	**4,225,948.68**
तमिलनाडु	यूरो		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	4,225,948.68
आईएनजीएन अवसंरचना क्षेत्र-सामान्य	यूरो		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	4,225,948.68
2. 1425319इ तमिलनाडु में स्थायी नगरपालिका अवसंरचना वित्तपोषण	यूरो	09/07/2008	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	4,225,948.68
जापान सरकार	**जापानी येन**		**950,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**334,761.95**	**0.00**
आंध्र प्रदेश	जापानी येन		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	334,761.95	0.00
आईएनजीएन अवसंरचना क्षेत्र-सामान्य	जापानी येन		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	334,761.95	0.00
3. आईडीपी-193ए हैदराबाद बाहरी रिंग रोड़ परियोजना चरण-I	जापानी येन			0.00	950,000.00	0.00
	भारतीय रुपया	10/03/2008	950,000.00	0.00	334,761.95	0.00
कुल जोड़ (भारतीय रुपया)				45,262,362.00	334,761.95	4,225,948.68
समर्थित						
एशियाई विकास बैंक	**अमरीकी डालर**		**740,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**420,000.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**12,886,066.58**	**19,211,684.10**
बिहार	अमरीकी डालर		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	19,211,684.10
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	अमरीकी डालर		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	19,211,684.10
1. 2443-इंड बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना	अमरीकी डालर	10/11/2008	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	19,211,684.10
मध्य प्रदेश	अमरीकी डालर		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	12,886,066.56	0.00

1	2	3	4	5	6	7
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सामान्य	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		320,000.00	0.00 0.00	320,000.00 12,886.066.56	0.00 0.00
2. 2330-इंड म.प्र. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	23/07/2007	320,000.00	0.00 0.00	320,000.00 12,886,066.56	0.00 0.00
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी)	**अमरीकी डालर** **भारतीय रुपया**		**500,000.00**	**250,000.00** **11,315,590.50**	**0.00** **0.00**	**250,000.00** **11,435,526.25**
उड़ीसा	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		250,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	250,000.00 11,435,526.25
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		250,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	250,000.00 11,435,526.25
3. 7577-इन उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	27/01/2009	250,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	250,000.00 11,435,526.25
पंजाब	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		250,000.00	250,000.00 11,315,590.50	0.00 0.00	0.00 0.00
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		250,000.00	250,000.00 11,315,590.50	0.00 0.00	0.00 0.00
4. 4843-इन पंजाब राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	26/02/2007	250,000.00	250,000.00 11,315,590.50	0.00 0.00	0.00 0.00
जीओजेपी जापान सरकार	**जापानी येन** **भारतीय रुपया**		**40,903,000.00**	**0.00** **0.00**	**40,903,000.00** **14,413,440.04**	**0.00** **0.00**
आंध्र प्रदेश	जापानी येन भारतीय रुपया		40,903,000.00	0.00 0.00	40,903,000.00 14,413,440.04	0.00 0.00
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	जापानी येन भारतीय रुपया		40,903,000.00	0.00 0.00	40,903,000.00 14,413,440.04	0.00 0.00
5. आईडीपी-193 हैदराबाद बाहरी रिंग रोड परियोजना चरण-1	जापानी येन भारतीय रुपया	10/03/2008	40,903,000.00	0.00 0.00	40,903,000.00 14,413,440.04	0.00 0.00
सामान्य						
एशियाई विकास बैंक	**अमरीकी डालर** **भारतीय रुपया**		**190,000.00**	**0.00** **0.00**	**50,000.00** **2,013,447.90**	**140,000.00** **6,403,894.70**
उत्तरांचल	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		190,000.00	0.00 0.00	50,000.00 2,013,447.90	140,000.00 6,403,894.70

1	2	3	4	5	6	7
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		190,000.00	0.00 0.00	50,000.00 2,013,447.90	140,000.00 6,403,894.70
6. 2308-इंड उत्तरांचल राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-प्रथम पीएफआर	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	25/10/2007	50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 2,013,447.90	0.00 0.00
7. 2458-इंड उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-परियोजना-2	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	10/02/2009	140,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140,000.00 6,403,894.70
आईबीआरडी	**अमरीकी डालर** **भारतीय रुपया**		**222,000.00**	**2,000.00** **90,524.72**	**220,000.00** **8,859,170.76**	**0.00** **0.00**
असम	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		2,000.00	2,000.00 90,524.72	0.00 0.00	0.00 0.00
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		2,000.00	2,000.00 90,524.72	0.00 0.00	0.00 0.00
8. पी4330-इन असम राज्य सड़क परियोजना की तैयारी	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	19/01/2007	2,000.00	2,000.00 90,524.72	0.00 0.00	0.00 0.00
हिमाचल प्रदेश	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		220,000.00	0.00 0.00	220,000.00 8,859,170.76	0.00 0.00
आईएनआरडी अवसंरचना क्षेत्र-सड़क	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		220,000.00	0.00 0.00	220,000.00 8,859,170.76	0.00 0.00
9. 4860-इन हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	अमरीकी डालर भारतीय रुपया	07/08/2007	220,000.00	0.00 0.00	220,000.00 8,859,170.76	0.00 0.00
कुल जोड़ (भारतीय रुपया)				**11,406,115.22**	**38,172,125.26**	**37,051,105.05**
समर्थित						
आईबीआरडी	**अमरीकी डालर** **भारतीय रुपया**		**150,000.00**	**150,000.00** **6,789,354.30**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**
उड़ीसा	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		150,000.00	150,000.00 6,789,354.30	0.00 0.00	0.00 0.00
सामाजिक	अमरीकी डालर भारतीय रुपया		150,000.00	150,000.00 6,789,354.30	0.00 0.00	0.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
1. 4837-आईएन उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के तहत दूसरा प्रचालन	अमरीकी डालर	28/08/2006	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			6,789,354.30	0.00	0.00
आईडीए	**एसडीआर**		**50,500.00**	**50,500.00**	**0.00**	**0.00**
	भारतीय रुपया			**3,397,080.56**	**0.00**	**0.00**
उड़ीसा	एसडीआर		50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			3,397,080.56	0.00	0.00
सामाजिक	एसडीआर		50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			3,397,080.56	0.00	0.00
2. 4225-आईएन उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के तहत दूसरा प्रचालन	एसडीआर	28/08/2006	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			3,397,080.56	0.00	0.00
आईएफएडी	**एसडीआर**		**28,860.00**	**0.00**	**10,400.00**	**18,460.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**651,905.03**	**1,315,390.80**
राजस्थान	एसडीआर		18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	1,315,390.80
सामाजिक	एसडीआर		18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	1,315,390.80
3. 0748-आईएन पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करना	एसडीआर	17/10/2008	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	1,315,390.80
तमिलनाडु	एसडीआर		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	651,905.03	0.00
सामाजिक	एसडीआर		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	651,905.03	0.00
4. 691-आईएन तमिलनाडु के तटवर्ती समुदायों के लिए पश्च सुनामी संपोषक आजीविका कार्यक्रम	एसडीआर	01/11/2007	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	651,905.03	0.00
सामान्य						
आईडीए	**एसडीआर**		**364,400.00**	**0.00**	**0.00**	**364,400.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**0.00**	**25,965,785.88**
केन्द्रीय सरकार	एसडीआर		364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	25,965,785.88

1	2	3	4	5	6	7
सामाजिक	एसडीआर		364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	25,965,785.88
5. 4417-आईएन दूसरी प्रारम्भिक शिक्षा परियोजना	एसडीआर	14/08/2008	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	25,965,785.88
आईएफएडी	**एसडीआर**		**20,400.00**	**0.00**	**0.00**	**20,400.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**0.00**	**1,453,627.97**
केन्द्रीय सरकार	एसडीआर		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	1,453,627.97
सामाजिक	एसडीआर		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	1,453,627.97
6. 710-आईएन मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम	एसडीआर	11/12/2008	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	भारतीय रुपया			0.00	0.00	1,453,627.97
आईडीए	**अमरीकी डालर**		**564.20**	**564.20**	**0.00**	**0.00**
	भारतीय रुपया			**25,537.03**	**0.00**	**0.00**
केन्द्रीय सरकार	अमरीकी डालर		564.20	564.20	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			25,537.03	0.00	0.00
सामाजिक	अमरीकी डालर		564.20	564.20	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			25,537.03	0.00	0.00
7. क्यू5680-आईएन प्रस्तावित एकीकृत तटवर्ती क्षेत्र प्रबंध परियोजना की तैयारी के लिए अग्रिम	अमरीकी डालर	30/03/2007	564.20	564.20	0.00	0.00
	भारतीय रुपया			25,537.03	0.00	0.00
कुल जोड़ (भारतीय रुपया)				10,211,971.89	651,905.03	28,734,804.65
सामान्य						
आईडीए	**एसडीआर**		**185,100.00**	**0.00**	**185,100.00**	**0.00**
	भारतीय रुपया			**0.00**	**11,602,655.83**	**0.00**
केन्द्रीय सरकार	एसडीआर		185,100.00	0.00	185,100.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	11,602,655.88	0.00
सामाजिक क्षेत्र शिक्षा	एसडीआर		185,100.00	0.00	185,100.00	0.00
	भारतीय रुपया			0.00	11,602,655.88	0.00

1	2	3	4	5	6	7
1. 4319-आईएन व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना	एसडीआर भारतीय रुपया	02/11/2007	185,100.00	0.00 0.00	185,100.00 11,602,655.88	0.00 0.00
कुल जोड़ (भारतीय रुपया)				0.00	11,602,655.88	0.00

विवरण-III

विदेशी ऋणों की सामान्य शर्तें

जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	देश/संस्था	मुद्रा	ऋण का प्रकार	छूट की अवधि (वर्षों में)	छूट अवधि के पश्चात वापसी अदायगी की अवधि (वर्षों में)	ब्याज की दर (प्रतिशत)	वचनबद्धता प्रभार (प्रतिशत)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बहुपक्षीय							
1.	एडीबी	अम. डालर	बैंक भाग	3 से 5	12 से 20	परिवर्तनीय*	0.15@	**
2.	आईबीआरडी	अम. डालर	बैंक भाग	5	15	परिवर्तनीय*	0.75	***
3.	आईडीए	एसडीआर	रियायती	10	25	0.75	0.50	****
4.	आईएफएडी	एसडीआर	रियायती	10	40	0.75		ब्याज कालम के तहत दिखाई गई 0.75% अदायगी सेवा प्रभार मानी जाए।
5.	ओपेक	अम. डालर	रियायती	5	12	3		
	द्विपक्षीय							
6.	ईईसी (एसएसी)	यूकेपौंड	रियायती	10	40	0.75		
7.	फ्रांस	यूरो	मिश्रित	5	17	2.8		
8.	जर्मनी	यूरो	सरकारी भाग	10	30	0.75	0.25	
9.	जर्मनी	यूरो	बैंक भाग	2	10	5.07 से 6.79	0.25	
10.	जापान	येन	रियायती	10	30	1.2	0.10	***** प्रत्येक ऋण करार में दिखाई गई निर्धारित दर पर ब्याज लगाया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	रूसी फेडरेशन	अम. डालर	रियायती	6	14	4		
12.	स्विटजरलैंड	स्विस फ्रांक	निर्यात क्रेडिट	3	8.5	परिवर्तनीय		देय ब्याज स्विस निर्यात आधार दर जमा वार्षिक निर्यात जोखिम गारंटी से 0.5 प्रतिशत अधिक है। देय ब्याज उपयोग की अवधि के साथ 4% से 8.38% में रहता है।
13.	यूएसए	अम. डालर	रियायती	10	30	2.5		

टिप्पणी:

* ब्याज दर परिवर्तनीय है और छमाही लिबोर पर आधारित है।

** ब्याज दर उनकी संबंधित मुद्राओं में उधार की लिबोर आधारित औसत लागत पर निर्धारित होता है और इसमें 0.2 प्रतिशत (30.9.2007 से पूर्व वार्तातय ऋण के लिए 0.4 प्रतिशत) का मार्जिन जोड़ा जाता है। 15.7.2008 से 15.01.2009 तक की अवधि के लिए विस्तार/मार्जिन जोड़ने से पूर्व प्रभावी लिबोर दर आधारित ब्याज 3.15375 प्रतिशत था।

*** **अमरीकी डालर अस्थाई दर एकल करेंसी**

ब्याज दर छमाही लिबोर दर जमा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(क) ब्याज के भुगतान की तारीख 15.7.2005 से शुरू करके 14.6.2009 तक के लिए लागू दर निम्नानुसार है:–

(1) जहां वार्ता के लिए कार्रवाई 31.7.1998 से पूर्व शुरू की गई हो- 2.49 प्रतिशत प्रति वर्ष (0.17 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)

(2) जहां वर्ता के लिए कार्रवाई 31.7.1998 अथवा उसके बाद की गई हो और वार्ता समझौता 27.9.2007 से पूर्व हस्ताक्षरित किया गया हो -2.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष (0.42 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)

(3) जहां वर्ता के लिए कार्रवाई 30.9.2007 के बाद शुरू की गई हो अथवा वार्ता समझौता 16.5.2007 और 27.9.2007 के बीच हस्ताक्षरित हो और तत्पश्चात् उसमें नए मूल्य निर्धारित तंत्र की वजह से संशोधिन किया गया है -2.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष (-0.02 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)

(ख) (i) असंवितरित ऋण राशि पर 0.75 प्रतिशत पर देय वचनबद्धता प्रभार 1 बैंक ने 16.5.2007 से पूर्व हस्ताक्षरित ऋण करारों पर जुलाई, 91 से 0.50 प्रतिशत की छूट अधिसूचित की है।

(ii) बैंक के नए मूल्य निर्धारण तंत्र के अनुसार वचनबद्धता प्रभार 16.5.2007 को अथवा उसके बाद हस्ताक्षरित ऋण करारों पर लागू नहीं होते। ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क पूंजीकरण के आधार पर 16.5.2007 को अथवा उसके बाद हस्ताक्षरित ऋण करार के तहत प्रदान की गई ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत की दर पर प्राप्त किए जाएंगे।

**** (i) इस समय आईडीए ऋणों के लिए 25 वर्ष की वापसी अदायगी की अवधि सहित 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि की व्यवस्था है।

(ii) इस समय अनाहरित ऋण राशि पर वचनबद्धता प्रभार 1 जुलाई, 2008 से प्रारंभ वर्ष के लिए सभी ऋणों पर छूट प्राप्त होने के बाद शून्य है।

***** 1.10.2007 से पूर्व हस्ताक्षरित ऋण करार के तहत संवितरित ऋण राशि पर 1.30 प्रतिशत नियत ब्याज और 0.10 प्रतिशत का सेवा प्रभार लागू होता है। 1.10.2007 से पूर्व हस्ताक्षरित ऋण करार पर कोई वचनबद्धता प्रभार नहीं हैं।

@ (i) 31.12.2006 तक वार्तातय ऋणों के संबंध में प्रगामी आधार पर 0.75 प्रतिशत

(ii) 1.1.2007 से 30.9.2007 के दौरान वार्तातय असंवितरित परियोजना ऋणों पर 0.35 प्रतिशत और कार्यक्रम ऋणों पर 0.75 प्रतिशत

(iii) 1.10.2007 को अथवा उसके बाद वार्तातय ऋणों के संबंध में असंवितरित राशि पर 0.15 प्रतिशत।

[अनुवाद]

आदिम जनजातियां

3019. **श्री यशवंत सिन्हा :**
श्री अर्जुन मुंडा :
श्री जोसेफ टोप्पो :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड सहित देश में आदिम जनजातियों की जनसंख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जनजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि झारखंड सहित देश में आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) की कुल जनसंख्या घट रही है।

(ग) मंत्रालय आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के संपूर्ण विकास के लिए शतप्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात् "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" का कार्यान्वयन 1998-99 से कर रहा है। यह एक बड़ी लचीली योजना है। इस योजना के तहत कोई भी गतिविधि कार्य जोकि आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की उत्तरजीविता, सुरक्षा तथा विकास से जुड़ी हुई है, को लिया जाता है। गतिविधियों/कार्यों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, आय सृजनकारी कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि के प्रावधान शामिल हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गतिविधियों के आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 105.03 करोड़ रुपयें की राशि निर्मुक्त की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के तहत पीटीजी परिवारों के 4.09 लाख मुखिया को बीमा कवर प्रदान करने के लिए 20.48 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना से मंत्रालय ने पीटीजी के हैमलेट/अधिवास के विकास को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना अवधि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित बेसलाइन सर्वेक्षणों या अन्य सर्वेक्षणों के माध्यम से निर्धारित की गई आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार की गई दीर्घ अवधि की संरक्षण एवं विकास (सीसीडी) योजना के लिए निधियन शुरू कर दिया है। इन सीसीडी योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठनों को 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान क्रमशः 57.86 करोड़ रुपए तथा 192.07 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड धारकों के "डाटा" का रख-रखाव

3020. **श्री यशवंत लागुरी :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड की डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली में क्रेडिट धारक जनजातीय किसानों से संबंधित सूचनाएं/डाटा नहीं रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) नाबार्ड, वित्तपोषण करने वाले बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के केवल जनजातीय धारक के संबंध में कोई पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं करता है। तथापि, केसीसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित संयुक्त आंकड़े सिर्फ सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में नाबार्ड द्वारा प्राप्त और अनुरक्षित किए जा रहे हैं।

नाबार्ड केसीसी योजना को और व्यापक बनाने के लिए, केसीसी योजना के कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं पर एक गहन अध्ययन करवाने का विचार कर रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केसीसी योजना के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के आशोधन की आवश्यकता भी शामिल होगी।

राज्यों को राजसहायता

3021. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुपोषण से प्रभावित राज्यों को राज-सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना की निगरानी का कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 से वित्तीय मानकों के अनुसार व्यय का 50% तक वित्तीय सहायता देना शुरू किया हे। वर्ष 2009-10 से राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच पूरक पोषण हेतु अंशदान की पद्धति को केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50:50 से बदलकर 10:90 कर दिया गया है। पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए ऐसे राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं, जो इसके लिए अनुरोध करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय, आई.सी.डी.एस. स्कीम के मानीटरन के लिए मानीटरिंग तंत्र सभी स्तरों पर उपलब्ध हैं। आई. सी.डी.एस. स्कीम की वास्तविक मानीटरिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आई.सी.डी.एस. परियोजना के प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारियों की मासिक प्रगति रिपोर्टों/छमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। इन रिपोर्टों में प्रचालित परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों, पूरक पोषण/स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या, आई. सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की संख्या, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा बच्चों के पोषण स्तर के बारे में जानकारी/आंकड़े दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

शहरीकरण से संबंधित अध्ययन

3022. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) और फ्यूचर कैपिटल रिसर्च (एफसीआर) द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक भारत की 45 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद एवं फ्यूचर कैपिटल रिसर्च द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत की 45 प्रतिशत जन संख्या शहरों में रहने लगेगी। इस अध्ययन में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् 2004-05 के सर्वे द्वारा एकत्रित किए गए डाटा तथा वर्ष 2007-08 एवं 2015-16 हेतु जनसंख्या अनुमान के लिए यूएन जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रकाशित नगर स्तरीय जनसंख्या वृद्धि का उपयोग किया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी क्षेत्र के विकास हेतु कार्यनीति निर्धारित की गई है। इसमें शहरी अवस्थापना एवं सेवाओं के समेकित विकास हेतु जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण का कार्यान्वियन; क्षमता निर्माण, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना; एवं बुनियादी नागरिक सेवाओं की सुपुर्दगी सुधारने हेतु नीति क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है।

करवां और हेलीपोर्ट पर्यटन

3023. श्री सुरेश कलमाडी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के लिए देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन-सी नई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में कारवां और हेलीपोर्ट पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इस संबंध में राज्य-वार किन स्थानों का चयन किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) यद्यपि आगामी तीन वर्षों के लिए भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का कोई निश्चित वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पर्यटन पर कार्य दल ने वर्ष 2011 तक 10 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लक्ष्य को निर्धारित किया है।

पर्यटन मंत्रालय, अपने विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशी पर्यटक आगमन बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक संवर्धनात्मक क्रियाकलाप चला रहा है। इन क्रियाकलापों में विज्ञापन, यात्रा मेलों में

भागीदारी, प्रदर्शनियों, रोड़ शोज, इंडिया इवनिंग्स, सेमिनार एवं कार्यशालाएं, भारतीय व्यंजन और सांस्कृतिक उत्सव, विवरणिकाओं का प्रकाशन, मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा हेतु मीडिया कार्मिकों, टुअर ऑपरेटर्स तथा विचारकों को आमंत्रित करना, शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान वर्ष के दौरान, भारत की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए, एयरलाइनों, होटलों, टूअर ऑपरेटरों, राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा ''विजिट इंडिया 2009'' योजना की घोषणा की गई है।

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना का विस्तार किया गया है, ताकि देश में चिकित्सा, समागम और सम्मेलन पर्यटन के संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकें।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने देश में कारवां पर्यटन और हेलीपोर्ट पर्यटन के संकेंदित विकास के लिए हाल में कदम उठाए हैं। हेलीपोर्ट पर्यटन के विकास हेतु गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत पर्वतीय/सुदूर क्षेत्रों में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 75 लाख रुपए तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आर.बी.आई. के उपाय

3024. **श्रीं सर्वे सत्यनारायण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए हाल ही में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) इन उपायों से अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ावा मिला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) वैश्विक आर्थिक संकट के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था से उभरते नकदी के दबावों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सरोकारों के समाधान के लिए सितम्बर, 2008 से कई उपाय किए हैं। इनमें आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) को चरणबद्ध तरीके से घटाकर निवल मांग तथा मीयादी देनदारियों (एनडीटीएल) के 9 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत पर लाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) भी एनडीटीएल का 1 प्रतिशत घटाकर 25 प्रतिशत से 24 प्रतिशत पर लाया गया था। इसके अलावा, मौद्रिक तंत्र में नकदी बढ़ाने के लिए रेपो तथा रिवर्स रेपो दरों में क्रमिक कटोतियां करने की घोषणा की गई थी। नकदी बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य सुविधाओं की पहल भी की गई थी कि अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्रकों को ऋण-प्रवाह निरंतर बना रहे।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति समुत्थान-शक्ति प्रदर्शित की है और अधिकतर देशों की अपेक्षा इस पर वैश्विक संकट का कम असर पड़ा है। नकदी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा अर्थव्यवस्था में 2008-09 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जी.एस.टी. को लागू करना

3025. **श्री के. सुधाकरण : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 01 अप्रैल, 2010 से शुरू किए जाने वाला वैट एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) किस दर से लगाया जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर इसकी निगरानी के लिए कोई प्रणाली तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) सामान्य बिक्री कर के नाम पर 01 अप्रैल, 2010 से कोई कर नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से माल एवं सेवा कर के रूप में एकीकृत कर प्रणाली लागू करने की अपनी नीतिगत घोषणा की है जो कि सामान्य रूप से जी.एस.टी. (माल एवं सेवा कर) के रूप में संदर्भित की जाती है। केन्द्र सरकार और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) माल एवं सेवा कर लागू करने के लिए इसके अभिकल्प एवं रूपरेखा अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। दर और केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली सहित माल एवं सेवा कर के ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रोड-शो

3026. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को एडवेंचर टूरिज्म के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए जुलाई-सितंबर, 2009 से आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले एडवेंचर टूरिज्म रोड-शो स्थगित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब इन रोड-शो का आयोजन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन रोड-शो पर कितना व्यय होन का अनुमान है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय को, एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए एडवेंचर टूअर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में उनके रोड-शो के लिए सिडनी स्थित भारत पर्यटन कार्यालय की सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वस्तुत: पहले रोड-शो के आयोजन का प्रस्ताव जुलाई, 2009 के दौरान किया जाना था, लेकिन इसके पश्चात् एसोसिएशन ने इसे स्थगित कर जुलाई से सितंबर, 2009 में करने की सूचना दी है।

(घ) सिडनी स्थिति भारत पर्यटन कार्यालय द्वारा रोड-शो को सहायता, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उनके संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के भाग के रूप में दी जा रही है, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इन निधियों का उपयोग सिडनी स्थित भारत पर्यटन कार्यालय द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों, यथा, विज्ञान देने; यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड-शो, भारतीय शाम, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करने; भारतीय खान-पान एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करने एवं सहायता देने; विवरणिकाओं का प्रकाशन करने; संयुक्त रूप से विज्ञान एवं विवरणिका सहायता; मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा के लिए मीडिया कर्मियों, यात्रा प्रचालकों और विचारकों को आमंत्रित करने आदि के लिए किया जाता है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री एस. जयपाल रेड्डी।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 494/15/09]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 495/15/09]

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 496/15/09]

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 497/15/09]

(3) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 498/15/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2008-09 का संख्यांक सीए 18)—स्वायत्तशासी निकाय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 499/15/09]

(दो) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2008-09 का संख्यांक सीए 18)—वायु सेना और नौ सेना।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 500/15/09]

(तीन) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2008-09 का संख्यांक सीए 19)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 501/15/09]

(चार) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2008-09 का संख्यांक सीए 26)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 502/15/09]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग एक—वर्ष 2007-2008 के लिए समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग—दो—वर्ष 2007-2008 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे।

(तीन) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग—दो—वर्ष 2007-2008 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे। (उपाबंध-छ)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 503/15/09]

(3) वर्ष 2009-2010 के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजटों का एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 504/15/09]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 505/15/09]

(6) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ राष्ट्रीय औषध दुरुपयोग नियंत्रण निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र

[श्री एस.एस. पलानीमनिकम]

में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 506/15/09]

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 के दौरान बाजार उधारों संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 507/15/09]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनयामकं आयोग (ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/143/158/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनशिड्यूल्ड इंटरचेंज चार्जेज तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(2)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (संशोधन) विनियमक, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(2)/2009 सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर राज्यिक पारेषण में मुक्त पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 2 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/143/158/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 508/15/09]

(2) *विद्युत अधिनियम*, 2003 *के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं* की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी जो 17 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के संबंध में शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी जो 17 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के संबंध में शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 509/15/09]

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) (मांग संख्या 92) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी-समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : महोदया, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं परिवहन,

*सभापटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-510/15/09.

पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 126वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं, जो निम्न प्रकार है:—

"संबंधित मंत्री छः महीनों में एक बार, उनके मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति से विभाग-संबंधी रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में एक विवरण देगा।"

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (2007-08) पर 119वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति की 126वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 2 नवम्बर, 2007 को आयोजित इसकी बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया और अपनाया। यह रिपोर्ट 20.11.2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और 20.11.2007 को लोक सभा के पटल पर भी रखा गया था।

अध्यक्ष महोदया, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 22 सिफारिशें की थी। समिति द्वारा की गई 22 सिफारिशों में से इस मंत्रालय ने 10 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, 1 सिफारिश की विस्तृत रूप से जांच की गई और इसे स्वीकार नहीं किया गया और 1 सिफारिश के संबंध में मंत्रालय द्वारा कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 24.03.2008 के का.ज्ञा. द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्थिति सदन के पटल पर भी रख रहा हूं।

(दो) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 93) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन* की स्थिति*

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : महोदया, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंध संसदीय स्थायी समिति की 136वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं जो निम्न प्रकार है:—

"संबंधित मंत्री छः महीनों में एक बार, उनके मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति से विभाग-संबंधी रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में सदन में एक विवरण देगा।"

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (2008-09) पर समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति की **136वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की थी। समिति ने 24 अप्रैल, 2008 को आयोजित इसकी बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया और अपनाया। यह रिपोर्ट 28.04.2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और 28.04.2008 को लोक सभा के पटल पर भी रखी गयी थीं।

अध्यक्ष महोदया, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 24 सिफारिशें की थी। समिति द्वारा की गई 24 सिफारिशों में से इस मंत्रालय ने 20 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 4 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 26.08.2008 के का.ज्ञा. द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्थिति सभा के पटल पर भी रख रहा हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य मद संख्या 8, श्री पवन कुमार बंसल।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 27 जुलाई, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:—

1. आज के आदेश पत्र से आगे बढ़ाए गए सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार।
2. राज्यसभा द्वारा यथा पारित बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 पर विचार और उसे पारित करना।
3. रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार और उसे पारित करना।

---

*सभापटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-511/15/09.

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये।

1. आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करने हेतु टीकमगढ़ छत्तरपुर पन्ना दमोह आदि जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाये।

2. महाराजा छत्रसाल से जुड़े छतरपुर एवं आसपास के स्मृति स्मारकों का विशेष संरक्षण कर उन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन स्वरूप प्रदान कर पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाये।

अध्यक्ष महोदया : श्री गणेश सिंह — उपस्थित नहीं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में प्रखण्डवार धान-गेहूं क्रय-केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मेरा आग्रह है कि इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए।

श्री हरि माझी (गया) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में नई दिल्ली से गया एवं गया से नई दिल्ली तथा कलकत्ता से वाया गया होते हुए नई दिल्ली तक की हवाई यात्रा चलाने का कोई उल्लेख नहीं है।

अतः मेरा आग्रह है कि इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं:—

1. दिल्ली में मेट्रो, बिहार में पटना में गंगापुल, एनएच 57 में बनाए गए आधे दर्जन पुल तथा कोशी में महासेतु के निर्माण में गुणवत्ता की भयंकर गड़बड़ी की करण राष्ट्रीय निर्माण के साथ धोखाधड़ी करने वाली कम्पनी के कार्यकलापों तथा सम्बन्धित विभागों की लापरवाही पर सदन में चर्चा की जाए।

2. बिहार में एन.एच. की सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है। दो लेन एवं चार लेन बनाने के प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय में लम्बित हैं। इस पर सदन में चर्चा कराई जाए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:—

1. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद के पिपरहवा (कपिलवस्तु) के गौतमबुद्ध की जन्मस्थली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विकास किए जाने के विषय को शामिल किया जाए।

2. उत्तर प्रदेश में राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलें जो विगत कई वर्षों से बन्द हैं, उन्हें पुनः चालू कराने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने संबंधी विषय को शामिल किया जाए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. बिहार राज्य के खगड़िया एवं सहरसा जिलों को जोड़ने वाली सोनमनखी से खोचरदेवा सड़क जिसके अगल-बगल लाखों दलित एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोग बसे हैं, उनके यातायात की सुविधा के लिए कोशी एवं बागमती नदियों पर पुल सहित निर्माण कराई जाए।

2. पूर्व मध्य रेलवे अनतर्गत खगड़िया से कुशेश्वर स्थान एवं हसनपुर से सकरी में 14 वर्षों से निर्माणाधीन रेल लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. झारखण्ड के बोकारो जिले के दो प्रखण्डों पेटरवार एवं बेरमों को जोड़ने हेतु अंगवाली के निकट दामोदर नदी पर पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति की आवश्यकता।

2. गिरिडीह जिला झारखण्ड के डुमरी प्रखण्ड के विरनी को जोड़ने के लिए बराकर नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति और प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को सम्पन्न कराने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : महोदया, लोकसभा के अगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:—

1. जूट को विश्व भर में जैव तन्तु माना जाता है। आज

सजग लोगों के इस युग में इसमें विश्व के परिधान बाजार पर छा जाने की अन्तर्निहित सम्भाव्यता है बशर्ते कि इस स्वर्ण तन्तु उत्पादन का यथा महत्व दिया जाए।

2. पश्चिम बंगाल के तीन शहरों, माल्दा, बलुघाट और कूचबिहार में हवाईपट्टी और विमानपत्तन का विकास करने हेतु आवश्यक अवसंरचना है।

अपराह्न 12.09 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा 23 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। महोदया, मैं सदन का ध्यान नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहती हूं। रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का एकमात्र एयरपोर्ट है। लेकिन आज तक रायपुर एयरपोर्ट का नामकरण नहीं हुआ है। रायपुर एयरपोर्ट से देश के विभिन्न हिस्सों से आने-जाने वाली घरेलू उड़ानें छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ती हैं। छत्तीसगढ़ की विधान सभा में 11 जुलाई, 2008 को एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। उस अशासकीय संकल्प के पारित किए जाने के बाद भी आज तक यह विषय केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है। यह विषय था, जिसमें इस देश के महान क्रांतिकारी, विचारक, चिंतक और इस देश को विश्व के पटल पर अपनी ओजपूर्ण वाणी से एक स्थान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद के नाम पर रायपुर एयरपोर्ट का नामकरण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार के पास जो यह विषय लम्बित पड़ा है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार और संबंधित मंत्रालय का ध्यान केरल राज्य में विद्यमान गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

पिछले 10-12 दिनों से लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण केरल राज्य में भारी क्षति हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक आंकलन के अनुसार लगभग 648.32 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। दो बच्चों सहित मृतकों की कुल संख्या 115 है, कुल 946 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 15394 है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राज्यमार्गों तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों को भारी क्षति पहुंची है। राज्य सरकार ने क्षति का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र सरकार से केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। केरल सरकार के कृषि मंत्री ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा है; केरल के सांसदों ने भी इस मामले को उठाया है लेकिन सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। केन्द्रीय दल भेजे बिना भी भारत सरकार राज्य सरकार को प्राथमिक सहायता दे सकती है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस समस्या पर विचार करे और केरल राज्य को उपयुक्त सहायता दे।

अध्यक्ष महोदया : श्री ए. सम्पत, श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए इस मामले से स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, शून्य काल के विषयों के बैलेट में आज मेरा नाम आया है और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह अविलम्बनीय विषय भी है और लोक महत्व का भी है। पूरे सदन को इस विषय के बारे में जिज्ञासा भी होगी, जो मैं यहां उठाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एन.सी. सक्सेना, पूर्व खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने अपनी अनुशंसा सरकार को दे दी है। इस समय पूरे देश में लगभग 28 फीसदी बीपीएल कार्ड धारक हैं। उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक इस समय देश में बीपीएल कार्ड

[श्री रेवती रमन सिंह]

धारकों की संख्या 50 फीसदी हो गई है। मुझे अफसोस है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। सरकार ने अभी तक स्कीम लागू की कि प्रत्येक बीपीएल, कार्ड धारक को तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेंहू या चावल दिया जाएगा। जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ गयी है, महंगाई जबर्दस्त बढ़ी हुई है, सूखा भी पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में सरकार को तत्काल इस बात का संज्ञान लेकर, इस सदन में घोषणा करनी चाहिए कि हम 50 फीसदी कब से लागू करने जा रहे हैं। उसका एक जीओ इश्यू करें और तत्काल 50 फीसदी बीपीएल- कार्ड-धारकों को राशन दिलाने का कार्य करें तथा बीपीएल कार्ड बनाने का काम करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : महोदया, मैं अपने आपको माननीय रेवती रमन सिंह जी के साथ सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहती हूं कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून ला रही है, लेकिन उससे पहले यह आवश्यक है कि बीपीएल लोगों की संख्या सही हो जाए, वरना वह कानून आ गया और गरीबों की संख्या आज वाली रही, तो उन्हें नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट के आने से पहले यह काम पूरा होना चाहिए। जो बात रेवती रमन सिंह जी ने कही है, उससे मैं अपने को संबद्ध करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। श्री अर्जुन चरण सेठी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री शैलेन्द्र कुमार व डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क जी, आप लोगों को भी माननीय रेवती रमन सिंह जी ने जो कहा है, उससे संबद्ध किया जाता है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही विशेष मुद्दा, जो दिल्ली के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उठाना चाहता हूं। दिल्ली में लाखों आदमी जो अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं, वे बहुत परेशान हैं। करीब 30 लाख आदमी जिनकी कॉलोनियां रेगुलराइज्ड की गयीं, यूपीए अध्यक्षा माननीय सोनिया जी के हाथों से उन्हें सर्टिफिकेट्स दिलाए गये, लेकिन अभी भी वहां काम शुरू नहीं हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इनकी बात सुन लीजिए। जीरो-आवर में वे जो कह रहे हैं, उसे सुन लीजिए। आपकी बात भी सुनी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : जिन्हें सिविक एमिनिटीज नहीं मिल रही हैं, ऐसे लाखों आदमी बहुत परेशान हैं। बिजली, पानी, सड़क और सीवर की सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है। अगर हम इस काम को केवल स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ देंगे तो वह काम पूरा नहीं हो पाएगा। लोग बहुत ही बुरे हाल में वहां जी रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आप हमारी भावना सरकार तक पहुंचा दें। आप जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन में एक मुश्त पैसा देकर, अगर उन कॉलोनियों में काम नहीं कराएंगे, तो शायद वह काम कभी पूरा नहीं होगा और लोग नारकीय जीवन बिताते रहेंगे। मेरा अनुरोध है, आप दया-दृष्टि रखें और एक-मुश्त पैसा दिलवाएं...*(व्यवधान)* मैं अपनी सरकार की ही बात कर रहा हूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर. नटराजन** (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदया, स्वाईन फ्लू की महामारी पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। इस वर्ष जून के पहले सप्ताह में अमेरिका से हमारे संसदीय क्षेत्र कोयम्बटूर में आए चार लोग 'स्वाईन फ्लू' के विषाणु से प्रभावित थे। इस संबंध में, मैंने 5.6.2009 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद को पत्र लिखा था। लेकिन मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला। और मुझे नहीं मालूम कि कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। बिना किसी और विलंब के संघ सरकार सभा को विश्वास में ले और उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करें। सभी राज्यों में परीक्षण केन्द्र और प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कोयम्बटूर में परीक्षण सुविधाएं नहीं है और जांच हेतु नमूनों को पुणे या दिल्ली भेजा जाता है। 1506 लोगों में का एच1एन1 विषाणु का परीक्षण किया गया जिसमें से 285 लोगों स्वाईन फ्लू पाया गया उसके लक्षण पाए गए हैं। ऐसे लोगों का इलाज देश के कई भागों जैसे दिल्ली, पुणे, कोचीन, तिरूवंतमपुरम, कोझीकोड ओर गोवा में किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरे विश्व 63,761 लोग स्वाईन फ्लू से प्रभावित हैं जिसमें से 64 भारतीय हैं। जिन 288 लोगों की स्वाईन फ्लू के कारण मृत्यु हुई है उनमें से एक के भारतीय होने की सूचना है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां युद्ध स्तर पर उपाय करे क्योंकि देश के सभी हवाई अड्डों पर ऐहतियात की व्यवस्था नहीं है। सभी हवाई अड्डों के सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच की जाए। विरोधक और निदान के टीके और दवाइयां व्यापक पैमाने पर उपलब्ध कराए जाएं। इसमें और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। स्वाईन फ्लू को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा सभी संभावित प्रयास करने का अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : अध्यक्ष महोदया, यद्यपि

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का दिल्ली रूपांतर।

हमं गरीबी रेखा से नीचे हैं तथापि हर वर्ष हमारे राज्य के साथ ऐसा होता है। इसके अलावा, हमारे राज्य में हर वर्ष भयंकर चक्रवात, भयंकर सूखा और उसके बाद भयंकर बाढ़ आयी है जो हमारे राज्य को गरीब से और गरीब बना रहे हैं। गरीबी हमारी संमत्ति है और केन्द्र सरकार इसकी मालिक है। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक की ओर से केन्द्र सरकार से अपील की जाती है। केन्द्र सरकार ने हमारे राज्य हेतु बाढ़ राहत के लिए केवल 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं जबकि इन्होंने बिहार के लिए पिछली बाढ़ के लिए ज्यादा धनराशि स्वीकृत की है।

मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ब्रुतंगा सिंचाई परियोजना तत्काल शुरू की जाए। बाढ़ पूरे क्षेत्र की नुकसान पहुंचा रही है। आज भी आप पूरी सूचना ले सकते हैं कि अधिकतर गरीब ग्रामीण पानी से बर्वाद हो जाते हैं और वहां सड़कें नहीं हैं, ये टूटी हुईं हैं, गरीब लोगों का स्वास्थ्य खराब है। अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील और अनुरोध करता हूं कि वह अधिक धन की स्वीकृति के लिए विशेष ध्यान दे और हमारे राज्य की बाढ़ की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए एक दल भेजे।

[हिन्दी]

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल) : झरिया कोल्ड फील्ड और रानीगंज कोल्ड फील्ड जिसके बारे में झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ माननीय प्रधान मंत्री की बात हो चुकी है यूनियन कैबिनेट सैक्रेटरी के साथ इस मुद्दे पर दोनों राज्य सरकारों ने मिल कर बात की है। झरिया इंटर टाउनशिप, धनबाद के एक बड़े क्षेत्र में और रानीगंज कोल फील्ड इलाके में आग और सब्सिडेंस की जो प्रोब्लम है, उसके लिए एक योजना बनाने के लिए फैसला हो चुका है। हम चाहते हैं कि बहुत दिनों से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिबसु और वर्तमान मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, दोनों मुख्यमंत्रियों ने पिछले आठ-दस साल से इस योजना को मूव किया है। अब इसे इम्प्लिमेंट करने के लिए जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल और झारखंड, दोनों राज्यों की सरकार झरिया कोल फील्ड और राजनीगंज कोल फील्ड के लिए जो स्कीम है, वह इम्प्लिमेंट होना जरूरी है। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई है कि इसके लिए सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, रुपए-पैसे के बारे में पूरी बातचीत हो चुकी है और इसे आर एंड आर प्रोजेक्ट में रिहेब्लिटेशन के बारे में क्या स्कीम होगा, उसे फाइनेलाइजेशन करने के लिए फाइनल स्टेज पर आ चुका है। अब मुद्दा यह है कि उस एरिया की स्थिति बहुत खराब है। सब्सिडेंस प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि रेलवे ट्रैक भी खतरे में है। एक पूरा जनपद, एक टाउन और विलेज भी खतरे में हैं, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और कोल मिनिस्ट्री से इसका फैसला जल्दी से जल्दी होना जरूरी है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नसबंदी शिवरों का जो आयोजन किया जाता है और इन शिवरों में जिन महिलाओं की मौत हो जाती है और उसके तहत उनके परिजनों को जो बीमा का क्लेम प्राप्त नहीं होता है, उसकी तरफ मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अधिकांशत: देखा गया है कि नसबंदी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत 80-90 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ही कराई जाती है। नसबंदी के एक दो दिन बाद या दस से पन्द्रह दिनों बाद आपरेशन के बाद जब महिला की मौत हो जाती है, तब यह बात समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छापी जाती है। इससे एक तरफ परिवार कल्याण कार्यक्रम को धक्का लगता है और दूसरी तरफ जब इनके परिवार वालों को बीमा की राशि नहीं मिलती है, तब उनकी माली हालत बहुत खराब हो जाती है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चल रहा है, उसके तहत इसके लिए अलग से एक फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। अभी ऐसा नियम है कि मौत होने के बाद उस महिला को ही, उस महिला के परिवार वालों को ही आईसीआईसी लॉम्बार्ड के तहत बीमा क्लेम पेश करना पड़ता है और उधर डॉक्टर की जो पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट होती है, उसमें नसबंदी के कारण मौत अंकित नहीं होती है। उसमें लिखा होता है कि धमनियां खराब हो गईं, हीट- स्ट्रोक हो गया, गर्मी ज्यादा लग गई, इसलिए बीमा क्लेम पेंडिंग पड़े रहते हैं और साल-दो साल तक बीमा के क्लेम नहीं मिलते हैं। इधर आईसीआईसी लॉम्बार्ड में भारत सरकार से प्रीमियम एडवांस में ले रखा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार ने यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पत्राचार का काम, परिवार कल्याण कार्यक्रम और बीमा आपस में तय करें और महिला को क्लेम पहले से ही दिया जाए जिससे परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जो मौतें हो रही हैं, उन महिला के परिवार वालों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान सामान्यत: विदर्भ विशेष और नागपुर विशेष के उन हलवा-हलवी-कोस्टी समुदाय जो करीबन 50 से 80 लाख के नजदीक है, उनकी आजीविका के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। इस समुदाय के लोग मूलत: आदिवासी हैं और 1980 तक इनको आदिवासी करार दिया जाता था और महाराष्ट्र की एससीएसटी लिस्ट में भी इनका नाम था। लेकिन एक ज़ी.आर. निकला और इनका आदिवासी स्टेटस इनसे छीन लिया गया जबकि उनका रोटी-बेटी का और उनके खाने-पीने का व्यवहार,

[श्री विलास मुत्तेमवार]

रहन-सहन सभी आदिवासी जीवन जैसा है लेकिन उनको आदिवासी के स्टेटस से वंचित किया गया है। वे आदिवासी थे। लेकिन अब हाल यह है कि उनको ओबीसी तक की भी मान्यता नहीं है। यह उन पर अन्याय है। सबसे बड़ा अन्याय यह है कि जो लोग 25-30 वर्षों से राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग के कर्मचारी हैं, उनको नोटिस दिये जा रहे हैं और उनको नौकरी से टर्मिनट करने के आदेश दिये जा रहे हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि वे कास्ट का सर्टिफिकेट दें। जब वो नौकरी पर थे तब उन्होंने कास्ट का सर्टिफिकेट दिया था और उनकी नौकरी लगी थी लेकिन आज सख्ती से उन लोगों को कास्ट वेरीफिकेशन करने की कहीं जा रही है। जबकि इन्हीं आदिवासियों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह रियायत दी जाती है। उनको आदिवासी माना जाता है।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्राधिकारियों से आप कहें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में इनको शामिल करने के लिए जो एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच इधर से उधर हो रहा है और इतना बड़ा अन्याय इन लोगों पर हो रहा है, वह न हो। इसके साथ ही यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो उनको आदिवासी नहीं माना जाता लेकिन ग्रामीण पंचायत में, जिला परिषद में और कॉरपोरेशन में जो भी आरक्षित मतदान क्षेत्र हैं, वह इन्हीं जाति के भरोसे पर है, दूसरे कोई आदिवासी वहां नहीं हैं। एक तरफ वहां इनकी ही संख्या के कारण आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ इनको यह रियायत नहीं दी जा रही है। इससे इन लोगों में बड़ा भय व्याप्त है और अपने संघर्ष के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार आदिवासियों, जनजातियों और पिछड़े-वर्ग के लिए अनेक निर्णय ले रही हैं। उन लोगों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये लोग जो अभी तक आदिवासी सूची में थे, नये कई लोगों को उस सूची में समाविष्ट किया गया है लेकिन जो लोग लिस्ट में थे, यकायक उनके अधिकार उनसे छीन लिये गये हैं जो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ अन्याय है और इसकी तरफ आप सरकार से कहें कि सरकार द्वारा इस तरफ ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदया, दोहा में दूसरे दौर की बैठक शीघ्र होगी। समाचारों में आया है। कि भारत सरकार कुछ चुनिंदा देशों के साथ एक बैठक की मेजबानी करेगी।

महोदया, पिछली दोहा दौर की मंत्रिमंडलीय बैठक से पहले सभा में उसपर विस्तृत चर्चा हुई थी, सभा में दिए गए विचारों पर गौर किया गया था और हमने जिनेवा में हुई पिछली बैठक में संघर्ष किया था।

इसके परिणामस्वरूप दोहा दौर की बैठक असफल हुई और कोई समझौता नहीं हुआ। इसमें दो विवादास्पद मुद्दे थे – एक कृषि पर राज सहायता को कम करना, दूसरा गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए)।

अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश कृषि पर राज सहायता कम करने और गैर-कृषि बाजार पहुंच के प्रशुल्क को कम करने की शर्तों पर समझौते के लिए हमारे देश पर दबाव डाल रहे हैं। जब सभा में इसपर चर्चा हुई तब इस मुद्दे पर सर्वसम्मत्ति थी और हमने स्पष्टतया कहा था कि करोड़ों किसानों के हितों का बलिदान नहीं दिया जाएगा। उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार को किसानों के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए।

लेकिन अब हमें यह पता लगा है कि जब श्रीमती हिलेरी क्लिंटन हमारे देश आई थीं तो दोहा दौरा में चले वार्तालाप पर भी चर्चा की गई थी। उनकी शर्तों को मानने के लिए हमारे देश पर दबाव डाला जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जी-8 की बैठक में ईएनआर प्रौद्योगिकी भारत को देने के मामले में कार्य हुआ था। जी-8 देशों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि हमें अप्रसार संधि को मानना होगा। इसी तरह, हम 'एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट' पर भी सहमत थे।

पिछली बार, हमने ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के समर्थन से विरोध किया; हमने सफलतापूर्वक एक लड़ाई लड़ी; हमने उनकी शर्तों को नहीं माना; और हम उनके दबाव में नहीं झुके।

अब, हमें बहुत शंकाएं हैं और इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि इस सभा को विश्वास में लिया जाए और सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व वाणिज्य मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। इस मुद्दे पर सभा में एक चर्चा होनी चाहिए। सभा को विश्वास में लिए बिना भारत सरकार को ऐसी किसी शर्त को नहीं मानना चाहिए और हमारे देश के करोड़ों किसानों के हितों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। हमें किसी ऐसी शर्त को नहीं मानना चाहिए जो कि राष्ट्र के हित में न हो।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। अब श्री विश्व मोहन कुमार बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय संदस्य ने जो बात कही है इस संबंध में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तब कलकारखाने झारखंड में चले गए। नेशनल थर्मल पावर झारखंड में चले जाने से यहां मात्र बरौनी बच गया है। बिहार के सारे थर्मल पावर स्टेशन कोयले से चलते हैं, यहां हाइड्रो पावर नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं यहां जितने कोयले से संचालित थर्मल पावर स्टेशन हैं, इनके लिए कोयले का आबंटन बढ़ाया जाए। चूंकि कोयले का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा होता है इसलिए केन्द्र सरकार के कोयले के आबंटन नहीं बढ़ाने से थर्मल पावर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बिजली उत्पादन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि थर्मल पावर के लिए कोयले का आबंटन बढ़ाया जाए। खासकर बिहार में कोयले का आबंटन बढ़ाने से वहां बिजली उत्पादन अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदया : श्री वीरेन्द्र कश्यप – उपस्थित नहीं।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदया, शून्यकाल की मेरी सूचना इस प्रकार है। यह समस्या किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी से नदी को जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किया था। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे पहले केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का डीपीआर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा सहमति व्यक्त करने के बाद आज भी केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पांच जिले पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन और विदिशा तथा उत्तर प्रदेश का झांसी जिला इस योजना से पूरी तरह लाभान्वित होने वाले हैं। हमारे किसानों को इससे सिंचाई की सुविधा मिलने वाली है और वर्तमान में जिस तरह का सूखा मध्य प्रदेश में पड़ रहा है, इस योजना से हमारे यहां सूखे की समस्या का समाधान हो जायेगा। उस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि सूखा पड़ने की वजह से जब सिंचाई नहीं होती है तो यह क्षेत्र का किसान और मजदूर पूरी तरीके से पलायन करता है और मजदूरी करने को विवश होता है। इस योजना के अंतर्गत उस क्षेत्र को 72 मेगावाट बिजली भी उपब्ध होने वाली है।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस अभिनव योजना को तत्काल प्रारम्भ कराया जाए और किसानों तथा मज़दूरों के हित में निर्णय लिया जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री सज्जन सिंह वर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। आज पूरे देश में लोगों के जनजीवन और स्वास्थ्य के सवाल पर नकली दवाओं का कारोबार एक महामारी के रूप में फैल रहा है और इस काम को करने वाले लोग आज दवा के नाम पर जहर परोसने का काम कर रहे हैं। कदाचित सभी ग्रामीण इलाकों में जब कोई मजदूर, कोई गरीब महिला अपने सुहाग के थाल को सजाए, अपने सुहाग की हिफाजत के लिए कर्ज लेकर किसी गांव की दुकान या किसी हाट-बाजार में दवा लेने के लिए जाती है और उसे नकली दवा मिल जाती है और जीवन और मौत से जूझ रहे उसके परिवार के सदस्य की जिंदगी बचने के बजाय वह मौत के मुंह में चली जाती हैं। आज इस फार्मा इंडस्ट्रीज में 85 हजार करोड़ रुपये लगे हुए हैं और यह माना जा रहा है कि आज हर पांचवीं दवा नकली है। मेरे पास वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 2001 की रिपोर्ट है, जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उसके मुताबिक हमारे देश में लगभग 35 प्रतिशत दवाएं नकली हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात को माना है कि आज बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं, उनमें पांच परसेन्ट दवाएं नकली हैं और उनमें तीन परसेन्ट की मिलावट है। जबकि ये आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पांच करोड़ रुपये खर्च करके सर्वे करा रहे हैं। पिछले दिनों इसी सदन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन किया है और उसके अनुसार दवाओं में मिलावट करने पर या नकली दवाएं बेचने पर लोगों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी नकली दवाओं का कारोबार रुक नहीं रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश की राजधानी में एक रैकेज पकड़ा गया था, जो इंटर-स्टेट रैकेट था। यहां 13 लाख की दवाएं पकड़ी गईं थी, जो बिहार और बंगाल से बनकर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में आती थीं और फिर पूरे देश में सप्लाई होती थीं। यह बहुत गम्भीर विषय है, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आज पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोग इससे प्रभावित हैं। हमारे गांवों में दवा वाला या कैमिस्ट न तो कोई पर्ची देता है और न कोई रसीद देता है, जिससे उसके विरुद्ध कोई कानून कार्रवाई की जा सके और आज जो दवाएं बाजारों में मिल रही हैं, उनमें असली और नकली दवाओं में फर्क भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो नकली दवाओं का रैकेट है, जो इनका उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनकी पैकिंग देखकर और उन दवाओं को देखकर और उन दवाओं को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये नकली दवाएं हैं। आज आवश्यकता है कि वर्ष 2002-03 में श्री आर.ए. मशालकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार अगर देश में ऐसे लोग, जो नकली दवायें बेचकर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलखड़ कर रहे हैं या जो लोगों को मौत के मुंह में ले जाने का काम कर रहे हैं, वे किसी हत्यारे से कम अपराधी नहीं हैं। अगर किसी को हत्या के मामले में मौत की सज़ा हो सकती है तो निश्चित तौर पर डैथ पैनल्टी देने का समय आ गया है और इस सम्मानित सदन को सोचना चाहिये। अगर देश

[श्री जगदम्बिका पाल]

में नकली दवायें बेचने का कोई काम कर रहा है तो देश के साथ और लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिये इस महत्वपूर्ण सवाल पर चिन्ता है। एसोचैम ने भी कहा है कि हर साल 25 प्रतिशत कारोबार नकली दवाओं का बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया, अपने समय कम दिया है, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता और मैं खुद ही बात खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री रैस्पांड करें, सम्मानित सदन को विश्वास में लें और फिर डैथ पैनल्टी का कानून बनायें जिससे देश से निकली दवाओं का कारोबार खत्म हो।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, हमने अपने समय में प्रावधान करने के लिये सोचा था।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं जानता हूं कि यह मामला आपकी कैबिनेट में पहुंच गया था लेकिन पास नहीं हुआ था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम भी चाहते हैं कि आप बिल लेकर आये, हम पारित कराने के लिये तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : हम सवाल उठा रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम इस मामले से सम्बद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया एक दूसरे को सलाह न दें। आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं। द्वारकाधाम पोरबंदर से लेकर कोहिमा तक भारत की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा को जोड़ने वाली सड़क माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 4-लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनना है। यह हाईवे कई राज्यों से होकर जाता है। बिहार में गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक यह सड़क सात जिलों से निकलती हुई कोसी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों को जोड़ती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से कोसी से 14 किलीमीटर पर एक महासेतु का निर्माण होना है जिसके लिये मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लोग सदा उनके ऋणी रहेंगे। इस योजना के कारण लाभ मिलने वाला है। दुर्भाग्य की बात है कि इस सड़क के लिये जो जमीन बिहार के किसानों की ली जा रही है, उसका उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जबकि एनएचएआई ने हरियाणा, पंजाब या दूसरे राज्यों में किसानों को उचित मुआवज़ा दिया है। जब जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो गलत नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। जब मिट्टी की कटाई की जाती है, जब एग्रीमेंट किया जाता है तो कुछ किसानों को पैसा दिया जाता है लेकिन कुछ वहां रंगदारी करते हैं। इस कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। जहां भी महासेतु बन रहे हैं या निर्माण किया जा रहा है, उनके लिये सब-कंट्रेक्टर बहाल किये जाते हैं जिससे दिन-प्रतिदिन दुर्घटनायें हो रही हैं। भारत सरकार का उपक्रम एनएचआईए जो रेट तय करता है, उससे 30-40-50 प्रतिशत कम रेट पर सब-कंट्रेक्टर बहाल किये जाते हैं जहां न पारदर्शिता है, न गुणवत्ता है, न ही निष्पक्षता और न समयबद्धता है। इस कारण सारे हाईवेज़ नेगलैक्ट हो रहे हैं। पश्चिम से पूर्व तक उत्तर बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के साथ खिलवाड़ न हो, इस कार्य को प्राथमिकता दी जाये। बिहार के किसानों को न्याय मिलना चाहिये। एनएचआईए और जो दूसरी कंपनियां काम कर रही है, उनके कार्य की जांच करने के लिये संसद की संयुक्त संसदीय समिति बनायी जाये जो इस मामले की जांच करे और सभी अपराधियों को राष्ट्रद्रोह के अपराध में बंद किया जाये।

श्री मंगनी लाल मंडल : अध्यक्ष महोदया, मैं इस मामले से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : जो माननीय सदस्य अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे अपना नोटिस भेज दें ताकि उनके नाम सम्बद्ध कर दिये जाये।

श्री मंगनी लाल मंडल, श्री दिनेश चन्द्र यादव, श्री विश्व मोहन कुमार और श्री उदय सिंह के नाम इस मामले से सम्बद्ध किए जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदया, हम देश के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर

प्रदान करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। हम श्री नंदन निलेकणी जो इस कार्य को देखेंगे को इस विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी के उपनेता ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि जैसा कि भारत की राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है। उन्होंने 'नागरिक' शब्द पर बल दिया। अतः, मुझे कुछ संदेह था चूंकि, नंदन निलेकणी जिन्होंने कल अपना कार्यभार संभाला है न कथित तौर पर यह कहा है कि न केवल 'नागरिक' अपितु भारत के सभी निवासियों चाहे वह कानूनी हों अथवा गैर-कानूनी हों को 'यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर मिलेगा'।

'दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह यह था कि यह एक स्वैच्छिक योजना होगी और जिन लोगों को यह नंबर मिलेगा वे सरकारी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे और जो इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते या इससे बाहर रहना चाहते हैं उन्हें ये लाभ नहीं मिलेंगे। तीसरी बात तो उन्होंने कहीं वह यह थी कि यह कोई स्मार्ट कार्ड नहीं होगा। अतः, ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो कि कोई व्यक्ति स्मार्ट कार्ड से प्राप्त कर सकता है वह स्वतः इस योजना के तहत प्राप्त नहीं होंगी।

अब, मैं सभा में इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सरकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किया है और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि हमने इस कार्यक्रम का स्वागत किया है। वस्तुतः इस कार्यक्रम की नींव 'राजग' सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया था। जैसा कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने वाद-विवाद के दौरान उल्लेख किया था कि मंत्री-समूह ने यह सिफारिश की थी कि "हमें सभी भारतीय नागरिकों को एक ऐसा नंबर जारी करना चाहिए" ताकि हम नागरिकों — चाहे वह यहां रह रहे हों अथवा नहीं और गैर-नागरिकों जो कि यहां रह रहे हैं परन्तु इस देश के नागरिक नहीं है के बीच फर्क कर सकें। अतः, मुझे लगता है कि श्री निलेकणी ने जो सभा के बाहर कहा है उससे कुछ संदेह पैदा हुआ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बात मंत्री जी के वक्तव्य से अलग है।

श्री यशवंत सिन्हा : जी हां, मंत्री जी ने जो सभा में कहा है यह बात उससे अलग है। अतः, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना के विवरण ब्यौरा और उसकी परिभाषा के संबंध में इस सभा को विश्वास में लें।

"इसके अंतर्गत किस-किस को शमिल किया जाना है?" अब जबकि प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है तो अब सरकार को सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्यों को भी इसमें अपना योगदान और अपने सुझाव देने की अनुमति दी जाए ताकि, हमारे पास एक सार्थक योजना हो न कि कोई अदूरदर्शिता, पूर्ण, बिना सोची-समझी और गलत तरीके से तैयार की गई योजना। इसी कारण से मैंने इस मुद्द को उठाने का निर्णय लिया है। मुझे आशा हे कि सभा में मौजूद सरकार के सभी मंत्री इस बात को संबंधित मंत्री के ध्यान में लाएंगे और सरकार की ओर से शीघ्र एक वक्तव्य दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन व सरकार के सामने रखने का समय दिया। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में और जो जी-8 देशों की बैठक हुई, उसकी रिपोर्ट से पता लगा कि जी-8 में एनएसजी का जो ड्राफ्ट सरकुलेट हुआ है, उसका रिवाइज्ड पैराग्राफ 6 एंड 7 आफ आईएनएफ सीआईआरसी 254/पार्ट वन, इसमें 7 क्राइटेरिया बताये गये हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा जब कोई एनएसजी का मेंबर अधिकृत करेगा सप्लाई ऑफ ईएनआर फैसिलिटीज अर्थात् इनरिचमेंट एंड री-प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। *[अनुवाद]* पैरा 6(क)(एक) में यह कहा गया है कि:

"प्राप्तकर्ता, परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि का एक पक्ष होना चाहिए और उसे संधि के तहत दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।"

यह बात इसमें आयी है। रिपोर्ट यह कहती है कि एनएसजी वालों ने इस प्रस्ताव को जी-8 की बैठक में पास किया है अगर ऐसा हो गया है तो जो कुछ वचन अभी तक इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने दोनों सदनों और देश को दिये हैं, यह बिल्कुल उसके बरखिलाफ है। हमें बताया गया था कि भारत का स्टेटस बिल्कुल साफ है और वेवर बिल्कुल क्लीन है और इसमें और कोई किसी तरह की धारा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा गया था कि क्या इसके अलावा कोई और गुप्त धारा है, इसके अंदर कहीं कोई और गुप्त संकेत हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो कुछ है, वह यही है। उनका अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बदल रही हैं और यह हो जाना

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

तो बहुत खतरनाक है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम नॉन प्रोलिफकेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हमें एनरिचमैंट और रीप्रोसैसिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके यहां 10 रियैक्टर अमेरिका या और देशों के आ गए जो आपने यहां लगाए, उनसे इतना न्यूक्लियर वेस्ट होगा, उसका हम क्या करेंगे? हम उसको रीप्रोसैस नहीं कर सकते, उसको एनरिच नहीं कर सकते। यह एक बहुत गंभीर बात है। हम डंपिंग ग्राउंड बन जाएंगे इस वेस्ट मैटीरियल का। इसके अलावा हमारे थोरियम प्रोग्राम पर, बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी जनवरी के महीने में कॉमर्शियल न्यूक्लियर मिशन टु इंडिया की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे चेयरमैन, डिपार्टमैंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, श्री अनिल काकोडकर ने यह कहा—

[अनुवाद]

"...कि उन्हें ऐसा लगाता है कि परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में परमाणु संवर्धन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध का समर्थन करने वाली यू एस की नीति के द्वारा विश्वासघात किया गया है और ऐसा लगता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने की शर्त के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भारत को लक्ष्य बनाया गया है।"

उन्होंने यह भी कहा:

"हम जो दीर्घावधि संबंध बना रहे हैं वह इस तरह की नकारात्मक घटनाओं के अनुकूल नहीं है।"

[हिन्दी]

यह बहुत खतरनाक बात है, बहुत गंभीर बात है। अगर इसी तरह से यह चलता रहा, तो जिस उद्देश्य से आपने यह सारा समझौता किया था, वह बिल्कुल विफल हो जाएगा। इससे हमारा कोई मिलिट्री प्रोगाम नहीं बन पाएगा, हम थोरियम प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। हम सिवाय न्यूक्लियर सप्लायर्स के डंपिंग ग्राउंड ऑफ डैड वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर बात है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को स्वयं आकर दोनों सदनों और देश के सामने यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि यह समझौता हमें कहां ले जा रहा है। क्या वह एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो फिर इस समझौते का मतलब क्या है क्योंकि आपको एनरिचमैंट और रीप्रोसैसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिया, तो बाकी सारे समझौते का मतलब ही क्या है? यह एक बहुत खतरनाक चीज़ आकर खड़ी हो गई है। समय बहुत कम है, अन्यथा मेरे पास जो तथ्य आ रहे हैं, वे बहुत ज्यादा गंभीर आ रहे हैं।

एक बात और कही गई है कि इस देश की बहुत छोटी और थोड़ी कंपनियां केवल न्यूक्लियर मैटीरियल में डील करती हैं। अगर ये रियैक्टर्स और सारे कुछ आए तो उनके नट-बोल्ट ठीक करने में ये लगी रहेंगी, इनका कोई इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट नहीं होगा। हमें यह बताया गया था कि बहुत बड़ी मात्रा में न्यूक्लिर इंडस्ट्री देश में डैवलप होगी। उसका ज़रा सा भी उल्लेख इसके बाद नहीं रहेगा, उसका ज़िक्र ही आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने देश में न्यूक्लियर इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने यह बात पिछली बार भी राज्य सभा में कही थी, देश के सामने भी कही थी कि आप जो समझौता कर रहे हैं, वह देश को कहीं नहीं ले जाएगा। उससे हमें एक और खतरा भी है। अगर आपका मिलिट्री प्रोग्राम नहीं है और आपने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिये, तब तो आप फिर अमेरिकन हैजेमनी के अंडर आ गए जिसकी तरफ अभी हमारे बसुदेव आचार्य जी भी दिशा संकेत कर रहे थे। वह सब तरफ से आ रहा है। तो यह क्या दबाव है? यहां मैंने देखा कि जब मिसेज़ क्लिंटन से पूछा गया तो उन्होंने कुछ गोलमोल सा जवाब दे दिया। उसके बाद हमारे जो एसीए डायरैक्टर हैं डैरिल कैम्बल, उन्होंने इस देश के समाचार पत्रों को बताया कि:—

[अनुवाद]

"जी-8 नीति और नवम्बर, 2008 से लंबित एनएसजी प्रस्ताव [जो कि अब पारित हो चुका है]... का उद्देश्य और आशय वस्तुत: भारत जैसे देशों जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं को ईएनआर प्रौद्योगिकी से बाहर रखना है।"

[हिन्दी]

अगर ये सारी बातें अमेरिका की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से आ रही हैं, उनके वैज्ञानिकों की तरफ से आ रही हैं, तब यह बहुत खतरनाक है। उस पर हमारे देश के श्री अनिल काकोडकर की प्रतिक्रिया इस बात को बताती है कि सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बारे में भारी चिन्तित हैं, भारी आशंकाओं से ग्रस्त हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि एक बात जो अभी कही गई है और पहले आडवाणी जी ने भी कही थी कि सदन को और संसद को पहले कानून यह पास करना चाहिए जो पिछली बार हमने प्राइवेट मैम्बर की हैसियत से रखा था लेकिन पास नहीं हो पाया था, वह यह था कि कोई ऐसी संधि जो भारत के आर्थिक और सामरिक, कृषि संबंधी सार्वभौमिकता

को प्रभावित करती हो, यह बिना संसद की मंजूरी के पास नहीं की जानी चाहिए, रैटिफाइ नहीं की जानी चाहिए। इस घटना से यह बात स्पष्ट होती है कि इस कानून की अविलंब आवश्यकता है जो देशहित में, देश की सार्वभौमिकता और सुरक्षा को बचाने के लिए परम आवयक है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अतिअविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। आज पूरा देश सूखे की चपेट में है। वैसे हम इस पर 28 तारीख को विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर भारत इससे खास तौर से प्रभावित है। इस सूखे की स्थिति से महंगाई भी बढ़ी है। आपने देखा होगा कि दालों के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ने के कारण से अपराध भी बढ़े हैं। अपराधों में बराबर वृद्धि हो रही है। गरीब मजदूर, जो कि रोज कमाने-खाने वाले हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। यदि नहीं पशु-पक्षी भी परेशान हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे इलाकों में केन्द्रीय दल भेजा जाए। तहसील और ब्लॉक स्तर पर इसका सर्वे करवाया जाए कि कहां कितनी बारिश हुई है।

महोदया, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी की तरफ करवाना चाहता हूं। इसमें तीन विधान सभा क्षेत्र हैं, बगल में प्रतापगढ़ है, जहां दो विधान सभा क्षेत्र हैं, इलाहाबाद और फतेहपुर। यह पूरा मंडल है। यह इलाका जबरदस्त सूखे की चपेट में है। हम आपसे मांग करेंगे कि केन्द्र सरकार वहां केन्द्रीय दल भेजे और विशेष पैकेज देकर पेयजल और महंगाई की समस्या पर रोक लगाने का प्रयास करे। खास तौर से पशु-पक्षी बहुत बेहाल हैं। पक्षी मर रहे हैं, न तो पशुओं के पीने के लिए पानी नहीं है, न ही चारा है। हम आपसे मांग करेंगे कि केन्द्रीय दल वहां जाए और तहसील और ब्लॉक स्तर पर सर्वे करवाकर, जहां भी सूखा है, वहां समुचित व्यवस्था करें।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : महोदया, मैं अपने को इससे संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री वीरेन्द्र कश्यप। आपका नाम पहले बोला गया था, लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : अध्यक्ष महोदया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बाहर चला गया था। आपने मुझे दोबारा बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार द्वारा घोषित की गई ऋण माफी योजना का लाभ देश के छोटे और विशेषकर हिमालयी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पूर्वोत्तर राज्यों के कृषकों और बागवानों को नहीं मिला है। पर्वतीय राज्यों के सहकारिता क्षेत्र के बैंकों, विशेषकर भूमि विकास बैंकों ने उन्हें कृषि उत्पादों के भण्डारण, विपणन, छिड़काव की पावर मशीनों, पावर टिलरों तथा पूल चैन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत कच्ची एवं संकरी सड़कों पर ट्रक नहीं चलने के कारण यूटीलिटी जीपों और अन्य छोटे वाहनों को खरीदने के लिए ऋण दिया, ताकि वह अपनी उपज को दूरदराज के क्षेत्रों से मण्डी तक पहुंचा सकें। उन्हें उक्त माफी योजना से कोई राहत नहीं मिली है। उक्त मदों के अंतर्गत दिए गए ऋण पर उन किसानों से 16 प्रतिशत से अधिक ब्याज वसूला जा रहा है। अत: मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे किसानों के भी ऋण तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएं।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जितने पहाड़ी राज्य हैं, उनमें बड़ी सड़कें तो नहीं बनी हैं, लेकिन जो छोटी सड़कें बनी हैं। उस वजह से वहां के बागवान और किसानों ने छोटी यूटीलिटी जीपें अपने यूज करने के लिए ली थीं। उसके लिए उन्होंने ऋण लिए थे। हमें उक्त बात की खुशी है कि एनडीए की सरकार के समय में पीएमजीएसवाई की वजह से बड़ी सड़कें बनी थीं, उस वजह से हमारे यहां के बागवान और किसान लाभान्वित हुए थे। परन्तु खेद का विषय यह है कि प्रश्नकाल के समय मंत्री जी कह रहे थे... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त कीजिए। दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदया, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

जितने भी हिमालयी राज्य हैं, वहां पीएमजीएसवाई को कम किया गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछली बार वर्ष 2008-09 में 1660 स्कीमें थीं, लेकिन उसे घटाकर 1500 कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी हिमालयी राज्य हैं, उनके लिए इस प्रकार की स्कीम्स बननी चाहिए, जिससे वहां के किसानों और बागवानों को लाभ हो।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : अध्यक्ष महोदया, मैं, आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री द्वारा एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में इस सम्माननीय सभा में दिए गए आश्वासन की ओर सरकार का

[श्री अर्जुन चरण सेठी]

ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं इस संबंध में एक वाक्य का उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि "सभा को यह आश्वासन दिया जाता है कि उड़ीसा घाटे में नहीं रहेगा।" माननीय मंत्री ने इस सम्माननीय सभा और उड़ीसा के लोगों को यह आश्वासन दिया था।

महोदया, मैं किसी भी राज्य द्वारा विकसित की जा रही किसी भी परियोजना के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु, जब किसी अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना की बात आती है तब, प्रभावित होने वाले किसी पड़ौसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य के रूप में मैं निश्चित तौर पर अपने राज्य के लिए बोलूंगा। अत:, कृपया मुझे एक या दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाए।

महोदया, आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण कर रही है। मुझे परियोजना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, चूंकि यह एक अन्तर्राज्यीय नदी परियोजना है अत:, हमें ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु पूर्व निर्धारित सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। उड़ीसा के संसद सदस्यों ने उस विशेष अवसर पर सभा में इस संबंध में तीन आपत्तियां उठाई थीं। पहली आपत्ति यह थी कि न केवल आंध्र प्रदेश सरकार से बल्कि केन्द्र सरकार से भी बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई। दूसरी बात, बांध की ऊंचाई कितनी होगी इस बात पर भी भ्रम की स्थिति है? गोदावरी नदी अधिकरण ने 150 फीट ऊंचाई की सिफारिश की थी और उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु, कथित रूप से यह पता चला है कि बांध की ऊंचाई को बढ़ाकर 182 फीट किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो उड़ीसा के मल्कानगिरी, कोरापुट, सुन्दरगढ़ और कालाहांडी आदि जिलों में रहने वाले आदिवासी क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों का भी बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाएगा और उन्होंने भी इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई है। तथापि, बांध की ऊंचाई कितनी होगी यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है।

तीसरा, उड़ीसा राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से, परियोजना के ब्यौरे के लिए बार-बार निवेदन किया था। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना को अनुमोदित किए जाने से पहले उड़ीसा सरकार को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस आश्वासन को निभाया नहीं गया है। दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश सरकार ने निवेदन किया है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

अत:, मैं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से सदन में आने और इन बिन्दुओं पर वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं। हम जानना चाहते हैं कि परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने पहले ही परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। अत: महोदया में आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरे सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश देने का निवेदन करता हूं। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ीसा राज्य सरकार और पड़ोसी राज्य सरकारों ने हितों को बाधित नहीं किया जाएगा और जब तक सभी राज्य सहमत न हो, उनके क्षेत्र जलमग्न नहीं होंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं उनके साथ सम्बद्ध होना चाहता हूं।

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : महोदया, मेरा नाम भी उनसे सम्बद्ध किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 4 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 10 को लेगी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव* करता हूं:*

"कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय आप जानते हैं कि वित्त विधेयक इस अर्थ में एक अद्वितीय विधेयक है कि उसका कुछ हिस्सा पुरःस्थापित किए जाने के बाद ही लागू हो जाता है और उसके पश्चात् माननीय सदस्यों को बजट पर विस्तार से चर्चा करने का समय मिलता है। अनुदानों की मांगें पारित होने के पश्चात् सभा द्वारा विचार किए जाने के लिए वित्त विधेयक लाया जाता है। इसलिए इस चरण में कोई टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इन शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग) : माननीय वित्त मंत्री के सामने बोलते हुए मुझे अतीत की स्मृति हो आई है। मैं अपने दल के नेता और उपनेता से इस बात का उल्लेख कर रहा था कि संसद में यह मेरा आठवां कार्यकाल है। मैं अतीत की स्मृतियों में चला गया, क्योंकि लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने पहली बार श्री प्रणब मुखर्जी के साथ वित्त विधेयक और बजटीय प्रावधानों पर विचार विनियम किया था। मैं समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी मुझे उन्हें प्रणब बाबू कहने की अनुमति देंगे क्योंकि हमने 30 वर्ष पूर्व एक दूसरे का विरोध किया था, लेकिन वह विरोध लाठी और डण्डे से नहीं किया था, बल्कि वैचारिक रूप से किया था। इसी तरह, मैं मानता हूं और ईमानदारी से कहता हूं कि प्रणब बाबू, हम चाहते हैं कि आप देश के वित्त मंत्री के रूप में सफल हों। आप लंबे समय से यह कार्य करना चाहते थे; आप इसके लिए उपयुक्त हैं और आपकी सफलता से देश को लाभ होगा। यदि देश की वित्त व्यवस्था और अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो यह आम आदमी ही है जिसके लाभ की आप वकालत कर रहे हैं। इससे आम आदमी ही लाभान्वित होगा। हम कैसे चाहें सकते हैं। कि देश की वित्त व्यवस्था को नुकसान पहुंचे? हम, सदन में विपक्ष की ओर से, निश्चित रूप से ऐसी इच्छा नहीं कर सकते।

महोदय एक आत्मकथा संबंधी टिप्पण में, मुझे स्मरण है जब हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री वाजपेयी ने मुझे साउथ ब्लॉक से नार्थ ब्लॉक में भेजा, तो मैंने केवल सड़क पार की थी कि- जैसा हमेशा होता है दूसरी ओर पत्रकारों का जमावड़ा था, जहां उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी नीति क्या है। मैंने किसी नीति या किसी और बात पर विचार नहीं किया था अतः मैंने तत्काल कहा, *[हिन्दी]* हमारी नीति स्पष्ट है— "गृहणी की कुटिया में आना, गरीब के पेट में दाना" *[अनुवाद]* मैं समझता हूं देश के आर्थिक दर्शन के आधार समान है जब तक गृहणियों के पास खर्च करने को पैसा न हो, गरीब आदमी या महिलाओं का पेट न भरे, जो संयुक्त रूप से भारत है, तब तक हमारी रचनात्मक प्रतिभा बाहर नहीं आएगी।

यह हमारी एक विशेष प्रणाली है। मैं थोड़ी देर में इस पर आता हूं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ कहना है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से शुरू करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने साथी श्री प्रणब मुखर्जी को श्रेय देना चाहता था और मैं उन्हें शुभकामना देता हूं।

मैं एक विचार आपको बताना चहता हूं कि जिस पर मैं बाद में आऊंगा। यह व्यवस्था की संपूर्णता के बारे में है जिसे हमने ब्रिटिश विरासत से प्राप्त किया है और वित्त मंत्रालय में जारी रखा है, लेकिन इससे जुड़ी समस्या भी है। यदि वित्त मंत्री महोदय, आप कहने की अनुमति दें, तो वह सम्बन्धित समस्या नवीनतम 'इकॉनामिस्ट' में आई है, मैं उसका एक भाग पढ़ता हूं:

"अर्थव्यवस्थाओं में जितने भी उतार-चढ़ाव आए हैं उन से कुछ तथाकथित प्रतिष्ठित अर्थव्यवस्थाओं की तेजी से बिगड़ी है।"

इस टिप्पणी को हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। यह बहुत गंभीर टिप्पणी है और हमें इस पर विचार करना होगा। जब हम बजट की संपूर्णता पर विचार करते हैं जिसका एक भाग वित्त विधेयक है, तो माननीय वित्त मंत्री जी विश्व ने जो अनुभव किया, वास्तव में वह आर्थिक सुनामी है। हम पूर्णतः इसके परिणामों से नहीं बच सकते।

श्री पॉल क्रुगमैन, जो 2008 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ने हाल ही में एक भाषण में तर्क किया कि समष्टि अर्थशास्त्र का विगत 30 वर्षों का अधिकांश समय "अपने बेहतर समय में नकारा और खबरा समय में हानिकारक रहा है।" इन विचारों पर हमें गंभीर प्रतिक्रियाकरनी चाहिए क्योंकि अर्थशास्त्रियों को वित्त को समझना चाहिए। वित्त मामलों के फ्रोफेजरों को जिस संदर्भ में वे काम कर रहे हैं, पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है। आखिरकार, अन्त में अर्थशास्त्री सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो यह समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज और विश्व कैसे कार्य कर रहा है।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री जसवंत सिंह]

वित्त विधेयक का अपना स्रोत है। मैं वास्तव में इसका किसी ओर दिन अन्य संदर्भ में उल्लेख करना चाहता था। संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण, से अनेक बातें निकलती है। सरकार की संपूर्ण नीति इससे आती है और बजट अपनी संपूर्णता में इसी से निकलता है। वित्त विधेयक बजट का एक लघु मांग है। बजट, इस संदर्भ में, सरकार की राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण भाग हैं। लेकिन किसी भी सरकार की राजकोषीय नीति दोहरी होनी चाहिए। पहली यह कि यह मात्र अर्थशास्त्र के लिए नहीं है जोकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य नागरिक हैं। हमें विशुद्ध अर्थशास्त्र के सिद्धांत का ही अनुपालन नहीं करना है, बल्कि हमें नागरिकों को लाभ भी प्रदान करना है।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान है। मेरा उनसे यह निवेदन है कि देश के जन-जीवन को बेहतर बनाना भी वित्त विधेयक का उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।

मैं इस मुद्दे पर आऊंगा कि किसी प्रकार बजट और वित्त विधेयक देश के जन जीवन में नैतिकता और पवित्रता की भावना लाने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन मैं वित्त विधेयक के सामान्य पहलुओं से हटकर व्यक्तिगत संकीर्णता संबंधी नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकीर्णता संबंधी मुद्दे पर आता हूं।

ये दोनों मुद्दे आपके बजट भाषण से उठे हैं। पहला पैरा 3 में हैं, जो चक्रवात "आइला" से संबंधित है और दूसरा पैरा 68 में दिया गया है। वित्त मंत्री जी, आपने चक्रवात 'आइला' से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। मैं पहले आप से यह कहना चाहता हूं कि यह चक्रवाह असमय बेमौसम और अभूतपूर्व होने के अलावा, प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत विनाशकारी था। आपको लगता है कि इसने "बंगाल के तटीय" क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव तटीय क्षेत्र से भी काफी आगे तक पड़ा है। इसने दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र को भी प्रभावित किया।

वित्त मंत्री महोदय आप न केवल भारत के बल्कि पश्चिम बंगाल के भी विशिष्ट और सम्मानित नागरिक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो धनराशि आपने आवंटित की है, उसके उपयोग के बारे में गंभीर प्रश्न उठे हैं। पहली बात तो मैं 1000 करोड़ रु. की राशि को पर्याप्त नहीं मानता। दूसरे, मेरा मानना है और आप बखूबी जानते हैं कि जब दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र की बात आती है, तो वामपंथी सरकार धन के उपयोग को लेकर सर्वाधिक संकीर्ण है। 'आपदा' या 'विपदा' की पूरी परिभाषा भिन्न है। इस चक्रवात परिणामस्वरूप बंगाल के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। चक्रवात नपे पहाड़ी जिलों में तबाही मचाई है जिसके परिणामस्वरूप भूस्जलन हुआ भवन गिरे और लोगों की मृत्यु हुई। इस संबंध में मैं भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि सबसे पहले तो, आप मात्र 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आबंटन करें। दूसरे, आप दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग धनराशि का आबंटन करें, क्योंकि वामपंथी सरकार ने पिछले 30 वर्षों से दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र की उपेक्षा की है। है वामपंथी सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा के कारण, गौरखालैंड की मांग उठी है, जिसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और इसका शीघ्र समाधान करें।

आप बखूबी जानते हैं, कि आप रक्षा मंत्री भी रहे हैं, प्रणब बाबू, जो सम्मान मुझे भी मिला था कि दार्जिलिंग देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा चार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटी हुई है। यह एकमात्र ऐसा जिला है, जिससे चार देशों की सीमाएं लगती हैं। यदि आप इस मुद्दे का राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामले के रूप में समाधान नहीं करते हैं तो, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और दार्जिलिंग की जानता के प्रति गंभीर गलती कर रहे हैं। इसी सीमा भूटान, नेपाल और बंगला देश से सटी हुई है और यह चीन गणराज्य से मात्र 12 कि.मी. दूर है। ऐसा अन्य कोई भी जिला नहीं है, जिसकी सीमा चार देशों से सटी हुई हो। यह द्वार पर स्थित है, अतः इसके लिए 'दुआर' या 'द्वार' शब्द का प्रयोग हो सकता है। यह हमारे देश के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह पूरे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। यह पूरे देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

आप सिक्किम में सड़कों के लिए धनराशि आबंटित करते हैं परन्तु दार्जिलिंग की सड़कों के लिए धनराशि नहीं देते। आप सीमावर्ती राज्य के आधार पर सीमा सड़क के लिए सिक्किम को धनराशि देते हैं। निःसंदेह, वह सीमावर्ती राज्य है। मैं इसे सिक्किम की कीमत पर नहीं मांग रहा हूं। यद्यपि यह चार देशों की सीमा से सटा हुआ है, तथापि आप दार्जिलिंग और इसके पहाड़ी क्षेत्र को सीमावर्ती राज्य नहीं मानते इससे आप न सिर्फ गोरखा लोगों के प्रति बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं दलील दे रहा हूं इसका यही कारण नहीं है। आप वास्तव में वहां जाकर मौजूदा सड़कों की स्थिति को देखें। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिसे पहले 'द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन' कहा जाता था, वह आज एक राज्य मात्र बनकर रह गया है, जहां हाल के चक्रवाह में 36 लोगों की मौत हुई है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

माननीय वित्त मंत्री इसे बखूबी जानते हैं। वह माननीय वित्त मंत्री हैं। 'द्वार' में चाय के 19 बागान बंद हो चुके हैं। एक चाय बागान

पहाड़ी क्षेत्र में बंद हो गया है। यदि फ्रांस शैम्पेन के नाम पर एक उद्योग विकसित कर सकता है यदि दार्जिलिंग से आने वाली चाय को 'चाय की शैम्पेन' कहा जाता है, तो वहां पर्यटन को उद्योग के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सकता है। कृपया इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें।

मुझे प्रसन्नता है कि विपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया है। मैं आपसे गौरखालैण्ड की मांग को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। यह सबसे पुरानी मांगों में से एक है। पूर्वोत्तर से सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखण्ड और कश्मीर को अलग-अलग राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है। गोरखा लोगों ने क्या गलत किया है कि उन्हें अलग राज्य नहीं दिया जा रहा है कि वे देश की रक्षा सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वे सीमा पर रह रहे हैं। वे देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए मरते हैं।

महोदय, मुझे एक सैनिक के रूप में सेवा करने का मौका मिला है, लेकिन जब दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र के वैधानिक हितों, गौरखालैण्ड की वैधानिक मांग की बात आती है तो आप सहयोग करने या उसे पूरा करने से इंकार कर देते हैं। केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, देश के सम्मानित नेता और पश्चिम बंगाल के सम्मानित नागरिक होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसमें रूचि दिखाएं। मुझे खुशी है कि त्रिपक्षीय बातचीत आरम्भ हो गई है। केन्द्र सरकार को इसमें रूचि लेनी चाहिए। आपको इसका एक हिस्सा बनना चाहिये। आप तीन में से एक हैं और आपको देखना है कि शिकायतों का निवारण हो और गोरखालैण्ड बने।

मैं दूसरा संकीर्ण अनुरोध कर रहा हूं। यह आपके प्वांइट संख्या 68 से उत्पन्न हुआ है। यह 'समान रैंक समान पेंशन' के बारे में है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपकी, सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने 'समान रैंक समान पेंशन' की वैध मांग को माना है। वैधता को बहुत आसानी से समझाया तो इसकी वैधता को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है यदि हम इसे व्यक्तिगत रूप से देखें। यह मेरा निजी विचार है। मैं नहीं समझता कि संसद सदस्य किसी प्रकार की पेंशन के पाने के हकदार हैं। लेकिन ऐसा करने से संसद सदस्यों को पेंशन मिलेगी. चाहे वह 1952 या 1990 से भूतपूर्व सदस्य हो गए हैं, उन्हें समान पेंशन मिलती है क्योंकि सिद्धांत का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको कब से पेंशन मिली है, आपको एक समान पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि कुछ स्तरों पर मंहगाई के सूचकांक के आधार पर यहां पहचान होती है। हम इसी मुद्दे पर भाजपा में चर्चा करते आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अंततः आपने इसकी वैधता को स्वीकार किया है। लेकिन ऐसा करते हुए, आपने बहुत गलत शुरूआत कर दी है। मैं यह बात आपकी जानकारी में ला रहा हूं और आपसे विशेष रूप से यह अपील करता हूं क्योंकि आप रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं गलत हूं या नहीं। लेकिन 15वीं लोकसभा कुछ समय के बाद शायद पहली लोकसभा है, जबकि संसद सदस्यों में मैं एक मात्र भूतपूर्व सैनिक हूं। इससे मुझे दु:ख होता है। 14वीं लोक सभा में कई थे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे खेद है कि 14वीं लोकसभा में लेखाओं से ज्यादा सदस्य थे। अब कोई भूतपूर्व सैनिक नहीं है – न तो इस सभा में न उस सभा में। इस मायने में, मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बोलने के लिए एकमात्र भूतपूर्व सैनिक हूं। मैं पेंशन मंत्री नहीं हूं। मुझे राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने इस आयोग से व्यक्तिगत निजी और राजनीतिक कारणों से त्यागपत्र दे दिया। मैंने इससे त्यागपत्र व्यक्तिगत, निजी और राजनीतिक कारणों से दिया, लेकिन मैंने कोई पेंशन, कोई उपदान नहीं किया। अत: यदि मैं पेंशनभोगियों के लिए बोलता हूं तो मैं केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए बोल रहा हूं। आपने अन्य रैंकों और जेसीओज के लिए समान रैंक समान पेंशन दी है लेकिन आपने अधिकारियों को छोड़ दिया है। मुझे ऐसा करने का औचित्य समय नहीं आया। आप सशस्त्र बलों के दो विशेष भागों में बांट रहे हैं। अधिकारी मरने वालों में आगे होते हैं। अधिकारी युद्ध में अपने जवानों का नेतृत्व करते हैं। ये अधिकारी ही हैं, जिनकी विधवाएं होती हैं। निश्चित रूप से, आपको जानना चाहिए और विधवाओं की स्थिति देखनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं एक भूतपूर्व रक्षा मंत्री के रूप में आपसे अपील करता हूं कि इस तरह का विभाजन ना करें। आपने 2100 और कुछ अधिक करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी है। अधिकतम यह 1000 या उससे कुछ अधिक करोड़ रुपए हैं, जिससे अधिकारियों की आवश्यकता की शर्तें हो जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फील्ड मार्शल करिअप्पा रैंक के सम्मानित अधिकारी, या अन्य लोग जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जान दे दी, के परिवार को आप इससे बाहर कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि वे कमीशन रैंक के थे या अधिकारी थे? माननीय वित्त मंत्री जी यह नौकरशाही के संकीर्ण नजरिए का एक सटीक उदाहरण है। मैं आप से भूतपूर्व रक्षा मंत्री, एक सैनिक के रूप में अनुरोध करता हूं कि इस गलती को और बढ़ने से पहले सुधार लें।

महोदय, मैं वित्त विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रणब बाबू में लीक से हटकर यह कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से आपको स्थापित प्रक्रिया से पूर्णत: अलग हो जाना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मुझे नहीं लगता कि आपको वित्त विधेयक लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में होता यह है कि वित्त विधेयक बजट

[श्री जसवंत सिंह]

में घोषित नीति का परिणाम है और फिर वित्त विधेयक के माध्यम से विभिन्न परिवर्तन कर दिए जाते हैं और कर लगा कर दिए जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि बजट तैयार करने की यह वार्षिक प्रक्रिया पूर्णतः गलत है। भारत जैसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था उप-महाद्वीपीय नहीं, बल्कि महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था है। यह एक महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था है। चूंकि यह हमें विरासत में हमती है, इसलिए हमें वार्षिक बजट तैयार करने की इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। मुझे इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। एनडीए में हमने प्रत्येक तिमाही में संसद को रिपोर्ट करने की प्रणाली शुरू की थी। ऐसा लगता है कि अब उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ पिछली सरकार ने किया या नहीं किया, आपको उसका पालन करना चाहिए परन्तु मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी वार्षिक कार्यविधि का तर्कसंगत है। शायद यह देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का सर्वाधिक अप्रभावी तरीका है। महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री श्री एल.के. आडवाणी का मुझ पर भरोसा किया था जिसकी वजह से मैंने वर्ष 1996 में यह पद ग्रहण किया — हालांकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं — और मैंने एनडीए सरकार के वापस सत्ता में आने पर पुनः यह पद ग्रहण किया। इस समय मुझे प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रणाली अप्रभावी और पुरानी है। इससे यह योजना प्रयोजन पूरा नहीं होता। यह प्रभावी प्रणाली नहीं है, क्योंकि अन्ततः वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष कर अथवा अप्रत्यक्ष कर के समय परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यक्ष कर के बारे में क्या अलंघनीय अथवा क्या गोपनीय है? मैं ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्हें देखकर मुझे अप्रसन्नता हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी वित्त विधेयक पूरा नहीं पढ़ पाया हूं। यदि आपने वास्वत में ही कभी पूरा वित्त विधेयक पढ़ा है, तो आप मुझसे महान काफी महान व्यक्ति हैं।

मुझे विश्वास है कि आपके पूर्ववर्ती, मेरे मित्र, जो एक प्रतिष्ठित सनदी लेखकार और वकील हैं श्री चिदम्बरम ने न केवल वित्त विधेयक पढ़ा होगा बल्कि शायद वित्त विधेयक तैयार भी किया होगा। परंतु यह प्रक्रिया किसी भी वित्त मंत्री के जीवन को दुष्कर बना देती है। अतः हमें यहां वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष कर पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों के परिणामस्वरूप कुछ लाभ अथवा हानि होती है। अतः उन्हें वित्त मंत्री के विवेक से प्रत्येक तिमाही में लंबित किया जा सकता है और फिर वे प्रधानमंत्री को इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। परंतु हम यहां जिस रीति का पालन करते हैं वह पूर्णतः अनावश्यक है। इसमें अत्यधिक समय लगता है और यह आवश्यक नहीं है।

कुछ विशिष्ट बातें करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। चूंकि इस पद्धति द्वारा अकुशलता को बढ़ा रहे हैं। अतः वित्त मंत्री को सिद्धांत पर आधारित एकमात्र तथ्य पर ध्यान देना होगा। माननीय वित्त मंत्री जी वह सिद्धांत यह है कि विवेकाधिकार तानाशाही और भ्रष्टाचार के बराबर है। जैसे ही हम अधिकारियों और स्वयं में यह विवेकाधिकार देते हैं कि हम अमुक-अमुक वस्तु पर कर लगा सकते हैं अमुक-अमुक वस्तु को कर से मुक्त रख सकते हैं, तो हम भ्रष्टाचार का द्वार खोल देते हैं। अतः इस संबंध में कानून बनाया जाना चाहिए। आपने घोषणा की है कि आप एक नया टैक्स मैनुअल पुनः लागू करने जा रहे हैं। कृपया इसे सरलीकृत कीजिए। इस समय हमारा जो टैक्स मैनुअल है वह अपठनीय है। यह इतना अबोधगम्य है कि कोई भी वित्त मंत्री इसका अर्थ नहीं निकाल पाता। मुझे स्वयं इसका अर्थ समझ नहीं आता। दूसरे, कुल मिलाकर हमें आज जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसमें सुरक्षा के सभी पहलुओं और आर्थिक विकास पर परिणाम पर विचार करना होगा।

यह भ्रम है कि मुक्त बाजार की संकल्पना हमारी समस्याओं का तार्किक उद्धारक है। मैंने यह बात पहले भी कही है और पुनः यह बात दोहराना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी मुक्त बाजार सभी के लिए मुक्त का पर्याय नहीं हैं। मुक्त बाजार हमारे लोगों की सृजनात्मक प्रतिभा को अनावृत करने का भाव है, परंतु अब हम जो देखते हैं, वह सब के लिए मुक्त नहीं है। यह भी सही नहीं है कि मुक्त बाजार हमारी समस्या का उद्धारक है। हम इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं जो तीव्र विकास (एक्सपोनेनशियल ग्रोथ) पर आधारित हो और इस विकास की पूर्ति ऐसी ही समान तीव्र खपत से होनी चाहिए। इस प्रकार के तीव्र विकास हेतु ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल की खपत और नए बाजारों के सतत विस्तार की आवश्यकता होती है।

अतः मैं पर्यावरण संबंधी कुछ चिंताओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्व का लगभग 50 प्रतिशत वनक्षेत्र खत्म हो गया है। भारत में विद्यमान वन क्षेत्र आगामी 30 से 40 वर्षों में समाप्त हो जाएगा हमारे समक्ष विशेषकर विकसित देशों ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन और उसके परिणामों का गंभीर खतरा है। महासागर में अम्लीयता बढ़ती जा रही है और यदि यही प्रवृति जारी रही तो इससे अधिकांश 'प्लैक्टनस' 'कोरल रीफस' भर जाएंगे और पूरी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। विश्व के 15 महासागरीय मत्सत्य क्षेत्रों में से 11 खत्म हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन घट रहा है। और यह प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की औसत दर से घट रहा है।

आज देश में स्वच्छ जल की समस्या सबसे गंभीर है। माननीय

वित्त मंत्री जी मुझे यह बताते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि दो ध्रुवों के बाहर हमारे पास विश्व की सर्वाधिक ग्लेशियर सम्पदा है परन्तु हिमविज्ञान के अध्ययन हेतु हमारे यहां कोई संस्थान नहीं है, निजी नागरिकों ने एक संस्थान स्थापित किया है। हमारे गलेशियर विश्व में सबसे तेजी से अर्थात् प्रतिवर्ष 15 मीटर की दर से समाप्त हो रहे हैं। ऐसा पूर्वानुमान है कि आगामी 30 वर्षों में गंगा नदी सूख जाएगी जोकि एक गंभीर चेतावनी है।

मैं इनका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इनका सभी आर्थिक योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि मैं किसी सुरक्षा का उल्लेख कर रहा हूं, तो इसका कोई कारण है। माननीय वित्त मंत्री जी कृपया एक मिनट के लिए अपने आस-पास के क्षेत्र पर नजर डालिए। हमारे आस-पास की परिस्थितियां बाधा उत्पन्न करती है और यदि वह बाधा उत्पन्न कर रही हैं तो कृपया इस पर गंभीरता से विचार कीजिए क्योंकि यदि हमारे आस-पास के देशों में अशांति होगी तो भारत भी उस प्रकार से विकास नहीं कर पाएगा जैसे वह चाहता है।

मैं और देशों का उदाहरण नहीं देना चहाता, परंतु भारत के आस-पास के क्षेत्र में अशान्ति के कारण हमारे यहां बाहरी सुरक्षा का गंभीर खतरा है। कृपया आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर भी विचार कीजिए जैसाकि मेरे प्रतिष्ठित साथी और उपनेता ने एक दिन माओवाद, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में कहा था।

इस संबंध में मैं कुछ विशिष्ट बातें कहना चहता हूं मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि जैसाकि मैंने कहा कि यदि हम वित्त विधेयक का विस्तारपूर्वक अध्ययन करें, तो संसद एक तरह से कॉर्पोरेट कम्पनियों के हितों की रक्षा करने वाले वन जाएगी अथवा अनेक कॉर्पोरेट घराने संसद सदस्यों से यह कहते हुए सम्पर्क करेंगे कि कृपया संसद में ऐसा बोलिए अथवा वैसा बोलिए। संसद सदस्य गुटबंदी करने वाले नहीं हैं अथवा वे ऐसे बनेंगे भी नहीं और यह सभा किसी एक या दूसरे कॉर्पोरेट घराने के हितों की रक्षा करने वाले गुट का समूह नहीं है। हम किसी कॉपोरेट घराने के नुमाइंदे नहीं हैं। यह भी एक कारण है कि मैं समझता हूं कि इस कराधान प्रणाली से संबंधित समस्त व्यवस्था केवल वित्त मंत्री ही समझ सकते हैं।

अब मैं उन परिवर्तनों की बात करूंगा, जिनकी मैं वकालत करता हूं। लेकिन यह वार्षिक कवायद निरर्थक और अपर्याप्त है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन उदाहरणों में, प्रणब दा ऐसा कहने के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा को 10,000 रुपये बढ़ाया है, मैं भी इसी श्रेणी में आता हूं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह भी इसी श्रेणी में आते हैं।

श्री जसवंत सिंह : अतः, आप भी इसी श्रेणी में आते हैं....

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी, हां, महिला होने के नाते मैं भी इसी श्रेणी में आती हूं।

श्री जसवंत सिंह : करीब 30 साल पहले मैं प्रथम बजट पेश होने के समय उपस्थित था। तीस साल से यही काम कर रहे हैं, तीस साल से भी ज्यादा हो गए हैं। महिलाओं के लिए कर छूट यह राशि 15,000 रु. है। वास्तव में इससे कितनी राशि की अतिरिक्त छूट मिलेगी? इसका अर्थ है इससे एक वरिष्ठ नागरिक को कर में 1,030 रु. की और सुषमा जी को 1,545 रु. की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे पता है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मेरी उम्र के व्यक्ति का कर में 1,030 रु. की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : बड़ी सौगत दी है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : इसमें तो मुझे व्हिसकी की एक बोतल भी नहीं मिलेगी। आपने किस प्रकार की छूट दी है? आपने ऐसा आभास कराया है कि जैसे आपने छूट तो दी है, लेकिन यह कोई छूट नहीं है।

मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सभी पूर्ववर्ती कानून विशेषकर कराधान कानून सही नहीं हैं। यहां एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता उपस्थित हैं, लेकिन मैं उनके साथ वाद-विवाद नहीं करना चाहता। यदि आपने कर संबंधी कोई कानून बनाया है और आप इसे भूतलक्षी प्रभाव से बदलते हैं, तो मेरे विचार से यह सही नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह गैर कानूनी है अथवा नहीं, लेकिन विशेषकर इस बजट में यह पता लगाना मुश्किल है कि वित्त विधेयक की धारा 147 के स्पष्टीकरण 3 में क्या कहा गया है। यह भ्रमित करने वाला है। आपने पहली अप्रैल, 1989 के भूतलक्षी प्रभाव से यह प्रस्ताव किया है, जब मैं इस संसद के इस सदन का सदस्य था। आपका यह कहना हैं कि इससे निर्धारण अधिकारी को अपने विवेक से पुराने मामले खोलने और बिना कोई कारण बताए उसे आय को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा।

[श्री जसवंत सिंह]

मुझे यह समझ नहीं आता।

[हिन्दी]

बीस साल पुराना असैसमेंट असौसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से खोलेगा और उसे बजट बताने की जरूरत नहीं है और यदि किसी असौसिंग ऑफिसर की मुझसे दुश्मनी है और राजनीति में दुश्मनियां चलती हैं तो मुझे असैस करके जेल भेज देगा।

[अनुवाद]

कृपया इसे स्पष्ट करें। मुझे इसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। निर्धारण अधिकारी को बिना कोई कारण बताए 20 साल पुराने मामले खोलने का अधिकार देने का क्या औचित्य है? माननीय वित्त मंत्री जी कम-से-कम आप यह कह सकते हैं कि आप पुन: जांच करेंगे और जब तक इसकी पुन: जांच नहीं होती, आप आयकर विभाग को बिना कोई कारण बताए पुराने मामले खोलने का अधिकार नहीं देंगे। यह विवेकाधिकार है। आपने एक निर्धारण अधिकारी को विवेकाधिकार दिया है। यह विवेकाधिकार तानाशाही और भ्रष्टाचार के समान है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि निर्वाचित कार्यपालक सहित कार्यपालक के पास जितने कम विवेकाधिकार होंगे देश में सार्वजनिक जीवन उतना ही पारदर्शी होगा।

मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। यह धर्मार्थ न्यासों के बारे में है। यह गुप्त दानों पर कर के बारे में है। मैं जानता हूं, और यह महसूस करता हूं कि हमारे समाज और हमारी सभ्यता के संदर्भ में गुप्त दान स्वीकार्य है। लेकिन, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होता? जी, हां इसका दुरुपयोग हुआ है। लेकिन इसके दुरुपयोग का तात्पर्य पूर्ण प्रतिबंध अथवा छूट में वृद्धि करना नहीं है। मुझे इसका अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला; मुझे सभी छोटे-बड़े व विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत न्यासों से हस्ताक्षरित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उसका सार मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने इसमें एक संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिससे शैक्षणिक अथवा चिकित्सीय संस्थाओं को दिए गए गुप्त दान को छोड़कर आंशिक रूप से धार्मिक और आंशिक रूप से धर्मार्थ संस्थाओं, मिश्रित न्यासों को गुप्त दान पर कर से पूर्ण छूट मिलती हैं या तो आपने सही शब्दावली का उपयोग नहीं किया है अथवा इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैंने जो कहा उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मुझे इसका अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला।

लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि हमें धर्मार्थ की समग्र अवधारणा को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जबकि शिक्षा और चिकित्सा की बात हो।

महोदय, एक और सिद्धान्त — एक सिद्धान्त जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह यह है। विवेकाधिक — दूसरा सिद्धान्त, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जो सरकार को अवश्य पूरा करना चाहिए, वह यह है कि सरकार को नागरिकों से किए गए वायदों को पूरा करना चाहिए। यदि सरकार अपनी बात से बार-बार पलटती रही, तो वास्तव में आप और संघ के राज्य क्या करेंगे, ताकि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था अथवा प्रणाली नहीं हो, निश्चित रूप से वह कोई आर्थिक पद्धति नहीं, बल्कि एक प्रकार से अराजकता की स्थिति होगी। फिर कुछ समस्याएं हैं, जिनका हम सामना कर रहे हैं। मैं अपनी बात आगे स्पष्ट करता हूं।

इन समस्याओं में पहली कमी का वातावरण (एयर ऑफ स्करसिटी) है। यहां अभाव की मनोवृत्ति है; चाहे वह खाना पकाने की गैस अथवा खाद्यान्नों से संबंधित हो इस कमी के वातावरण से अथवा अभाव की मनोवृत्ति से सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी, दूसरी समस्या थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अंतर से संबंधित है। ये दो सूचकांक हैं। यदि थोक मूल्य सूचकांक नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है, तो यह कोई अच्छा संकेत नहीं है; लेकिन थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच वास्तव में दोहरे अंकों में अंतर है। नागरिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करना चाहिए और किसी भी मामले में जब एक प्रतिष्ठित वित्त मंत्री, स्वर्गीय श्री वेंकटरमन ने थोक मूल्य सूचकांक हेत हितु बिंदु-दर-बिंदु प्रणाली की शुरूआत की — तो एक बड़ा परिवर्तन किया गया था; तब आप इस सभा के सदस्य थे तब भी आपत्तियां की गई थीं कि इससे भ्रम उत्पन्न होगा — यह गुमराह करने वाला है। मेरे विचार से आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संकल्पना सब पर छाई हुई है। मैंने बार-बार यह कहा है एक आम आदमी जीडीपी नहीं खता। जीडीपी को अंतत: विकास में परिलक्षित होना चाहिए जी हां मैंने हमेशा यह कहा है और मैंने यह तब भी कहा है जब मैं वित्त मंत्री था। मेरी इस बात को पसन्द नहीं किया गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय में अनेक सिद्धान्तवादी हैं। 'सकल राष्ट्रीय संतुष्टि' (ग्रास नेशनल कन्टेंटमेंट) की अवधारणा अच्छी बात होगी। सरकार के वित्त मंत्री और अपनी पार्टी के नेता होने के नाते, आप कृपया 'सकल राष्ट्रीय संतुष्टि' के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वहां अभाव का माहौल

हो, यदि आपका नहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहा, तो वहां जीएनसी – सकल राष्ट्रीय संतुष्टि-कारक नहीं होगा।

महोदय, मैं वित्तीय घाटे और राजस्व घाटे के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में वास्तव में स्थिति चिंताजनक हैं। मैं, विशेषकर प्रणब बाबू आपको, कोई सीख नहीं देना चाहता, लेकिन, हम सभी के लाभार्स वित्तीय घाटा सरकार की वास्तविक ऋण आवश्यकता को दर्शाता है। अब, यदि आपकी, माननीय वित्त मंत्री जी, केन्द्रीय सरकार का घाटा 6.8 प्रतिशत है जो व्यापक रूप से वर्ष 2009-10 के दौरान 40,000 करोड़ रुपये के ऋण को दर्शाता है। प्रणब बाबू यह बजट, 2008-09 में लिए गए ऋण से चार गुणा अधिक है।

महोदय, आपने चार गुणा ऋर्ण अधिक लिया है और कृपया इसमें राज्यों द्वारा लिये जाने वाले 15,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के ऋण को भी शामिल कीजिए।

अत: 20,000 करोड़ रुपये जमा 400,000 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी है। क्योंकि इतनी अधिक राशि का सार्वजनिक ऋण लेने से निजी निवेश और ब्याज दरों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आर्थिक विकास हेतु वित्तीय संतुलना बनाए रखना एक मात्र विकल्प है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि इसमें 8.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की वृद्धि हो, जिसके लिए आवश्यक है कि कर राजस्व में वृद्धि की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय वर्ष 2007-08 से 2009-10 तब तीन वर्षों में राजस्व घाटा 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हुआ है और राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत बढ़कर 6.8 हो गया है। राजस्व व्यय में 3,00,000 करोड़ रु. से अधिक वृद्धि हुई, जबकि कर राजस्व में केवल 35,000 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। यदि आपके राजस्व व्यय – मैं राजकोषीय व्यय की बात नहीं कर रहा हूं – में 3,00,000 करोड़ रु. की वृद्धि होती है और आपका राजस्व केवल 30,000 करोड़ रु. है, तो मेरा यह मानना है कि यह ब्याज, रक्षा और भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के कारण है और छठे वेतन आयोग के लटके रहनें, जिसमें कारण शायद अधिक उधार लिया गया, के कारण हैं परंतु इस अधिक उधार का भार नागरिकों को झेलना पड़ा। लेकिन आपके ऊपर अधिक उधार चढ़ा है। मैं इस मुद्रा-संबंधी वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने यह स्पष्ट कर दिया है। खुले बाजार संचालन से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शायद अगले वर्ष तक ऋणी माफी और छठे वेतन आयोग का भी कुछ भार कम होगा और आपको आशा है कि राजस्व में अधिक उछाल आएगा परंतु अभी कई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। वह है अतिसूक्ष्म वृद्धि और यहीं मैंने सुरक्षा तथा सूखे के बारे में उल्लेख किया। सूखे की समस्या एक गंभीर समस्या है और वर्षा में कमी से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसे केवल यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि ''पूरे देश में ऐसी ही स्थिति है।''

'का बरसा जब कृषि सुखानी'। सावन के बाद बरसात आ भी जायेगी तो क्या खायेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी मैं एक असफल किसान हूं। मैं स्वयं को एक असफल किसान मानता हूं। मेरे पास भी भूमि है, मवेशी हैं, मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जो एकल फसल क्षेत्र है, मैं वर्षा पर निर्भर हूं मेरे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है मुझे सूखी जमीन पर कृषि संबंधी समस्या की जानकारी है। श्रावन का आधा महीना पहले ही बीत चुका है। जुलाई का तीसरा सप्ताह चल रहा है। सामान्य फसल, जिसे खरीफ फसल कहा जाता है, 90 दिन अथवा कम-से-कम 75 दिन में होती है। शरत् के ठंडे महीनों की शुरूआत होने वाली है। यह एक गंभीर स्थिति है। मैं यह नहीं चाहता कि यहां अकाल पड़े या यहां वर्षा कम हो, परंतु यह वास्तविकता है। जिस प्रकार से कमी आ रही है, यदि यह जारी रहती है और यदि वर्षा भी नहीं होती तो हमारे समक्ष समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी सफलता की प्रार्थना कर रहा हूं। यह व्यक्तिगत सफलता नहीं है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री के रूप में आप सफल हों, क्योंकि यदि आप सफल होते हैं तो देश को इसका लाभ मिलेगा। मैं और विस्तार से नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों पर विचार करें।

सर्वप्रथम हमें सम्पूर्ण बजटीय प्रक्रिया संबंधी मनोदशा की उस स्थिति में भी सुधार करना होगा, जो बजटीय प्रक्रिया और वित्त विधेयक से संबंधित है। यह अत्यंत थकाऊ प्रक्रिया है। आप इस बात पर संतोष की सांस ले रहे होंगे कि थोड़े समय बाद वित्त विधेयक पीछे रह जाएगा और आप कुछ गंभीर कार्य करेंगे।

परंतु वित्त विधेयक के पारित होने से आपको सहायता नहीं मिलेगी। वित्त विधेयक के पारित होने की गारंटी है। वित्त विधेयक का मार्ग वास्तव में आप की समस्या को और बढ़ा देगा क्योंकि तब आपको नई नियमावाली आदि के संबंध में अनुवर्ती कदम उठाने होंगे मैं यह सब निजी अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। इस अनुभव के दौरान ही मैंने अपने बाल गंवाएं हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं भी अपने बाल गंवा चुका हूं।

श्री जसवंत सिंह : मझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। मैंने श्री चिदम्बरम से कहा कि ''सभी लोगों में से केवल आपके ही बाल

[श्री जसवंत सिंह]

झड़ने शुरू हुए हैं।" उन्होंने कहा, "जी हां, वित्त मंत्रालय में बाल गंवाने पड़ते हैं। यह अत्यधिक कठिन कार्य है। अतः मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। हमें एक साथ मिलकर इस प्रश्न का समाधान करना होगा, हमें न केवल देश के सम्पूर्ण आर्थिक प्रबंधन संबंधी मनोदशा को बदलना होगा बल्कि सम्पूर्ण प्रणाली को भी बदलना होगा। वित्त विधेयक को ही समाप्त करना होगा। आप इसे वर्ष में केवल एक बार ही क्यों करना चाहते हैं। इसे टुकड़ों में बांटिए। इसे वर्ष में दो-तीन बार कीजिए। वित्त विधेयक को टुकड़ों में बांटिए। वित्त विधेयक को समाप्त कीजिए। यह केवल कर सुधार का प्रश्न है। वित्त मंत्री का यही कार्य है।

माननीय वित्त मंत्री जी आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक मात्र ऐसा मंत्रालय है जिसमें ब्रिटिश शासन से अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया गया है। मैंने ऐसा करने का प्रयास किया, परंतु मैं इसमें विफल रहा...*(व्यवधान)*

मेरा मानना है कि यह बात महत्वपूर्ण है; यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इसमें परिवर्तन करें। डेनिस हीली से मैं एक बार मिला था, तब उन्होंने कहा कि – श्री सिंह जी, आपमें और मुझमें एक समानता है। हमारी भौहे एक जैसी हैं।" उनकी भौंहे भी बहुत घनी थीं। उन्होंने कहा, कि "दो प्रकार के वित्त मंत्री होते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा बल्कि उन्होंने कहा, "वे लोग, जो पकड़े जाने से पहले छोडते हैं और वे जिन्हें निकाला जाता है। मुझे निश्चित रूप से निकाला गयाक था। मुझे किसी व्यक्तिगत कार्यवाही के तहत नहीं बाहर निकाला गया। बल्कि मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि मतदाताओं ने मुझे बाहर रहने का आदेश दिया। मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। इससे पहले कि आप स्वयं को बाहर पाएं, अपने वित्त मंत्रालय में बदलाव कीजिए। ईमानदारी से इसमें सुधार कीजिए। हम आपके साथ सहयोग करेंगे। मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करूंगा।

महोदय, मैं कुछ अन्य सुझाव देना चाहता हूं। भारत के नागरिकों का शोषण करने के लिए नहीं बल्कि भारत के विकास के एक साधन के रूप में वित्त मंत्रालय का सुधार कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बात सही है।

श्री जसंवत सिंह : आज, वित्त मंत्रालय में सब कुछ पैसा ही है। हमें आडवाणी जी ने, अटल जी ने वहां भेजा लेकिन मुझे एक हफ्ते तक नींद नहीं आयी। वहां पर हर चीज़ पैसा। हां कहो तो पैसा, न कहो तो पैसा, और कुछ भी न कहो तो भी पैसा। आप इसमें सुधार कीजिए। कृपया इसमें सुधार कीजिए। वित्त मंत्रालय, देश की नैतिकता का प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका इस्तेमाल लोगों में भय पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज तक नागरिक, किसी ऐसे विभाग में जाने के नाम से ही घबराता हैं जिसका संबंध कर संबंधी नियमों से हो क्योंकि उसे डर होता है कि जैसे ही हम किसी टैक्स, वाले के पास जाएंगे, तो हमारा पैसा खर्च होगा। इसका एकमात्र समाधान है वित्त मंत्रालय में सुधार किया जाये और अर्थात. श्री प्रणब बाबू, वित्त मंत्रालय समग्र रूप से देश में नैतिक सुधारों का भी एक साधन है।

कृपया, व्यय विभाग को समाप्त करें। आखिरकार व्यय और आय वस्तुतः राजकोषीय क्रियाकलाप हैं। वित्त मंत्रालय को इससे अलग कीजिए। युनाइटेड स्टेटस के 'डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी' की तरह एक पृथक ट्रैजरी का गठन कीजिए।

अपराह्न 3.00 बजे

कितनी इंकम हुई कितना खर्च हुआ। यदि आप बजटीय प्रक्रिया और इस बात की जांच करें कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप पायेंगे कि हम अपना अधिकांश समय इसी प्रक्रिया में व्यतीत करते हैं। श्री पवन कुमार जी ये वही खाते हम रख रहे हैं। हमें इसमें सारा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्रालय को सारा समय इस प्रक्रिया में नहीं लगाना चाहिए और हमारी लेखांकन प्रक्रिया भी इस प्रकार की है कि इस बात का पता लगाना मुश्किल है। किसी सदस्य का अनादर किए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माननीय सदस्य समझ में न आने वाली इन सभी तालिकाओं का अध्ययन करना होगा कि कितना पैसा आया, कितना गया। एक निश्चित संख्या के बाद श्री प्रणब मुखर्जी, 3000 लाख करोड़ के आंकड़े में कितने जीरों होते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह के आंकड़े आनुमानिक बन जाते हैं। अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय कार्यकलापों को अलग किया जाए ताकि, वित्त मंत्री स्वयं को देश के आर्थिक प्रबंधन में लगा सके।

महोदय, मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया योजना आयोग और रेलवे को या तो समाप्त कर दिया जाए अथवा उनका वित्त मंत्रालय में विलय कर दिया जाए। वर्तमान में योजना आयोग क्या कर रहा है – संयोगवश, मैं भी योजना आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूं। अतः, आपने व्यक्तिगत अनुभव से मेरा यह कहना है कि वित्त मंत्री के लिए और समस्याएं पैदा करने के अतिरिक्त योजना आयोग का काम क्या है क्योंकि योजना आयोग यह कहता है कि इस स्टेट को इतना पैसा दीजिए, और मैं इतना वार्षिक परिव्यय चाहता

हूं न कि 80,000 करोड़ रुपये या 800,000 करोड़ रुपये। चूंकि प्रधान मंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अत: यह अच्छी नीति नहीं है कि प्रधान मंत्री के साथ कोई विवाद किया जाए, परन्तु, प्रत्येक वर्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री के बीच छोटा-मोटा विवाद होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। केवल एक ही प्राधिकरण होना चाहिए और वह है वित्त मंत्रालय। कृपया योजना आयोग को 'सुधार आयोग' या कोई अन्य नाम दिया जाए और उसे वित्त मंत्रालय का भाग बनाया जाए।

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि एफआईपीबी वित्त मंत्रालय का भाग क्यों नही है। रेलवे को वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने से किस प्रयोजन की प्राप्ति हो रही है? मैं माननीय वित्त मंत्री और रेल मंत्री के बीच कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। परन्तु, इससे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? अत:, वित्त मंत्रालय का नाम बदलकर आर्थिक विकास मंत्रालय कर दिया जाए, चूंकि, भारत को इस बात की आवश्यकता है। इस संबंध में वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के आर्थिक विकास में मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा।

मैं भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपके साथ कार्य करूंगा और मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत वरिष्ठ संसद सदस्य श्री जसवंत सिंह को बधाई देते हुए अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं। संसद में यह मेरा छठा वर्ष है और मुझे लगता है कि वित्त विधेयक पर जो भाषण मैंने आज सुना है उतना मनोरजंक और ज्ञानवर्धक भाषण मैंने कभी नहीं सुना है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने बहेद नीरस विषय को मनोरंजक बना दिया है। वस्तुत: सभी ने इस भाषण को पूरे ध्यान से सुना है। मैं उनको बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि चूंकि, हिन्दी में भी बोलने की कोई मांग नहीं की गई, अत: इससे यह पता चलता है कि उन्होंने कितना उत्कृष्ट और स्पष्ट भाषण दिया है मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उनके बाद बोलने का अवसर मिला है।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी आपको मालूम है कि वित्तीय बिल, जो वित्त बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, बहुत ड्राई बिल है। जैसा कि जसवंत सिंह जी ने कहा कि हम कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। खुद वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिन मुद्दों पर हम बहुत ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, या तो हम किसी एक विभाग का, किसी एक इंडस्ट्री का, किसी एक इंटरेस्ट की कोई बात सामने रखना चाहें। उसके अलावा इसमें कहने को बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं होते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत, जो एक वर्ष में सरकार काम करती है, उसके बारे में टिप्पणी करने का मौका जरूर मिलता है। जसवंत सिंह जी ने एक बात कही कि अगर इस फाइनेंस बिल को ही निरस्त कर दिया जाए, इसे सम्पूर्ण बजट के साथ जोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इन्होंने अपने कन्फ्यूजन की बात की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने दो-तीन दिन पहले देखा होगा, हमारे गृह मंत्री जी और आदरणीय सुषमा जी के बीच में कुछ आंकड़ों को लेकर बातचीत हुई थी। जब पहली बार मैंने इस द्वंद्व को सुना तो मैंने वित्त मंत्रालय के एक बहुत सीनियर अधिकारी, जो मेरी जान-पहचान के हैं, उनको फोन किया और पूछा कि ऐसी कोई बात हुई है, गृह मंत्री जी ने ये आंकड़े दिये हैं और सुषमा जी ने ये आंकड़े दिये हैं, बताइए कौन से सही हैं? दो मिनट बाद वे मुझसे कहते हैं कि दोनों सही हैं। यही दिक्कत हो जाती है इन आंकड़ों में कि इधर भी ठीक हैं और उधर भी ठीक हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया भी। मज़े की बात यह थी कि दोनों बातों में मैं समझ गया कि जो गृह मंत्री जी बोल रहे थे, वह भी सही था और जो हमारी आदरणीय सांसद सुषमा जी कह रही थीं, वह भी सही था। खैर, इस नंबरों के खेल से थोड़ा हटते हैं।

कुछ बातें मैं जरूर अपनी तरफ से वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा। फाइनैंस बिल में किस तरीके से उन्होंने इस मंदी के बावजूद भी सरकार के कामकाज के लिए पैसा इकट्ठा किया है, यह सराहना की बात है। आज 6.8 प्रतिशत के करीब घाटा है, पैसा की कमी पड़ी है, फिर भी देश का विकास कम न हो, जहां निवेश की आवश्यकता है वहां पूरा पैसा मिले, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश की है। मैं इसके लिए उनको, उनके दोनों राज्य मंत्रियों को तथा संपूर्ण वित्त मंत्रालय को साधुवाद भी देता हूं। जैसे जसवंत सिंह जी ने कहा कि जिस प्रकार से हमारी आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, उसमें कुछ समय ऐसा भी आया है कि हम जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उनको ज़रूर लाएं। एक बात बहुत दिनों से ज़रूर चल रही है कि जिस बात को अभी तक सरकार ने अपने संज्ञान में नही लिया है, न ही अधिकारियों ने लिया है, लेकिन यदि भूतपूर्व वित्त मंत्री कहते हैं कि कोई भी तरीके का परिवर्तन वित्त मंत्रालय में लाना असंभव सा है, मुझे मालूम नहीं हैं कि मेरी बात या मेरा सुझाव कहां तक उसमें असर कर पाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग ज़्यादातर बहुत से पुराने मापदंडों पर, पुराने कानूनों और सोच-समझ के हिसाब से पैसों का आबंटन किया करते थे, टैक्स लगाया करते थे, लेकिन टैक्सव लगाने के पीछे केवल एक यही मकसद नहीं होता है कि हम कितना

[श्री सन्दीप दीक्षित]

पैसा इकट्ठा करके सरकारों को दे कि वह लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उसको लगा सकें। उसके पीछे का एक और मकसद भी होता है कि हम संकेत दें पूरी अर्थव्यवस्था को, देश को, देश के अलग-अलग क्षेत्रों को, अलग-अलग इंडस्ट्री चलाने वालों को, अलग-अलग विषयों से जुड़े हुए लोगों को हम संकेत उस बजट से देते हैं। किस चीज़ पर टैक्स बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इससे एक संकेत देने की आवश्यकता होती है। एक चीज़ जो हमारी वित्तीय प्रणाली में आज तक नहीं आई है लेकिन जिससे संबंधित संकट आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में आने लगा है, उस बात से अभी तक हमारी प्रणालियां अलग रही हैं। इस बात को कुछ लोग ग्रीन टैक्सेशन की बात कहते हैं, कुछ लोग एनवायर्नमैंट रिलेटेड टैक्स या संकेत की बात कहते हैं लेकिन हम अपने संज्ञान में उसको कभी नहीं रखते। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं जिससे शायद यह बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमारे कुछ राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए – जिन्होंने पिछले पचास साठ साल में अपने वनों को किसी भी तरीके से अन्य राज्यों की बनिस्बत ज्यादा सुरक्षित रखा। आज हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कुछ और प्रदेशों ने उन वनों की संरक्षा उतनी अच्छी तरह से नहीं की जितनी इन प्रदेशों ने की है। आज अगर हमारे पास 22-24 प्रतिशत के आसपास वन इस देश में हैं तो इस कारण से हैं कि इन प्रदेशों ने ज्यादा मुस्तैदी से उनकी रक्षा की। ये भी अपने वन काटकर वहां अपने खेत बना सकते थे। ये भी वहां के वनों को काटकर वहां इंडस्ट्री ला सकते थे। ये भी वनों को काटकर बिल्डिंग या नए प्रोजैक्ट्स ला सकते थे। लेकिन कहीं देशहित में इस बात को सामने रखते हुए कि हमारे यहां के जंगल इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस राज्य के लिए भी, इन्होंने अपने देश और राज्य की रक्षा की। जसवंत सिंह जी ने जीडीपी की बात की थी। उस जीडीपी में इन्होंने घाटा पाया। अगर आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में इंडस्ट्री को लेकर, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर को लेकर हमारी प्रगति बढ़ती जा रही है, लोगों के घर में पैसा और विकास आ रहा है तो एक तरीके से इन दूसरे राज्यों ने देशहित में सैक्रिफाइस किया है। लेकिन टैक्सेशन में या पैसे के आबंटन में कभी इंडिकेशन या संकेत नहीं दिया जाता है कि अगर आपने आज राष्ट्रहित में काम किया तो आपके प्रदेशों को उसका पैसा मिलना चाहिए। शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे पहाड़ी अंचल हैं जहां से गंगा नदी का 33 प्रतिशत पानी आता है। अगर वह जंगल कट जाएं तो ऊपर से, उत्तरांचल के गलेशियर से पानी नहीं आ रहा है, यदि मध्य प्रदेश ने भी अपने जंगल काट दिए तो जो छोटी-मोटी गंगा जी बची हैं, वह भी सूख जाएंगी। वित्त मंत्री को आज इन चीजों को भी अपने प्रयोजन में लाना होगा।

महोदय, हम लोग रोज ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बढ़ती हुई समस्या के बारे में बात करते हैं। अभी सूखा चल रहा है, इसका उदाहरण ले लें, यह इससे सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन समय है और मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 1986, 87, 88 में सदी का सबसे भयंकर सूखा इस देश में पड़ा था। आज से भी ज्यादा भयंकर सूखा। लेकिन आज जो हम पर विपदा आ रही है, वह उन तीन सालों में भी नहीं आयी थी। वह इसलिए नहीं आयी थी, क्योंकि पिछले 25-30 सालों में जिस तरीके से हमने अपने पर्यावरण को दुहा है, उसकी बर्बादी की है, हम मनुष्यों ने अपने देश की पर्यावरण व्यवस्था को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। यही कारण है कि आज हम एक छोटे से सूखे से भी अहसहाय होते जा रहे हैं। हम आज उस स्थिति में आ चुके हैं कि आने वाले वर्षों में इस तरह की प्राकृतिक विपदाओं को नहीं संभाल पाएंगे। सरकार की तरफ से भी कुछ संकेत अथवा संदेश टैक्सेशन व्यवस्था से, पैसों के आवंटन से उन प्रदेशों को जाने चाहिए कि केवल इंडस्ट्री बढ़ाकर नहीं, अच्छी रेवेन्यू कलैक्शन करके ही नहीं, केवल सड़क और पानी से ही नहीं, यदि आप पर्यावरण पर भी मुस्तैदी से ड्यूटीज़ निभाते हैं तो उन राज्यों और उनके नागरिकों को जो वहां का ग्राउण्ड वाटर बचाकर रखते हैं, अपने फोरेस्ट कवर को बचाकर रखते हैं, अपने जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखते है।, कार्बन को अन्य राज्यों से कम जनरेट करते हैं, जिनके यहां गाड़ियों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होता, जिसके कारण हमारी हवा प्रदूषित होती है, जो कि अन्य जगहों पर होती है, तो उन राज्यों को और वहां के नागरिकों को टैक्स व्यवस्था से और पैसे के आवंटन से अन्य राज्यों के बनिस्पत कुछ-कुछ न अधिक बैनीफिट अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वह अपने विकास को हमारे विकास के लिए न्यौछावर कर रहे हैं।

महोदय, जसवंत जी ने प्योरिटी की बात कही है। उन्होंने मुझे जैसे नौजवान को जो कि इस व्यवस्था को समझ रहा है, उसे एक दर्शन मिला है कि फाइनेंस बिल से हम लोग न केवल प्योरिटी और मोरेलटी की बात करेंगे, बल्कि कुछ नये दिशा और संकेत भी इस देश को दे सकते हैं।

महोदय, पैसे को इकट्ठा करने की बात भी आती है। मैंने आंकड़े पढ़े हैं, कुछ चिंताजनक बात भी है कि जहां हमें 6 लाख 60 हजार करोड़ रुपये किसी एक मद से मिलना चाहिए था, वह कम मिल रहा है। हर चीज में गिरावट आयी है। आज हमारे सामने अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर पर वित्तीय संकट है, लेकिन आने वाले समय में हमें विकास की रफ्तार को और तेज करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट सरकार छापती है, जिसे छोड़े गए राजस्व का विवरण कहते हैं। केवल इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक सिम्पल रिपोर्ट है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से उन चीजों को बताती है कि पूरी मुस्तैदी से हमारी इंडस्ट्री, इन्कम टैक्स पेयर्स, हमें जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं कि कहीं टैक्स घटा दो अथवा बढ़ा दो, इन चीजों का यदि इस्तेमाल नहीं किया होता तो केवल इस बजट में हमें कितना ज्यादा पैसा मिलता। सरकार अपने शब्दों में इसे कहती है छोड़े गए राजस्व का विवरण। सरकार भी इस बात को मानती है कि इतना पैसा हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। हमारे यहां 33 प्रतिशत इन्कम टैक्स और कारपोरेट टैक्स लगता है, लेकिन हमारे यहां 21-22 प्रतिशत से अधिक रियल टैक्स की कलैक्शन नहीं होती है। इंडस्ट्री हमें कहती है, हमारी सरकार को कहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड प्रणाली के हिसाब से आप हम से व्यवहार कीजिए। लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो वह अफ्रीका के दशों के बराबर टैक्स देने की बात करते हैं। वहां वह अपने आपको अमरीका का यूरोपियन कंट्रीज के बराबर नहीं रखते हैं। हमारे यहां यदि 22 प्रतिशत टैक्स रियलाइजेशन है तो बाकी देशों में 28 प्रतिशत है। यदि हम फोरगोन टैक्स की बात करें, मेरे पास एक आंकड़ा है, पृष्ठ संख्या 30 पर है, इसमें रेवेन्यू फोरगोन 2008-09, एक सिम्पल आंकड़ा है, जिसका देखकर मैं जरूर आश्चर्यचकित हो गया था, 4180958, यह करोड़ों में है।

अगर पूरा आप लें तो यह चार लाख के करीब पड़ता है। सिर्फ एक लाख अठाइस हजार करोड़ हमने एक्साइज़ ड्यूटी रिज़ीम में खोया है। हमने करीबन 68 हजार करोड़ केवल कार्पोरेट टैक्स और एक लाख करोड़ के करीब इंकम टैक्स में खोया है। मैं यह नहीं कह रहा कि जो टैक्स फोरगोन है, ये सारा का सारा इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगर सरकार ही इस बात को मानती है कि हम जो बार-बार छोटी-मोटी तमाम रियायतें देते रहते हैं या इंडस्ट्री की तरफ से बार-बार चीजें आती रहती हैं, जिसे शायद एक स्तर से ज्यादा तर्क वाला नहीं माना जाता। उसी से हम तीन-चार लाख करोड़ ज्यादा इकट्ठा कर सकते थे। आज इस समय जब देश को ज्यादा पैसे की जरूरत है, इस आंकड़े को भी कम करने की आवश्यकता है। अगर हम 22 परसैंट से रियल टैक्स को 28-30 परसैंट तक ले जा सकते हैं, हमारे पास पांच-सात साल में रिपोर्ट आती है कि स्टेटमेंट और रेवेन्यू फोरगोन में पच्चास-साठ हजार करोड़ से ज्यादा टोटल नहीं आता है तो जितनी हमारी बीच में दिक्कतें आती थीं कि हमें पैसा नहीं मिल पाता है। आज जसवंत सिंह जी ने बात की कि क्यों केवल हजार करोड़ रुपए "आइला" में दिए जा रहे हैं, उनके हिसाब से शायद हजार करोड़ से ज्यादा की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में इन तमाम पैसों की कमियों को हम धीरे-धीरे पूरा कर पाएंगे। आज आप अगर इसमें कई और छोटे-छोटे मद देखें, मैं इस चीज से बड़ा आश्चर्य चकित हुआ, मुझे मालूम नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया, वेल्थ टैक्स की बात आई। पूरे हिन्दुस्तान में यह कहा जाता है कि किसी के पास अगर 15 लाख से ज्यादा की वेल्थ है तो उस पर एक प्रतिशत उसे चार्ज होगा। 425 करोड़ के करीब वेल्थ टैक्स हमारा इकट्ठा होता है, इसका मतलब है कि 15 लाख से ज्यादा पैसे वालों के पास केवल तीस से 35 हजार करोड़ के करीब सम्पत्ति इस देश की है। इस बात मैं नहीं मान सकता। इस समय शिक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि सात बिलियन डालर्स सालना हमारा केवल शिक्षा में विदेशों को चला जाता है, जिसका तीस-पैंतीस हजार करोड़ के करीब उसका पैसा बनता है। जहां हम इतना पैसा सालाना विदेशी शिक्षा में खर्च कर देते हैं, केवल रिलायंस के बारे में बताया जाता है कि एक रिलायंस के हिस्से की 80 हजार करोड़ की एसेट्स हैं और दूसरे रिलायंस की 90 हजार करोड़ की एसेट्स हैं। जहां जब भी फोर्ब्स की या अन्य किसी की बड़ी-बड़ी लिस्टें आती हैं तो आजकल ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि हिन्दुस्तानियों के अलावा भी उसमें किसी का नाम है। वहां केवल 33 या 35 हजार करोड़ रुपए टोटल वैल्थ इस देश की हो, उन लोगों की, जिनके पास 15 लाख से ज्यादा की सम्पत्ति है, मुझे यह बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वह आवश्यक पैसा हम वित्तीय प्रणाली में डाल पाएंगे और अपने टैक्सेशन को हम बढ़ा पाएंगे। मैंने ग्रीन टैक्स की बात की, उसी तरीके से बहुत छोटी-छोटी अन्य चीजें हैं, जिन्हें मैंने कई बार संसद के माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताने की कोशिश की। इन्होंने कुछ में बड़ी अच्छी शुरूआत की है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि हम बहुत सी चीजों में टैक्स के एग्जम्शंस देते हैं — प्रोडक्ट्स एवं कई चीजों में। लेकिन उसके अलावा कहां निवेश हो रहा है, इस बात को लेकर अगर हम आज से टैक्सेशन का बेनिफिट देना शुरू करेंगे तो शायद वह ज्यादा सार्थक होगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने वेयरहाउसिंग की बात की है। उसमें मैं जरूर वित्त मंत्री जी से कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, शायद अगली बार इस बात पर ध्यान दें। कृषि से जुड़ी हुई चीजों में जितने निवेश की बात आती है, चाहे उसमें उन इंडस्ट्रीज को लगाने की बात हो, जिनके प्रोडक्ट्स कृषि के अंदर जा रहे हों। उनमें भी इस चीज को स्प्रेड करें और इसमें आगे काम करने की बात करें।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर शुरूआत की है। इन्होंने पोलिटीकल कंट्रीब्यूशन की बात की। यहां हमारे देश के बहुत बड़े नेता आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा। वित्त मंत्री जी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो मंत्री बैठे हैं उनसे कहूंगा कि पोलिटीकल कंट्रीब्यूशन की तरफ, मेरे ख्याल से सब दलों को जयादा ध्यान देना पड़ेगा। इस देश में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नेता, विधायक, सांसद एकदम ओनेस्ट हो। वह चुनाव लड़े तो ऐसे पैसे से लड़े, जो या तो हमें भजन से मिल रहा हो या मेहनत से मिल रहा हो। टोटली बिलकुल सीधे साफ तरीके से हमें मिले। मैं बिलकुल स्पष्ट रूप से आपके सामने बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं कुछ गलत हूं, कुछ लोगों को बुरा लगे तो मुझे छोटा मान कर माफ करिएगा। सब चाहते हैं कि हमारा सांसद साफ-पाक हो, वह पानी भी अपनी मेहनत से पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहां कोई प्रणाली नहीं है, हमारे यहां पार्टियां उन संगठनों की तरह काम नहीं करती हैं, जिन संगठनों में रेवेन्यू आता है और फिर जाता है। हमारे देश का सिस्टम इस तरीके से बना है, जहां न कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहें कि हम आपके लिए तरीके बना देते हैं और हम आपको साफ-स्वच्छ धन दे देंगे, जिससे आप राजनीतिक प्रक्रिया या चुनाव की प्रक्रिया चला सकें, लेकिन इस दहलीज से आगे बढ़ेंगे, तो हम आपको पकड़ लेंगे। पूरा का पूरा इलाका ही अंटा-गाफिल रहता है, कुछ पता नहीं चलता है और फिर लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग सीधे, स्वच्छ और अच्छे रूप में रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पॉलीटिकल कंट्रीब्यूशन की बात आई है, तो यह चीज हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर अच्छे और फेयर पॉलीटिकल कंट्रीब्यूशन्स होंगे, तो वे मेरे, आपके या किसी नेता के फायदे के नहीं हैं। *[अनुवाद]* यह हमारे लोकतंत्र के लिये किया गया निवेश है। यह हमारे देश के लिये किया गया निवेश है। यह हमारे भविष्य के लिए किया गया निवेश है यह निवेश इस लिये किया गया है कि आने वाले समय में हमारे नेता ईमानदान हों और उनके समक्ष उस तरह की समस्याएं नहीं हों, जो कि आमतौर पर हम जैसे कुछ लोगों के सामने आती हैं। *[हिन्दी]* इसमें हामरे कई मित्र ऐसे हैं, जो अच्छे-बुरे की दहलीज होती है, उसे पार करने के लिए विवश हो जाते हैं। हो सकता है, यह सबके ऊपर एप्लाई न हो, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। पॉलीटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचना भी अति-अनिवार्य है, क्योंकि राजनेताओं और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर आज पूरे देश ने सवाल खड़ा कर रखा है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है। कहीं न कहीं से तो कोई तरीका आएगा, जिससे चुनाव की प्रक्रिया या पार्टी चलाने की प्रक्रिया चलती रहे, क्योंकि चुनाव और पार्टियां भी डैमोक्रेसी के लिए उतनी ही जरूरी हैं, जितनी की वोटिंग है या और कोई व्यवस्था है। उसके बिना देश चल नहीं सकता है। हमने प्रैक्टीकल या व्यावहारिक रूप से कोई दूसरा तरीका डेमोक्रेसी को सार्थक करने का नहीं ढूंढा है। हो सकता है, आने वाले वर्षों में कोई चिन्तक आएं, नए तरीके की डैमोक्रेसी ढूंढें, जिसमें इन चीजों की आवश्यकता न हो, लेकिन वह जब जाएगा, तब आएगा। अभी तो इसके बहुत जरूरत है। हो सकता है, मेरी बेटी या मेरी बेटी के बच्चे उस समय उस तरीके को देख पाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नए तरीके के टैक्सेशन्स की तरफ देखें। आज एनवायरनमेंट और ग्रीनरी से संबंधित टैक्सेशन और संकेत देने की बहुत आवश्यकता आ गई है। मैं श्री जसवंत सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बात कही कि बार-बार बजट में ये जो छोटी-मोटी चीजें होती हैं कि कभी इसका टैक्स बढ़ा दो, कभी इसका घटा दो, इसे वित्तीय बिल या इस तरह की प्रणाली से अलग करें। इस पर कई बार जब हम आर्गूमेंट सुनते हैं। एक दस्तावेज आता है जिसमें दिया होता है कि फायनेंस बिल क्या है, इसमें किस तरीके से क्या-क्या हैं। वे सब चीजें इसमें दी गई होती हैं और उसमें आर्गूमेंट्स दिए होते हैं कि आप स्टील इंडस्ट्री को कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने रियायत दी है या किसी चीज को स्मूदन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने चेंजेज किए हैं। वे आप करते रहें, प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहे, क्योंकि संसद में जब हम किसी चीज को परिवर्तित भी नहीं कर सकते, तो उस पर हमें ज्यादा दखल भी नहीं देना चाहिए और जो वित्त मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, उसे यहां से हटाकर हम अलग व्यवस्था करें। मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मुझे मालूम नहीं कि इसमें हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कई बार हमारे मंत्रियों ने, आज ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में इस देश की कई व्यवस्थाओं को बदला है, वैसे ही इस व्यवस्था को भी बदलने का प्रयास होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने पहला भाषण किया था, तब कहा था कि इस देश में वर्ष 1991-92 में एक नई सोच आई और पूरी वित्तीय प्रणाली को बदलने की बात हुई। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसी कई चीजों में बदलाव आया है, इसमें बदलाव क्यों नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे वित्त मंत्री जी, राजनीतिक

रूप से, इच्छा शक्ति से, बुद्धि शक्ति से, हिन्दुस्तान के सबसे प्रबल और प्रभावी नेताओं में से हैं। इसलिए हम उनसे जरूर यह आशा करेंगे कि वे वित्त मंत्रायल की प्रणाली पर और जिस तरह के सुझाव जसवन्त जी ने या और लोगों ने बार-बार दिए हैं, उन पर वे सार्थक कदम उठाएंगे। अगर ऐसा करेंगे, तो संसद को और सरकार को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम बहुत आगे चल पाएंगे।

महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो इन्कम टैक्स पेयी है या जो इन्कम टैक्स के रूल्स हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन लाने चाहिए। आज से आठ-दस साल पहले मैंने सुना था और यह बात बताई गई थी कि जो इन्कम टैक्स का पैन नंबर ले लेगा या जो इन्कम टैक्स का एक नम्बर ले लेगा, उस व्यक्ति को हम एक सम्मानित नागरिक के रूप में मानेंगे, लेकिन वह बात व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। जसवन्त सिंह जी ने कहा कि किसी भी टैक्स की प्रणाली से जब नागरिक कहीं भी मिलता है या साक्षात्कार करने की कोशिश करता है, तो वह डर जाता है। यह बात सही है। मुझे कोई बता दे कि उसे कोई इन्कम टैक्स का अगर नोटिस आया हो और नोटिस को पढ़ने के बाद, उसके हाथ न कांपने लगे हों, क्योंकि हमें समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वह नोटिस हमारे पास किस लिए आया है। हम सब अपने आपको थोड़ा-बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। हम में से कुछ तो इतने तेज हैं जिनसे कि कलैक्टर, एस.पी., डी.आई.जी. या डी.जी.पी. हो, वे डरते हैं, लेकिन इन्कम टैक्स का नोटिस आ जाए, तो डी.जी.पी. को डराने वाला सांसद भी उससे डर जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सामान्य नागरिक का क्या हाल होगा। यह इसलिए क्योंकि केवल जैसे जसवन्त जी ने कहा इन्कम टैक्स नियमों की पुस्तक का इतना मोटा वॉल्यूम होता है और इतना ज्यादा कॉम्पलीकेटेड होता है जिसे समझना हर आदमी के वश की बात नहीं है। उसे कॉम्प्लीकेटेड रखने के पीछे भी कुछ निहित इंटरैस्ट्स हैं, उन्हें तोड़ना आवश्यक है और वे इंटरैस्ट्स केवल अधिकारी ही नहीं हैं, वे इंटरैस्ट्स, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इस हमारी पूरी वित्तीय और टैक्स प्रणाली के पीछे काम करते हैं। जिनके घर भी इससे चलते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी भी चीज़ को सरल करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि धीरे-धीरे हमारा इन्कम टैक्स, जो पहले शायद देश का पूरा जितना रेवेन्यू आता था, उसका 10 या 12 प्रतिशत होता था, वह आज 46 और 50 प्रतिशत हो गया है। जिस तरीके से हमारे सिस्टम चल रहे हैं, जहां एक तरफ हम एक्साइज़ और कस्टम्स को कम करते चले जा रहे हैं और इन्कम टैक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वह शायद हमारे रेवेन्यू का 60 या 70 परसेंट बनेगा। इसलिए इन्कम टैक्स रिफॉर्म्स, उसको सरल करना, हर व्यक्ति चाहे कि वह इन्कम टैक्स दे, इज्जत से दे, अगर उसमें उसको कोई चीज़ समझ में न आती हो तो ढंग से समझ में आये। उस प्रक्रिया को और भी सरल करना बहुत आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि आज से हम इसकी शुरूआत करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हम उसके सरलीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उसका सरलीकरण इतना आसान है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसके सरलीकरण की शुरूआत केवल इन्कम टैक्स पेयर के समय को अच्छा और सरल करने के लिए नहीं, इन्कम टैक्स की पूरी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू कलैक्शंस को बढ़ाने के लिए, जिससे सरकार के पास ज्यादा पैसा आये, इसके लिए बहुत आवश्यक है।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस आपदा की स्थिति में आपने और आपकी सरकार ने देश को जो दिशा दी, जिस तरीके से संभाला, वह सराहनीय है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, गिरती हुई मैन्युफैक्चरिंग के बीच में भी आपने पैसा जुटाया, आपके अधिकारियों ने पैसा इकट्ठा किया ताकि देश उसी रूप में चल सके। उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि एक-दो साल के अन्दर जब अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, आपके पास मौका रहेगा तो जो कुछ बातें मैंने बताई हैं, अगर आपको लगे कि वे किसी रूप में सार्थक हैं तो उनको भी अपने संज्ञान में लें।

मैं यही आशा करूंगा कि आने वाले पांच वर्षों में आपकी और आपकी सरकार की तरफ से इस देश के विकास में और भी चार चांद लगेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : धन्यवाद, महोदया मैं श्री जसवंत सिंह जी से सहमत हूं जब उन्होंने यह स्पष्ट किया कि क्या वित्त विधेयक के संबंध में कोई विशेष चर्चा किए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं, चूंकि, जो बजट हमने पारित किया है यह उसका अभिन्न अंग है। अत: स्वयं वित्त मंत्रालय के कार्य करने की शैली में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। महोदय, बहरहाल, हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं चूंकि यह एक परपंरा बन गई है।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 हेतु वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है। मुझे याद है कि बजट भाषण में भी उन्होंने लगभग 137 मदों का उल्लेख किया है। उन्होंने विभिन्न मदों का उल्लेख किया है और अंतिम टिप्पणियों के अतिरिक्त उन्होंने लगभग 137 मदों के बारे में कहा है। महोदय, जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है तो इसमें मुख्य

[श्री पी. करुणाकरन]

रूप से आप और राजस्व पर ध्यान दिया जाता है और दिन प्रतिदिन तेज गति से बढ़ रहे सार्वजनिक व्यय के पूरा करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। महोदय, वैश्विक मंदी के चलते हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित जब सभी पश्चिमी देशों में वित्तीय संकट चल रहा था उस समय हमारे देश में उसका अचानक कोई प्रभाव नहीं देखा गया। लेकिन, अब हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में मंदी का प्रभाव पड़ रहा है। अतः, हमारे समाज की वित्तीय संरचना और कर संरचना के बारे में चर्चा करते समय हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

महोदय, किसी भी समाज में जब विभिन्न क्षेत्रों में मांग में कमी आती है तो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार द्वारा मांग पैदा किये जाने की आवश्यकता होती है। इसी मुख्य मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। दूसरे, मेरा ऐसा मानना है कि आम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेषरूप से अवसंरचना के विकास हेतु निवेश की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका सामना करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। हम कर संरचना और कर संग्रहण और सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जांच कर सकते हैं। मैं अपनी समिति क्षमता से इस मामले का विश्लेषण करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने जो दावा किया है वह पूरी तरह सही है अथवा नहीं।

महोदय, अधिकांश लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जाना; समाज की बेहतर स्थिति के लिए सामाजिक क्षेत्र में निवेश किया जाना; और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना में निवेश करना वर्तमान समय की प्राथमिक आवश्यकता है; यह सत्य है कि व्यय में वृद्धि हुई है संशोधित बजट, 2009-10 के दौरान 10.65 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 में यह 13.3 प्रतिशत था वर्ष 200-10 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 17.4 प्रतिशत बैठने की आशा है। अत: 13 से 17 प्रतिशत के बीच का जो अंतर है उस पर वित्त मंत्रालय को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम राजस्व किस प्रकार जुटा सकते हैं। व्यय की धनराशि पर ध्यान देते समय हमने यह पाया है कि केवल ब्याज के भुगतान पर ही 27.6 प्रतिशत व्यय होता है और 22.61 प्रतिशत व्यय केवल रक्षा सेवाओं पर होता है। इसका अर्थ है कि कुल निवेश का 50 प्रतिशत मुख्यत: दो शीर्षों पर व्यय होता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। तत्पश्चात, संशोधित अनुमान, 2008-09 की तुलना में राजसहायता संबंधी व्यय में भी कमी आई। जहां तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने का संबंध है तो उसमें वृद्धि हुई है, मैं इस बात से सहमत हूं, परन्तु, यह केवल 8.22 प्रतिशत है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता सीधे नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से जाती हैं और यदि हम इसकी तुलना संशोधित अनुमानों से करें तो यह केवल 3.7 प्रतिशत है। अतः, बजट प्रस्तुत करते समय एक अच्छी तस्वीर पेश की गई परन्तु, संशोधित अनुमानों से इसकी तुलना करते समय वृद्धि केवल 3.7 प्रतिशत बैठती है। अत: हमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक व्यय करना होगा। यह कैसे संभव है? यह सत्य है कि राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत है और इसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता चूंकि, ऐसा ऊंची ब्याज दरों अथवा गत वर्ष बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण हो सकता है। यदि यह सत्य हो तो सरकार को सस्ती दरों पर ऋण लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि सरकार किस प्रकार धनराशि जुटाएगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसपर सरकार को ध्यान देना है।

अब मैं कर प्रस्तावों अथवा सकल कर राजस्व का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि 2008-09 के संशोधित अनुमानों की तुलना में केवल 2.09 प्रतिशत है। यह फिर से इस बात को दर्शाता है कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11.8 प्रतिशत से कम होकर 10.9 प्रतिशत होने की संभावना है क्योंकि, केन्द्र का हिस्सा 8.8 प्रतिशत से कम होकर 8.1 प्रतिशत हो गया है।

यहां दिलचस्प बात यह है कि कर राजस्व में वृद्धि का स्तर कम है, फिर भी कुल राजस्व प्राप्तियों में 52,324 करोड़ रुपये की वृद्धि की आशा है। बेशक; यह एक सुहावनी तस्वीर है, लेकिन यह कैसे संभव है? यह संभव है क्योंकि इसका प्रमुख अंश गैर-कर राजस्व द्वारा आता है। हम जानते हैं कि गैर-कर राजस्व कैसे आता है। चौदहवीं लोक सभा में हमने 2जी स्पेक्ट्रम बेचने के बारे में चर्चा की थी। अब उन्होंने 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की है। यदि आप वार्षिक प्राप्तियों में से इस धनराशि को कम कर दें, तो मुझे भरोसा है कि स्थिति पिछली बार से वास्तव में बुरी होगी। मुझे नहीं पता कि क्या सरकार 4जी स्पैक्ट्रम बेचने जा रही है अथवा 4जी स्पैक्ट्टम होता भी है या नहीं। सरकार राजस्व नहीं जुटा रही है, बल्कि यह वास्तव में सरकारी परिसंपत्तियां बेच रही है। सरकार द्वारा अपनाए गए रास्तों में से यह एक है। सरकारी संपत्तियां बेचने के अलावा सरकार आजकल राजस्व जुटाने में कठिनाई अनुभव कर रही है।

जब हम कर संरचना की बात करते हैं, जैसाकि एक माननीय

सदस्य ने बताया, यह स्पष्ट है कि कारपोरेट कर से कोई अतिरिक्त धनराशि प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ, पिछले कुछ वर्षों से कारपोरेट लाभ में भारी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि कर योग्य कारपोरेट लाभ, कर से पहले घोषित लाभों की अपेक्षा कम हैं। आंकड़े बताते हैं कि कर अपवंचन, विशेष रूप से कारपोरेट कर क्षेत्र में की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वर्ष 2007-2008 में, कारपोरेट क्षेत्र द्वारा घोषित कर योग्य आय उनके वास्तविक लाभ की केवल दो-तिहाई ही थी।

यह स्वयं ही सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18.44 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि 53 प्रतिशत लाभ 119 कंपनियों के हाथों में है। सरकार इन धनी कंपनियों पर कर लगा सकती है। सरकार उन पर कर लगाने से क्यों हिचकिचा रही है? वर्ष 2004 के दौरान मिलिनियरों की संख्या केवल 9 थी और वर्ष 2009 में यह संख्या 53 है। इसके साथ-साथ, कारपोरेट क्षेत्र की परिसंपत्तियां में भी तीन गुना वृद्धि हुई है। इसलिए, सरकार के पास कर लगाने और अधिक राजस्व अर्जन की व्यापक गुंजाइश है। वर्ष 2008-09 में, अनुबंध 12 में सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार, कारपोरेट क्षेत्र का कर राजस्व विभिन्न रियायतों के कारण 68,914 करोड़ रुपये हो गया। सरकार ने पुन: ये रियायतें देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त भारी राजस्व अर्जन के लिए सर्वाधिक स्पष्ट रास्ता क्या होना चाहिए? नि:सन्देह, इन रियायतों को हटाना एक रास्ता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम सभी कर हटाने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके साथ-साथ, सरकार कुछ रियायतों को सीमित कर सकती हैं। यदि ऐसा किया जाता है, तो सरकार कुछ अन्य क्षेत्रों से अधिक राजस्व अर्जन की आशा कर सकती है। सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र को केवल रियायतें ही नहीं दी हैं, बल्कि पिछले बजट में विभिन्न अन्य प्रकार से इनमें वृद्धि भी की है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

महोदय, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत आय कर का मामला ही लीजिए। काफी रियायतों और राहतों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यह अच्छी बात है। इससे लगभग कोई 10,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन इन रियायतों से उन लोगों को अधिक लाभ नहीं होगा, जो हाशिए पर खड़े हैं। सरकार अपनी कर रियायतों को इस प्रकार बना सकती है जिससे लोगों के इन वर्गों के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों पर कर लगाया जा सके। सरकार ऐसा करने में क्यों हिचकिचाए? इस पहलू को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

महोदय, सम्पत्ति कर एक और ऐसा क्षेत्र है, जहां सरकार से अधिक रियायत दी हैं। पहले, यह धनराशि 15 लाख रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। यह राशि दुगुनी कर दी गई है और इसका लाभ, पुन: कारपोरेट क्षेत्र को जाता है। सरकार ने पहले ही प्रोत्साहनों के रूप में छूट प्रदान की है। अब बजट में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अगले वित्त वर्ष के लिए भी इसे वैध बनाने जा रही है। यह जानकारी दिलचस्प है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, कि कुल धनराशि जो छूट और रियायतों के रूप में दी गई है। 4,18,095 करोड़ रुपये है, और इस प्रकार दो वर्षों के समय में यह लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। इन लोगों को इतनी रियायतें और छूट प्रदान की जा रही हैं।

महोदय, संक्षेप में, वित्त मंत्री के प्रस्ताव यह दर्शाते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त राजस्व है। हम कह सकते हैं कि यह उस प्रमाण से भिन्न है जो हमें भेजे गए आंकड़ों से प्राप्त हुए हैं। यह तथ्य कि सरकार समाज के उच्च वर्ग से कर लेने की इच्छुक नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की एक और कमी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि इमें कर की सीमित राशि प्राप्त हो रही है। यदि हम विकास कार्यों पर सीमित व्यय करते हैं, तो वेशक आर्थिक वृद्धि हमारी उम्मीद से अधिक धीमी होगी।

महोदय, आज हम दो बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहली है मंहगाई और दूसरी है रोजगार के अवसर कम होना। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि नकारात्मक मुद्रास्फीति है। अत:, जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है, जीडीपी वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि हमें कम कीमतों में वस्तुएं मिल रही हैं। यदि कोई संसद सदस्य भारत के किसी बाजार में जाएगा, तो उन्हें वस्तुओं के ऊंचे दामों के कारण कोई भी सही चीज नहीं मिलेगी। इसका क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जमाखोरी के कारण है; क्या यह कानूनी प्रावधानों, जिन्हें संसद ने पहले पारित कर दिया है, को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता के कारण है।

सरकार को मंहगाई के लिए माफ नहीं किया जा सकता। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आर्थिक समीक्षा में हमें देश में रोजगार की स्थिति के संबंध में कोई साफ तस्वीर नहीं मिली है। कुछ नमूना सर्वेक्षण किए गए हैं। लेकिन सामान्यतया, यह स्वीकार किया गया है कि रोजगार के अवसर छिने हैं, चाहे यह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र। हम देखते हैं कि लाखों लोग विदेशों से विशेषकर खाड़ी देशों में वापस लौट रहे हैं। मुझे स्मरण है कि प्रत्येक वर्ष, भारत सरकार इन लोगों से नौ बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा प्राप्त करती है। लेकिन इस बजट में पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि वे रोजगार गंवाने के बाद वापस लौट

[श्री पी. करुणाकरन]

रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उनकी सहायता के लिए कम से कम एक पुनर्वास योजना शुरू की जाए।

महोदय, मैं कर ढांचे से सम्बन्धित कुछ अन्य सुझाव देना चाहता हूं। सहकारी समितियों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी क्षेत्र पर लगाए गए आयकर में छूट के लिए विचार व्यक्ति किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी सहकारी समितियों के कार्यकरण से भली भांति परिचित हैं। वे वास्तव में लोगों की सम्पत्ति हैं। इसमें सार्वजनिक प्रबंधन नहीं है। खैर, आपने विभिन्न लोगों विशेषकर उच्च वर्ग के लोगों को कर छूट प्रदान की है। मैं सरकार से शहरी सहकारी बैंकों, जो वास्तव में जनता की धरोहर हैं, पर लगाए गए कर समाप्त करने का निवेदन करता हूं।

महोदय, मैं सुगंधित नारियल तेल पर कर समाप्त करने और ताड़ के तेल पर कर लगाने के संबंध में कुछ कहूंगा। ताड़ के तेल पर कर 100 प्रतिशत था, फिर यह 60 प्रतिशत हुआ, फिर 25 प्रतिशत और अब यह शून्य प्रतिशत है। इसने केरल के लोगों विशेषकर नारियल उत्पादकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ताड़ के तेल पर कराधान के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। अन्यथा, नारियल उत्पादकों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। आप किसी भी दुकान में सुगंधित नारियल तेल प्राप्त कर सकते हैं। यह छोटी बोतल में उपलब्ध है। लेकिन सरकार ने इस पर 8.5 प्रतिशत कर लगा दिया है। इसने भी प्रत्यक्ष रूप से नारियल क्षेत्र को प्रभावित किया है।

अनेक विकास कार्यों में, हम भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। अधिग्रहण के समय, हम जानते हैं कि लोग अपनी भूमि गंवाते हैं और उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। मूझे इसका अनुभव है जब एझुमलाई नौ सेना अकादमी में निष्कासन हुआ था। सैंकड़ों लोग निष्कासित हुए थे। उस समय, जब उन्हें मुआवजा मिलता है, सरकार उनको मिलने वाले मुआवजे पर 10 प्रतिशत कर लगा देती है। वास्तव में, यह एक गंभीर मुद्दा है। अनेक लोग न्यायालय में जाते हैं और कुछ राहत प्राप्त करने के लिए इसकी सहायता लेते हैं। अतः, यह दस प्रतिशत कर भी समाप्त किया जाना चाहिए।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया है इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। वास्तव में यह वित्त विधेयक और वित्त मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आजकल कुछ स्तब्ध करने वाले उदाहरण हैं जो राजसभा में उठाए गए हैं और समाचार पत्रों और इंटरनेट पर सामने आए हैं। यह इस बारे में हैं कि भारत सरकार ने खाद्यान्नों के किसी भी प्रकार के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। यह विगत वर्ष में कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादन, सूखा और बाढ़ के कारण है। लेकिन यह बताया गया है कि भारत सरकार ने 21 दक्षिण अफ्रीकी देशों को एफसीआई के माध्यम से नहीं बल्कि निजी पक्षों के माध्यम से खाद्यान्न निर्यात करने का निर्णय लिया है। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वे सही है या नहीं। लेकिन जब हम हमारी संसद और वित्त मंत्रालय की पारदर्शिता, की बात करते हैं जो इंटरनेट, समाचार पत्रों में सामने आई है और सदन में उन्हें उठाया गया है तो सरकार को इस मामले को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए लेकिन ये लगाए गए हैं। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया, मेरा अन्तिम प्रश्न देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ के बारे में है। एक तरफ, विशेषकर उत्तर भारत में, सूखा है। दूसरी तरफ, जहां तक केरल और अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, वहां बाढ़ आयी है। चाहे सूखा हो या बाढ़, गरीब किसान ही पीड़ित होते हैं।

मेरे अपने राज्य में, दो बच्चों सहित 115 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगभग 660 करोड़ रु. का नुकसान हो गया है। अतः, सरकार को इन लोगों की सहायता के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर राष्ट्रीय आपदा निधि, जिसे हम आवंटित कर रहे हैं, के माध्यम से। मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार लोगों को यह सहायता देने में अधिक समय लेती है। इसमें विलंब होता है। अतः केरल और अन्य राज्यों में इस बाढ़ के गंभीर परिणाम हैं, सरकार ने तुरंत गंभीर कदम उठाने चाहिए और इन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष दल भेजना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक (संख्या 2), 2009 पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों की ओर से बड़े विस्तार से सुझाव आए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज पूरे देश की आर्थिक स्थिति का अगर हम आकलन करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों का है। आज भी 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। आज के समय को देखते हुए, जिस तरह से मौसम की जबर्दस्त मार पूरे देश के ऊपर पड़ी है, कुछ जगहों

पर बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है जिसकी कोई इन्तिहा नहीं है, दालों के दाम 40-50 रुपए से बढ़कर 80-90 रुपए हो गए हैं। अगर सूखे की मार से महंगाई बढ़ेगी तो पूरे देश में क्राइम भी बढ़ेगा।

दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत पेयजल की है। पेयजल के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-पक्षी बिल्कुल बेहाल हैं, बारिश नहीं हो रही है और खास कर उत्तर भारत जबर्दस्त सूखे की चपेट में है। कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से यह बात कही है कि वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो कि पिछले 18 वर्षों में सबसे ज्यादा है। हमारे सम्मानित पूर्व वित्तमंत्री जी जसवंत सिंह ने कहा कि हमें 4.52 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ सकता है। इस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है जिससे हमें उबरना है। दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों का सर्वाधिक अप्रिया प्रभाव किसानों पर पड़ा है और इस देश की आर्थिक स्थिति इस देश के कृषकों पर निर्भर करती है। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को छः प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट में किसानों के लिए 411 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डा. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि चार प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह से लोक सभा की स्थायी समिति ने भी दो बार सदन को यह सिफारिश की है कि किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाए, लेकिन हम उससे अभी काफी दूर हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से किसानों को जो फायदा दे सकते हैं, वह नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि आज सब कुछ करने के बाद भी, ऋण माफी के बाद और एकमुश्त कर्ज की अदायगी की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद के बाद भी किसान बहाल है और आत्महत्या करने को मजबूर है। मानसून की देरी से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान है।

जहां तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मद में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, वहीं पर आपने सिंचाई के क्षेत्र में भी 75 प्रतिशत का इजाफा किया है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए जो हमने प्रयास किए हैं, वे बहुत कम हैं, सिंचाई क्षमता बहुत कम है। उसका मुख्य कारण है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे पहाड़ों पर ग्लेशियर कम हो रहे हैं, जिस कारण समय पर बारिश नहीं हो रही है और नदियों में पानी की मात्रा भी घट रही है। इस कारण हमारी सिंचाई क्षमता कम हो रही है। इसलिए आपने बजट में जो इसके लिए प्रावधान है, इन सभ बातों को देखते हुए वह नगण्य है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

नरेगा की बात समय-समय पर होती है। आज प्रश्न काल में भी इस पर चर्चा हुई थी और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव के समय भी चर्चा हुई थी। आपने इसमें 39,100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करके इसमें 144 प्रतिशत की वृद्धि अंतरसंरचना पर की है। लेकिन देखा जाए तो आज नरेगा में काफी खामियां हैं। जिस मकसद को लेकर यह योजना शुरू की गई थी, इन खामियों के कारण उसकी सही रूप में मूल धारणा की अलग हो गई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए एक प्रधान जी हमें बता रहे थे कि जो भी मजदूर चाहता है कि वह काम करे और उसके बदले उसे नकद राशि मिले। लेकिन आपने प्रावधान किया है कि इस योजना में कार्य करने वालों को पैसा बैंकों से जाकर मिलेगा। कई ऐसे मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके लिए यह बड़ी कठिन बात है। उन्हें तो रोज पैसे की जरूरत पड़ती है इसलिए वह मजबूर होकर कहीं न कहीं महाजनों या साहूकारों से पैसा लेते हैं और कर्ज में डूबे जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को डायरेक्ट रोज पैसा मिले, तब जाकर नरेगा का मकसद पूरा हो सकेगा।

आपने नरेगा के तहत पक्के काम करने की बात भी कही है। आज आप देखें कि ईंट, बालू, सीमेंट और सरिया आदि का बाजार भाव कुछ है और सरकारी भाव कुछ और है। सीमेंट की बोरी का सरकारी भाव कुछ है और बाजार में वह 300 रुपए में मिलती है। इसके अलावा इन चीजों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में प्रश्न काल में काफी विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन इसमें बड़ी खामियां हैं। सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन उनकी मेनटेनेंस में दिक्कतें आती हैं। कई जगह तो मेनटेनेंस हो रही है, लेकिन काफी जगह आप देखें कि सड़कें टूट गई हैं या उखड़ गई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। आपने अब प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी-बड़ी सड़कों को भी लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे गांव, मजरे और पूरबे हैं जो आज भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।

इंदिरा आवास योजना की मद में आपने 8800 करोड़ रुपए यानि 163 प्रतिशत की वृद्धि की है। राजीव गांधी आवास योजना के लिए 3973 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत आपने शहरों में स्लम बस्तियों में आवास उलपब्ध कराने की बात कही गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था को आप देखें तो जो लाभार्थी है, उसे 25,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। हम सभी

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

जानते हैं कि आज के समय में इतने कम पैसे में मकान तो क्या एक कमरा या बरामदा भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए लाभार्थी को और पैसों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि आप एक लाभार्थी को कम से कम 50,000 रुपए देने की व्यवस्था कराएं, जिससे वह मकान बना सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट में 5.4 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही है। मेरे ख्याल से उसमें आपने नरेगा को भी जोड़ा होगा। यह नरेगा के अंतर्गत है या नरेगा के अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही गयी है, यह स्पष्ट नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट की इच्छा-शक्ति मजबूत हो, इन्हें ताकत मिले और जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, तभी हमारे यहां से बेरोजगारी दूर हो सकती है।

जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत आपने 87 प्रतिशत बढ़ाकर 12,887 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आज ही सत्तादल की तरफ से शून्य प्रहर में, माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो हमारे आवास समिति के अध्यक्ष हैं, न बात रखी कि आप किश्त के रूप में पैसा देते हैं। अगर किसी शहर में सीवर-लाइन की व्यवस्था होनी है तो किश्त में पैसा देते हैं, इससे दूसरी किश्त आने में बहुत देर लगती है। किसी महानगर या शहर के लिए अगर बजट का प्रावधान हो, तो वहां इकट्ठा बजट दिया जाए, ताकि काम शुरू हो तो काम का आखिरी स्वरूप दिखाई दे, काम पूर्ण हो जाए। लेकिन होता क्या है? किश्तों में पैसा जाता है और काम अधूरा रहता है, उसका निर्माण टूटता जाता है, जिस कारण उसके पूर्ण होने में व्यवधान होता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आपने 87 प्रतिशत की वृद्धि की है लेकिन आज भी तमाम ऐसे पुरवे और मजरे हैं, खासकर जो अनुसूचित जाति की स्लम बस्तियां हैं, वे विद्युतीकरण से बिल्कुल अछूती हैं, उनके लिए बजट में अलग से प्रावधान करना चाहिए।

महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक महानगरी है, बजट में आपने उसका बहुत ख्याल रखा है। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। महाराष्ट्र में, आपने जल क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, पारेषण प्रणाली परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो बड़े-बड़े पिछड़े प्रदेश हैं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वहां भी विशेष पैकेज देकर विकास को गति देनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कहां विकास अवरुद्ध हो रहा है?

हमारे सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में, आर्थिक व्यवस्था में, तमाम विभागों से संचालित करने में रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए इन्कम-टैक्सव सीलिंग में आपने रुपया बढ़या नहीं है। मैं मांग करता हूं कि गवर्नमेंट कर्मचारियों की इन्कम-टैक्स सीलिंग सीमा को बढ़ाया जाए। सरकार ने छठे वेतन आयोग में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को बहुत राहत दी है, लेकिन यह एक छलावा सा लगता है, क्योंकि एक हाथ से तो हम उन्हें पैसा दे रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ से इन्कम-टैक्स के रूप में सारा का सारा पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरुष कर्मचारियों के लिए, इन्कम-टैक्स सीलिंग को बढ़ाकर 2.5 लाख और महिलाओं के लिए कम से कम 3 लाख रुपये करना चाहिए, तभी उन्हें लाभ मिल सकता है। इस बढ़त को देखा जाए तो भी मंहगाई बहुत है और जनरल बजट में हमारे वित्त मंत्री ने केवल 10 हजार रुपये की बढ़त करके मात्र एक हजार तीस रुपये की छूट देने की बात कहीं है, जो नगण्य है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन्कम-टैक्स सीलिंग को पुरुष कर्मचारियों के लिए 2.60 लाख और महिलाओं के लिए 3 लाख कर दिया जाए तो उन्हें विशेष फायदा हो सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। उनके पास अगर दो लड़कियां हैं, तो उन्हें भी इन्कम-टैक्स सीलिंग में छूट देनी चाहिए, उन्हें फायदा पहुंचाना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि दो लड़कियों की शादी करनी है और एक व्यक्ति परिवार में कमाने वाला है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है, अगर उस व्यक्ति ने परिवार नियोजन अपना लिया है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो संसद में माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर उठाई गई है कि आप जो सांसद निधि दो करोड़ रुपए देते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत कम है। या तो इस निधि को समाप्त कर दिया जाए या उसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाए।

अपराह्न 4.01 बजे

[श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*]

जब दो करोड़ रुपए नहीं दिए जाते थे, हमारी पारदर्शिता थी, हम लोग जवाबदेही में थे। आज भ्रष्टाचार में भी हमारा नाम आता है और विकास भी नहीं हो पाता है। वित्त मंत्री जी या तो इस निधि को समाप्त करके किसी भी मद में पैसा दे दें या बढ़ा कर कम से कम 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें।

मैं दूसरी मांग करना चाहता हूं कि हम सभी सांसद जब अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों मे जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि हमारे यहां बिजली नहीं है। हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है। हमारे पास कालोनी नहीं है, हमें पेंशन नहीं मिलती है। हमारे यहां की सड़क खराब है। हमारे यहां विद्युतीकरण की समस्या है, इन तमाम सवालों में हमे जूझना पड़ता है। चूंकि एक वोट वह प्रधान को देता है, बीडीसी सदस्य को देता है, सदस्य जिला पंचायत को देता है, विधायक को भी देता है और सांसद को भी देता है। हम भी जवाबदेही में हैं। मौसम गड़बड़ी है, सूखा पड़ा हुआ है और महंगाई चरम सीमा पर है। आज सबसे बड़ी किल्लत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई है तो पेयजल की है। हम लोगों का एक डेलीगेशन पिछली बार 14वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से मिला था कि हमें हैंडपम्प देने की व्यवस्था की जाए। हम मांग करते हैं कि पांच विधानसभा क्षेत्रों में, कहीं-कहीं तो सांसदों के क्षेत्र में छह-सात विधानसभा क्षेत्र हैं, पांच हजार हैंडपम्प देने की व्यवस्था सांसदों को दी जाए। जहां भी पेजयल की समस्या है, सांसद उन क्षेत्रों में हैंडपम्प दे सकें।

आज शून्य पहर में भी मैंने सूखे की स्थिति का जिक्र किया था। आज पेयजल की समस्या है। अपराध बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और चरमसीमा पर है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है। नवसृजित जनपदी कौशाम्बी है। प्रतापगढ़ भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। फतहपुर भी पिछड़ा हुआ है। पूरा मंडल लिया जाए तो पूरे मंडल में सूखा पड़ा हुआ है। बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतहपुर, इलाहाबाद को सूखा प्रदेश घोषित किया जाए। इलाहाबाद में जमुना के उस पार बुंदेलखंड पत्थरीला इलाका है। इन जनपदों को सूखा घोषित किया जाए। यहां केन्द्र की टीम जाए और देखे कि कहां बारिश कम हुई है, उसका जायजा लेने के बाद इन क्षेत्रों को सूखा घोषित करते हुए विशेष पैकेज दे। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि आज प्रदेश की सरकारें हमसे मांग नहीं कर रही हैं। अगर प्रदेश की सरकार हमसे मांग करे, तो हम बजट देने के लिए तैयार हैं। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से चाहेंगे कि आप भी चिंतित हैं और सरकार भी चिंतित है तथा सरकार अगर मदद करनी चाहती है, तो ऐसे इलाकों में ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी भेज दे या सांसदों के माध्यम से आप अगर रिपोर्ट ले लें, तो मेरे ख्याल से सूखे की स्थिति आपकी समझ में आ जाएगी। 28 तारीख को सदन में बहुत विस्तार से सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, विगत कुछ वर्षों में, भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है। विगत कुछ वर्षों की उच्च आर्थिक वृद्धि ने सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र पर खर्च हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए हैं। तथापि, कागज पर योजना बनाने और उस पर अमल करने में अंतर है। यद्यपि सामाजिक क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ रहे हैं, परिणाम प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं। भारत में, अनेक गैर-वित्तीय बाधाएं हैं जो सभी क्षेत्रों में विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा, जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति में बाधा पहुंचा रही हैं। ऐसी बाधाओं को दूर करते हुए शासन की गुणवत्ता की सुधारनी है। समस्त विश्व का अनुभव बताता है कि यह सरकारी बजट के आकार का नहीं है, लेकिन इसे किस प्रकार खर्च किया जाता है। इससे उस प्रणाली की कुशलता का पता चलता है। अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण में अधिभार और उपकरों के विकृत प्रभाव और उन्हें हटाने की आवश्यकता दर्शायी गयी है।

प्रथम कदम के रूप में, बजट व्यक्तिगत कर पर अधिकार समाप्त करना है, यह व्यक्तियों के हाथों में प्रयोज्य आय बढ़ाती है और उपभोक्ता खर्च बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त, बहुचर्चित फ्रिंज बेनीफिट टैक्स और वस्तु अन्तरण कर हटा दिए गए हैं। जिससे लागत घट गई है। यह सुधार स्वागत योग्य है।

अब, मैं मूलभूत बातों पर आता हूं। मेने देखा है कि इस राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है। सीमा शुल्क संग्रहण 37 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि उत्पाद शुल्क से राजस्व एक तिहाई कम हो गया है। क्या हमें इसकी अपेक्षा थी? हां, दिसम्बर तक तीन प्रोत्साहन

[श्री भर्तृहरि महताब]

पैकेजों ने इसमें योगदान दिया है। सीमा शुल्क से राजस्व में आयी कमी से तेल और गैर-तेल आयात में कमी हुई है; निम्न तेल कीमतों से भी इसमें गिरावट आई है। अत:, सीमा शुल्क संग्रहण शीघ्र ठीक नहीं हो सकता है।

उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि भी इसका समाधान नहीं है। अभी भी कुछ लाग इस बात से आश्वस्त हैं कि अग्रिम निगम कर संग्रहण ने पहली तिमाही में जो अप्रैल से जून तक है, विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 6% तक की वृद्धि दर्शाई है। सरकार द्वारा कर संग्रहण में अनुमानित कमी से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप किए गए किसी भी सार्थक प्रयास में उनके भाग लेने में बाधा आयेगी।

इस वर्ष सरकार के खाता बही संबंधी राजस्व के दो पहलू हैं। पहला है, चालू वर्ष के दौरान अनुमानित कर राजस्व में तीव्र कमी। 2009-10 में संघ सरकार के सकल कर राजस्व में 7 प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में, जबकि आयकर और सीमा शुल्क दोनों से राजस्व में 18 प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया गया था, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में इस वित्त वर्ष में 23 प्रतिशत कमी की संभावना है।

इस परिवर्तन का दूसरा पहलू गैर-कर राजस्व, जिसे केन्द्र शेयर नहीं करता है, पर निर्भरता में वृद्धि है। यह राज्यों के साथ शेयर नहीं करता है। 2009-10 में गैर-कर राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि से उन शर्तों, जिन पर संघ सरकार राज्य सरकारों को संसाधनों हस्तांतरण करता है, के विवादास्पद प्रश्न में नया मोड़ आया है।

निम्न संग्रहण के परिणामस्वरूप राज्य अपना संसाधन आधार खोने से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। 2009-10 में करों में उनकी भागीदारी में 1.64 लाख करोड़ रुपए की कमी का अनुमान लगाया गया है, यह बहुत बड़ी राशि है, सब 2008-09 में यह 1.78 लाख करोड़ रु. थी। यह राजस्व घाटा ऐसे समय में हो रहा है जबकि राज्यों के अपने संसाधन काफी कम हो रहे हैं।

बजट में गैर-कर राजस्व पर बढ़ती निर्भरता का राज्यों की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि ये संसाधन वित्त आयोग द्वारा निर्धारित भागीदारी योग्य कोश के दायरे से बाहर हैं। गत वर्ष, वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय मैंने भी इस मुद्दे को उठाया था परन्तु, अब मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और मुझे आशा है कि सरकार इसपर ध्यान देगी। यद्यपि, गैर-कर राजस्व में वर्ष 2009-10 के दौरान 46 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है, फिर भी राज्य इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगें। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष केन्द्र से जिलों और जिला स्तर से नीचे के प्रशासनिक ढांचे को निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण में, अत्यधिक वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2008-09 में लगभग 60,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 95,000 करोड़ रुपये हो गई हैं। चूंकि, राज्य सरकारों को निधियों का एक निश्चित भाग अनिवार्य रूप से केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय करना होता है इसलिए, उनके पास अपने कार्यक्रमों के लिए कोई विधियां नहीं बचतीं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसे "फिच (एफआईटीसीएच) रेटिंग्स" कहा जाता है की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त विधेयक का छोटे राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यह अधिक चिंताजनक बात है। मंत्रालय ने सभा में बजट पेश करते समय वर्ष 2008-09 हेतु सकल कर राजस्व के लिए अनुमानों में कमी करके 6.27 ट्रिलियन रुपये कर दिया था। ये अनुमान, वर्ष 2009-10 में कर राजस्व में केवल दो प्रतिशत की नगण्य वृद्धि को दर्शाते हैं। कम राजस्व का अर्थ है राज्यों को निधियों के अंतरण में कमी आना। इसके परिणामस्वरूप, राज्य की योजनाओं में व्यवधान पैदा होगा। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपने कुल राजस्व में केन्द्र से प्राप्त होने वाले बड़े भाग पर निर्भर करते हैं। मैंने उन पांच राज्यों का उल्लेख किया है जो कि राज्यों को केन्द्र द्वारा अन्तरित की जाने वाली निधियों पर अधिक निर्भर है। उनकी योजनाएं केन्द्र द्वारा वित्त पोषण पर आधारित होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान इन राज्यों को राजस्व प्राप्तियों का लगभग आधा भाग केन्द्र द्वारा अंतरित निधियां थीं। परन्तु, केन्द्रीय राजस्व का सीमित भाग प्राप्त करने वाले छोटे राज्य इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। यह आर्थिक संकट जो आज हमारे देश पर छाया हुआ है वह सभी छोटे और बड़े राज्यों को प्रभावित करेगा। परन्तु, कम राजस्व प्राप्ति के प्रभाव को दूर करने के लिए केन्द्र ने राज्यों की ऋण प्राप्ति की सीमा को 0.5 प्रतिशत पाईंट बढ़ाकर राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत कर दिया है। परन्तु, इसकी लागत क्या होगी?

मैं इस सभा का ध्यान एक अन्य मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण राज्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। हाल ही में, सरकार ने तीसरी पीढ़ी अथवा 3जी टेलीफोन सेवाओं को आरंभ करने के लिए निजी क्षेत्र की फोन कंपनियों को स्पैक्ट्रम अथवा 'एयरवेक्स' की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ की है। इस वर्ष के अंत तक हमें यह पता चलेगा कि इस नीलामी से सरकार कितना राजस्व

अर्जित कर पाएगी। अनुमान अलग-अलग हो सकते हैं। मैं अटकलबाजी में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु, यह मुद्दा नहीं है।

इसी प्रकार, देश की समुद्री सीमा के अपतटीय क्षेत्रों में उपलब्ध एक अन्य राष्ट्रीय संसाधन, गैस का दोहन करने की अनुमति देकर सरकार को आंशिक रूप से रायल्टी तथा उद्यमी को प्राप्त होने वाले लाभ के एक भाग के रूप में भी कुछ धनराशि अर्जित करने की आशा है। उसके अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु, इसमें शामिल धनराशि कम नहीं है।

इस प्रकार की आप अंतिम दशक या उसके आसपास, उदारीकरण की प्रक्रिया या आरंभ किए जाने के पश्चात ही प्राप्त होनी आरंभ हुई है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वह टेलीफोन सेवा, गैस, कच्चा तेल या उसी प्रकार के उत्पाद हों। ये सभी देश की संपत्ति है और इनका पूरी ईमानदारी के साथ केन्द्र और राज्यों के बीच बटवांरा किया जाना चाहिए। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण इस सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं परन्तु व्यवहारिक रूप वास्तविकता यह है कि इन गतिविधियों से होने वाली आय का बटवांरा राज्यों में नहीं किया जाता। इस संबंध में काफी भेदभाव किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह एक सत्य है कि संघ सरकार ने उपकर और अधिकार लगाकर प्रभावी कर दरों में वृद्धि करने की एक नई परंपरा आरंभ की है।

आपने, मोटर स्पिरिट पर ईंधन उपकर, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर अधिभार इसके अतिरिक्त, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर और अन्य कई कर लगाए हुए हैं। ये सभी उपकर अथवा अधिभार व्यक्तिगत स्तर पर बहुत नगण्य दिखाई देते हैं परन्तु इन उपकरों से राष्ट्रीय स्तर पर भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। इन से वर्ष 2008-09, के दौरान लगभग 1.28 ट्रिलियन रुपये का संग्रहण हुआ। यह संग्रहण वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र से राज्यों को अंतरित किए गए कर राजस्व का लगभग 85 प्रतिशत बैठता है और यह कोई छोटी धनराशि नहीं है। इसमें कोई अवैध कार्य शामिल नहीं है। मैं वैधता या अवैधता के सिद्धांत पर इसको चुनौती नहीं देता। कार्य हामरे देश के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पूरी तरह से वैध हैं। इसमें केवल एक ही कठिनाई है कि कोई उपकर या अधिभार एक अस्थाई उपाय के रूप में लगाया जाता है परन्तु, कुछ उपकर और अधिभार पांच या उससे अधिक वर्षों से जारी हैं और वे एक तरह से स्थायी हो गए हैं। वे मूल रूप से केन्द्र-राज्य वित्त संबंधों के आचार नियमों का उल्लंघन करते हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आयकर में पैन संबंधी कड़ा प्रावधान शामिल कर दिया गया है। धारा 139(क) में इसे अनिवार्य न बनाए जाने के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों को भी नहीं बख्शा गया है। मेरा मानना है एक आयकर विभाग के लिए पैन ऐसा साधन है, जिससे वे प्रत्येक आय सृजनकर्ता को इसके दायरे में ला सकते हैं। लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने स्पष्टतया अधीरता के कुछ लक्षण दिखाए हैं और इस तरह के कड़े प्रावधान का चयन किया।

टीडीएस करवाने वालों के लिए पैन संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा न करने पर 20 प्रतिशत टीडीएन की दण्डात्मक दर तत्काल लागू हो जाती है। यदि कोई गलत पैन नम्बर लिख देता है या पैन नंबर लिखते समय कोई त्रुटि हो जाती है, तो ऐसा करने वाले को कैसे पता चलेगा कि उसने गलती की है? उसका कोई उत्तर नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विशेष पहलू की ओर ध्यान दें।

वित्त विधेयक ने आयकर में विदेशी कराधान संबंधी विवादों के समाधान के लिए समिति प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। मुझे उस विशेष मामले के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर इस समय कहीं और चर्चा की जा रही है और यह अनुचित भी होगा। लेकिन मेरा मूल प्रश्न नीति को लेकर है। क्या इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा की जा सकती है और यदि इसकी समीक्षा की जा सकती है, तो किस मंच पर?

वित्त विधेयक, 2009 के कई संशोधनों में से एक संशोधन 'मैट' में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव है। वित्त विधेयक के खण्ड 43, खण्ड 44 और खण्ड 45 में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय को निरस्त करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। अनियमित और विफल राजस्व की पुष्टि और किसी मामले में उच्चतम न्यायालय के वैध और सही विनिर्णय को निरस्त करने के लिए निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए भूतलक्षी प्रभाव से एक संशोधन का प्रस्ताव किया है।

श्री जसवंत सिंह ने जो कहा है, मैं उसका संदर्भ नहीं दे रहा हूं। यह एक भिन्न मामला है। मुझे यह कहना है कि कारपोरेट निर्धारणों करदाताओं के हाथों में कर योग्य लाभों में वृद्धि के लिए किसी परिसंपत्ति के मूल्य में ह्रास के लिए किसी प्रावधान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर पुन: विचार करने अथवा छोड़ने अथवा भविष्य प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है मैं यह सुझाव देना चाहता हूं या तो इस पर पुन: विचार किया जाए अथवा इस प्रावधान को छोड़ दिया जाए अथवा इसे भविष्य प्रभावी बनाया जाए, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाए।

[श्री भर्तृहरि महताब]

बेशक, इसका सभा में उल्लेख नहीं गया था, परंतु बाहर यह उल्लेख किया गया था कि त्रुटियों को ठीक करने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी जो अर्द्ध-न्यायिक निकायों के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई थीं, तथा जो 'विधायी उद्देश्य' के विरुद्ध थीं। यह भी कहा जा सकता है कि पहले से आई त्रुटियों को ठीक किया जाना है। आप त्रुटियों को ठीक करने के लिए और त्रुटियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन यह कोई ठीक नीति नहीं है। दो गलत मिलकर एक ठीक नहीं बनता।

वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 271(9)(ग) के स्पष्टीकरण 5क के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यह अनावश्यक है। मुझे लगता है कि आंकड़ों को उद्धृत करने में थोड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि यह विद्यमान स्पष्टीकरण भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् एक जून 2007 से लागू की गई है। इस नई धारा में यह प्रावधान है कि यदि तलाशी के दौरान, निर्धारिती के पास से धन, बुलियन, सोना, जवाहरात अथवा अन्य बहुमूल्य सामान अथवा कुछ और वस्तु बरामद होती है, और निर्धारिती यह दावा करता है कि उसने ये परिसंपत्तियां तलाशी की तिथि से पहले समाप्त हुए पिछले किसी वर्ष में अपनी आय से खरीदी हैं। जिसके लिए उसने आय कर विवरिणी दाखिल की है, तो यह माना जाएगा कि निर्धारिती ने अपनी आय के विवरणों को छिपाया है अथवा इस आय का सही ब्यौरा नहीं दिया है।

दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि यदि आय की विवरणिका को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। और आय का कुछ अंश दिखाया नहीं गया हैं और बाद में, तलाशी के समय इसे आय का खुलासा किया गया है, तो यह माना जाएगा कि निर्धारिती ने इस जानकारी को छिपाया है। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। यह कानून में निर्धारित है। यह साधारण बात है कि यदि आय विवरणिका दाखिल करने के बाद विभाग को आय की जानकारी होती है, तो यह स्पष्टीकरण 1 के तहत स्वतः ही आय का छिपाव है। अतः, यहां यह प्रश्न उठता है कि इस संकल्पित स्पष्टीकरण 5क की क्या आवश्यकता है। यदि यह पहले से ही निर्धारित नियम है कि यह छिपाव है, तो विधायिका को क्या आवश्यकता है कि वह इस स्पष्टीकरण को लागू करे और वह भी भूतलक्षी प्रभाव से?

शायद, यह मेरा अनुमान है कि वह प्रावधान जिसमें संशोधन किया जाना था ऐसा और स्पष्टीकरण लाया जाना था, वह स्पष्टीकरण 5 है। ऐसा लगता है कि धारा स्पष्टीकरण 5 के स्थान पर धारा 5क में संशोधन कर दिया गया है। कृपया इसकी जांच कीजिए।

मैंने कहीं पढ़ा था कि वित्त मंत्री के बजट — यह आप जैसे वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है — से 60 वर्ष से अधिक अनेकों वरिष्ठ नागरिक क्रुद्ध और दुःखी हुए हैं। यह समाचार प्रकाशित हुआ है। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में संकल्पित राष्ट्रीय वृद्धावस्था नीति में यह वचनबद्धता ज़ाहिर की थी कि वरिष्ठ नागरिक के रूप में एक व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए एकसमान आयु सीमा बरकरार रखी जाएगी।

आय कर विभाग वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 के बजाय 65 वर्ष करने पर ज़ोर क्यों दे रहा है? यह बहुत गंभीर विसंगति है जिसे वित्त मंत्री द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रेल 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक मानती है। तथापि, आय कर विभाग के लिए 65 वर्ष से कम आयु के लोग वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं। दीदी कहती हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं परंतु दादा कहते हैं, नहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यकित ही वरिष्ठ नागरिक हैं। यह विसंगति दादा और दीदी, दोनों के इस बजट में है। जिस पर हम इस सत्र में चर्चा कर रहे हैं। इस विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : एक स्वास्थ्य पर और दूसरा धन पर आधारित है।

श्री भर्तृहरि महताब : श्री आरबीआई को उद्धृत कर रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध धन से है। मुझे बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार, वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग को केवल तीन वर्षों में ब्याज के भुगतान के माध्यम से 13,159 करोड़ रुपये की विशाल राशि का भुगतान करना पड़ा, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि विभाग ने निर्धारितियों को कर की अतिरिक्त धनराशि वापस करने में विलंब किया। यह रिपोर्ट में है। क्या यह आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? जब विभाग को विलंब से धन वापसी पर 13,159 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करना पड़ा, तो क्या इसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए? हम सरल कर कानून क्यों नहीं बना सकते? शायद, यही संरचना है आयकर कानून के दो खण्ड उलझन वाले हैं। हर बार हम यह कहते हैं, लेकिन शायद, यह राज्य का बनाया हुआ है। यहां विवेक प्रमुख भूमिका निभाता है। जब कोई यह नहीं जानता कि जलाशय में मछली पानी पीती है अथवा नहीं, तो कोई यह कैसे कह सकता है। कि उस समय क्या होता है जब कोई कार्यपालिका में होता है, और विवेक का इस्तेमाल किया जाता है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि अनेक विशेषज्ञ समितियों ने सरकार को जटिल प्रणाली, जिसमें अनेक प्रोत्साहन और छूट हों तथा उनसे संबंधित कमी समाप्त न होने वाली याचिकाओं और भूतलक्षी विधान हों, की तुलना में निम्न कर दर के साथ सरल प्रणाली के लाभों की सिफारिश की है। भूतलक्षी प्रभाव वाले विधानों से कमियों को पूरा करना इसका समाधान नहीं है, बल्कि यह अनिवार्यत: एक राजनीतिक मुद्दा है।

बजट 'पूर्वानुमित राजस्व' का उल्लेख करता है, मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही, श्री संदीप दीक्षित ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। इसमें राजस्व हानि का उल्लेख था। आप कह सकते हैं। कि 2008-09 में 68914 करोड़ रु. था जबकि 2007-08 में यह 62,199 करोड़ रु. था। विसंगतियां दूर की जानी चाहिए और समान कर ढांचे की ओर बढ़ने की जरूरत है जिससे सभी छूट समाप्त हो जाएंगी और वह निम्न प्रभावी कर दर को विस्थापित कर देगा। हां, जब मैं यह कहता हूं, यह करदाता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उपयोगी साधन की सार्वजनिक नीति से वंचित करेगा। इसमें कुछ आशंकाएं भी हैं। अत: नई कर संहिता, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है, अधिनियमित करने से पहले सरकार को वांछनीयता या समान कर ढांचे लागू करने पर अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए।

बैठने से पहले, मैं पुन: सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने, उड़ीसा मामले के संबंध में मध्यस्थता करते हुए हमें आश्वासन दिया था। कि वह पुन: सभा को वर्ष 2007 और 2008 की बाढ़ राहत के संबंध में अवगत करायेंगे हम अभी भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आशा है। कि सरकार इस सभा में पुन: आयेगी और उड़ीसा के लोग, जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, के मुद्दे पर भी अपने विचार रखेगी। जो धन हमें लिखित में दिया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया, इसे स्पष्ट करना चाहिए।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं मैं अपनी पाटी, अभाअद्रमुक की ओर से कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

मैं बताना चाहूंगा कि फ्रिंज बेनीफिट टैक्स को हटाने से अधिवर्षता निधि, जो दो वर्ष पूर्व एफबीटी शुरू करने पर बुरी तरह प्रभावित हुई थी, को बढ़ावा इससे जीवन बीमा कंपनियों को निगम पेंशन योजनाओं से नया व्यवसाय सृजित करने का अवसर मिलेगा। मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी नेता, डा. पुर्रात्चि थालैवी अम्मा ने अभाअद्रमुक के 2009 के चुनाव घोषणा-पत्र में फ्रिंज बेनीफिट टैक्स को समाप्त करने का आश्वासन दिया था। मुझे खुशी है कि फ्रिंज बेनीफिट टैक्स हटा दिया गया है। हमारे 2009 के चुनाव घोषणा पत्र में पुलिस-आधुनिकीकरण, सीमा रेखा पर तार लगाने के लिए बढ़ा हुआ परिव्यय तथा और अधिक आईआईटी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवंटन का भी उल्लेख किया गया है और यह संतोषजनक है कि इनका बजट में ध्यान रखा गया है। तथापि, मुझे यह कहते हुए खेद है कि बजट में दूरदर्शिता का अभाव है और बेहतर भारत के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित नहीं की गई है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा "कि भारतीय कृषि 4% की वार्षिक दर से लगातार वृद्धि करती रहे।" मैं उल्लेख करना चाहता हूं। कि वर्ष 2008-09 में कृषि वृद्धि केवल 1.6 प्रतिशत थी और यह सुझाव देने हेतु काफी कम प्रमाण हैं कि 2009-10 काफी बेहतर होगा। यह बजट इसके लिए अधिक याद नहीं रखा जाएगा कि इसने क्या प्रस्तावित किया है बल्कि इसने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए, जो हटाया है, उसके लिए याद किया जाएगा।

अनेक वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागत और अधिक समय के कारण धीमी पड़ी हुई हैं और कथित रूप से उन्हें पूर्णत: पूरा करने के लिये अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। विवादास्पद अन्तर-राज्य नदी जल मुद्दे, जैसे कावेरी जल विवाद, मुल्लापेरियार बांध विवाद और पालर नदी जल विवाद को देश के व्यापक हित में शीघ्र हल करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि सरकार यह दर्शाने के लिये कि राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जाए, वित्त आयोग, जो अपना प्रतिवेदन अक्तूबर, 2009 में प्रस्तुत करेगा, के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेगी। वित्त मंत्री कोई बड़ा वादा करने से बचते रहें हैं और उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,120 करोड़ रु. के न्यून विनिवेश का प्रस्ताव किया है। तथापि, यह पूर्वानुमित निष्कर्ष है कि इस वर्ष बाद में कम कीमत पर बेचने के अधिक प्रस्ताव होंगे। तमिलनाडु के संदर्भ में यह वादा किया गया है कि सलेम इस्पात संयंत्र और नेवेली लिग्नाइट निगम विनिवेश योजना के अन्तर्गत नहीं आएंगे। तमिलनाडु में बहुत कम सार्वजनिक उपक्रम हैं और मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्ट आश्वासन देने का निवेदन करता हूं। कि इन सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश नहीं किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स एक पुराना सार्वजनिक

[डॉ. पी. वेणुगोपाल]

उपक्रम है, जो 1967 में शुरू हुआ था। इस कारखाने के प्रति केन्द्र की उदासीनता ने कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यह देश में एकमात्र एकीकृत फोटोग्राफिक फिल्म विनिर्माण कंपनी है और विश्व में पांच में से एक है। इस कारखाने में 1000 कर्मचारी हैं जिनके परिवार उन पर निर्भर हैं। कर्मचारियों का वेतनमान 1987 से संशोधित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किया गया 'आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिता' का कारण सही नहीं है, क्योंकि इस कारखाने को वर्ष 2000 में आईएसओ 2001 प्रमाण पत्र दिया गया था। यदि केन्द्र अपने प्रबंधन के तहत स्वास्थ्य, रक्षा आदि क्षेत्रों में नीतिगत समर्थन देता है, तो हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स 350 करोड़ रु. का अतिरिक्त कारोबार कर सकता है। इस कारखाने के जीर्णोद्धार के लिए केवल 302 करोड़ रु. की आवश्यकता है। इस दृष्टि से, मैं माननीय वित्त मंत्री से ऊटी में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के जीर्णोद्धार के लिए 302 करोड़ रु. का आवंटन करने और उसके कर्मचारियों की आजीविका बचाने का निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह निराशाजनक है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए बहुत कम प्रयास किये गये हैं। मैं इसे उच्च शिक्षा के बजाय अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। निश्चित रूप से, हमें अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, लेकिन उनमें प्रवेश के लिए योग्य लोगों की आवश्यकता है। अभी, ऐसा लगता है कि सरकार केवल अधिक स्कूल खोल रही है। हमें प्राथमिकता के आधार पर विद्यमान स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बीपीएल परिवार 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलो चावल या गेहूं प्राप्त करे, प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में बहुत अधिक चर्चा हुई है। तथापि, इस बजट प्रस्ताव में इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार वर्तमान वर्ष में ही इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि निकाल लेगी।

सभापति महोदय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि में 23 प्रतिशत की वृद्धि और रेल के लिए 15000 करोड़ रुपए जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप सड़क और रेल अवसंरचना विकसित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

वित्त मंत्री द्वारा मात्र 500 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन 22 लाख वर्तमान स्वयं सहायता समूहों के अलावा निकट भविष्य में गठित किये जाने वाले 11 लाख स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय धन्यवाद। आज मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का पुरःस्थापित करने का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं वित्त विधेयक पर अपनी टिप्पणी दूं, मुझे आम बजट से संबंधित व्यय के बारे में टिप्पणी करने दें।

जब मैंने बजट पर भाषण दिया था तो उसमें मैंने बजट को साहसिक और संतुलित बताया था। यह एक ऐसा शब्द है जिसे यहां बैठे कुछ संवादाताओं द्वारा प्रयोग किया गया और वे इसका बार-बार प्रयोग कर रहे हैं। अतः मैं बहुत प्रसन्न हूं कि यहां बहुत से संवादाता नहीं बैठे हैं। अतः वे उस शब्द का प्रयोग नहीं करते, जिसका प्रयोग मैंने सभा में किया है।

यह साहसिक बजट है, क्योंकि वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे के साथ एक जोखिम उठाया है, लेकिन यह संतुलित बजट भी है। पहली बार, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रेरक तत्वों ने उपभोग और निवेश के बीच संतुलन बनाया है। वित्त मंत्रालय ने विशेष रूप से राजकोषीय घाटे को नजरन्दाज करने का निर्णय लिया क्योंकि निजी निवेश जो पिछले दशक में हमारे आर्थिक विकास का प्रेरक तत्व था — कम हो रहा है और इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे निवेश को बढ़ाना है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक निवेश उन निजी निवेशों का स्थान का स्थान ले सकते हैं जो कम हो रहे हैं। साथ ही, मेरे विचार में यह उल्लेखनीय बजट भी है, क्योंकि अब केवल निवेशोन्मुखी अर्थव्यवस्था का स्थान निवेश और उपभोगोन्मुखी अर्थव्यवस्था ने ले लिया है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी उपभोग गिर रहा है। एक समय वर्ष, 2000-2001 में यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2/3 था और अब यह घटकर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। लेकिन यही समय है जब वित्त मंत्री ने नरेगा के आबंटन में वृद्धि, छठा वेतन आयोग, एमएसपी में वृद्धि और वैयक्तिक कर प्रोत्साहन आदि उपाय आरंभ किये। इन सभी से लोगों के पास धन जाएगा और निजी उपभोग में वृद्धि होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा संतुलित हो सकती है जहां निवेश और उपभोग दोनों हमारी अर्थ व्यवस्था के वाहक के रूप में काम करेंगे।

मेरे विचार में, इससे पहले कि मैं वित्त विधेयक पर टिप्पणी करूं, बजट भाषण में मेरे द्वारा दी गई टिप्पणी को मुझे दोहराने दें।

[हिन्दी] आज हमें जो जनादेश मिला है, उस जनादेश में भारत के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले पांच वर्षों में डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से भारत के किसान ने यूपीए का साथ दिया है, इस बजट के अंदर मुझे एक बात की निराशा जरूर है। *[अनुवाद]* जैसा कि मैंने कहा कि मैं बजट से उभरी हमारी आर्थिक राजनीति की दिशा की कुल मिलाकर व्यापक रूपरेखा से प्रसन्न हूं। *[हिन्दी]* मगर मुझे इस बात की निराशा जरूर है कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। इंटरस्ट की दर सात से छ: प्रतिशत जरूर हुई है, हमने चार प्रतिशत की मांग की है। एग्रीकल्चर रूरल इकोनोमी में पूरा एलोकेशन तीन प्रतिशत कम हुआ है। नमो नारायन मीणा जी यहां उपस्थित है, वह भी किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं सोचता था कि शायद उनका और अच्छा पर्सपेक्टिव सामने आएगा। फर्टिलाइज़र सब्सिडी तकरीबदन पच्चास फीसदी, 84 हजार करोड़ से घटा कर तकरीबन 42 हजार करोड़ की एलोकेशन फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए की गई है।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर एक रिफार्म लाने की बात की गई, एक एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस बेस्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी से हट कर न्यूट्रिएंड बेस्ड फर्लिाइज़र सब्सिडी तक पहुंचने की, केश ट्रांसफर तक लाने की बात की गई। मगर बजट एलोकेशन में आधी फर्टिलाइज़र सब्सिडी करना, मुझे लगता है कि खतरे की घंटी कहीं न कहीं सुनाई देती है। प्राईवेट मनी लैंडर्स के लिए महाराष्ट्र में एक टास्क फोर्स बनी है, मुझे समझ में नहीं आता कि वह टास्क फोर्स पूरे देश के लिए क्यों नहीं बनी है। आज भी 73 फीसदी किसान कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं जाते।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो किसान है, वह आज यूपीए से खुश है और इस खुशी को हमें बचा कर रखना है।

[अनुवाद]

जहां तक वित्त विधेयक की बात है, सबसे पहले मैं जसवंत सिंह जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, से असहमत होकर शुरूआत करना चाहता हूं। जसवंत सिंह जी ने वित्त विधेयक पर यह कहते हुए चर्चा करना, शुरू किया कि वित्त विधेयक पर चर्चा अप्रासंगिक है। मैं उनसे असहमत हूं। मेरे विचार में हमारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति बदल गई है। यदि हम केवल सार्वजनिक व्यय की चर्चा कर रहे होते, तो बजट पर चर्चा पर्याप्त होती लेकिन अब निजी निवेश इतना महत्वपूर्ण अंग है और निजी निवेश कर प्रोत्साहनों, कर छूटों, राजसहायता, प्रशुल्क दरों द्वारा प्रेरित होती है इसलिए इन सभी कर सभा में व्यापक चर्चा होनी चाहिए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था के भविष्य को बेहतर बना सकें।

मैं जसवंत सिंह जी द्वारा दिए गए एक उदाहरण पर प्रकाश डालना चाहता हूं। वे आने वाली पर्यावरण की चुनौतियों, ग्रीन हाउस एवं अन्य चीजों के बारे में कह रहे थे। में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से चर्चा आरम्भ करना चाहता हूं। मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत का लक्ष्य है कि सन् 2012 तक देश में कुल उपयोग की गई ऊर्जा का 10 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पैदा होगा। मेरे विचार में यह एक ऐसा लक्ष्य है कि यदि मैं इसमें अपना धन अभी लगाऊं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस लक्ष्य की प्राप्ति के निकट पहुंच सकते हैं। यह उन लक्ष्यों में से एक है और हमें अधिदेश की आवश्यकता है। हमें वास्तव में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर राजसहायता, प्रशुल्क जैसे उचित प्रोत्साहन तंत्र की आवश्यकता है।

इसके पहले कि मैं कर व्यवस्था के रूप में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ सुझाव दूं, मैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के दो सफल माडलों का उल्लेख करना चाहता हूं। एक अमरीकी मॉडल है और दूसरा यूरोपीय मॉडल है। अब मैं अमरीकी मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करूंगा। अमरीका में प्रदूषणकर्ता, जोकि उपभोक्ता और उद्योग हैं, को क्षेत्रीय ऊर्जा ऋण दिए जाते हैं। अत: एक प्रदूषणकर्ता जो नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा का उपयोग करता है, को ऋण मिलती है जिसे उसके द्वारा देय कर से घटा दिया जाता है और इससे नरवीकरणी का ऊर्जा स्रोत के लिए उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है।

दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 10 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष संघीय अनुदान दिया जाता है। अत: यदि कोई व्यक्ति 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का बायोमास संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहता है तो संघीय सरकार द्वारा 10 मिलियन अरमीकी डालर का प्रत्यक्ष अनुदान दिया जाता है।

तीसरा, उत्पादन कर ऋण एक बहुत नवीन विचार है, जिसे ओबामा प्रशासन ने शुरू किया है जिसमें मूलत: सभी लोगों, फर्मों के संघ, जो वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश प्राप्त करना अथवा जुटाना चाहते हैं, की कर योग्य आय में प्रतिदिन प्रति डॉलर कटौती की गयी है।

चौथा हमने त्वरित मूल्यह्रास के बारे में थोड़ा प्रत्यक्ष किया है। हमने अपनी लेखांकन प्रणाली में मामूली त्वरित मूल्यह्रास की अनुमति दी है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वास्तविक निवेशक इस लेखांकन

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

व्यवस्था से लाभ उठा सकें। मूलत: इसमें यह शामिल है कि 'कर समता निधियन' (टैक्स इक्विटी फंडिंग) उन सभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में पूंजी निवेश कर रहे हैं अथवा जुटा रहे हैं और ऐसे में त्वरित मूल्यह्रास की अनुमति दी जाती है। कर सभा से लाभ लेने और संघ सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए कुल पूंजी निवेश कम किया जा सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा का आधार वास्तविक रूप से बढ़ाने के लिए यह अमरीकी प्रणाली है जिसमें अनेक आयाम हैं। यूरोपीय मॉडल पूरी तरह भिन्न है। यह केवल वन पाइन्ट मॉडल है, जिसने जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिनकी ऊर्जा का 80 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है। इसका परिणाम प्रशुल्क में प्रत्यक्ष वृद्धि है ताकि उत्पादकों को दिया जाने वाला प्रशुल्क उन उत्पादकों को, जो 40 से 50 प्रतिशत तक की सीमा तक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, दिए जाने वाले प्रशुल्क की तुलना में बहुत अधिक दिया जा सके। यह मुख्य नीति है जिसने यूरोप में काम किया है।

अब मैं भारत पर आता हूं। मैं समझता हूं, इस सबके होते हुए, मेरे कुछ सुझाव हैं जो भारत में काम कर सकते हैं। हमें सार्वभौमिक प्रशुल्क की आवश्यकता है, जो सरल और समान रूप से पूरे राज्य में लागू हो। हमें त्वरित मूल्यह्रास की आवश्यकता है। दो से तीन वर्षों की अवधि के दौरान, मैं समझता हूं, हमें इसे एक वर्ष तक कम करने और पूंजी निवेश को 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस लेखांकन योजना के माध्यम से वास्तविक लाभ निवेशकों को मिल सके।

हमें टैक्स इक्विटी फंडिंग की आवश्यकता है। हमें ब्याज दर सब्सिडी और जो लोग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूंजी निवेश के इच्छुक है, उनके लिये हमारे सरकारी बैंक के माध्यम से त्वरित ऋण निधि की भी आवश्यकता है। हमें सरकार के प्रबंध से नवीकरणीय ऊर्जा निधि बनाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार न केवल महत्वपूर्ण निवेश कर्ताओं से भागीदारी करके निवेश को बढ़ावा दे सके, बल्कि धन का पुन:चक्रण किया जाता है, जिससे लाभ की प्राप्त किया जा सके।

हमें व्यस्ततम समय में विद्युत की कीमत भी देखने की जरूरत है। यह बहुत रूचिकर संकल्पना है। विद्युत की सर्वाधिक मांग सामान्यत: मध्याह्न में और विद्युत की न्यूनतम मांग मध्यरात्रि के दौरान होती है। यह मांग और पूर्ति का चक्र है। अब, सौभाग्य से, सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी मध्याह्न में अधिकतम विद्युत उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा मध्याह्न में सर्वाधिक होगी। अन्य अनेक क्षेत्रों की तरह, यदि हम अधिकतम मांग के दौरान विद्युत मूल्य निर्धारण तंत्र पर विचार करें, तो हमारे कुछ राज्यों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। मैं समझता हूं। यह आगे भी जारी रह सकता है। मैं समझता हूं अधिकांश। समय हम हमारे वर्तमान के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। हम वर्तमान में सामने आ रही समस्याओं से घिर जाते हैं। हम हमारे भविष्य के बारे में भूल जाते हैं। श्री जसवंत सिंह जी ने एक तथ्य का उल्लेख किया कि 30 वर्षों के भीतर गंगा नदी सूख सकती है। यह हमारा भविष्य है और हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। हमें हमारी अगली पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम कवेल बात नहीं करते रहें बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा हमारे लिए मुख्य ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन जाए। हम बड़े ऊर्जा आयातक राज्य हैं और हमें सुनिश्चित करना है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर देखें। *[हिन्दी]* सर हरियाणवी में एक कहावत है कि झोरे तले बाल्टी रखने से कोई फायदा नहीं है। *[अनुवाद]* जब तक, हम कर प्रोत्साहन प्रशुल्क ढांचे को पूर्णत: नहीं बदलते हैं, मैं समझता हूं कि यह कहना मात्र पर्याप्त नहीं है कि हमारा लक्ष्य है कि हमारी ऊर्जा का 10 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से आना चाहिए।

हरियाणा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात सामान्य टिप्पणी है। यह न केवल हरियाणा बल्कि किसी भी जगह आवयक नहीं कि एक विशेष स्थिति उत्पन्न कर दे। यह हमारे संघीय आर्थिक ढांचे पर उस दवाब से सम्बन्धित है जो हमारी वृद्धि के कारण बन रहा है। हमें वास्तव में – केन्द्रीय करों में अत्यधिक कमी करने की आवश्यकता है यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हमारे सामने क्या स्थिति है? आज राजकोषीय संसाधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व में अत्यधिक असंतुलन है। राज्यों के पास समिति राजकोषित संसाधन है, लेकिन कहीं अधिक राजकोषीय उत्तरदायित्व हैं। यह स्थिति उन राज्यों के लिए विशेष बन जाती है, जो अधिक कर उगा रहे हैं लेकिन बदले में कम प्राप्त कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि संपूर्ण देश के लिए, जबकि राज्य अपने राजस्व का 34 प्रतिशत एकत्रित कर रहे हैं, वे 57 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। हमारी आजादी के समय यह अनुपात विपरीत था और हमारी संविधान सभा के माध्यम से हमने हमारे संघीय आर्थिक ढांचे को परिभाषित किया है।

मेरा ख्याल है हमें अब इस पर पुन: विचार करना चाहिए। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि कुल राजस्व का 30 प्रतिशत राज्यों के सुपुर्द किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि इसे 50 प्रतिशत

तक बढ़ा देना चाहिए। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। इसके साथ बड़ी समस्या है।

केन्द्रीय राजस्व का व्यय सामान्यत: केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, जिनका निष्पादन देश भर में एकसमान किया जाता है। प्रत्येक राज्य, काफी सदस्य इस बात को मानते होंगे। विशिष्ट है। प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं और अपनी प्राथमिकताएं हैं। पूरे देश के लिए एकसमान निष्पादन के लिए अभिकल्पित केन्द्रीय प्रायोजित योजना कुछ राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता। हमें राज्यों के लिए अधिक उदारता से प्रावधान करना चाहिए। इससे एक अजीब सा असंतुलन हो जाता है, जिसमें कुछ राज्य जो वास्तव में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तथाकथित प्रगतिशील राज्य इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं होते।

उदाहरणार्थ, हरियाणा जैसे राज्य नरेगा जैसी योजनाओं से लाभान्वित नहीं होते क्योंकि हमारी दिहाड़ी अपेक्षाकृत अधिक है। हरियाणा को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से लाभ नहीं होता क्योंकि हमारे सभी ग्रामों में सत्तर के दशक में ही बिजली आ गई थी। हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना से उतना लाभ नहीं होता, जितना कुछ राज्यों को होता है, क्योंकि हरियाणा में अस्सी के दशक में ही सड़क-संपर्क का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था। इस तरह, हमें अपने उत्तम प्रदर्शन के लिए दण्डित होना पड़ रहा है। मेरा मानना है, यह बहुत समय तक नहीं चलेगा। हमारे देश में बढ़ता राजनैतिक संघवाद आर्थिक संघवाद के रूप में भी दिखाई देना चाहिए, जबकि इस समय ऐसा नहीं है।

मेरा सुझाव यह है कि हमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में लचीलापन लाकर इसकी शुरूआत करनी चाहिए। एक उदाहरण राष्ट्रीय कृषि योजना है, जिसमें व्यापक दिशानिर्देश हैं, लेकिन राज्यों को यह चुनने को पर्याप्त लचीलापन दिया गया है कि योजनाओं को कैसे और कहां कार्यान्वित करें, ताकि वे अपनी विशिष्ट समस्याओं और प्राथमिकताओं के बारे में विचार कर सकें।

इस संबंध में एक अन्य चीज बहुत लाभकारी यह हो सकती है कि राज्यों को केन्द्रीय राजस्व पूल के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े और उन्हें ऋण लेने के लिए लचीलेपन की अनुमति दी जाए। भारत में ऐसे राज्य हैं, जिनका सकल घरेलू उत्पाद उन कई राष्ट्रों से अधिक है, जो 'सॉवरिन बॉण्ड' जारी करके बहुत सफलतापूर्वक ऋण ले लेते हैं। मैं नहीं जानता कि केन्द्र राज्यों ने इस संबंध में दिशानिर्देशों क्यों देता है कि राज्य न केवल ऋण अथवा बाण्ड के संदर्भ में कितना ऋण ले सकते हैं, बल्कि कहां से ऋण ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस सोच को जिस तरह से राज्य अपना आर्थिक प्रबंधन करते हैं, उसके लिए केन्द्र राज्यों पर भरोसा नहीं करता, को दबलना होगा। मेरा विचार है कि राज्यों को वहां से धन इकट्ठा करने की अनुमति दी जाए, जहां से वे इकट्ठा कर सकते हैं।

जहां तक जीएसटी का संबंध है, इसके सिद्धांत का स्वागत करना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन पुन: इसमें एक समस्या है। मैं यह अनुमान लगाने के लिए कुछ विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा था कि जीएसटी में राज्य बनाम केन्द्र के बीच कर का कितना अनुपात होगा, और यह अनुमान सामने आया है। इसमें राज्य के करों का 80 प्रतिशत, केन्द्रीय करों का 35 प्रतिशत शामिल होगा। केन्द्रीय कर का 65 प्रतिशत प्रदान करने वाले आय कर और सीमा शुल्क जीएसटी से बाहर रखे गए हैं मेरी मांग यह है कि जीएसटी से संग्रहीत राजस्वों में से वहन किया गया व्यय राज्यों के पक्ष में बांट दिया जाए। मैं राज्यों के पक्ष में 40:60 के अनुपात में इसे विभाजित करने की सिफारिश करता हूं। इस पर विचार किया जा सकता है, पर व्यय को राज्यों के पक्ष में विभाजित करना चाहिए।

जीएसटी ने छूटों में कुछ बड़ी त्रुटियां की हैं। उदाहरण के लिए खाद्यान्नों को लीजिए। हरियाणा, पंजाब और अन्य कृषि प्रधान राज्यों में गेहूं और चावल पर इस समय लगभग चार प्रतिशत राज्यीय मूल्यवृद्धित कर लगाना गया है। इन्हें जीएसटी में शामिल किया जाएगा। अब, जब राज्य मूल्यवृद्धित कर लगा रहा है तो राज्य सामान्यत: उस धनराशि को कृषि में वापस विपणन बोर्डों में निवेश करने हेतु उपयोग करते हैं, ताकि किसान और कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जा सके। इसका उस पर ज्यादा नियंत्रण है लेकिन यह हमारे लिए दोहरी चेतावनी है। अत: मेरे विचार में हमें वस्तुओं सेवा कर से खाद्यान्नों जैसे धान और गेहूं को हटाना चाहिए।

दूसरी बात जो मेरे विचार से हरियाणा जैसे राज्य के किए बहुत महत्वपूर्ण है। *[हिन्दी]* महोदय, हरियाणा के साथ एक बड़ी विचित्र समस्या है। बहुत से प्रदेशों के साथ भी यह समस्या है। हरियाण के अंदर कोई ऐसा प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं कि हम बिजली का उत्पादन कर सकें। हमारे पास झरने नहीं हैं, कोयले की खान नहीं हैं, इसलिए अगर कोई बिजली का कारखाना लगाया भी जाता है, तो हमें कोल दूसरे प्रदेश से मंगाना पड़ता है या बिजली खरीदनी पड़ती है। जिस प्रदेश से भी हम बिजली खरीदते हैं, वह कमी का फायदा उठाकर, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमसे चार्जेज लेते हैं। यह बिजली कहां जाती है? हरियाणा की 50 फीसदी बिजली एग्रीकल्चर सैक्टर में जाती है, जिससे चावल और गेहूं मिलता है। वही चावल और गेहूं उन्हीं प्रदेशों में सब्सिडी में जाते हैं, जिन्होंने बिजली के लिए हमसे

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

ज्यादा पैसा चार्ज किया है। *[अनुवाद]* अत: मेरे विचार से हम दूसरी अवहनीय स्थिति में है। हमें वास्तव में यह निश्चित करना है कि हम इस स्थिति को बदलेंगे। इस संबंध में मेरी सिफारिश यह है कि हमें उन सभी बिजली कंपनियों को कर का लाभ देना चाहिए जो हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य को बिजली बेचते हैं, और देश की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र को बिजली दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। *[हिन्दी]* महोदय, एक और विचित्र समस्या हरियाणा और बहुत से दूसरे प्रांतों के साथ है, चाहे वह पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, यह समस्या बहुत से और दूसरे प्रदेशों के साथ भी है।

[अनुवाद]

हमारे राज्य चारों ओर से जमीन से घिर रहे हैं। यदि आप चीन में पिछले दो दशकों में हुए विकास को देखें, तो यह असंतुलित विकास है। तटीय क्षेत्र फले फूले हैं और दूरस्थ क्षेत्र बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारा विकास का पथ अब निर्यातोन्मुखी विकास का मॉडल हो गया है। हम देखेंगे कि अगले दस वर्षों में तटीय क्षेत्रों में बहुत विकास होगा। हम भी समझते हैं कि हमें समग्र वृद्धि के लिए जनादेश मिला है। हम किसी क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ सकते। हम चीन की तरह नहीं है। कि यहां हम वास्तुत: गांवों को पीछे छोड़कर उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वे सभी निवेशक जो समुद्र तट विहीन राज्यों पर ध्यान देना चाहते हैं, को कुछ प्रोत्साहन, कर-छूट आदि उपलब्ध कराएं। मैं 'मालभाड़ा निष्प्रभावन राजसहायता' शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि वे सभी निर्यातक जो हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में निवेश कर रहे हैं, वे कुछ अन्य राज्यों की तुलना में लागत लाभ और हानि को निष्प्रभावी करने में इसका उपयोग कर सकें।

मेरे विचार से दिल्ली मेट्रो को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करना चाहिए। महोदय, हुआ यह है कि यद्यपि दिल्ली मेट्रो का निर्माण दिल्ली के अन्दर हुआ है तथापि दिल्ली मेट्रो को शहरी विकास मंत्रालय से निधि मिलती है परंतु जैसे ही यह पड़ोसी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य राज्यों में जाती है, यद्यपि इसके एक हिस्से के लिए निधि भारत सरकार देती है तथापि इसके एक हिस्से के लिए उस राज्य सरकार द्वारा निधियां दी जाती हैं। मैं नहीं मानता कि इस तरह विसंगति होनी चाहिए। मेरे विचार से इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बदलना चाहिए।

अंतिम मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और वह यह कि मैंने बजट भाषण के दौरान उठाया और मैं वास्तव में इस पर बता देना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस मुद्दे पर विचार करने का पर्याप्त समय नहीं मिला था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है? दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्र चाहे यह हरियाणा का रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव हो या राजस्थान का अलवर या उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और मेरठ हो, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहे जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवसंरचना को सही ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के लिए योजना बोर्ड है ताकि दिल्ली पर बहुत ज्यादा दबाव न पड़े क्योंकि दिल्ली और इसके बाहर के छोटे कस्बों के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है। महोदय मैं भयभीत हूं, जनादेश अन्तर को कम करने, समग्र विकास करने, किसी क्षेत्र को अविकसित न छोड़ने और जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बात है, भयंकर गरीबी के बीच इंडिया शाइनिंग कैपसूल का सृजन न करने के लिए मिला है; यह जनादेश कार्यवाही में नहीं दिखा है।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, आप यह जानकर भयभीत होंगे कि राष्ट्र मंडल खेलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लगभग 5000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यदि आप अनुमान लगाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का सम्पूर्ण बजट 50 करोड़ रुपए है। मैं अर्थ चीजों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जो दिल्ली को मिल रही हैं। मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं कि जो दिल्ली को राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए, इसे पर्यटकों हेतु सुन्दर बनाने के लिए मिल रहा हैं हम इसका स्वागत करते हैं। यह हमारी राजधानी है लेकिन मेरी एक सिफारिश है। यदि ऐसी स्थिति है तो वे सभी लोग जो राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान केवल एक महीने के लिए दिल्ली आंएगे और वापस चले जाएंगे, को बताना चाहिए कि वे दिल्ली में ही ठहरें। ऐसा इसलिए कि यदि वे दिल्ली के बाहर जाते हैं तो वे वहां की स्थितियों से भयभीत होंगे। या दिल्ली के चारों ओर दीवार बनाई जानी चाहिए और इस पर लिखा हो कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। दीवार के दूसरी ओर यह लिखना चाहिए कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि लोग आएंगे और इस अंतर को देखेंगे, तो वे यह पंसद नहीं करेंगे।

अत: इस संबंध में मेरा सुझाव दोहरा है। पहला, यदि सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सीधे अनुदान को बढ़ा सकती है तो मेरे विचार से यह यथा-संभव हद तक किया जाना चाहिए। दूसरा, कोई को बांड जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि मैं जपना धन इस तथ्य को ध्यान में रखकर वहां लगा सकता हूं कि चाहे बोर्ड पुन: वित्त का चयन करता है और इससे धन कमाता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है तो बोर्ड बहुत धन कमाएगा। मेरे विचार से इस प्रकार के अवसंरचना बाण्ड जारी करना एक अच्छा विचार होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं तीज के पर्व पर आपको, सभी सदस्यों और देश के शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

आज हरियाणा के अन्दर तीज है, झूलों का त्यौहार है, आप सबको उसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से माननीय जसवंत सिंह जी जब बोल रहे थे, उन्होंने विद्वतापूर्ण ढंग से, सारे तर्कों से, आंकड़ों से, तथ्य और सत्य को सदन के सामने रखा है। मैं उस तथ्य और सत्य को स्वीकार करता हूं और यह मांग करता हूं कि उस तथ्य और सत्य के आधार पर वित्त मंत्री जी कुछ चिंतन करेंगे और देश को कुछ आगे बढ़ाएंगे।

मैं गांव का रहने वाला हूं और पेशे से किसान हूं। परमात्मा ने जन्म भी ऐसी जाति में दिया जिसका नाम ही गोपाल है अर्थात पशुपालक हूं। इसलिए जो जहां से आता है, उसका संस्कार वहीं का बनता है, उसका स्वभाव बनता है, उसका विचार बनता है, उसकी प्रकृति बनती है, उसकी प्रवृत्ति बनती है, जब मैं गांव से आया हूं, किसान हूं, पशुपालक हूं, तो सहज और स्वाभाविक ढंग से मैं जब भी बोलूंगा तो मेरा संस्कार मुझे वही बोलने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए इसी को निहित स्वार्थ कहते हैं। आज भारत का वित्तीय प्रबंधन, अर्थव्यवस्था भारत के वैस्टेड इंटरस्ट के हाथ में है। यह शब्द अंग्रेजी में है, जिसे मार्क्सवादी और समाजवादी वैस्टेड इंटरस्ट कहते थे। भारत के अंदर ऐसे वैस्टेड इंटरस्ट की एक जमात बन गई है तो हिन्दुस्तान के 5 से 10 प्रतिशत लोगों के साथ में है। वही अर्थ का प्रबंधन करते हैं, वित्त का प्रबंधन करते हैं, घाटे को नफा दिखाते हैं, नफे के घाटे में ले जाते हैं। डैफीसिट को सरप्लस कर देते हैं, सरप्लस को डैफीसिट कर देते हैं। न जाने यह माया का खेल कब तक भारत में चलता रहेगा? यह खेल तब तक चलता रहेगा, जब तक भारत के गांव, गरीब, किसान, निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़े और दलित आकर इस संसद पर कब्जा नहीं करेंगे, जब तक उसका नेतृत्व नहीं आएगा, तब तक यह खेल बंद नहीं होने वाला है।

का दुख जाने दुखिया का दुख जाने दुखिया माय
जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई।

जो गांव में रहा नहीं, झोपड़ी में सोया नहीं, बाजरे, ज्वार, रागी, मकई की सूखी रोटी नमक और प्याज के साथी खायी नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। उसी मंडुवा को रागी कहते हैं। उनके दर्द को क्या जानेगा।

आप बजट बनाते हैं। उसमें आप कुछ सुविधाएं देते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इतना छोड़ दो, महिलाओं के लिए इतना छोड़ दो। आप जितना छोड़ते हैं उसका लाभ किसको मिलेगा? जब आप सीनियर सिटीजन्स के लिए छोड़ेंगे, तो उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो इनकम टैक्स देते हैं। हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, जिसके पास कोई इनकम नहीं है, वह टैक्स कहां से देगी? जब उसकी इनकम नहीं है, टैक्स नहीं है, तो वह रिबेट क्या पायेगा? वह कितना दर्दनाक खेल है। जब उसकी इनकम ही नहीं है, तो वह टैक्स क्या देगा? जो टैक्स नहीं देगा, वह रिबेट क्या पायेगा? एक तरफ हिन्दुस्तान में पांच से दस प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी सुख-सुविधा, समद्धि और खुशहाली के लिए गरीबी के महासागर में अमीरी के कुछ टापू बनाये जाते हैं और उसमें समृद्ध और सम्पन्न लोगों के लिए हनीमून मनाने का एक केन्द्र बनाया जाता है।

हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं, पसीना बहाते हैं, जाड़े के समय अपनी हड्डी ठुठराते हैं, गरमी की लू में अपनी चमड़ी को झुलसाते हैं और बरसात के समय अपने शरीर को गलाते हैं, उस 80 प्रतिशत जनता के लिए इस संसद में, बजट में या इस वित्तीय प्रबंधन में क्या रखा है? उनके लिए इसमें कुछ नहीं रखा है। आप कहेंगे कि कैसे? आप इनकम टैक्स देने वाले हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो छठा वेतन आयोग, आठवां वेतन आयोग, नौवां वेतन आयोग आता है। जब महंगाई बढ़ेगी, वेतन आयोग आयेगा, कुछ बढ़ायेगा। सरकारी खजाने से वेतन-भत्ता पाने वालों, सुख-सुविधा पाने वालों की जेब में कुछ पड़ जायेगा। लेकिन हिन्दुस्तान के गांव में बसने वाले जो 80 प्रतिशत किसान हैं, उनके लिए कौन सा आयोग बनेगा? उनके लिए न वेतन आयोग बनेगा और न ही कोई आयोग बनेगा। आप उन्हें क्या देंगे?

मेरी पहली मांग है कि जैसे मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर को पेंशन मिलती है, जैसे सेवा-निवृत्त होने के बाद अधिकारियों को पेंशन मिलती है, उसी तरह गांव के खेत में लड़ने वाला किसान, उसकी पत्नी, बहन और बहु रात दिन अपने बच्चे के साथ मिट्टी में लोटते हैं, पसीना बहाते हैं, गरमी में तपते हैं और पसीना बहाते हैं, पसीने और मिट्टी से उनके कपड़े ऐसे रंग जाते हैं जिसके लिए हिन्दुस्तान में ऐसा कोई डिजर्जेंट पाउडर या साबुन नहीं बना है, जो उस रंग को फिर से सफेद कर दे। मैं मांग करना चाहता हूं कि खेत में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आप इस वित्तीय विधेयक में संशोधन कीजिए। यदि किसान और उसकी पत्नी भी 65 वर्ष के बाद सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो उनको भी कम से कम तीन हजार रुपये उसी तरह पेंशन दी जाये, जैसे आप सरकारी नौकरों को पेंशन देते हैं, मिलिट्री के रिटायर्ड अफसरों को पेंशन देते हैं। क्या आप उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे?

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

अभी दीपेन्द्र हुड्डा जी बोले रहे थे। उनके पिताजी मेरे मित्र हैं उनके दादा जी स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य थे। वे इस सैंट्रल हाल में बैठते थे, तो मुझे अपने पुत्र जैसा प्यार करते थे। अभी कह रहे थे किसान खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा किसान खुश हैं? इस देश में तीन तरह के किसान हैं– हलधारी, छाताधारी और बंगलाधारी। हलधारी किसान कौन है? जो अपने हाथ से हल, कुदाल, कस्सी, दराती चलाते हैं और ज्वार, बाजार में सिंचाई करते हैं, जाड़े में खड़े रहते हैं, उनके पैर ठिठुरते रहते हैं, तन पर कपड़े नहीं होते। जब बिजली आती है, तो वह मोटर चलाने के लिए दौड़ कर जाता है। बिजली चली जाती है, तो दौड़ कर घर जाता है। फिर बिजली आती है, तो मोटर चलाने के लिए आता है। फिर बिजली चली जाती है, तो दौड़ कर घर जाता है। उनके घर में नई-नवेली पत्नी आती है। बिजली के खेल में रात गुजर जाती है, लेकिन वह पत्नी के साथ कभी बैठ नहीं पाता।...*(व्यवधान)* यही खेल है। यह हलधारी किसान है, जो अपनी पत्नी और बहु के साथ हल, कुदाल, कस्सी और दराती चलाता है। क्या आपने यह देखा हैं? उसकी जवान बैटी आती है। उसके तन पर केवल एक पतली धोती रहती है। न नीचे बलाउज है, न पेटीकोट है। वर्षा आती है, वह साड़ी भीग जाती है। वह मां-बाप के साथ काम करती है, उसके तन की क्या हालत होगी, उस दर्द को यहां किसने देखा है। मैं उस गरीबी से पलकर आया हूं, इसलिए मेरे अंदर वह आग है, वह विद्रोह है। मेरा बस चले, तो मैं इस सारी व्यवस्था को जलाकर राख कर दूं। भले ही वह राख लगाकर मुझे सन्यासी बनना पड़े, तो वह दिन भी मैं ला सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वह पीड़ा है, दर्द है। आप ऊपर से हमारी गरीबी पर हंसते हैं? गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? इस दिल्ली के अंदर गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनती हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि से ग्रीब लो आते हैं और गगनचूंबी अट्टालिकाएं बनाते हैं। उसमें शीत ताप नियंत्रक, एसी लगता है, जाड़े में गर्म और गर्मी में ठण्डा होता है, बैठने वाले हैं। आगे बीयर है, बगल में डीयर है और मेरी आंख में सिर्फ टीयर ही टीयर है। इस दिल्ली के फुटपाथ पर 15 से 20 लाख लोग सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, वहीं बढ़ते हैं, शादी होती है, पेड़ के नीचे उनकी सुहागरात मनती है, बच्चे जन्मते हैं, फिर वे बढ़ते हैं और वे भी पेड़ के नीचे ही रहते हैं। ऐसे 15 से 20 लाख लोग दिल्ली के फुटपाथ पर सोते हैं, इन गगनचुम्बी अट्टालिकाओं की छाया में रहते हैं। क्या उनकी तरफ आप में से किसी की नजर जाती है। हे भारत के वित्त मंत्री, हे भारत के प्रधानमंत्री, एक रात सड़क पर निकलो, फुटपाथ पर सोए हुए उन 15-20 लाख लोगों को, मजदूरों को दिल्ली शहर में देखो। एक है इण्डिया, एक है भारत। मैं इण्डिया की नहीं, भारत की बात करता हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप वित्त विधेयक बनाते हैं किसलिए? इस पर आप सोचिए।

दूसरे, छाताधारी किसान वे हैं जो खेत की मेड़ पर खड़े रहते हैं, उसका मजदूर काम करता है, उसको रोटी देते हैं, पानी देते हैं, उसको हल-कुदाल पहुंचा देते हैं, दरांती टूट जाती है तो कहीं से लाकर देते हैं अर्थात अपने मजदूर का सहयोग करते हैं। वे अपने मजदूर को रोटी-पानी देते हैं, लेकिन मेड़ पर खड़े होकर काम कराते हैं। तीसरे, बंगलाधारी किसान हैं जो फार्महाउस बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें बाराती ठहराते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। पांच एकड़ जमीन है, उसमें फूलों की खेती कराते हैं, हॉलैण्ड वाले फूल की खेती कराते हैं, एक एकड़ में इतना उत्पादन दिखाते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं, उन्हें बंगलाधारी किसान कहते हैं। बड़ी-बड़ी कारों में चलते हैं, अपने फार्म पर जाते हैं, मक्के की बाली लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और कहते हैं मैं भी किसान हूं। हे धन्य किसान, मैं तुम्हे कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। वे किसान के नाम पर कलंक हैं और किसान को लूटने वाले हैं। ऐसे किसान खुश हैं क्योंकि उनकी खुशहाली का रास्ता है, लेकिन जो हलधारी हैं, जो छाताधारी किसान हैं, उनको आपने क्या दिया है? ठनठन गोपाल, कुछ नहीं। वचनं किम् दरिद्रम अर्थात अगर बातों से परोसना है, तो चम्मच से क्या परसना, बाल्टी लेकर घी परोस दीजिए। लेकिन आज सत्य यही है, तथ्य यही है। समाज में आज पांच तरह के लोग हैं, जिनके लिए यह वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था है, एक है संरक्षित, एक है सुरक्षित, एक है आरक्षित, एक है उपहासित और एक ही तिरस्कृत।

पहले तरह के लोग हैं संरक्षित, जो सदाबहार हैं। राज किसी का बदलेगा, लेकिन उनकी जय-जयकार ही रहेगी, चांदनी चलती रहेगी। ऊपर से दस-बीस घराने हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। राजा बदलेगा, उनका कुछ नहीं बदलेगा। फिर वही आएंगे, धनचक्कर बनाएंगे। इनको कहते हैं वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स का विशियस सर्किल अर्थात निहित स्वार्थियों का दुष्चक्र, खेल बदलता है, लेकिन खिलाड़ी नहीं बदलते हैं। जैसा जसवंत सिंह जी ने कहा, कृपा करके खेल बदलिए तो उसके साथ खिलाड़ी भी बदलिए। जब तक खिलाड़ी नहीं बदलेगा, तब तक खेल बदलने में कोई मजा नहीं आएगा, वही खिलाड़ी कभी बैडमिंटन खेलेगा, कभी हॉकी खेलेगा, कभी कबड्डी खेलेगा, वही कभी टेनिस खेलेगा। खेल बदलते रहो, लेकिन खिलाड़ी उतने ही बने रहो, चक्कर मारते रहो। आज जरूरत है कि अर्थव्यवस्था बदले, वित्तीय प्रबंधन बदले तो खेल भी बदले और उसके साथ-साथ खिलाड़ी भी बदले, तभी भारत का कुछ उद्धार हो सकता है। ये लोग संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। जो अधिकारी बने हुए हैं, वे सुरक्षित हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस

आदि अधिकारी हैं। इनका काम क्या है, यहां नहीं तो वहां सही, बिहार नहीं तो चंडीगढ़ सही, चंडीगढ़ नहीं तो कर्नाटक सही, कर्नाटक नहीं तो तमिलनाडू सही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय रहते प्रोमशन मिल ही जाता है, कुर्सी तो ऊंची उठती जाती है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे हैं समाज में सुरक्षित। एक हैं आरक्षित, जिन्हें ऊपर से आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण के मायने यह नहीं कि वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, आरक्षण का मतलब है जिन्हें सत्ता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है, एक तरह से आरक्षण मिला हुआ है। उन्हें दूसरी भाषा में कहा जाता है मिडलमैन यानि बिचौलिए। मैं तो देहाती भाषा में कहूंगा, सूद किसानी में, — कमीशनखोर, वे आरक्षित हैं। हम किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हम उपहासित हैं और जो दलित हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, वे इस समाज के तिरस्कृत हैं। जब तक इस वित्तीय प्रबंधन को अपने वित्त विधेयक से और भारत सरकार के बजट से तिरस्कृत को ऊपर नहीं उठाएंगे, उपहासित को ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक समाज का अंतिम मानव ऊपर नहीं उठेगा, देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था कि तुम बजट बनाते हो, तुम्हारे बजट का कितना पैसा अंतिम मानव तक जाता है, उसे कितना मिलता है, उसी पर लोक कल्याणकारी राज्य की तुम व्याख्या करना। आज आप लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हो, समता समाज है, यह कैसा समता समाज है! समता समाज में तब आएगी, जब समाज से विषमता मिटेगी। आज समता कहां-कहां है, गांव और शहरी में एक और आठ का फर्क हो गया है। कया हमने बनाया है? गांव बनाए एक, शहर बनाए आठ। एक तरफ अम्बानी ग्रुप है, ऊपर के पांच-दस घराने हैं। अम्बानी साहब कम्पनी बनाते हैं, जनता से शेयर लेते हैं, पैसा तो जनता का जाता है। शेयर देकर और पैसा लेकर कम्पनी बनती है। ये अपने वेतन के रूप में 25 करोड़ रुपया सालाना लेते हैं, जबकि हमें रोजाना 25 रुपए की नसीब नहीं कि जिसमें हम अपने बच्चों के साथ गुजारा कर सकें। क्या आप इस वित्त व्यवस्था के द्वारा इसे रोकेंगे? जहां जनता का पैसा लगा हुआ है, अगर वे शेयर मार्केट से पैसा बॉरो करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, उस गरीब का, किसान का, निर्धन का, मध्यम वर्ग का पैसा उसमें लगा होता है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा देकर शेयर खरीदा है। आप देखिए अम्बानी साहब का ग्रुप है, रिलायंस का है, बिड़ला-टाटा का है, सिंघानिया- पदमानिया का है, ये सब अपने फायदे के लिए कम्पनी बनाते हैं और जनता से कहते हैं कि इसमें पैसा लगाकर शेयर खरीदो, इनमें नफा मिलेगा, इस तरह का सुनहला सपना दिखाते हैं। इस तरह से ये पैसा बटोरते हैं। वही बात हुई कि— बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना। पत्नी का जन्मदिवस मनाते हैं, तो उसे हवाईजहाज उपहार में देते हैं। जबकि मेरे घर में बच्चे रोते ही रह जाते हैं, क्योंकि जन्मदिवस के अवसर पर मैं उन्हें एक प्लास्टिक का खिलौना भी नहीं दे पाता। क्या यही वित्तीय व्यवस्था है, क्या यही आपका अर्थशास्त्र है और क्या इसी वित्तीय प्रबंधन से आप समता समाज का निर्माण कर सकते हैं? हां, पिछड़ी जातियों में, दलितों में, अनुसूचित जनजाति में से कुछ लोगों को लाओगे, लेकिन हमें नहीं लाओगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई दया के पात्र नहीं हैं। यहां सैलजा जी बैठी हुई हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अपने में स्वाभिमान जगाओ, हम किसी की दया के पात्र नहीं हैं। डा. भीमराव अम्बेडकर, डा. राम मनोहर लोहिया, पं. दीन दयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं। जिनके कारण संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है इसलिए जीतकर आते हैं। अगर संविधान में आरक्षण न होता, तो किसी दल को अनुसूचित जाति या जनजाति में कोई योग्य पात्र नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये हमारी योग्यता पर टिकट नहीं देते हैं, यह तो उनकी मजबूरी है, विवशता है। इसलिए विवशता में हमें अपनाते हो, गले लगाते हो, पद पर बिठाते हो और ऊपर से जूते भी मारते हो और कहते हो कि मैंने दलित की बेटी को बनाया, मैंने पिछड़े व्यक्ति के बेटे को बनाया। इस तरह से ये अपनी जय-जयकार भी स्वयं करते हैं, अपने आपको महान बनाते हैं और दयावान भी बनते हैं। क्या आप वित्तीय प्रबंधन से इसको रोकेंगे और इसमें बदलाव लाओगे?

सभापति महोदय, मैं आरक्षण के समर्थन में लड़ता रहा हूं। मैं समाजवादी आंदोलन में रहा। डा. लोहिया बांधे, पिछड़ा पावे सौ में साठ। इस चीज के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं। इस समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी में, पलटन में, व्यापार और रजानीति में कम से कम साठ जगह देनी चाहिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में सुधार करोगे? मैं कहना चाहता हूं कि आप जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार करें। जिस तरह से आप लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण देते हो, उसी तरह से आप राज्य सभा और विधान परिषदों में भी दो। वहां क्यों नहीं देते हो? क्या राज्य सभा और विधान परिषदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में जाने की काबलियत नहीं है? वहां आरक्षण नहीं दोगे, कौन आरक्षण करेगा? हे वित्त मंत्री जी, हे प्रधान मंत्री जी, हे यूपीए की अध्यक्षा, सोनिया जी ''या देवी सर्व भूतेषु सोनिया रुपेण सं स्थिता, नमस्तैया-नमस्तैया नमः तैस्य-नमोनमः''। आप कृपा करिये, दयालु बनती हो तो विधान परिषद् और राज्य सभा में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करो, तब हम समझेंगे कि आप समता समाज बनाना चाहती हो। आपका बजट भी ठीक है, आपका वित्त-विधेयक भी ठीक है, लेकिन यह सब करोगे क्या?

मैं इससे आगे जाता हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन करो। सभी राजनीतिक दलों के संगठन में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

हो और उसी आरक्षण व्यवस्था के तहत, उतना प्रतिनिधित्व सभी राजनीतिक दलों में दिया जाए, अगर न दिया जाए तो चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की मान्यता रद्द कर दे। इतने क्रांतिकारी कदम क्या आप उठा सकते हो?

लेनिन ने कहा था कि तुम जैसे समाज बनाना चाहते हो, पहले अपने संगठन के स्वरूप को वैसा तैयार करो। बनाओ, करोगे क्या? आप कहोगे कि सब पार्टी तैयार होंगे तब करेंगे।

रिलाइंस कंपनी को कापने टैक्स में छूट दे दी है, क्या आपने सब पार्टी वालों से पूछा था, हम लोगों को पूछा था, किसी से राय की थी कि कंपनी वालों को छूट दें या नहीं दें। बड़े लोगों को फायदा देना होगा तो किसी से नहीं पूछेंगे।

सभापति महोदय, समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे, देवता-दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया था। देवता माने सुरक्षित-संरक्षित लोग और दानव माने उपहासित, तिरस्कृत लोग हैं। दोनों के मंथन किया तो उसमें से जहर भी निकला था, जहर को शंकर ने पीया और जब अमृत पीने की बारी आयी तो बीच में विष्णु मोहिनी बनकर नाचने लगे, देवताओं को अमृत पिलाते गये, दानव उनकी सूरत पर नाचते रहे। भारत के लोकतंत्र की आर्थिक-प्रशासनिक व्यवस्था वैसी ही है कि हम तो केवल देख-देखकर ही रह जाते हैं, हमें मिलता क्या है? आपने अपने वित्तीय प्रबंधन में इसी बात को किया है।

हमने कहा था कि अगर समाज में समता लानी है तो अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था में एक और दस का अंतर होना चाहिए। जो सबसे नीचा रहेगा वह एक पायेगा और जो ऊपर रहेगा, वह ज्यादा से ज्यादा दस पायेगा। एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो योजना आयोग की एक संस्था है, उसने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके मुताबिक ऊपर के पांच घराने ले लो। टाटा, रिलाइंस, बिरला आदि ले लो। इनमें से किसी एक की भी सारी जायदाद एक तरफ रख दो और हिन्दुस्तान के 20 प्रतिशत नीचे के गरीब लोगों की जायदाद को एक तरफ रख दो, तब भी उनका पलड़ा भारी होता है। बीस प्रतिशत का मतलब यानी 30 करोड़ लोगों की कुल जायदाद, जमीन, कपड़े, गहने, बकरी भैंस-गाय यानी गरीब की सारी की सारी जायदाद एक तरफ रख दो और रिलाइंस की सम्पत्ति को एक तरफ रख दो तो 30 करोड़ लोगों की सम्पत्ति रिलाइंस से कम पड़ेगी। क्या यही भारत बनेगा, क्या यही आपका वित्त विधेयक है? इसी वित्त विधेयक से क्या आप समता समाज ला देंगे, इसी वित्त विधेयक से आप बराबरी ला देंगे? चाहे उसमें आप कितने ही कानून निकालो, कानून आगे करो, पीछे करो, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस व्यवस्था को बदलो। जैसा माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा और डॉ लोहिया ने भी इसी सदन में बहस छेड़ते हुए कहा था कि खर्च पर सीमा लगाओ। खर्च पर टैक्स लगाओ, आय की छूट दे दो। भारत का नागरिक जितना कमाना चाहे कमाए, बैंक में जमा करे, उस पर कोई टैक्स नही लगेगा, लेकिन हम खर्च पर टैक्स लगाएंगे। हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी की खर्च सीमा 1500 रुपये करिये, 2000 रुपये करिये या 3000 रुपये कर दीजिए, लेकिन लिमिट कर दीजिए कि इससे अधिक अगर कोई खर्चा करता है तो हम 200 प्रतिशत, 300 प्रतिशत, 500 प्रतिशत तक टैक्स लेंगे। इससे फिजूलखर्ची रुकेगी। एक तरफ फैशन, ठाठबाट, शान-शौकत, ऐशो-आराम पर पैसे उड़ाकर टैक्स बचाओ और दूसरी तरफ कमाते-कमाते मर जाओ, पेट में रोटी नहीं पाओ और मरने के समय मृतक के लिए, कफन का कपड़ा तक न पाओ, जिस राज्य में, जिस शासन में, जिस व्यवस्था में गरीबों को जलाते समय, कफन का कपड़ा नहीं मिलता हो, मां तड़प-तड़प कर रोती रह जाए। गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनहें बासी भात, सूखी रोटी मिलती हो, क्या सैलजा जी की हरियाणा राज्य में ऐसा नहीं है? बासी भात, रात की रखी हुई ज्वार बाजरे की रोटी, नमक और प्याज खाकर वह बच्चा स्कूल जाता है। एक तरफ बड़े-बड़े स्कूल बने हुए हैं, एक लाख रुपए एक महीने का खर्च एक बच्चे का आता है। अरबी घोड़ा तैयार किया जाता है और दूसरी तरफ ट्टटू घोड़ा बनाया जाता है और आप कहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार देंगे। संविधान की उपेक्षा हुई। राष्ट्र के निर्माताओं के आदर्श की उपेक्षा हुई है। उनकी बातों को तोड़ा गया है। हमारे राष्ट्र को गलत दिशा में ले जाया गया है। हमारे राष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है। ऋगवेद में कहा गया है कि तुम सम्पत्ति लाओ, तो उसे पांच भागों में बांटों। पहला – धर्म के नाम पर खर्चा करो। दूसरा – समाज के विकास के लिए खर्चा करो। तीसरा – अपने कुटुम्ब परिवार के लिए खर्चा करो। चौथा-अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए खर्चा करो। पांचवां – अपने व्यापार के विकास के लिए खर्चा करो। हमारे ऋषियों ने उस समय वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था का मूल बनाया था – धर्मार्थ काम मोक्षानाम्, आरोग्यम् मूल उत्तमम। ऐसा बजट बनाओ, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाइए कि मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्किोण से समग्रता में मनुष्य की आरोग्यता हो, वह स्वस्थ हो, ऐसे नागरिक का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक यह राष्ट्र सफल नहीं होगा। जब तक हमारा राष्ट्र सुखी नहीं बनता है, तब तक इस पर विचार करना है।

अर्थशास्त्र और वित्त प्रबंधन पर जो आपक नियम है, वह आप करिए। उपभोक्ता मूलक आइटम पर आप ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उत्पादन मूलक पूंजी पर नहीं। डॉ. लोहिया ने कहा था कि पूंजी का विनियोग, पूंजी का विनिमय पूंजी के निर्माण के लिए करो। पूंजी का विनियोग, पूंजी का उपयोग उपभोक्ता मूलक पर करोगे और पैसा खाते चले जाओगे, तो कहां से बचाओगे। आज आपकी पूरी व्यवस्था उपभोक्ता मूलक है। खाओ, पचाओ, जितना खाओ, उतना पचाओ, खाते-खाते मर जाओ, यही आप पाओगे। आप उत्पादनमूलक व्यवस्था बनाओ। भारत के नागरिकों को कह दीजिए, बैंक में जितना पैसा है, उस पैसे को बीस साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कर दो। उसका नाम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष होगा। बीस साल के लिए जितना पैसा जमा करना चाहो, कर सकते हैं। बीस साल के बाद वह पैसा वापिस मिलेगा। जितना इंटरेस्ट होगा, वह मिलेगा। अगर 9 परसेंट इंटरेस्ट है, तो 10 परसेंट इंटरेस्ट कर दीजिए। बीस साल के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। वह एक नम्बर का पैसा होगा। उस पैसे से सिंचाई का प्रबंध कर दीजिए, खेती का विकास कर दीजिए। भूमि सेना का निर्माण कर दीजिए। पढ़े-लिखे को रोजगार दोगे, लेकिन हमारे किसान का बेटा-बेटी गांव में रहता है, उन्हें कहां रोजगार दोगे? भूमि सेना निर्माण करो, बंजर भूमि आबाद करो, पत्थरीली भूमि को तोड़ो, वन लगाओ और हमारे बेटे, जो गांव में बेरोजगार हैं, उन्हें हजार, दो हजार, तीन हजार रुपया दे कर सेना में भर्ती कीजिए। हम राष्ट्र को सबल बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। अन्न का अभाव था, हमने पसीना बहाया। डिफिसिट से सरप्लस में ले गए। खाद्य मंत्री कहते हैं कि 230 मिलियन टन अन्न पैदा किया। मैं मन ही मन हंस रहा था – हे परमात्मा, हे ईश्वर कहां हो, जरा मुझे प्रकाश दिखाओ। भारत में 230 मिलियन टन अन्न पैदा करके अपनी छाती पीटने वाले, यह भी बताओ कि जब 230 मिलियन टन अन्न पैदा करते हो और विदेश से अन्न भी मंगाते हो, एक तरफ अपनी पीठ थपथपाते हो और दूसरी तरफ विदेशों से अन्न मंगाते हो। मुझे 1050 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य देते हो और वाहवाही लेते हो तथा गोरी चमड़ी वाले के हाथ का पैदा हुआ अन्न 1600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदते हो। क्या उस गेहूं में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है? तब भी अपनी खुशहाली पर अपनी जय-जयकार करते हो। मुझे जो कहना था कह दिया, जो मुझे सुनना था, वह मैंने सुना दिया। अंत में मैं केवल एक बात ही कहूंगा कि संसद के अंदर हम जो बोलते हैं, वह भारतवर्ष के लाखों लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, इसलिए मैं पिछड़े, गरीब, निर्धन किसानों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने स्वाभिमान को बंधक मत बनाओ। किसी अनुग्रह पर, अनुदान पर आश्रित न हो जाओ। अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर रहने वाला नेतृत्व, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर रहने वाला प्रशासन, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाला व्यवसाय, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाला व्यापार, अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाली अर्थव्यवस्था कभी भारत का कल्याण नहीं कर सकती है। अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा पर चलने वाली अर्थव्यवस्था कभी भारत का कल्याण नहीं कर सकती है। अनुग्रह, अनुदान और अनुकम्पा से अपने को मुक्त करिए। जिस दिन भारत का यह स्वाभिमान जगेगा, उस दिन भारत ग्रहण मुक्त हो जाएगा और उस दिन भारत माता विश्व विजयी बनेगी। वह दिन भारत के लिए स्वर्णिम होगा जब भारत सम्पन्न, खुशहाल और समृद्ध बनकर विश्वविजयी होगा और दुनिया भर के लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे।

"सर्व स्वरूपे, सर्वेशे, सर्वशक्ति समंविते,
भयभयस्त्राहि नो देवी दुर्गे रुपणि भारत माता नमस्तुते।"

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर हमें अलग से बोलना था लेकिन हुक्मदेव बाबू को भाषण करते-करते लगा कि वे समाजवादी पार्टी के हैं, भाजपा वाला कहीं निकाल बाहर न करें, यह उनको शंका है।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम पार्टी में हैं। हम किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए बोलते-बोलते अंत में कह दिया कि दोहा में जो डब्ल्यूटीओ वगैरह को सम्मेलन होता है, उसमें जो विकसित देश हैं, वे बराबर दबाव डालते हैं कि सबसिडी खत्म करो, अंत में वे यह भाषण कर गये। यूपीए सरकार का यह दूसरा चरण है और प्रथम चरण में उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था और सफलतापूर्वक उसे पांच वर्षों में लागू किया। उसमें यूपीए को सफलता भी मिली और पहले से ज्यादा ताकत में यूपीए सरकार आ गई। इस बार हम जानकारी ले रहे थे कि क्या यूपीए सरकार का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? या कि इस बार बिना प्रोग्राम के ही चलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : जब आप ही नहीं हैं तो प्रोग्राम कौन बनाएगा?...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या यूपीए सरकार को पांच वर्षों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने से खट्टा अनुभव हुआ? क्या यूपीए सरकार को अच्छा अनुभव नहीं हुआ, क्या अनकम्फर्ट था? इसलिए उस अनुभव को आगे नहीं बढ़ाकर उसका लिंक तोड़ दिया गया। इस बार कॉमन मिनिमम

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

प्रोग्राम नहीं है। यह हमें आशंका हो गई कि क्या कारण है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। महोदय, सौ दिन का एक कार्यक्रम हमने देखा है। हमने पता लगाया कि सौ दिन का कार्यक्रम क्या होता है पांच वर्षों की अवधि में 1850 दिन तक इनको शासन करना है और सौ दिन का प्रोग्राम बनाया है तो 1725 दिन में ये क्या काम करेंगे? बिना कोई कार्यक्रम के कैसे सरकार चलेगी और कहां तक पहुंचेंगे, क्या लक्ष्य होगा?

बीजेपी के ओर लेफ्ट के भाई इंडो-यू.एस. डील पर देश गुलाम हो जाएगा, देश भर में धरना हो जाएगा। इंडो-यू.एस. डील पर पार्लियामेंट में ये लोग बहुत बार बोलते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनर्जी रिलायंस में सैल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ा लेकिन यही अमरीका वाला सौ दिन वाला मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि यूपीए ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? सौ दिन का कार्यक्रम आपने बनाया है तो सवा सत्रह सो दिन क्या काम होगा? सिर्फ सौ दिन का कार्यक्रम है और 1750 दिन शासन करना है। इस संदर्भ में बजट भी आ गया। हमने तमाम नेताओं के भाषण में सुना कि महंगाई बढ़ गई। हुक्मदेव जी वेद के बारे में कह रहे थे, वेद तो पुराना ग्रंथ है, हम नए ग्रंथ रामचरित मानस में राम जी की आर्थिक नीति के बारे में बताते हैं–

मनि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज,
तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज।

पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान मंत्री भाषण दे रहे थे, वे अभी यहां नहीं हैं लेकिन बाकी दो वित्त मंत्री बैठे हुए हैं। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं – मनि मानिक महंगे किए यानी लग्जीरियस आइटम को महंगा कर दिया जाए, सहंगे तृण जल नाज यानी जल, अनाज, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों को सस्ता कर दिया जाए और बड़े आदमी के इस्तेमाल की लग्जीरियस चीजों को महंगा कर दीजिए। यह पॉलिसी वित्त मंत्री को मालूम है या नहीं? जब बजट पेश होता है तो हम देखते हैं कि लग्जीरियस आइटम का दाम घट रहा होता है और गरीब, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों का दाम बढ़ रहा होता है। दाल आदि सभी चीजों के बारे में भाषण दिया जाता है। हुक्मदेव जी, डॉ. लोहिया की बात कहां चली गई, दीन दयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद को भुला दिया। दाम बांधने का इंतजाम होना चाहिए, मूल्य नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि आम आदमी तकलीफ में है। अर्थशास्त्र का विचित्र सिद्धांत है इनफलेशन घटकर शून्य पर चला गया जबकि आवश्यक चीजों की कीमत बढ़ गई। प्राइस राइज़ हो रहा है और इनफलेशन घट रहा है। गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। गरीब जिन आवश्यक चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। बजट में इस बारे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया है।

महोदय, अब हम टैक्स सिद्धांत की बात कहते हैं। वित्त मंत्री जी ने कौटिल्स नीति में टैक्स के पुराने बुनियादी सिद्धांत का उल्लेख किया है। हम सामान्य बुद्धि से जानते हैं कि टैक्स का सिद्धांत इस तरह का होना चाहिए जैसे भंवरा फूल में से पराग निकाल लेता है लेकिन फूल कुछ बिगाड़ता नहीं है। फूल के रंग और रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जहां कहीं आमदनी हो रही है, जिसके पास सम्पत्ति है उससे ऐसा टैक्स लिया जाए तो उसे तकलीफ न हो। गांवों में साधारण छोटे व्यापारी और कारोबारी कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन झंझट से हमें बचा लीजिए, शोषण से बचा लीजिए। यह बात सभी सदस्यों ने अपने भाषण में भी कही है कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। लोग टैक्स देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। कुछ लोग तो टैक्स की चोरी करते हैं जबकि आम लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन झंझट से बचना चाहते हैं। इसके सरलीकरण की कहीं कोई बात नहीं है।

महोदय, इसमें 10,000 की बात कही गई है, यह नाममात्र की छूट है। हमने देखा है इससे लोगों में बड़ा भारी असंतोष है। टैक्स का सिद्धांत है – नदियक पानी नदिए जो हम बर नुआं सुखा ले। इस तरह से जनता से टैक्स वसूल किया जाए क्योंकि यह उन्हीं पर खर्च करना है। हम पुराने लोग इस सिद्धांत को सामान्य बुद्धि से समझते हैं। जैसे समुद्र में धूप लगने से पानी भाप बनता है और बादल बनकर बरसता है उसी तरह से जहां बड़े लोग हैं वहां से धन चलना चाहिए और गरीब आदमी पर खर्च होना चाहिए। ये सब सिद्धांत जो आम आदमी की समझ की चीजें हैं कि इस तरह से टैक्स का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन इसी सिद्धांत पर चला जाए तो देश का आर्थिक विकास होगा।

हुक्मदेव बाबू विषमता के संबंध में ठीक बोल रहे थे कि गरीबी-अमीरी की इतनी भारी खाई है और यह खाई लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसका कोई उल्लेख विधेयक में नहीं है कि विषमता पर हम चोट करेंगे, विषमता को कम करेंगे। इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। विधेयक में गरीब आदमी का जरूर ख्याल किया गया है, लेकिन विषमता कैसे घटेगी, इसका कोई उल्लेख, कोई जिक्र नहीं है। इससे हम लोगों को असंतोष होता है। इस बारे में कबीरदास का सिद्धांत है – 'साई इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाय, मैं भी

भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए'। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है – 'न किसी को बहुत अधिक हो, न किसी को कम हो। नहीं तो स्वानों को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे इठलाते हैं।' इस तरह की सब पंक्तियां हम लोग सुनते हैं, उनका उल्लेख, उनका भाव, उनका जिक्र बजट में आना चाहिए। तब लगेगा कि विषमता घटाने की तरफ प्रयत्न हो रहा है और हम यह करने वाले हैं। 'न किसी को बहुत अधिक हो, न किसी को कम हो'। इस सिद्धांत पर चला जाए। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, यहां संसाधनों की कमी जरूर है। लेकिन हमारे यहां दुनिया की जमीन का 2.4 फीसदी जमीन और 17 फीसदी आबादी है। इसी से इनका पालन होना है, इसी से इनकी तरक्की होनी है। अमेरिका में हमारी बराबरी नहीं की जा सकती। यदि एरिया के आधार पर साढ़े तीन हिन्दुस्तान का रकबा जुटेगा तो एक अमेरिका बनेगा और आबादी में साढ़े तीन अमेरिका जुटेंगे, तब एक हिन्दुस्तान बनता है। इसलिए हमारी और उनकी कोई तुलना नहीं है। हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा संसाधन अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं। इसलिए इसी हिसाब से आर्थिक नीति तय होनी चाहिए, इसी तरह से इसके प्रावधान होने चाहिए, जिससे लगे कि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसके सवाल पर विचार हो रहा है, उसका कार्यान्वियन हो रहा है। लेकिन इस तरह की रिफ्लैक्शन हम इसमें नहीं पाते हैं।

महोदय, इसके अलावा फिजूलखर्ची कितना बड़ा मसला है। इसका कहीं जिक्र नहीं है कि हम फिजूलखर्ची कैसे कम करेंगे या उसे नियंत्रित करेंगे। एक तरफ जो बुनियादी चीजे हैं, उन पर खर्चा कम हो रहा है और दूसरी तरफ फिजूलखर्ची बहुत हो रही है। इसलिए फिजूलखर्ची का जिक्र भी इसमें होना चाहिए कि इस पर हम कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे कटौती करेंगे?

महोदय, ऊपर से लेकर नीचे तक आज भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है। लेकिन भ्रष्टाचार का शमन करने के लिए इनमें कोई सूत्र नहीं बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण किया जायेगा। अवेयरनैस जनरेशम, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेन्सी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मानिटरिंग, एकाउन्टेबिलिटी ये पांच सूत्री कार्यक्रम लागू हो तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकता है। भ्रष्टाचार क्यों होता है? भ्रष्टाचार तीन कारणों से होता है। जहां आमद से अधिक खर्चा हो, वहां भ्रष्टाचार होगा। उसे कोई रोग नहीं सकता है। आप कहीं भी देख लीजिए, भ्रष्टाचार कहां हैं, हमें आमद दस हजार होगी और खर्चा बीस हजार करेंगे तो दस हजार कहां से आयेगा? नम्बर एक – आमद से अधिक खर्च भ्रष्टाचार की जड़ है। नम्बर दो – भाई-भतीजा, हित कुटुम्ब और अपनेपन के चलते भ्रष्टाचार होता है। नम्बर तीन – भ्रष्टाचार वहां होता है, जहां दो समूह हैं। एक समूह प्रबल है और दूसरा समूह कमजोर है। वहां भ्रष्टाचार जरूर होगा। भ्रष्टाचार की जड़ में तीन बातें हैं। इन तीनों बातों की समाप्ति और इसे कम करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उपाय नहीं है। इसलिये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? काले धन की बात की जा रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू के समय काले धन के बारे में एक कमेटी बनी थी। उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी कमेटी बनी। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफैसर अरुण कुमार ने कहा है कि काले धन में बढ़ोतरी हो रही है। ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बता रहे हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि स्विस बैंकों में 73 लाख करोड़ रुपए काले धन का जमा है। इस मामले को बीजेपी और श्री आडवाणी जी ने उठाया है। मेरा कहना है कि क्या बीजेपी के कहने से मान लिया जायेगा या सब ठीक हो जायेगा? इस पार्टी को गरीब और आम आदमी से क्या मतलब है? अगर ये लोग उत्पात का काम शुरू करेंगे या मस्जिद तोड़ने का काम करेंगे और जिसकी रिपोर्ट आ गई है...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : फाइनेंस बिल में मस्जिद की बात कहां से आ गई?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं तो बीजेपी की नीति को बयान कर रहा हूं कि पं. दीन दयाल उपाध्याय की गरीबों के प्रति क्या नीति रही?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप सब्जैक्ट आप आइये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब किसान वाला मामला हुकमदेव बाबू ने उठाया है। किसान लोग काफी दिक्कत में हैं और फिर कह रहे हैं कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दीजिये। मैं कहता हूं कि यह 100 प्रतिशत रहनी चाहिये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप चेयर को एड्रैस कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यदि हुकमदेव बाबू ने नहीं कहा तो सब्सिडी खत्म नहीं होनी चाहिये। आज दुनिया के कई मुल्कों में किसानों को सब्सिडी मिलती है। जब तक किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, वह खेत में काम नहीं कर पायेगा। इसलिये मैं इस बात को कहूंगा कि किसानों को सब्सिडी मिलनी ही चाहिये। इसके बाद मजदूरी का सवाल उठता रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप इधर देखकर कहिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आज किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिये उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिये। जब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। अगर आत्मनिर्भर हो भी गये तो स्थिति दुखद हो जाती है, जब अनाज का आयात करना

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

पड़ जाता है। इसलिये हमें ऐसी स्थिति से सावधान रहना चाहिये कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना पायेंगे। इसलिये इस मसले को हमें सावधानी और मजबूती से हल करना चाहिये।

सभापति महोदय, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें और ज्यादा उपाय करने चाहिये। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि वहां कम जमीन में ज्यादा उत्पादन होता है लेकिन अपने देश में जमीन घट रही है जिससे उत्पादन कम होता है। इस उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये। हमने नहीं देखा कि अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उपाय किये गये हों। हमें इस बात पर जोर देना चाहिये कि किसानों द्वारा अनाज का उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिये उपाय किये जाने चाहिये।

सभापति जी, बिजली के बिना आजकल विकास का कोई मतलब नहीं है।

महोदय, बिजली की कितनी डेफिसिटी है, इसका वर्णन हुकुम देव बाबू ने किया कि कभी बिजली आती-जाती मिलती ही नहीं। चार-चार, आठ-आठ दिन किसान ताकता रहता है कि कब बिजली आएगी या बहुत से घरों में अभी बिजली नहीं पहुंची, बहुत से खेतों में बिजली नहीं पहुंची। पूर्व के योजनाकारों ने बिजली के उत्पादन की योजना सही ढंग से नहीं बनायी। पनबिजली की जो हमारे देश में क्षमता है, नार्थ-ईस्ट और हिमालयन रीजन में और जहां कहीं भी पनबिजली है, उसका 100 फीसदी इस्तेमाल करें, इसके लिए चाहे अन्य विकास के काम रोकना भी पड़े, लेकिन उसका 100 फीसदी इस्तेमाल पहले नंबर पर होना चाहिए।

महोदय, सौर ऊर्जा का हम जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बिजली की जरूरत है, तब कोयला, गैस, न्यूक्लियर, यूरेनियम से या चाहे जैसे उसका उत्पादन हो। लेकिन सबसे पहले पनबिजली को और सौर ऊर्जा को टॉप प्रायोरिटी में लेना चाहिए, इसके लिए अन्य विकास कार्यों को कम करना पड़े या कुछ सालों के लिए रोकना भी पड़े, तो उसे करें। पनबिजली की पोटेंशियलिटी जिसके पास नहीं है, वह भी पानी को ऊपर चढ़ाकर बिजली स्टोर करता है, फिर पानी गिराकर वे पनबिजली पैदा करते हैं। लेकिन पहाड़ और ऊंची जगह पर जो पानी है, वहां पनबिजली का उत्पादन में डेढ़ लाख मेगावाट में केवल नौ फीसदी हमारी क्षमता है। जबकि बगल के मुल्क भूटान, नेपाल की भी पर्याप्त क्षमता है।

महोदय, अभी कुछ काम शुरू हुआ है और उसका प्रारम्भिक अनुभव अच्छा हुआ है। जम्मू-कश्मीर हिमाचल और केरल में, नागालैंड जहां पनबिजली की क्षमता है, वहां उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह से सौर ऊर्जा का जो नया अनुसंधान हुआ है और इसमें दुनिया के अन्य मुल्क आगे बढ़ रहे हैं और हम सौर ऊर्जा में पीछे चल रहे हैं। हमारा मुल्क ब्रिटेन की तरह नहीं है, जहां धूप कम होती है। यहां सूरज का असर ज्यादा होता है और हम गर्मी से परेशान रहते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा और पन बिजली को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, बाकी बिजली गैस से हो, कोयला से हो, तेल से हो, या यूरेनियम वाली न्यूक्लियर एनर्जी हो, इसके लिए थोरियम पर हमें अनुसंधान को आगे बढ़ाना चाहिए, चूंकि थोरियम का भंडार हिन्दुस्तान में है और उससे इसे आगे बढ़ना चाहिए। हमें बिजली के मामले में यह करना चाहिए।

महोदय, शिक्षा के मामले में पुराने जमाने में हाकले कमीशन, हंटर कमीशन, आजादी से पहले और आजादी के बाद राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, आचार्य राममूर्ति कमीशन और उसके बाद अभी हाल में नयी शिक्षा नीति राजीव गांधी जी के समय में बनी। अभी यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आयी, इन सभी का हमें अनुभव है, यह सब उसी अनुभव के आधार पर है।

महोदय, अभी हाल में देखा है कि राइट टू एजुकेशन बिल आने वाला है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा। दिल्ली में हम आए हैं, तो हम सुनते हैं कि 6 वर्ष से पहले प्ले स्कूल होता है। यह प्ले स्कूल क्या होता है? 6 वर्ष तक के बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं। यहां दिल्ली में रहने वाले के लिए तो प्ले स्कूल है, लेकिन गांव में रहने वाले बच्चा 6 वर्ष तक क्या करेगा? 6 वर्ष तक जो प्ले स्कूल, नर्सरी या किंडर गार्डेन जो दिल्ली या शहरी लोगों के लिए हैं, लेकिन देहात के रहने वालों के लिए क्या होगा? वहां वह 6 वर्ष तक का बच्चा फट्टा भी नहीं पकड़ता। 6 वर्ष के बाद उनकी पढ़ाई शुरू होती है। यह हम सवाल उठाना चाहते हैं कि 6 वर्ष तक, दो-तीन साल जैसे शहरी क्षेत्र में बच्चों को मिलते हैं, उसी तरह उन्हें भी मिले। अब एजुकेशन नहीं सुधरेगी, तो हिन्दुस्तान की तरक्की कैसे होगी? इसलिए 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए किस तरह का वहां शुरूआती प्रशिक्षण होना चाहिए, उसकी हेल्थ और एजुकेशन सर्वोपरि है। जब हम बच्चे के भविष्य का ख्याल नहीं करेंगे, तो हिन्दुस्तान आने वाले दिनों में तरक्की कैसे कर सकता है?

एजुकेशन के मामले में हमारा दूसरा सुझाव है कि अभी हम क्या देखते हैं कि हिन्दुस्तान में मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाने में 25-30 लाख रुपये लगते हैं और इंजीनियरिंग में भी लाखों लाख

लगते हैं। यह कौन सा कानून चला रहे हैं? गरीब आदमी कहां और कैसे पढ़ेगा? सैन्ट्रल स्कूल में ही एडमिशन के लिए हमारे पास 150-200 पैटीशन आई हैं। यह माननीय सदस्यों की पीड़ा का मैं वर्णन कर रहा हूं। हमारे यहां इतनी एप्लीकेशन आई हैं तो आपके एरिया के लोग निर्वंश होंगे, ऐसा नहीं है। उनके भी बाल-बच्चे होंगे और पढ़ना चाहते होंगे सैन्ट्रल स्कूल में। कितनी पैटीशंस उनकी आई हैं? उनका क्या जवाब दिया जाएगा? सैन्ट्रल स्कूल में नाम लिखाने के लिए हम रोज़ दस-बीस एप्लीकेंशस पर दस्तखत करके मंत्री जी के पास भेजते हैं।

सभापति महोदय : आपने 25 मिनट ले लिये हैं। प्लीज़ खत्म करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं खत्म ही कर रहा हूं। इसलिए शिक्षा के मामले पर हमें यह सवाल उठाना है। रोजगार गारंटी पर श्री शैलेन्द्र कुमार बोल रहे थे कि गड़बड़ी है। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी हैडेड बाय लोकल एम.पी. पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की अभी तक अधिसूचना नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं अभी तक उसका गठन हुआ? पुरानी कमेटी जो बनी हुई, उसमें जो पुराने एम.पी. नहीं आ सके हैं, उनकी जगह पर जो नए जीतकर आए हैं, उनका नाम लिख दें। यह एक सप्ताह के अंदर का काम है डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनटरिंग कमेटी बननी चाहिए। नहीं तो शैलेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि एनआरईजीए में गड़बड़ी हो रही है। यह होगा तो वहीं जिला में माननीय सदस्य लोग देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी में नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की भी जांच होनी है। फिर आंगनवाड़ी की भी जांच होनी है। गांवों में सरज़मीं पर जितना काम हो रहा है, सभी का काम डिस्ट्रिक्ट विजिलैनस मॉनीटरिंग कमेटी का है। इसलिए सरकार तुरंत इसकी अधिसूचना जारी करे और माननीय सदस्यगण उसकी जानकारी करके तीन महीने में एक बैठक उसकी करें।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर मेरा नाम लिया गया है तो मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आप बहुत समय ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठक जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यहां लोग एमपीलैड को बढ़ाने की मांग करते हैं। हमारा अनुभव कहता है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : एमपीलैड को खत्म होना चाहिए। इससे बहुत भारी नुकसान माननीय सदस्यों का हो रहा है। यह बाद में अनुभव होगा। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। मैं राजनीति में सुधार की बात करता हूं। योजना अच्छी है लेकिन जिस तरह से लागू की जाती है, वह ठीक नहीं है, इसलिए एमपीलैड को खत्म कर दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : एमपीलैड को खत्म कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है। और चर्चा के दौरान मुझे लगता है कि सार यह था कि यह सरकार अर्थव्यवस्था का अच्छे ढंग से संचालन नहीं कर रही और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संजय निरुपम]

वित्त प्रबंधन बेहतर ढंग से नहीं हो रहा। इस नई सरकार का यह पहला साल है और पहला बजट है और यह बहुत ही संकट के दौरे से गुज़रने वाला साल है। एक तरफ ग्लोबल रिसैशन चल रहा है और दूसरी तरफ सूखा सामने आ गया है। आने वाले दिनों में कैसे करना है, जो अपेक्षाएं हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन पिछले पांच वर्षों में क्या हुआ ग्लोबल रिसैशन के बावजूद, उसको समझना बहुत आवश्यक है।

अभी पिछले दिनों रोम के पास जी-8 की मीटिंग हुई उससे पहले जो जी-8 की मीटिंग थी लंदन में, उसमें दुनिया के सारे बड़े मुल्क के लोग थे। उसमें ओबामा भी थे, ब्रिटेन के गॉर्डन ब्राउन थे, जापान के थे।

हमारे डॉ. मनमोहन सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के इए दौर में हम अपने आपको संभाल नहीं पाए। अमरीकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई, सभी बैंक बर्बाद हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

अब सभा सोमवार, 27 जुलाई 2009, पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 27 जुलाई, 2009/5 श्रावण 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री आनंदराव अडसुल	301
2.	श्री आर.के. सिंह पटेल श्री उदय सिंह	302
3.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री संजय सिंह चौहान	303
4.	श्री ए. सम्पत डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	304
5.	श्री बृजभूषण शरण सिंह श्री नृपेन्द्र नाथ राय	305
6.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री वैजयंत पांडा	306
7.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश श्री चंद्रकांत खैरे	307
8.	श्रीमती जयाप्रदा श्री प्रबोध पांडा	308
9.	श्री अवतार सिंह भडाना	309
10.	श्री एंटो एंटोनी	310
11.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	311
12.	श्री मनीष तिवारी	312
13.	श्री भक्त चरण दास श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	313
14.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	314
15.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्रीमती सुप्रिया सुले	315
16.	श्री अर्जुन मुंडा	316
17.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी श्री रुद्रमाधव राय	317
18.	श्री अशोक कुमार रावत	318
19.	श्री संजय तकाम	319
20.	श्री हर्ष वर्धन	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	2927
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	2881, 2907, 2981, 3002
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	2881, 2940, 2977, 2997, 3009
4.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	3000
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2844, 2906, 2958, 2988, 3010

1	2	3
6.	एंटोनी, श्री एंटो	2915, 2966, 2990
7.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	2892
8.	बाबर, श्री गजानन ध.	2898, 2953, 2986, 3003, 3013
9.	बलराम, श्री पी.	2859, 2911, 2962; 2987
10.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	2896
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2944
12.	चक्रवर्ती, श्रीमती विजया	2884
13.	चौहान, श्री संजय सिंह	2934, 2974
14.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	2852, 2944, 2972, 3007, 3010
15.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2871, 2945, 3014
16.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2886, 2976
17.	चौधरी, श्री अधीर	2876, 2935, 2992
18.	दास, श्री भक्त चरण	2928, 3016
19.	देवरा, श्री मिलिंद	2848, 2865, 3026
20.	देशमुख, श्री के.डी.	2895
21.	दुबे, श्री निशिकांत	2870, 2880, 2927, 2939, 2976
22.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	2931, 2970, 2993, 3006
23.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	2890, 2948
24.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	2864, 2917, 2985, 3000, 3012
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2887, 2901, 2952, 2956
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	2953
27.	गांधी, श्री वरुण	2869, 2932, 2971, 2994
28.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	2907

1	2	3
29.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2895, 3005
30.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द्र	2989
31.	हेगडे, श्री अनंत कुमार	2867
32.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	2900, 2955
33.	जाधव, श्री बलीराम	2885
34.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	3018
35.	जयाप्रदा, श्रीमती	2922
36.	जिन्दल, श्री नवीन	2851
37.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	2867, 2924
38.	जोशी, श्री प्रहलाद	2846, 2876
39.	कलमाडी, श्री सुरेश	3023
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2943, 2983, 2999, 3004
41.	खान, श्री हसन	2891
42.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	2887, 2894, 2901, 2951, 2956
43.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	2881, 2882, 2939, 2942
44.	लागुरी, श्री यशवंत	2893, 2981, 3020
45.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2845, 2898, 2916,, 2972, 3017
46.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3014
47.	महतो, श्री नरहरि	2903
48.	माझी, श्री प्रदीप	2873, 2926, 2965, 2989
49.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	2890, 2903, 2967
50.	मंडल, श्री मंगनी लाल	2875
51.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	2885

1	2	3
52.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	2866, 2947
53.	मुंडा, श्री अर्जुन	2881, 2981, 3019
54.	मुत्तेमवार, श्री विलास	2883, 2982, 2984, 3015
55.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	2918, 2963
56.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2896, 2963, 2972, 2976, 2977
57.	पाल, श्री जगदम्बिका	2875
58.	पांडा, श्री वैजयंत	2919, 2969, 2992, 3005
59.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	2877, 2936, 3005
60.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	2848, 2904, 2978, 3000
61.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	2907
62.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	2949
63.	पटेल, श्री देवजी एम.	2861, 2878, 3000
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2926, 2965, 2989
65.	पाठक, श्री हरिन	2889
66.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	2862, 2867, 2914, 2917, 2961
67.	राघवेन्द्र, श्री बी.वाई	2947
68.	राम, श्री पूर्णमासी	2855, 2909
69.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	2979, 3000
70.	रामशंकर, प्रो.	2902
71.	राव, डॉ. के.एस.	2847, 2963
72.	राव, श्री नामा नागेश्वर	2868
73.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2889, 2946, 2982, 2998, 3011
74.	राठवा, श्री रामसिंह	2944

1	2	3
75.	रावंत, श्री अशोक कुमार	2920, 2968, 2991, 3004
76.	राय, श्री रूद्रमाधव	2949
77.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3022
78.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2933, 2973, 2995, 3026
79.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2858, 2910, 2933, 2959, 3000
80.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	2903
81.	सम्पत, श्री ए.	2925, 2964
82.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2912, 2939, 2960, 3001, 3024
83.	सत्पथी, श्री तथागत	2863, 2870, 2941, 2979
84.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	2860
85.	शर्मा, श्री मदन लाल	2899, 2939, 2944
86.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	2881, 2923, 2981
87.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	2849, 2905, 2957, 2987
88.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2929
89.	सिंह, डॉ. भोला	2875, 2976, 2989
90.	सिंह, श्री दुष्यंत	2919, 2942, 2954, 2963, 2971
91.	सिंह, श्री जगदानंद	2874
92.	सिंह, श्री राधा मोहन	2878, 2937
93.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	2921, 2980
94.	सिंह, श्री राकेश	2850, 2930
95.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	2924
96.	सिन्हा, श्री यशवंत	3019
97.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	2853

1	2	3
98.	शिवासामी, श्री सी.	2935
99.	सुधाकरण, श्री के.	2857, 3025
100.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2854, 2908
101.	सुले, श्रीमती, सुप्रिया	2918, 2963
102.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	2927
103.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	2900, 3021
104.	ठाकोर, श्री जगदीश	2897
105.	ठाकुर, श्री अनुरोग सिंह	2933
106.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	2870
107.	टोप्पो, श्री जोसेफ	3019
108.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2888, 2978, 2981, 3020
109.	वर्मा, श्री सज्जन	2972
110.	वर्मा, श्री ऊषा	2856, 2872, 2913
111.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	2879, 2938, 2975, 2996, 3008
112.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	2907
113.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	2893, 2978
114.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	2895, 2989
115.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	2893, 2950
116.	यास्खी, श्री मधु गौड	2887, 2901, 2956

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	305, 312, 316, 318
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	306
पंचायती राज	:	301
विद्युत	:	302, 307, 317
ग्रामीण विकास	:	303, 308, 311, 314, 319
पर्यटन	:	304, 310, 320
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	309, 313, 315
महिला और बाल विकास	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	2844, 2850, 2853, 2855, 2857, 2858, 2863, 2866, 2867, 2880, 2884, 2886, 2887, 2889, 2893, 2896, 2897, 2904, 2912, 2917, 2918, 2923, 2924, 2925, 2926, 2931, 2935, 2941, 2943, 2945, 2946, 2947, 2950, 2953, 2958, 2960, 2963, 2970, 2973, 2979, 2982, 2983, 2984, 2985, 2991, 2992, 2997, 3001, 3004, 3010, 3018, 3020, 3024, 3025
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2870, 2903, 2933, 2998, 3011
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	2878, 2890, 2891, 2900, 2927, 2948, 2957, 2969, 2975, 2988, 2994
पंचायती राज	:	2852, 2882, 2937, 2961, 2968, 3003
विद्युत	:	2845, 2849, 2859, 2873, 2874, 2877, 2881, 2908, 2910, 2911, 2916, 2929, 2930, 2934, 2939, 2942, 2949, 2951, 2954, 2955, 2956, 2959, 2962, 2966, 2972, 2986, 2993, 2999, 3007, 3012, 3015

ग्रामीण विकास	:	2864, 2868, 2871, 2875, 2876, 2879, 2898, 2899, 2906, 2919, 2921, 2928, 2936, 2938, 2944, 2976, 2978, 2989, 2990, 2995, 3005, 3006, 3008, 3013
पर्यटन	:	2847, 2854, 2856, 2861, 2865, 2869, 2872, 2883, 2892, 2964, 2967, 2971, 2977, 2980, 3023, 3026
जनजातीय कार्य	:	2851, 2885, 2888, 2981, 2987, 2996, 3009, 3016, 3019
शहरी विकास	:	2894, 2901, 2902, 2907, 2909, 2932, 2940, 2952, 2965, 3000, 3002, 3022
महिला और बाल विकास	:	2846, 2848, 2860, 2862, 2895, 2905, 2913, 2914, 2915, 2920, 2922, 2974, 3014, 3017, 3021

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/3/17/2009 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।